1

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा: अर्थ और महत्व

प्रारम्भिक बाल्यावस्था का अर्थ जन्म से 6 वर्ष तक के शुरूआती जीवन से है। इन वर्षों को निर्माण के वर्ष कहते हैं क्योंकि इन्हीं वर्षों में शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक-संवेगात्मक और भाषा के विकास की नींव पड़ती है। तंत्रिकाविज्ञान के क्षेत्र में हुए अनुसन्धानों ने इन वर्षों के महत्व को इस रूप में माना है कि इन वर्षों में मस्तिष्क का विकास बहुत तीव्र गति से होता है। प्रारम्भिक वर्षों में लालन-पालन, उद्दीप्त करने वाला परिवेश और सीखने के अनुकूलतम अवसर छोटे बच्चों के जीवन पर दीर्घकालिक प्रभाव डालते हैं। इन निर्माणात्मक वर्षों में सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) की सुनिश्चितता द्वारा ऐसा किया जा सकता है। किसी भी प्रकार का वंचन बच्चों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। अत: ईसीसीई के अर्थ और महत्व को समझना अनिवार्य हो जाता है।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- ईसीसीई के अर्थ और महत्व का वर्णन करते हैं;
- ईसीसीई के उद्देश्यों की चर्चा करते हैं;
- ईसीसीई के घटकों की व्याख्या करते हैं;
- प्रारंभिक हस्तक्षेप के महत्व को चिन्हित करते हैं; और
- भारतीय और वैश्विक संदर्भों में ईसीसीई का वर्णन करते हैं।

1.1 ईसीसीई का अर्थ और महत्व

1.1.1 ईसीसीई का अर्थ

ईसीसीई शब्द तीन मुख्य शब्दों से मिलाकर बना है– 'प्रारम्भिक बाल्यावस्था', 'देखभाल' और 'शिक्षा'। प्रारम्भिक बाल्यावस्था में जन्म से 6 वर्ष तक की अवधि आती है। ईसीसीई की राष्ट्रीय नीति, 2013 के अनुसार विकासात्मक विशेषताओं के आधार पर प्रारम्भिक वर्षों की तीन उप-अवस्थाएँ हैं जिनमें से प्रत्येक की अपनी आयु के अनुरूप विकासात्मक प्राथमिकताएँ होती हैं। ये उप-अवस्थाएँ हैं– (a) गर्भ धारण से जन्म, (b) जन्म से तीन वर्ष तथा (c) तीन से छह वर्ष। ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्थाएँ हैं, क्योंकि इनमें बहुत ही तीव्र गति से वृद्धि और विकास होता है। देखभाल से हमारा आशय सभी बच्चों को प्रेम और स्नेह प्रदान करना तथा स्वस्थ, स्वच्छ, सुरक्षात्मक और सक्रिय वातावरण उपलब्ध कराना है। शिक्षा खोज, प्रयोग, अवलोकन, सहभागिता और अन्तःक्रिया द्वारा ज्ञान, कुशलता, अभिवृत्ति और मूल्यों को गृहण करने की प्रक्रिया है। ये समस्त अनुभव बच्चों को अपने बारे में और दुनिया के बारे में जानने में मदद करते हैं।

अतः ईसीसीई का अर्थ बच्चों को विकास के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल और सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है। खेल-आधारित एवं विकासात्मक जरूरतों के अनुसार गतिविधियों वाला एक सुरक्षात्मक और उद्दीपित वातावरण बच्चों के शारीरिक-गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक-सांवेगिक और भाषा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

निष्कर्षतः ईसीसीई बच्चों के समग्र विकास के लिए, बाद की अवस्थाओं में अधिगम के लिए और उनके स्वस्ति भाव के लिए आधार तैयार करने का कार्य करती है।

1.1.2 ईसीसीई का महत्व

विकास की अन्य अवस्थाओं की तुलना में बच्चों के जीवन के प्रारंभिक 6 वर्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। इस दौरान सभी आयामों में उनका विकास तीव्र गति से होता है। तंत्रिका तंत्र के क्षेत्र में शोधकार्य ने बच्चों के जीवन में प्रारम्भिक वर्षों की महत्ता को स्वीकृति दी है। इन शोधकार्यों के अनुसार इन वर्षों में मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है। जब तक बच्चा 6 वर्ष का होता है तब तक उसके 90 प्रतिशत दिमाग का विकास हो चुका होता है। परिणामस्वरूप, बच्चे के समग्र विकास की दृष्टि से, विशेष रूप से मस्तिष्क के विकास की दृष्टि से ये वर्ष अति महत्वपूर्ण हैं। वंशानुक्रम या वातावरण के कारण विकासात्मक प्रक्रिया में आई कोई बाधा उनके विकास को बाधित कर सकती है। घर और विद्यालय में स्वस्थ वातावरण का अभाव, उद्दीपन की कमी, अपर्याप्त पोषण, स्वास्थ्य की देखभाल में लापरवाही कुछ सामान्य कारक हैं जिनके कारण बच्चों में विकासात्मक विलम्बन होता है। इन वर्षों के दौरान बच्चे अनेक शारीरिक-गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, सामाजिक-सांवेगिक और भाषा सम्बन्धी दक्षताओं का अर्जन करते हैं। अतः उन्हें सकारात्मक अनुभवों से पूर्ण उद्दीपक और सहभागिता वाला वातावरण मिलना चाहिए। ईसीसीई कार्यक्रमों के दौरान बच्चों को उपलब्ध करायी गयी गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक देखभाल और शिक्षा उन्हें समर्थ बनाती है कि वे अपनी उम्र के अनुसार ज्ञान और कौशल को प्राप्त कर सकें जिसके आधार पर बाद में वे औपचारिक स्कूल के वातावरण में समायोजन कर सकें।

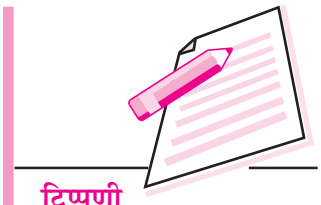

टिप्पणी

अत: बच्चों के एकीकृत, स्वस्थ और समग्र विकास के लिए ईसीसीई को प्राथमिक महत्व देना चाहिए। ईसीसीई के अलग-अलग सेवा प्रदाताओं को सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को समतामूलक और गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई प्राप्त हो, खासकर उन बच्चों को जो इससे वंचित हैं।

1.2 ईसीसीई के उद्देश्य

ईसीसीई का उद्देश्य सभी बच्चों को उनके समग्र विकास के लिये निर्माणात्मक वर्षों के दौरान गुणवत्तापूर्ण देखभाल और अधिगम के अवसर उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय ईसीसीई के लिए पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013 में इसके उद्देश्यों को परिभाषित किया गया है। आइए, इसी आलोक में ईसीसीई के उद्देश्यों को समझते हैं। ईसीसीई के उद्देश्य है–

- यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चे सुरक्षित, सलामत, स्वीकृत और सम्मानित महसूस करें।
- सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को अच्छा और संतुलित पोषण प्राप्त हो।
- बच्चों में स्वस्थ आदतों, स्वच्छता संबंधी चलन और खुद की सहायता कर सकने वाली कुशलताओं का विकास हो।
- उनकी भाषा, सम्प्रेषण और अभिव्यक्ति की क्षमता का सम्यक विकास हो।
- उनकी सम्भाव्य क्षमता के अनुसार शारीरिक और गत्यात्मक क्षमताओं का अनुकूलतम विकास किया जाए।
- सहभागिता पूर्ण उद्दीपक गतिविधियों में संलग्नता द्वारा बच्चों की संवेदी और संज्ञानात्मक क्षमताओं को पोषित किया जाए।
- बच्चों के भावानात्मक समायोजन को ध्यान में रखते हुए समाजोन्मुख कौशलों और सामाजिक दक्षताओं का विकास किया जाए।
- बच्चों को विद्यालयों में औपचारिक अधिगम के लिए तैयार किया जाए।

गतिविधि 1.1

अपने समुदाय के अभिभावकों से चर्चा कीजिए और पता लगाइए कि वे ईसीसीई के महत्व के बारे में कितने जागरूक हैं?

पाठगत प्रश्न 1.1

1. बताइए कि नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य।

   (क) बच्चों के जीवन के प्रारम्भिक वर्ष महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इस दौरान उनका सभी आयामों में तीव्र वृद्धि और विकास होता है।

   (ख) ईसीसीई का अभिप्राय बच्चों के जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में उनके स्वास्थ्य और पोषण संबंधी देखभाल एवं सीखने के शुरूआती अवसरों को उपलब्ध कराना है।

   (ग) घर और स्कूल का वातावरण बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता है।

   (घ) वंशानुक्रम या वातावरणीय कारणों से बच्चों के विकास में आई बाधा उनके समग्र विकास को प्रभावित करती है।

   (ङ) एक सुरक्षात्मक और उद्दीपक वातावरण बच्चों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है।

1.3 ईसीसीई के घटक

ईसीसीई एक एकीकृत कार्यक्रम है जिसके अनेक घटक हैं। ये सभी मिलकर बच्चों के विकास और कल्याण में योगदान करते हैं। आइए, इसके प्रमुख घटकों को विस्तार से समझते हैं।

चित्र 1.1 : ईसीसीई के घटक

टिप्पणी

1.3.1 स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता

इस घटक में माताओं और बच्चों को नियमित स्वास्थ्य संबंधी हस्तक्षेप प्रदान करना शामिल है। इसमें प्रसव पूर्व और प्रसव बाद की देखभाल जैसे– पौष्टिक आहार, गर्भवती माता की प्रतिरक्षा हेतु टीकाकरण, स्वास्थ्य की नियमित जांच, तनावमुक्त वातावरण, अस्पताल या स्वास्थ्य केन्द्र में सुरक्षित प्रसव शामिल है।

इसी प्रकार, बच्चों को सन्तुलित और पौष्टिक भोजन, संक्रमण से संरक्षण, समय पर टीकाकरण तथा चिकित्सकीय देखभाल हेतु प्रावधान समेत स्वस्थ एवं स्वच्छ वातावरण प्रदान करने की जरूरत है।

1.3.2 देखभाल और संरक्षण

सभी बच्चों की अनुकूलतम वृद्धि और स्वस्थ विकास के लिए भौतिक और भावनात्मक रूप से सलामत, सुरक्षित एवं संरक्षित परिवेश अत्यन्त आवश्यक है। देखभाल और सुरक्षा वाला परिवेश प्रदान करना ईसीसीई का एक अभिन्न घटक है। बच्चों की देखभाल करने वालों के लिए आवश्यक है कि वे उनकी मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांवेगिक जरूरतों को पूरा करें। यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी आवश्यकतानुसार उपयुक्त उद्दीपक दिया जा सकता है, सहयोगी और सुखद अन्त:क्रिया की जा सकती है, एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित किया जा सकता है।

1.3.3 प्रारम्भिक उद्दीपन

जैसा कि आपने पढ़ा है विकास शारीरिक-गत्यात्मक, सामाजिक-सांवेगिक, संज्ञानात्मक और भाषा के आयामों में होता है। ये सभी आयाम परस्पर संबंधित होते हैं। जीवन के प्रारम्भिक कुछ वर्षों में इन सभी आयामों में तीव्र वृद्धि और विकास होता है।

प्रारम्भिक उद्दीपन का अभिप्राय तीन वर्ष की आयु तक बच्चों को देखने, सुनने, स्पर्श करने, सूंघने और स्वाद लेने के उद्दीपन प्रदान करने से है। उद्दीपन का उद्देश्य बच्चों की संभाव्य क्षमता की वृद्धि करना है। इसके लिए माता-पिता, देखभाल करने वालों के साथ अन्त:क्रिया में सकारात्मक वृद्धि और परिवेश के खोज के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। शोध कार्य बताते हैं कि उद्दीपन तन्त्रिका मार्गों के निर्माण द्वारा मस्तिष्क के विकास में भी मदद करता है जो भविष्य के अधिगम में सहायता करते हैं। अत: यह महत्वपूर्ण है कि प्रारम्भिक वर्षों में बच्चों को उद्दीप्त करने वाला वातावरण उपलब्ध कराया जाए जिसमें आयु के अनुसार विविध सामग्री, अनुभव और विकास के अवसर हों।

1.3.4 प्रारम्भिक अधिगम

ईसीसीई का एक महत्वपूर्ण घटक बच्चों के प्रारम्भिक वर्षों में उन्हें सीखने का अवसर उपलब्ध कराना है। तीन से छह आयु वर्ष के बच्चों को उम्र और विकास के अनुरूप सीखने का अवसर अनिवार्यत: उपलब्ध कराना चाहिए। यह जरूरी है कि इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध

कराई जाए जिसमें खेल, मूर्त अनुभव, अवलोकन, हस्तकौशल और प्रयोग शामिल हों। इससे उन्हें अपने बारे में, दूसरे के बारे में और अपने चारों ओर की दुनिया के बारे में सीखने का मौका मिलता है।

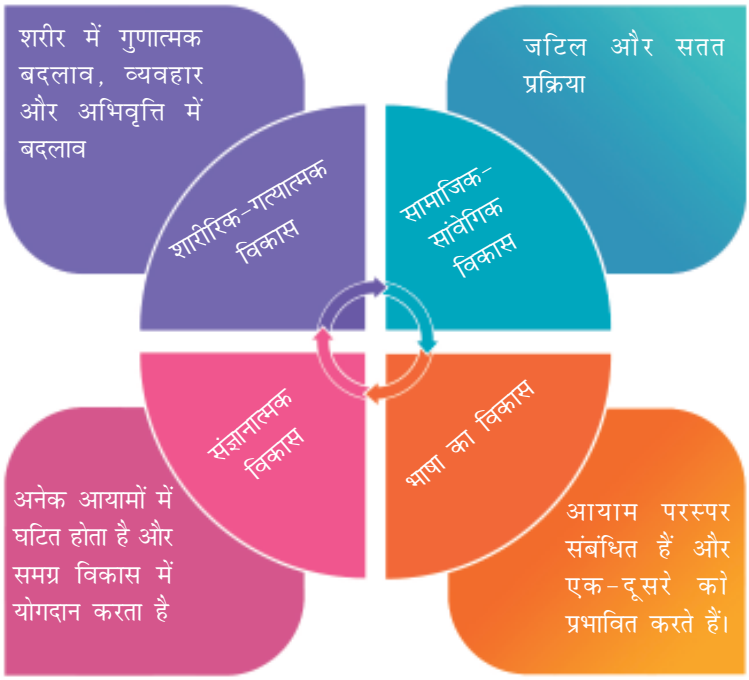

चित्र 1.2 : विकास की प्रक्रिया

शारीरिक-गत्यात्मक विकास

शारीरिक वृद्धि और विकास में लंबाई, भार और शरीर के अन्य अंगों में आनुपातिक परिवर्तनों को शामिल करते हैं। इसमें हड्डियों का विकास भी शामिल है। शरीर की पूरी संरचना हड्डियों के आकार, अनुपात और घनत्व पर निर्भर करती है। यह पूरे शरीर की आकृति को निर्धारित करती है। शारीरिक-गत्यात्मक विकास में स्थूल एवं सूक्ष्म मांस-पेशियों का विकास और हाथ-आंख के तालमेल की प्रक्रिया भी शामिल है। बच्चों में स्थूल मांस-पेशियों का विकास उन्हें रेंगने, चलने, दौड़ने, साइकिल चलाने, चढ़ने, कूदने आदि जैसी गतिविधियों में मदद करता है। सूक्ष्म मांस-पेशियों का विकास क्रेयान पकड़ने, रेखाएं खींचने, रंगने, धागे डालने, काटने और लिखने आदि जैसी गतिविधियों में मदद करता है।

सामाजिक-सांवेगिक विकास

सामाजिक विकास की प्रक्रिया द्वारा बच्चे सामाजिक मानक और सांस्कृतिक मूल्य ग्रहण करते हैं। स्वस्थ सामाजिक विकास बच्चों की मदद करता है कि वे परिवार, दोस्त और जीवन के अन्य लोगों से सकारात्मक संबंध का विकास कर सकें। संवेगात्मक विकास का

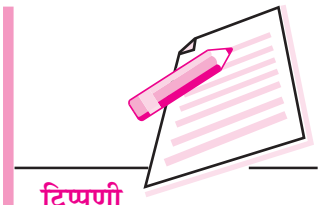

टिप्पणी

अभिप्राय बच्चों में संवेगों और मूल्यों का विकास है। बच्चों का जन्म आधारभूत संवेगों जैसे- प्रेम, भय, क्रोध और खुशी के साथ होता है। समय के साथ वे जटिल भावनाओं को विकसित करते हैं और वे भावनाओं को पहचानना, अभिव्यक्त और प्रबंध करना सीख लेते हैं।

संज्ञानात्मक विकास

यह सोचने, याद करने, पहचानने, वर्गीकरण करने, कल्पना करने, तर्क करने और निर्णय करने जैसी मानसिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास की ओर संकेत करता है।

भाषा का विकास

यह भाषा को ग्रहण करने, समझने और उपयोग करने की प्रक्रिया है। इसमें सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल शामिल हैं। यह कौशल बच्चों को संप्रेषण करने और उन्हें उनकी भावनाओं को व्यक्त करने में सहायता करता है।

पाठगत प्रश्न 1.2

1. रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए।

   (क) ईसीसीई बच्चों के ..... विकास में सहायता करता है।

   (ख) भाषा विकास का अभिप्राय है भाषा को ग्रहण, ... और ..... करना।

   (ग) शारीरिक-गत्यात्मक विकास में ..... मांस-पेशियों का विकास और ..... समन्वयन की प्रक्रिया शामिल है।

   (घ) ..... सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के उदाहरण हैं।

1.4 प्रारम्भिक हस्तक्षेप

इसके पहले कि हम प्रारम्भिक हस्तक्षेप के अर्थ और महत्व की चर्चा करें यह आवश्यक है कि हम विकासात्मक पड़ाव (माइलस्टोन) और विकासात्मक विलंबन का अर्थ जान लें।

विकासात्मक पड़ाव का अभिप्राय आयु के अनुसार विकास के प्रत्येक आयाम में अर्जित कौशल एवं दक्षताएं हैं। सामान्य परिस्थितियों में बच्चों से अपेक्षित है कि वे संबंधित आयामों में अपेक्षित विकासात्मक पड़ाव प्राप्त कर लें अर्थात् यह अपेक्षित है कि कुछ दक्षताएं एक खास आयु सीमा में ही प्राप्त होगी। यदि बच्चे विकास के सामान्य प्रारूप से पीछे रह जाते हैं तो उनका विकास विलंबित हो जाता है। इसका अर्थ है कि उन बच्चों ने निर्धारित समय पर विकासात्मक पड़ाव को प्राप्त नहीं किया। एक उम्र विशेष में जैसी आशा की जाती है वे उस दर से प्रगति करने

टिप्पणी

और विकासात्मक पड़ाव तक पहुंचने में असफल रहते हैं। बच्चों में विकास के विलम्बन के विभिन्न कारण हो सकते हैं जैसे कि वंशानुक्रम, प्रसव या जन्म के समय की जटिलताएं, बीमारी, जन्म के बाद की दुर्घटना।

बच्चों के विलंबित विकास के संकेतों का अवलोकन करना आवश्यक है जिससे उन्हें उपयुक्त एवं समयानुसार हस्तक्षेप उपलब्ध कराया जा सके। प्रारंभिक हस्तक्षेप का तात्पर्य बच्चों की विकासात्मक और अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र उठाए गए कदमों से है जिससे विकासात्मक विलंबन के प्रभाव को कम किया जा सके। इससे अभिप्राय है कि बच्चों को जीवन में शीघ्रातिशीघ्र सही हस्तक्षेप प्राप्त हो, जिस समय पर उनका मस्तिष्क नयी चीजें सीखने को सर्वाधिक ग्रहणशील होता है।

इसलिए बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी जांच नियमित होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड भी रखा जाना चाहिए। उनकी स्वास्थ्य संबंधी जांच में सामान्य स्वरूप, शरीर की संरचना, धड़कनों का रिकॉर्ड, श्वसन दर, तापमान, लंबाई और वजन की माप, छाती और पेट की माप शामिल है। गले, आंख, कान, नाक, दांत, त्वचा, बाल, नाखून, दृष्टि, श्रवण, मानसिक प्रतिक्रिया, अगों का संचालन, पेशाब और मल का परीक्षण भी होना चाहिए। ये परीक्षण उनकी कमियों को शुरूआत में ही पहचानने में मदद करते हैं। यदि प्रारंभ में ही किसी समस्या को पहचाना जाता है तो उस पर तत्काल ध्यान दिया जा सकता है।

शारीरिक और संवेदी क्षति बच्चों के विकास में सबसे बड़ी बाधक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे में संवेदी क्षति है तो उसे अपने वातावरण के साथ अन्तर्क्रिया करने में समस्या का सामना करना पड़ेगा। यहाँ रिपेल प्रभाव (ऐसी परिस्थिति जिसमें किसी स्थिति के परिणामस्वरूप एक समस्या उत्पन्न हो, नवीन समस्या के परिणामस्वरूप पुन: एक नवीन समस्या उत्पन्न हो और यह क्रम आगे तक चलता रहे) हो सकता है तथा बच्चे का भाषा और सामाजिक-सांवेगिक विकास भी धीमा हो सकता है। यदि किसी बच्चे को बार-बार बुलाया जाता है फिर भी वह नहीं सुनता है तो इसका अर्थ हुआ कि उसकी सुनने की क्षमता में कोई समस्या है। इसी तरह यदि कोई बच्चा एक निश्चित आयु के बाद भी नहीं बोल पाता है तो उसे बोलने की कुशलता के विकास के लिए सहयोग की आवश्यकता होगी। अत: समय पर समस्या की पहचान बच्चों को प्रारम्भिक हस्तक्षेप प्रदान करने में सहायता करती है। यदि समय रहते बच्चों के विकासात्मक विलंबन पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो यह तात्कालिक देरी स्थायी हो जाती है। देर से दिया हुआ कोई भी हस्तक्षेप अंतराल को भरने में पर्याप्त नहीं होगा। अपने देश में बच्चों की बड़ी संख्या है जो जीवन के शुरूआती वर्षों में खराब स्वास्थ्य, कुपोषण एवं घरेलू वातावरण में उद्दीपन के निम्न स्तर जैसे विभिन्न प्रकार के जोखिम से प्रभावित हो सकते हैं। इसलिये प्रारम्भिक विकासात्मक पिछड़ेपन की खोज और इसके लिये उचित कदम उठाए जाने ज्यादा जरूरी हैं।

1.5 भारतीय संदर्भ में ईसीसीई

बच्चों के प्रारम्भिक वर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। बच्चों को उनके प्रारंम्भिक वर्षों में गुणवत्तापूर्ण देखभाल और सीखने के अवसरों को उपलब्ध कराने के महत्व को स्वीकारा जा

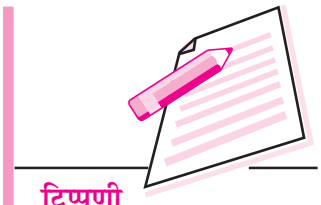

टिप्पणी

रहा है। अनेक शैक्षिक विचारकों ने ईसीसीई के क्षेत्र में उल्लेखनीय विचार दिए हैं। इन विचारकों ने विशेष रूप से बच्चे कैसे बड़े होते हैं, विचार करते हैं, विकास करते हैं जैसे प्रश्नों का उत्तर दिया है। भारतीय संदर्भ में प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के बारे में गिजुभाई बधेका, ताराबाई मोदक और मारिया माण्टेसरी अग्रपंक्ति के विचारक हैं।

गिजुभाई बधेका का मानना था कि बच्चों के उचित विकास के लिए अच्छी शिक्षा आवश्यक है। इसके लिए आपने गुजरात के भावनगर में 1920 में 'बालमंदिर' नाम से पूर्व-प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की।

ताराबाई मोदक ने भी भारत की पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वर्ष 1926 में इन्होंने तत्कालीन बम्बई (वर्तमान मुंबई) में नूतन बाल शिक्षण संघ की स्थापना की। यहाँ विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थी, गतिविधियों और वास्तविक जीवन के अनुभवों से सीखते थे।

मारिया मॉटेंसरी द्वारा प्रतिपादित मांटेसरी विधि पूर्व प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में प्रयुक्त होने वाला एक उपागम है। इसका दुनिया के सारे बच्चों के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा है। यह एक सुव्यवस्थित माहौल में बच्चों के स्वाभाविक विकास को सहयोग करने की विधि है।

महान भारतीय शैक्षिक विचारकों जैसे-महात्मा गांधी, रबीन्द्रनाथ टैगोर, जाकिर हुसैन के लेखन में भी जीवन के निर्माणात्मक वर्षों के दौरान बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर ध्यान आकर्षित किया गया है। इनका विचार रहा है कि बच्चों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए और उनकी शिक्षा उनके सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण से घनिष्ठता से संबंधित होनी चाहिए। यह उस समुदाय से भी संबंधित होनी चाहिए जिसमें बच्चे और उनका परिवार रहते हैं।

वर्तमान में भारत में ईसीसीई से जुड़ी सेवाएं सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती हैं। भारत सरकार ने प्रारम्भिक बाल्यावस्था में दी जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। वर्ष 1975 में एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) [Integrated Child Development Services (ICDS)] योजना का प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य 6 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना था। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक एकीकृत और विशिष्ट कार्यक्रम था। इस कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली महिलाओं की देखभाल भी शामिल थी।

हाल के वर्षों में पंचवर्षीय योजनाओं में ईसीसीई पर ध्यान और प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा संबंधी राष्ट्रीय नीति, 2013 ईसीसीई की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास रहे हैं। इनके द्वारा प्रारम्भिक बाल्यावस्था के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण देखभाल और शिक्षा के अवसर सुनिश्चित हुए हैं।

निजी और गैर-अनुदानित केन्द्र जैसे- नर्सरी, किंडरगार्टेन और निजी विद्यालयों के पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी विभाग भी देश में पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। ये केन्द्र मुख्यत: नगरीय क्षेत्रों में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इनके अलावा अनेक गैरसरकारी संगठन भी ईसीसीई से जुड़े कार्यक्रम संचालित करते हैं।

1.6 वैश्विक संदर्भ में ईसीसीई

ईसीसीई के महत्व को वैश्विक स्तर पर भी स्वीकारा गया है। यह 1989 में यूनाइटेड नेशंस कन्वेन्शन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड (यूएनसीआरसी) अर्थात् संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते के साथ प्रारंभ हुआ। यह बाल अधिकारों के लिए अंतरराष्ट्रीय समझौता है। यह बच्चों के उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, शिक्षा और संरक्षण के सन्दर्भ में बच्चों के कल्याण को संरक्षित करने और प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखता है।

''सबके लिए शिक्षा'' पर वैश्विक सम्मेलन, जोकि जोमेटियन, थाईलैंड, 1990 में हुआ था, ने बल दिया कि ''सीखना जन्म से प्रारंभ होता है'' और प्रारम्भिक देखभाल और शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिसे परिवार और समुदाय के सहयोग से प्रदान किये जाने की जरूरत है।

इसके साथ ही, वर्ल्ड एजुकेशन फोरम जो 2010 में डाकर, सेनेगल में हुआ था, में भी ईसीसीई के महत्व को दोहराया गया है। इसमें पुन: पुष्टि की गयी कि शिक्षा एक मूलाधिकार है और सभी बच्चों के लिए आधारभूत शिक्षा की सुनिश्चितता हेतु ''सबके लिये शिक्षा'' [Eduction For All (EFA)] के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये उद्देश्य निर्धारित किये गये।

हाल में ही वर्ष 2015 में कोरिया गणतंत्र के इंचियोन में हुए वर्ल्ड शिक्षा फोरम में शिक्षा को विकास का एक महत्वपूर्ण साधन मानते हुए सतत विकास के लिए 2030 तक के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। सतत विकास का चौथा लक्ष्य है कि– ''वर्ष 2030 तक सभी लड़के और लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास, सुरक्षा और पूर्व प्राथमिक शिक्षा सुनिश्चित की जाए जिससे वे प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो जाएं।''

इन वैश्विक प्रतिबद्धताओं के समान्तर भारत भी गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई की पहुँच की सुनिश्चितता हेतु प्रयास कर रहा है।

पाठगत प्रश्न 1.3

1. हाँ/नहीं पर निशान लगाइए–

   (क) भारत में ईसीसीई संबंधी सेवाएं सरकारी, निजी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान की जाती है। (हाँ/नहीं)

   (ख) विकासात्मक विलंबन का अभिप्राय है कि बच्चे विकासात्मक पड़ावों को अपेक्षित आयु पर प्राप्त कर लेते हैं। (हाँ/नहीं)

   (ग) आईसीडीएस प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों के लिए एकीकृत कार्यक्रम है। (हाँ/नहीं)

   (घ) प्रारम्भिक हस्तक्षेप का तात्पर्य है बच्चों की विकासात्मक और अधिगम आवश्यकताओं के सन्दर्भ में जितने जल्दी संभव हो उतने जल्दी कदम उठाना। (हाँ/नहीं)

   (ङ) सतत विकास का चौथा लक्ष्य छोटे बच्चों की शिक्षा से संबंधित है। (हाँ/नहीं)

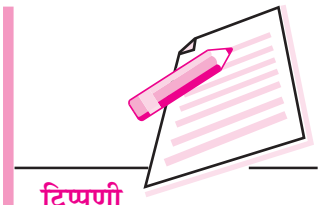

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- प्रारंभिक वर्षों का अभिप्राय जीवन के पहले 6 वर्षों से है।
- ईसीसीई का अर्थ जन्म से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों को उनके समग्र विकास के लिए दी जाने वाली देखभाल और सीखने के अवसरों से है।
- ईसीसीई में स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल, सुरक्षा, प्रारंभिक उद्दीपन और प्रारंभिक अधिगम इसके घटक के रूप में शामिल हैं।
- विकास एक जटिल और सतत प्रक्रिया है। यह शारीरिक-गत्यात्मक, सामाजिक-सांवेगिक, भाषा और संज्ञानात्मक आयामों में होती है। ये आयाम परस्पर संबंधित होते हैं और बच्चे के समग्र विकास को प्रभावित करते हैं।
- बच्चों में विकास के विलंबन के अनेक कारण हो सकते हैं जैसे– वंशानुक्रम, गर्भावस्था या बच्चे के जन्म के समय की जटिलताएं, बीमारी या जन्म के बाद की दुर्घटनाएं आदि। बच्चों में विकासात्मक विलंबन को जानने के लिये प्रारम्भिक पहचान आवश्यक है। विकासात्मक विलंबन वाले बच्चों की विकासात्मक और अधिगम संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए समयानुसार हस्तक्षेप आवश्यक है।
- भारतीय संदर्भ में ईसीसीई के अन्तर्गत भारतीय शैक्षिक विचारकों के विचार और भारत सरकार की पहल जैसे– आईसीडीएस, 1975 एवं ईसीसीई की राष्ट्रीय नीति 2013 शामिल हैं।
- वैश्विक स्तर पर ईसीसीई की स्वीकृति पर बल के साथ सतत विकास का लक्ष्य-4 सभी छोटे बच्चों तक गुणवत्तापूर्ण विकास, देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुनिश्चित पहुँच का लक्ष्य रखता है जिससे वे 2030 तक प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार हो सकें।

पाठान्त प्रश्न

1. ईसीसीई के अर्थ और महत्व की व्याख्या कीजिए।
2. ईसीसीई के मुख्य लक्ष्यों को संक्षेप में लिखिए।
3. ईसीसीई के मुख्य घटकों पर चर्चा कीजिए।
4. बच्चों के समग्र विकास के लिए ईसीसीई क्यों महत्वपूर्ण है?
5. भारतीय संदर्भ में ईसीसीई का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
6. वैश्विक संदर्भ में ईसीसीई की चर्चा कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

1.1

(क) सत्य

(ख) सत्य

(ग) असत्य

(घ) सत्य

(ङ) सत्य

1.2

(क) समग्र

(ख) संप्रेषण, अभिव्यक्ति

(ग) स्थूल एवं सूक्ष्म, आंख-हाथ

(घ) लिखना, रंगना, चित्र बनाना

1.3

(क) हाँ

(ख) नहीं

(ग) नहीं

(घ) हाँ

(ङ) हाँ

शब्दावली

- दक्षताएँ– किसी कार्य को करने के लिये आवश्यक क्षमताएं या कौशल।
- समग्र– बच्चों की शारीरिक-गत्यात्मक, सामाजिक-सांवेगिक, संज्ञानात्मक और भाषायी दक्षताओं का एकीकृत विकास।
- तंत्रिका विज्ञान (न्यूरोसाइंस)– तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क का अध्ययन।

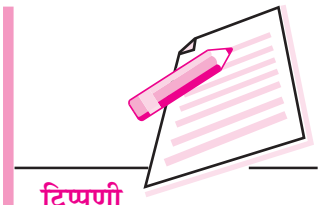

टिप्पणी

संदर्भ

- Inter-Agency Commission, WCEFA (2019). *World Conference on Education for All: Final Report.* Retrieved from http:/ /www.unesco.org/education/pdf/11_93.pdf
- Ministry of Women and Child Development. (1975). *Integrated Child Development Services Scheme*. Retrieved from https:// icds-wcd.nic.in/
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Curriculum Framework for ECCE, 2013*. New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. (2013*). National Early Childhood Care and Education Policy, 2013.* Retrieved from https://wcd.nic.in/ sites/default/files/National%20Early%20Childhood%20Care%20 and%20Education-Resolution.pdf
- National Council of Educational Research and Training. (2006). *Position Paper National Focus Group on Early Childhood Education*. Retrieved from http://www.ncert.nic.in/new_ncert/ncert/rightside/links/pdf/focus_group/early_childhood_education.pdf
- *UNESCO (2000). World Education Forum, Dakar, Senegal, 26-28 April 2000: Final Report*. Retrieved from https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000121117

टिप्पणी

2

भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था

पिछले पाठ में आपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल और शिक्षा के महत्व के बारे में पढ़ा। आइए, अब हम कुछ बुनियादी सवालों पर विचार करते हैं। बच्चा किसे कहते हैं? बाल्यावस्था कब शुरु अथवा खत्म होती है? बाल्यावस्था के विशिष्ट अनुभव क्या हैं? बड़े होने की वास्तविकताएं क्या हैं? संस्कृतियों का बाल्यावस्था के प्रति कैसा दृष्टिकोण है?

पुरानी दुनिया की ज्यादातर सभ्यताओं ने बाल्यावस्था को जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था नहीं माना है, जिसे विशेष ध्यान और पहचान की आवश्यकता हो। ऐतिहासिक रूप से 18वीं सदी के प्रारंभ तक बाल्यावस्था एक स्वतंत्र श्रेणी नहीं थी। तब परिवार साथ-साथ रहते थे और बच्चे उस परिवार और समुदाय का हिस्सा होने के साथ-साथ जीवन के कार्यों को सीखते थे। औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् जब मशीनों ने मानव की जगह ली, तब वयस्क भूमिकाओं में एक विभाजन आया। बच्चों को कारखानों में काम पर रखने का पहली बार सामूहिक रूप से विरोध किया गया और बच्चों की सुरक्षा की माँग की गयी।

इस विचार के साथ कि बाल्यावस्था आत्मनिर्भरता सीखने की अवस्था है, बच्चों को पढ़ाने के नये तरीकों को अपनाया गया। स्कूली शिक्षा सामाजिक ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग बन गयी। अब समाज अनिवार्य स्कूली शिक्षा के बारे में विचार कर रहा है। धीरे-धीरे लोगों के रहन-सहन में बदलाव ने बच्चों की देखभाल के लिए परिवार के अतिरिक्त बाह्य सहायता की माँग को बढ़ावा दिया है। मानव वृद्धि एवं विकास के बारे में शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था एक महत्वपूर्ण अवस्था है। भारत में व्यापक रूप से पायी जाने वाली सामाजिक और आर्थिक विविधता का कुछ समूहों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और बच्चे अपनी पूरी क्षमता को जानने में असमर्थ हो सकते हैं। सांस्कृतिक, जातीय और भौगोलिक बदलाव विभिन्न संदर्भों को जन्म देते हैं।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

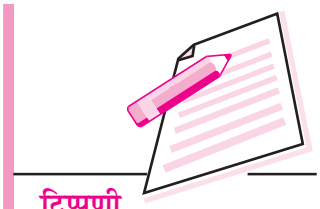

टिप्पणी

- भारत में छोटे बच्चों की स्थिति का वर्णन करते हैं;
- प्रारंभिक बाल्यावस्था में विविधता में योगदान करने वाले कारकों की व्याख्या करते हैं;
- प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करते हैं; और
- विभिन्न सूचकों पर भारत में बच्चों की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं।

2.1 प्रारंभिक बाल्यावस्था

जन्म से छह वर्ष तक की अवधि में विकास की गति तीव्र होती है। इस अवस्था में, अनुभव का अभाव और वंचितता विकास के लिए हानिकारक हो सकती है। प्रारंभिक बाल्यावस्था के पहले तीन वर्षों में देखभाल और उद्दीपन का बहुत महत्व होता है।

विश्व स्तर पर बच्चों को पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए वे किसी न किसी रूप में वयस्कों की निगरानी में रहते हैं। अधिकांश समुदायों में बच्चों के समाजीकरण के द्वारा उन्हें वयस्कों भूमिकाओं के लिए तैयार किया जाता है। बच्चे, विशेषकर छोटी आयु में अति-संवेदनशील होते हैं। उन्हें अपनी क्षमता को पहचानने हेतु भौगोलिक स्थिति, सामाजिक परिस्थितियों और जैविक स्वभाव पर निर्भर अलग-अलग संदर्भों के बावजूद अवसरों के अतिरिक्त देखभाल और संरक्षण की भी आवश्यकता होती है। बच्चों की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी आवश्यक होती है, जिसका वास्तविक अर्थ है बच्चों के निवास स्थान के आवश्यक के पर्यावरण और परिस्थितिकी का ज्ञान। बच्चों के अनुभव, गरीबी, शिथिल परिवार, कामकाजी बच्चे, बेघर बच्चे आदि उनको प्रभावित करने वाले सामाजिक कारक हैं। यदि बच्चों को पौष्टिक भोजन, प्यार, देखभाल और सुरक्षित वातावरण में खोज-बीन के अवसर प्रदान किये जाये तो वे उन्नति करेंगे और अपनी इष्टतम क्षमता को पहचानेंगे। किन्तु यदि परिवार भोजन कपड़े और आश्रय के लिए सीमित संसाधनों के साथ विषम परिस्थितियों में रह रहे हैं तो बच्चों को वंचित रहना पड़ता है। बच्चों की आवश्कताओं की पूरा करने में असमर्थता के कारण परिवार में उनकी अनदेखी हो जाती है। हालांकि, ये चरम स्थितियां हैं, ऐसे अनेक कारक हैं जो बच्चे और उनकी परिस्थितियों को प्रभावित करते हैं।

2.2 बच्चे और बाल्यावस्था

प्रत्येक संस्कृति, बच्चे और बाल्यावस्था को अलग-अलग रूप से परिभाषित करती है, जिसका कारण है सदियों से उन संस्कृतियों के लोगों की सांस्कृतिक चेतना का विकास। यह बताता है कि विभिन्न संस्कृतियों में लोग बच्चों से कैसा व्यवहार करते हैं और उनसे किस प्रकार संबंधित हैं। बाल्यावस्था, सामान्यतया माता-पिता के अतिरिक्त अन्य किसी वयस्क के हस्तक्षेप के बिना खेलने, सीखने, समाजीकरण करने, खोजबीन करने और चिंतित होने की अवस्था है।

2.2.1 भारत में छोटे बच्चों की स्थिति और प्रोफाइल

बच्चे राष्ट्र का भविष्य होते हैं। अत: यह महत्वपूर्ण है कि सभी बच्चे स्वस्थ और सकारात्मक सोच वाले शिक्षित वयस्कों के रूप में विकसित हों, जो राष्ट्रीय विकास में सार्थक योगदान दे

सकें। एक राष्ट्र तब प्रगति करता है जब उसके नागरिक स्वस्थ, शिक्षित और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों और राष्ट्रीय विकास में योगदान दें। वर्तमान में राष्ट्रों की प्रगति का मूल्यांकन केवल आर्थिक संपत्ति से ही नहीं किया जाता, बल्कि बच्चों और बुजुर्गों की स्थिति से भी किया जाता है। मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) के महत्वपूर्ण निर्धारक शिशु मृत्युदर, आयु और साक्षरता दर आदि हैं।

भारत एक बहु-सांस्कृतिक, बहुलवादी समाज है, जहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोग विविध सामाजिक वातावरण में एक साथ रहते हैं। यह दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला ऐसा दूसरा विशाल देश है, जहाँ 1.21 अरब से अधिक लोग निवास करते हैं। भारत में 0 से 18 वर्ष आयु वर्ग के 440 मिलियन से अधिक बच्चे रहते हैं, जोकि दुनिया में सर्वाधिक हैं। बाल जनसंख्या के आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में 0-6 वर्ष आयु वर्ग के 158, 789, 287 बच्चे हैं जो 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 13.12 प्रतिशत है। (*http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/paper_contentsetc.pdf*)

2.2.1.1 भारत में बच्चों की जनसांख्यिकीय प्रोफाइल

सांख्यिकीय आंकड़े जनसंख्या के बड़े हिस्से में होने वाले नुकसान का संकेत देते हैं। आर्थिक संसाधनों के असमान वितरण, पहुँच और जागरूकता की कमी के कारण यह आँकड़े असंतोषजनक हैं। संसाधनों की कमी और न्यून क्रय शक्ति, खराब स्वास्थ्य, उच्च जनसंख्या घनत्व आदि अस्वास्थ्यकर जीवन दशाओं को बढ़ावा देते हैं। कुछ आंकड़े बच्चों के स्वास्थ्य की खराब स्थिति और परिवार द्वारा बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता का अनुमान प्रदान करते हैं। अन्य अधिकांश देशों की भांति भारत में भी बच्चों की स्थिति को समझने के लिए कई सर्वेक्षण किये गये हैं। आइए, हम 2005-2006 और 2015-2016 में किये गए सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान (http://rchiips.org/nfhs/pdf/NFHS4/India.pdf) के द्वारा आयोजित चतुर्थ राष्ट्रीय परिवार स्थास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-4) 2015-2016 से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि बाल जनसंख्या (0-6 वर्ष) 158 मिलियन है। इसमें पिछले 10 वर्षों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अन्य जनसंख्या संकेतक जैसे जन्म नियन्त्रण विधियों का उपयोग अथवा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के अतिरिक्त प्रजनन दर में कमी आयी है। पुरुष-महिला बाल लिंगानुपात में दस वर्षों में 914 से 919 की मामूली वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्रों में अनुपात कम है, जो शहरों और कस्बों में पुरुष बच्चों के लिए लिंग पूर्वाग्रह का संकेत देता है।

उच्च जनसंख्या घनत्व और अपर्याप्त सेवाओं के बावजूद भारत में बच्चों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है जिसके लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य की देखभाल और जागरूकता हेतु मदद पाने में अब पहले से अधिक परिवार सक्षम हैं। शिशुओं के जन्म के समय प्रशिक्षित चिकित्सा कर्मियों की सहायता लेने में वृद्धि हुई है। अधिक बच्चे जीवित रह पा रहे हैं और प्रतिरक्षित हो रहे हैं।

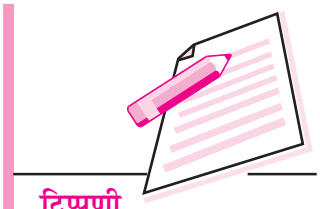

टिप्पणी

2.2.1.2 बाल रुग्णता और मृत्यु दर

बाल मृत्यु दर से तात्पर्य है प्रति 1000 जन्में जीवित बच्चों पर पाँच वर्ष से कम आयु में होने वाली बाल मृत्यु। शिशु मृत्युदर से तात्पर्य है एक वर्ष की आयु से छोटे बच्चों की मृत्यु। यह मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर (IMR) द्वारा मापी जाती है, अर्थात् प्रति 1000 जीवित जन्मों में एक वर्ष से कम उम्र में मरने वाले बच्चों की संख्या। (https://en.wikipedia.org/wiki/Infant_mortality)

संस्थागत जन्मों में वृद्धि हुई है, और नवजात शिशुओं के लिए चिकित्सीय देखरेख बढ़ी है। शिशु मृत्यु दर 2015-2016 में 2.5% नवजात शिशुओं को 24 घंटे के भीतर चिकित्सीय देखरेख मिल सकी, जोकि दस साल पहले 0.3% थी।

पिछले दस वर्षों में शिशु मृत्युदर (आईएमआर) 57 से घटकर 41 हो गई है। उत्तरजीविता का स्तर निम्न होने के कई कारण हैं जैसे– रोग, संक्रमण एवं स्वच्छ जीवन दशाओं का अभाव आदि।

पांच वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्युदर (U5IMR) में भी 24 बच्चों तक की गिरावट हुई है। 2015-2016 में U5IMR 50 था जो दस वर्ष पहले 74 बच्चे प्रति 1000 जीवित जन्म था। अधिकांश परिवारों ने स्वच्छता और स्वच्छ पेयजल में सुधार किया है।

संकेतक	शहरी	ग्रामीण	कुल
शिशु मृत्युदर (IMR)	29	46	41
पाँच वर्ष से कम उम्र के शिशुओं की मृत्युदर (U5IMR)	34	56	50

Source: India Fact Sheet, National Family Health Survey (NFHS-4, 2015-2016), Ministry of Health and Family Welfare. Government of India

2.2.1.3 मातृ मृत्यु दर और स्वास्थ्य

मातृ मृत्यु दर से तात्पर्य उस मृत्यु से है, जो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान होने वाली जटिलताओं से होती है। यदि कोई स्त्री गर्भवती है और वह गर्भावस्था के दौरान अथवा प्रसव पश्चात 42 दिनों के भीतर मर जाती है, तो वह भी मातृ-मृत्यु कहलाती है। मृत्यु दर को कम करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाये गये हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने भारत में मातृ-मृत्यु अनुपात (MMR) को 77% तक कम करने की प्रगति सराहना की है। मृत्यु दर 1990 में 556 प्रति 1000 जीवित जन्म था जोकि 2016 में 130 प्रति 1000 जीवित जन्म रह गया था। (https://currentaffairs.gktoday.in/tags/maternal-mortality-ratio) मातृ-मृत्यु दर बच्चे की उत्तरजीविता और विकास को प्रभावित करती है। यह माता की आयु, स्वास्थ्य और सेहत से संबंधित है। NFHS (2015-16) उत्साहजनक विवरण प्रदान करता है कि 18 वर्ष से कम आयु की विवाहित महिलाओं की संख्या में कमी आई है। 2005-2006 में 47.4 की तुलना में यह 26.8 है। यह सीधे तौर पर आईएमआर पर प्रभाव डालता है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 18 वर्ष से कम उम्र की लडकियाँ सुदृढ़ मातृत्व के लिए तैयार न हों।

2.2.1.4 स्वास्थ्य और पोषण

अच्छे स्वास्थ्य और विकास के बीच सीधा संबंध है। जब एक बच्चे का जन्म होता है, परिवार को टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में सलाह दी जाती है। स्थानीय समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) केन्द्र नियमित क्लीनिक, या विशेष रूप से व्यवस्थित शिविर के द्वारा अक्सर प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण प्रदान करते हैं। भारत में बच्चों के पोषण की स्थिति बहुत ही खराब है। हालांकि, हाल ही में कुछ प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं, विशेषत: पोलियो के पूर्ण उन्मूलन से। बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रमों की शुरूआत की गयी है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (NFHS-4) 2015-2016 के आँकड़े दर्शाते हैं कि पाँच साल से कम उम्र के 35.8% बच्चे वजन में कम हैं, जबकि लगभग 38.4% की लम्बाई नहीं बढ़ पा रही है। वेस्टिंग (पर्याप्त वजन न होना) और स्टंटिंग (पर्याप्त ऊंचाई न होना) कुपोषण और उद्दीपन की कमी के संकेत हैं।

माँ और बच्चे दोनों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए स्तनपान सर्वोत्तम है जो नवजात शिशु के लिए पौष्टिक आहार का काम करता है और संक्रमण से सुरक्षा भी करता है। वर्तमान में यह सुझाव दिया जाता है कि नवजात शिशुओं को पहले छह महीने केवल स्तनपान पर ही निर्भर होना चाहिए। NFHS-4 के आंकड़ों के अनुसार 41.6% माताएं प्रसव के 1 घंटे के भीतर शिशु को स्तनपान करा सकती हैं, जबकि 54.9% माताओं ने छह माह से कम उम्र के शिशुओं को स्तनपान कराया है।

अधिकांश समुदायों में कुछ ऐसे निश्चित खाद्य पदार्थ होते हैं जो माताओं में दुग्धवर्धन में सहायक होते हैं और लगभग छह महीने की उम्र में स्तनपान से अर्द्ध ठोस खाद्य पदार्थों में शिशु के पारगमन का उत्सव मनाने की परम्परा भी है।

2.2.1.5 शिक्षा

NFHS-4 के आंकड़े दर्शाते हैं कि 68.8% बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो 2005 की तुलना में 10% अधिक है। हालांकि स्कूल जाने वाले बच्चों की कुल संख्या में सुधार हुआ है, परंतु बच्चों के अधिकतम लाभ हेतु शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। छोटे बच्चों के लिए खेल आधारित अधिगम वातावरण बनाने का प्रयास किया गया है। छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013 की अभूतपूर्व भूमिका रही है।

मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 तीन वर्ष से छोटे बच्चों की देखभाल की आवश्यकता पर केंद्रित है। यह अधिनियम कार्यक्षेत्रों के लिए बच्चों की देखभाल की अनिवार्य सुविधाओं पर बल देता है। राज्य के इस प्रकार के निर्देश ने बच्चों के लिए प्रारंभिक प्रेरणा और खेल की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है।

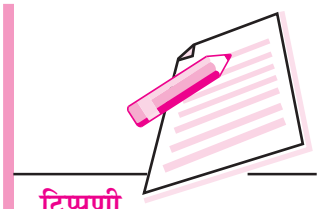

टिप्पणी

2.2.1.6 लिंग

समाज में बच्चों के प्रति कैसा व्यवहार किया जाता है, इसका बाल्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। एक राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक समाज के सभी सदस्यों को समान अधिकार और अवसर प्रदान न किये जायें। लैंगिक असमानताओं के होते हुए हम कभी भी एक राष्ट्र के रूप में उन्नति नहीं कर सकते।

आइए, अब हम आंकड़ों द्वारा प्रस्तुत लैंगिक स्थिति की समीक्षा करते हैं। लड़कियों से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जैसे स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और पोषण से वंचितता, लड़कों की तुलना में लड़कियों को स्कूली शिक्षा से जल्दी निकाल देना, लड़कों की तुलना में कम साक्षरता दर (65.5% लड़कियां और 82.1% लड़के, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार) और आर्थिक अवसरों का अभाव आदि। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 944 महिलाएं थीं।

NFHS-4 के आंकड़े 1991 पर 10 वर्षों में सामान्य आबादी के लिए लिंगानुपात 9 की गिरावट का संकेत देते हैं। 2016 में शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कम था। कुल मिलाकर 2015–2016 में दस वर्षों में अधिक लड़कियों के जीवित रहने के आंकड़ों में वृद्धि हुई। 2005 में यह संख्या 914 थी जो 2015 में 919 हो गयी।

2.2.2 विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संदर्भ

भिन्नता को परिभाषित करने वाले सांस्कृतिक कारकों जैसे- विश्वास प्रणाली, संसाधनों की उपलब्धता और अभिवृत्ति की प्रकृति, प्रभाव और अनुभव जो बच्चों के समक्ष प्रकट होते हैं, उन पर चर्चा करना आवश्यक है। भारत में विविधता भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषायी, धार्मिक और अन्य सजातीय कारकों जैसे भोजन, कपड़े और रीतिरिवाजों आदि पर आधारित है। भौगोलिक विविधता के आधार पर भारत को कई क्षेत्रों जैसे हिमालय, उत्तरी मैदान, मध्य पठार और दक्कन, पश्चिमी और पूर्वी घाट, भार मरुस्थल आदि। जलवायु, तापमान, वनस्पति और जीव-जंतुओं में अंतर प्रत्येक क्षेत्र के लोगों को एक विशिष्ट विशेषता प्रदान करता है। इसलिए वे देखने में और पहनावे में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, और भौतिक परिस्थितियां सामाजिक जीवन को प्रभावित करती है।

2.2.2.1 संस्कृति, जाति और जनजाति

भारत में कई जाति समूह हैं एवं जातियां भारतीय समाज में विविधता का एक मुख्य कारण रही हैं और यह अक्सर भेदभाव का कारण भी बन जाती हैं। प्राचीन समय में भारत में निम्न जातियों को उत्पादक संसाधनों, भूमि शिक्षा, प्रतिष्ठा और पूजा स्थलों में प्रवेश आदि से वंचित रखा जाता था। आर्थिक अभाव ने भेदभाव के अन्य रूपों जैसे अस्पृश्यता, भोजन और पानी बांटने पर सांस्कृतिक प्रतिबंध और ग्राम समुदायों के भीतर अलगाव आदि को जन्म दिया।

ऐसी नकारात्मक सामाजिक और सांस्कृति स्थितियां बच्चों के आत्म-सम्मान और पहचान को खत्म करती हैं और उन्हें दब्बू बनाती हैं। प्रेरणा की कमी बच्चे की वृद्धि और विकास पर

नकारात्मक प्रभाव डालती है। यह उनके लिए अवसरों को सीमित करती है और उनकी वृद्धि की संभावनाओं को कम कर देती है।

अनुसूचित जनजातियाँ अधिकांशत: वन या ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, जिनमें अलग-अलग सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएं और प्रथाएं हैं, जोकि वन्य परिस्थितिकी से घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। उनकी अलग जीवन शैली और दूरस्थ निवास के कारण उन्हें नौकरियों से अलग रखा जाता है अथवा स्तरीकृत समाज की मुख्यधारा में प्रतिकूल समावेशन की कीमत संस्कृतियों और भाषाओं के लोप से चुकानी पड़ती है।

2.2.2.4 विकलांग बच्चे

विकलांग बच्चे समाज में सबसे अधिक अधिकार हीन और बहिष्कृत समूह है। अनेक बच्चे प्राथमिक अथवा उच्च शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं। सरकारी और निजी दोनों प्रकार के स्कूलों द्वारा विकलांग बच्चों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया है। परिवारों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे की विशेष जरूरतों पर ध्यान देना होगा। ऐसे बच्चों को माता-पिता की अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। जो बच्चे अक्षम नहीं हैं, उनको भी क्षमता में अंतर और सबके साथ सहानुभूतिपूर्वक रहना सिखाने के लिए प्राय: परामर्श की आवश्यकता होती है।

2.2.2.5 प्रवासी

लगभग चार से छह मिलियन बच्चे प्रवास का शिकार हैं। असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत अर्द्धकुशल और अकुशल प्रवासी असुरक्षित हैं। ये बुनियादी सेवाओं और आजीविका की सुरक्षा से वंचित है। इनको शोषक कार्य दशाओं (यानी न्यूनतम मजदूरी और मजदूरी का भुगतान न करना, सामाजिक सुरक्षा की कमी और सौदेबाजी की शक्ति का अभाव), लिंग आधारित मजदूरी भेदभाव और मातृत्व अधिकारों और बच्चों की देखभाल सेवाओं से (बाल कल्याण निहितार्थ के साथ) वंचितता आदि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मौसमी प्रवास बच्चों के लिए विशेषरूप से हानिकारक हैं क्योंकि यह प्राय: बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचितता का कारण होता है।

पाठगत प्रश्न 2.1

कॉलम अ का कॉलम ब के साथ मिलान कीजिए–

कॉलम अ	कॉलम ब
(i) संसाधनों की कमी	(क) खेल-आधारित शिक्षा का वातावरण
(ii) बाल मृत्यु दर	(ख) राष्ट्र का भविष्य
(iii) बच्चे	(ग) बहु-सांस्कृतिक बहुलतावादी समाज

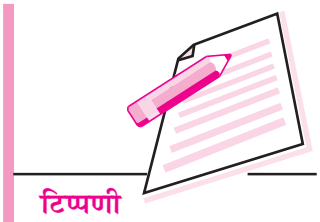

टिप्पणी

(iv) भारत	(घ) खराब स्वास्थ्य, उच्च घनत्व वाला जीवन और रहने की अस्वास्थ्यकर दशाएं
(v) ICDS केन्द्र	(ङ) प्रति 1000 जीवित जन्मों पर पांच साल से कम उम्र के बच्चों की कुल मौतें
(vi) प्रारम्भिक वर्षों में शिक्षा	(च) प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और टीकाकरण

2.3 प्रारंभिक बाल्यावस्था का आगामी जीवन पर प्रभाव

प्रारंभिक बाल्यावस्था बाल विकास में एक संवेदनशील अवस्था है, जिसे बच्चे की आनुवांशिक प्रकृति और पोषण द्वारा आकार दिया गया है। प्रकृति का अर्थ है एक व्यक्ति के विकास और सीखने पर उसके आनुवांशिक गुणों (जीन) का प्रभाव और पोषण का अर्थ है बच्चों के विकास और सीखने पर विभिन्न पर्यावरणीय कारक जैसे– परिवार, देखभाल, खोजबीन के अवसर, शिक्षा, परवरिश आदि का प्रभाव। प्रकृति और पोषण दोनों बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं।

पिछले पाठ में, प्रारंभिक वर्षों के महत्व पर चर्चा की गई है। यह वह अवधि है, जब, मस्तिष्क का विकास तीव्र गति से होता है, जो विकास के अन्य आयामों के लिए भी महत्वपूर्ण कारक है। प्रारम्भिक तीन वर्ष अति महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि बच्चा इस काल में प्राप्त अनुभवों के आधार पर ही अपने जीवन में उनका अनुप्रयोग करता है इसे 'सेवा और वापसी' (Serve and return) भी कहते हैं। बच्चों के मस्तिष्क के विकास और देखभाल में प्रेरणा के महत्व को व्यक्त करने के लिए इन दो शब्दों (सेवा और वापसी) का उल्लेख एक शोधपत्र (Shonk off 2005) में किया गया है। यदि मस्तिष्क का उपयोग नये अनुभवों हेतु नहीं किया जाता है, तो सीखने की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। हो सकता है कि बच्चा उदासीन हो जाये, जबकि दूसरी तरफ बच्चों की उपलब्धि इस बात पर निर्भर करती है कि आप इनकी देखभाल और उनके प्रति प्रतिक्रिया किस प्रकार करते हैं।

प्रारंभिक वर्षों में बढ़ने के लिए उद्दीपन, आनंददायी, देखभाल वाले एवं स्वस्थ वातावरण की आवश्यकता होती है जो कि उचित विकास एवं अधिगम के लिए खोजबीन करने, प्रयोग करने, स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने तथा अन्तर्क्रिया करने के अवसर प्रदान करता है।

इस प्रकार का वातावरण बच्चे के प्रारंभिक विकास और शिक्षा सकारात्मक प्रभाव डालता है। दूसरी ओर यदि बच्चा उदास वातावरण में बड़ा होता है, उचित पोषण नहीं मिलता है, दुर्व्यवहार अथवा अनदेखी का सामना करता है, या बार-बार बीमार पड़ता है तो इसका बच्चे के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

शोध द्वारा यह प्रमाणित किया गया है कि जो बच्चे शुरुआती जीवन में गरीबी और वंचितता जैसी विपत्तियों का सामना करते हैं, उनकी बाद में भी अनेक बाधाओं का सामना करने की संभावना अधिक होती है। इस प्रकार की विषम परिस्थितियां, सामाजिक, भावात्मक, व्यवहारगत,

पारस्परिक अथवा स्कूल समायोजन समस्याएं और इससे भी अधिक गंभीर समस्याओं जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएँ, अपराध और आपराधिक प्रवृत्ति आदि को बढ़ावा दे सकती है।

यह आवश्यक नहीं है कि बचपन के प्रतिकूल अनुभव जो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं, वह केवल एक बार की ही नाटकीय घटनाएं हों। ये दैनिक दिनचर्या की घटनाएं भी हो सकती हैं बच्चों को कुपोषण, खराब पालन-पोषण और अन्य प्रतिकूलताओं का सामना करना पड़ता है, जो बच्चों के विकास के लिए हानिकारक हैं।

संवेदनशील पालन-पोषण, व्यापक पारिवारिक सहयोग, परामर्श, सुविधाओं का प्रावधान, सामुदायिक स्तर पर सामाजिक सहायता और सहायक बाल्य देखभाल सेवाएं आदि कारकों के द्वारा ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सकता है और शुरुआती प्रतिकूलता के प्रभावों को नियंत्रित किया जा सकता है।

बचपन में प्रतिकूल अनुभवों के संपर्क में आने वाले व्यक्ति वयस्क होने पर विषम परिस्थितियों के संदर्भ में अभिभावक की भूमिका का निर्वहन करने में कम सक्षम होते हैं और किसी भी रूप में सामाजिक सहयोग अथवा हस्तक्षेप के अभाव से उनमें अनुचित पालन-पोषण के व्यवहार को अपनाने की अधिक संभावना रहती है तथा नकारात्मक और प्रतिकूल पालन-पोषण का चक्र पीढ़ियों तक चलता रहता है।

2.4 प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक

बचपन बच्चों के स्कूल जाने, खेलने और अपने परिवार और समुदाय के वयस्कों की देखभाल, प्यार एवं प्रोत्साहन के द्वारा सुदृढ़ एवं आत्मविश्वासी बनने का समय होता है। बचपन का अर्थ जन्म के पश्चात केवल वयस्कता की प्राप्ति से कहीं अधिक है। यह बच्चों के तीव्र शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक और भाषायी विकास का काल होता है। बच्चों को अनेक सामाजिक कारक जैसे– शिक्षा, छेडछाड़, बाल गरीबी, बिखरा हुआ परिवार, बाल श्रम, भुखमरी और बेघर होना आदि प्रभावित करते हैं।

बचपन आमतौर पर प्रसन्नता, आश्चर्य, चिंता और नमनीयता का मिश्रण होता है। सामान्यतया यह खेलने, सीखने, समाजीकरण करने और माता-पिता के अलावा अन्य किसी वयस्क की हस्तक्षेप के बिना खोजबीन करने का समय होता है। यह वयस्क जिम्मेदारियों का निर्वहन किये बिना, उन जिम्मेदारियों को जानने का समय होता है।

बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्ष बच्चों की वृद्धि और विकास में निर्माणात्मक वर्ष होते हैं, क्योंकि इसी काल में उनके जीवन पर्यन्त विकास और सीखने की नींव रखी जाती है। प्रेरणात्मक वातावरण समग्र विकास को बढ़ावा देता है, जिसमें विकास के विभिन्न आयाम जैसे-संज्ञानात्मक, भाषायी, सामाजिक, संवेगात्मक और शारीरिक क्षमता जिसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है, शामिल हैं। कोई भी दीर्घकालिक प्रतिकूल परिस्थिति विकास को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। बाल्यावस्था, परिवार और राज्य में बहुत गहरी अन्योन्याश्रितता है, विशेषकर वंचित समूहों के लिए गरीबी, बच्चों के लिए सर्वोत्तम संसाधनों को जुटाने के लिए परिवार की पहुँच, गुणवत्ता और सामर्थ्य को सीमित कर देती है।

टिप्पणी

2.4.1 बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक

प्रकृति या आनुवंशिकता और पोषण या देखभाल बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक हैं। आइए, अब हम इनका संक्षिप्त अध्ययन करते हैं।

आनुवंशिकता

शारीरिक विशेषताएँ माता-पिता से बच्चों तक उनके जीन के माध्यम से प्रेषित होती हैं। बच्चों की शारीरिक बनावट जैसे ऊँचाई, वजन, शरीर की संरचना, आँखों का रंग, बालों की बनावट और कुछ हद तक बुद्धिमता और अभिवृत्ति माता-पिता पर निर्भर करती है। बच्चों का रोग, स्वास्थ्य भी माता-पिता से वंशानुगत रूप में मिल सकता है, जैसे हृदय रोग, मोटापा आदि जो कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करेगा। हस्तक्षेप और अनुकूल वातावरण बच्चों की अन्तर्निहित क्षमताओं का सर्वोत्तम विकास कर सकता है।

वातावरण

शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रेरणा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सकारात्मक भौतिक परिवेश के साथ-साथ अन्तर्क्रियात्मक सामाजिक वातावरण और परिवार एवं साथियों के साथ प्रेमपूर्ण संबंध आदि महत्वपूर्ण वातावरणीय कारक हैं जो बच्चों में महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देते हैं। एक अच्छा स्कूल और एक प्यार करने वाला परिवार बच्चों में मजबूत सामाजिक और अन्तरव्यैक्तिक कौशलों को विकसित करता है, जो उन्हें शैक्षणिक उत्कृष्टता प्राप्त करने और योग्य नागरिक बनने की प्रेरणा प्रदान करेगा। तनाव पूर्ण वातावरण में पलने वाले बच्चों पर निश्चित रूप से इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा।

बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले अन्य कारक इस प्रकार हैं–

व्यायाम

बच्चों को शारीरिक रूप से विकसित होने के लिए खेल और व्यायाम की आवश्यकता होती है। बच्चों को उनके अंगों, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए सक्रियता की आवश्यकता होती है। उपयुक्त व्यायाम बच्चों को तंदरूस्त और स्वस्थ बनाए रखता है और उन्हें उचित उपलब्धि तक पहुंचने में मदद करता है।

बच्चे का लिंग

लड़के और लड़कियाँ अलग तरह से बड़े होते हैं। उनकी अधिकांश शारीरिक विशेषताएँ आनुवांशिक होती हैं लेकिन विकास की दर लिंग के अनुसार विशेष रूप से यौवनारम्भ के समय भिन्न-भिन्न होती है। लड़के और लड़कियों का स्वभाव भी अलग-अलग होता है जिसके कारण उनकी रुचियों में भी अन्तर दिखायी देता है।

पोषण

जनसांख्यिकी की सांख्यिकी प्रस्तुति में संकेत दिया है कि भारत में अनेक बच्चे अल्पपोषित हैं और स्टंटिंग एवं वेस्टिंग अधिक है। संतुलित आहार और भोजन की आवश्यक मात्रा बच्चों को बढ़ने, बीमारी से बचने और स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है। बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन अति महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्हें बढ़ने और स्वस्थ रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कुपोषण, विशेषरूप से प्रोटीन का अभाव, स्टंटिंग पैदा कर सकता है। अत्याहार मोटापे का कारण बन सकता है। एक संतुलित आहार जो प्रोटीन, विटामिन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट और वसा से भरपूर होता है, मस्तिष्क और शरीर के विकास के लिए आवश्यक है।

पारिवारिक प्रभाव

सामाजिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य के लिए प्यार और उत्तरदायित्वपूर्ण देखभाल की आवश्यकता होती है। जो वयस्क निरंतर बच्चों के संपर्क में रहते हैं, उनके प्रति बच्चों का लगाव और घनिष्ठता बढ़ती जाती है। यह पारस्परिक संबंध बच्चों में मनोवैज्ञानिक और सामाजिक स्थिरता लाने में योगदान देता है। तनाव की स्थिति में परिवार अपने बच्चों की अनदेखी अथवा उनके प्रति दुर्व्यवहार भी कर सकते हैं जिसके कारण बच्चे समाज के प्रति नकारात्मक हो सकते हैं। बहुत ज्यादा ध्यान और खोजबीन की कम स्वतंत्रता बच्चों को दब्बू और आश्रित बना देता है।

प्राय: यह कहा जाता है कि एक बच्चे को पालने के लिए एक गाँव चाहिए। जिन परिवारों का अनौपचारिक सामुदायिक दायरा अथवा परिवारों में आपसी सहयोग होता है, वहाँ बच्चों के साथ कम दुर्व्यवहार होता है। प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान बच्चे की माँ की भावनात्मक और शाब्दिक प्रतिक्रिया, बच्चे के साथ माता की भागीदरी, और उपयुक्त खिलौनों की व्यवस्था, चार वर्ष की आयु तक होने वाले संज्ञानात्मक विकास और वृद्धि से संबंधित है। पितृ आक्रामकता, मातृ-प्रेम की कमी और तनावपूर्ण घटनाएं बच्चों में व्यवहारगत समस्याओं का कारण हो सकती हैं।

भौगोलिक प्रभाव

परिवेश बच्चों की रुचियों और क्षमताओं को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संगी-साथी और सामुदायिक सुविधाएँ दिनचर्या का हिस्सा हैं। आस-पास के पार्क बाहरी खेलों को संभव बनाते हैं। पुस्तकालय या सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए सुविधाएं, कौशल और प्रतिभा का विकास करते हैं। बच्चों के लिए खेलने के स्थानों की कमी बच्चों को घर के अंदर रहने और वीडियो गेम खेलने के लिए मजबूर कर सकती है। इसलिए, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चे तेज धावक होते हैं। जंगलों के पास रहने वाले बच्चे स्थानीय वनस्पतियों और जीवों का वर्णन करने में सक्षम होते हैं। इसी तरह शहरी बच्चों में कारों एवं अन्य उपकरणों के बारे में बात करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। बच्चों का अच्छा और संपूर्ण विकास स्कूल और शिक्षकों के सहयोग पर निर्भर है।

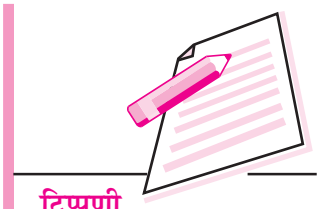

टिप्पणी

सामाजिक आर्थिक स्थिति

आर्थिक साधन और संसाधनों तक पहुँच, किसी परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति द्वारा निर्धारित की जाती है। संपन्न परिवार बेहतर स्कूलों का उपयोग कर सकते हैं और सहायता सामग्री भी प्रदान कर सकते हैं। प्राय: गरीबी अशिक्षा और शिक्षा के अभाव से जुड़ी होती है जो परिवार को कम रचनात्मक मान्यताओं से घेरे रखती हैं। हो सकता है कि गरीब कामकाजी माता-पिता बच्चों की अच्छी देखरेख न कर पाएँ। यह समुदाय का कर्तव्य है कि वह बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं सुनिश्चित करें।

लंबे समय तक गरीबी का अनुभव करने वाले बच्चों में अल्पकालिक गरीबी का सामना करने वाले बच्चों की तुलना में ध्यान की कमी, दुर्बल स्मरण शक्ति और विकास की गति धीमी पायी जाती है।

यद्यपि प्रकृति बच्चों की वृद्धि और विकास में बहुत योगदान देती है, तथापि पालन-पोषण प्रकृति के साथ अन्तर्क्रिया पर निर्भर करता है। हेलन केलर नेत्रहीन और मूक पैदा हुई थी, लेकिन एक समर्पित शिक्षक की सहायता से विश्व प्रसिद्धि हासिल करने में सक्षम रही। बच्चों की देखभाल करने के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करें कि बच्चों को प्रतिदिन पर्याप्त आराम भी मिले, क्योंकि विकास, नींद और आराम की मात्रा पर भी निर्भर करता है। पोषण और व्यायाम पर भी ध्यान दें, क्योंकि ये भी बच्चों की नियमित वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

2.5 बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक

स्वास्थ्य शारीरिक शक्ति, सतर्कता, भावात्मक, मानसिक और सामाजिक सुखों का मिश्रण है जो हमें पूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाता है। यह बीमारी की अनुपस्थिति और एक सक्रिय और कार्यात्मक स्थिति है। हम बच्चों की देखभाल करके उनकी बीमारी का ध्यान रखते हैं। उन्हें बीमारी से प्रतिरक्षित करके, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हम उनकी रोग-प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं और निवारक कार्य करते हैं। खेल, स्वच्छ पर्यावरण और उत्तरदायी देखभाल बच्चों के सम्पूर्ण स्वास्थ्य को बढ़ाती है।

2.5.1 स्वच्छता (आत्म और पर्यावरणीय)

स्वच्छता बीमारी या रोग का प्रसार रोकने के लिए स्वयं को और आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने का अभ्यास है। पर्यावरणीय स्वच्छता के लिए हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि आस-पास कहीं पर भी पानी जमा न हो और पीने का पानी घर, स्कूल या कार्यस्थलों पर ढ़क कर रखा जाता हो।

व्यक्तिगत स्वच्छता में शौचालय का उपयोग करने के बाद हाथ धोना, दाँतों को रोजाना दो बार साफ करना, नहाना, बाल धोना, साफ कपड़े पहनना, नाखून काटना, मुंह को खांसते समय ढ़कना, छींकते समय नाक को ढ़कना आदि शामिल हैं। अस्वच्छता की स्थिति में संक्रमण फैलता है।

2.5.2 स्वच्छता संबंधी मान्यताएँ

स्वच्छता का तात्पर्य जल, पर्याप्त उपचार, मल-मूत्र निष्कासन और गंदे पानी की प्रवाह पद्धति से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थितियों से है। स्वच्छता प्रणालियों का उद्देश्य मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा हेतु एक स्वच्छ वातावरण जोकि रोगों के हस्तांतरण को विशेष तथा मल अथवा मुख के माध्यम से फैलने वाले रोगों को रोक देगा, प्रदान करना है।

2.5.3 पोषण

हमें अपनी दैनिक शारीरिक क्रियाओं को करने, शारीरिक वृद्धि, रोग से लड़ने, उपचार और संरक्षण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यदि अधिक समय तक पोषण की कमी होती है तो यह बच्चे के स्वास्थ्य और विकास को प्रभावित कर सकती है। आंकड़े इंगित करते हैं कि काफी बच्चों में पोषण की कमी है। अच्छी सेहत काफी हद तक बच्चों के संतुलित आहार के सेवन पर निर्भर करती है। कुछ किस्म के खाद्य पदार्थों का सही अनुपात बच्चे के पोषण के लिए आवश्यक है। बच्चों को प्राटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, विटामिन, फाइबर और पानी जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आयुवार पोषाहार संबंधी आवश्यकताओं के दिशा-निर्देश निर्धारित हैं और इन्हें अनुशंसित आहार भत्ता (आरडीए) कहा जाता है। उदाहरणार्थ, भोजन और पोषण आवश्यकताएँ बाल्यावस्था की वयस्क की भोजन और पोषण आवश्यकताओं से भिन्न होती हैं। इसलिए प्रत्येक आयु वर्ग को तदनुसार भोजन और पोषण लेना होता है।

कुपोषण एक व्यक्ति के पोषक तत्वों के सेवन में कमी अथवा असंतुलन को दर्शाता है। इसकी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति कम पोषक तत्वों का सेवन जिसका परिणाम है स्टंटिग (आयु के अनुसार ऊँचाई कम होना), वेस्टिंग (ऊंचाई के अनुसार कम वजन) और पोषक तत्वों की कमी या अपर्याप्तता (महत्वपूर्ण विटामिन और खनिज की कमी), और दूसरी स्थिति में अधिक खाने के कारण अधिक वजन या मोटापा जिसके कारण हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर जैसे विभिन्न रोग हो सकते हैं।

2.5.4 प्रतिरक्षण

प्रतिरक्षण जिसे टीकाकरण भी कहा जाता है, हमें कई संक्रामक बीमारियों से बचाने में मदद करता है। यह संक्रमणों को नियंत्रित करने और खत्म करने में हमारी मदद करता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण पोलियो का खात्मा है। विभिन्न संक्रमणों जैसे- टेटनस, बीसीजी, ओपीवी, हेपेटाइटिस बी, डिप्थीरिया, डीपीटी, टायफाइड, रोटा वायरस, विटामिन ए और खसरा, रुबेला और कण्ठमाल (MMR) आदि के लिए टीकाकरण उपलब्ध है। इन टीकों को निश्चित समय पर गर्भवती महिलाओं, शिशुओं और बच्चों को लगाने के लिए प्रशासित किया गया है जिसके लिए सरकार द्वारा एक समय सारणी निर्धारित की गयी है। माता-पिता की जागरूकता एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में सहायक होगी। टीकाकरण के लाभ केवल स्वास्थ्य में सुधार और व्यक्ति की जीवन प्रत्याशा तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि यह सामुदायिक और राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भी डालता है।

टिप्पणी

2.5.5 मातृ स्वास्थ्य

मातृ स्वास्थ्य बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है क्योंकि स्वस्थ माताओं के बच्चे स्वस्थ पैदा होते हैं। पहले छह महीनों में शिशु पूर्ण आहार के लिए माता के दूध पर ही निर्भर होते हैं। मातृ स्वास्थ्य महिलाओं में गर्भावस्था प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि के दौरान स्वास्थ्य को दर्शाता है। हालांकि मातृत्व अक्सर सकारात्मक और पूर्णता का अनुभव देने वाला होता है, कई महिलाओं के लिए यह दुख, अस्वस्थता और मृत्यु का कारण भी बन जाता है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनिसेफ) के अनुसार, पांच साल से कम उम्र के बच्चों में कम से कम 20% बीमारियां मातृ स्वास्थ्य और कुपोषण की समस्याओं के साथ-साथ प्रसव और नवजात अवधि के दौरान देखभाल की गुणवत्ता से जुड़ी हैं। इसके अतिरिक्त जिस बच्चे की माँ प्रसव के दौरान मर जाती है उसके जीवित रहने की संभावना कम होती है और जिन बच्चों ने अपनी माँ को खो दिया है उनकी अपनी माँ की मृत्यु के दो साल के भीतर उनके मरने की संभावना 10 गुना बढ़ जाती है।

गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के दो साल बाद तक माताओं को पोषण संबंधी कमियों से सबसे अधिक खतरा होता है। यह प्रमाणित हो चुका है कि पोषण हस्तक्षेप बच्चों के जीवित रहने और इष्टतम वृद्धि और विकास तक पहुचने का सर्वोत्तम अवसर प्रदान करता है। उसके बाद बच्चों को होने वाला नुकसान अपूर्णीय होता है।

पाठगत प्रश्न 2.2

रिक्त स्थानों को भरिए–

(क) कुपोषण एक व्यक्ति के ..... के सेवन में कमियों या असंतुलन को दर्शाता है।

(ख) स्वच्छता प्रणाली का लक्ष्य, एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करके ..... की रक्षा करना है।

(ग) स्वच्छता रोग या बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए ..... और .... को साफ रखने का अभ्यास है।

(घ) बच्चों की ..... तथा ..... को आकार देने में परिवेश एक महत्वूर्ण भूमिका निभाता है।

(ङ) ..... और ..... प्रेरणा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

2.6 बच्चों के संदर्भ में भारतीय संविधान और प्रावधान

भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान राष्ट्र के नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों को स्थापित करता है। सभी नागरिकों को उनको मानना और उनका

पालन करना पड़ता है। नीचे बच्चों और उनकी शिक्षा से संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान दिये गए हैं।

वंचित वर्गों के उत्थान के लिए भारतीय संविधान में शिक्षा और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान है, जो जाति और सामाजिक-आर्थिक पिछडेपन पर आधारित है। यह आरक्षण सरकारी अथवा सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों तक सीमित हैं और निजी क्षेत्र इससे स्वतंत्र हैं।

मौलिक अधिकार

धारा 14 – कानून के समक्ष हर व्यक्ति समान है अर्थात् भारत में सभी को कानून का समान सरंक्षण प्राप्त होगा।

धारा 15 – धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा। (3) कोई भी राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने से नहीं रोक सकेगा। (4) कोई भी राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की उन्नति हेतु कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोक सकेगा।

धारा 17 – ''अस्पृश्यता'' को समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका चलन निषेध है।

धारा 19(1) – सभी नागरिकों को (क) बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, (ख) शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने का अधिकार होगा, (ग) संघों या संगठनों को बनाने का अधिकार होगा, (घ) भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार होगा।

धारा 21 – कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति अपने जीवन अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं रहेगा।

धारा 21A – छह से चौदह वर्ष की आयु के बच्चां को नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जायेगी।

धारा 24 – कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध। चौदह वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कारखाने, खदान या किसी अन्य जोखिम वाले रोजगार में नियोजित नहीं किये जायेंगे।

राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्त

धारा 39 – बच्चों की कच्ची उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाए... आर्थिक आवश्यकता के कारण ऐसे काम में प्रवेश करने पर मजबूर नहीं किया जाए जो उनकी उम्र अथवा सामर्थ्य की दृष्टि से अनुचित हो, (च) बच्चों को विकास के स्वस्थ, स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण अवसर तथा सुविधाएं प्रदान की जाएं और बचपन और युवावस्था को शोषण और नैतिक व भौतिक परित्याग से संरक्षित किया जाए।

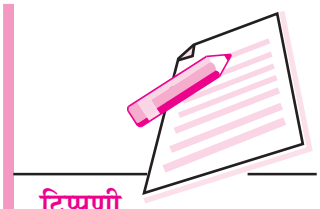

टिप्पणी

धारा 42 – राज्य काम की न्यायपूर्ण और मानवीय दशाओं और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करेगा (बच्चे भी इस वैधानिक प्रावधान से लाभान्वित हैं)।

धारा 45 – राज्य इस संविधान के लागू होने के दस वर्षों की अवधि के भीतर 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा।

धारा 46 – कमजोर वर्गों, विशेषरूप से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों पर विशेष ध्यान किया जायेगा।

धारा 47 – अपने लोगों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार।

धारा 51 (k) – माता-पिता या अभिभावक को अपने छह से चौदह वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अवसर प्रदान करना होगा।

पाठगत प्रश्न 2.3

कॉलम 'अ' का कॉलम 'ब' के साथ मिलान कीजिए–

कॉलम अ	कॉलम ब
(i) धारा 14	(क) पोषण के स्तर में वृद्धि
(ii) धारा 45	(ख) बच्चों की कच्ची उम्र का दुरुपयोग नहीं किया जाये।
(iii) धारा 47	(ग) कारखानों में बच्चों के रोजगार पर रोक
(iv) धारा 39	(घ) नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा
(v) धारा 24	(ङ) किसी भी व्यक्ति की समानता से इनकार नहीं करेगा।

2.7 भारत में बच्चों के पालन-पोषण संबंधी गतिविधियाँ

भारतीय समाज 5,000 वर्षों से भी अधिक प्राचीन सांस्कृतिक विरासत वाला समाज है। यह एक बहुलवादी और विविधता वाला देश होने के साथ-साथ, बाल-पालन से संबंधित विविध रुढ़ियों, रीति-रिवाजों और मान्यताओं वाला देश है।

बाल्य-पालन गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ हैं, जो सांस्कृतिक प्रतिमानों और मान्यताओं पर आधारित हैं, और जिन्हें माता-पिता और अभिभावकों द्वारा बच्चों की देखभाल और परवरिश के लिए अपनाया जाता है।

एक निश्चित समय के लिए बाल्य-पालन गतिविधियाँ बच्चे के विकास की उम्र और वह स्वास्थ्य और पोषण संबंधी जिन जोखिमों से गुजर रहा है उस पर बड़े स्तर पर निर्भर करती हैं। कुछ पारंपरिक मान्यताएं और गतिविधियाँ माता के स्वास्थ्य और स्वस्थ शिशु को जन्म देने की तैयारी पर प्रभाव डालती है।

जन्म के समय और जीवन के पहले वर्ष के दौरान, बच्चे को मृत्यु का सबसे अधिक खतरा होता है। यही कारण है कि विभिन्न संस्कृतियों में बच्चे के जन्म के आसपास बहुत सी पारंपरिक मान्यताएं और प्रथाएं प्रचलित हैं। यह बच्चे और माँ दोनों के लिए नाजुक समय माना जाता है। जहाँ प्रसूतावस्था परंपरा का एक अंग है, जो माँ को, अपने कार्यों को फिर से संभालने के लिए, शारीरिक रूप से सक्षम होने और बच्चे के साथ संबंध प्रगाढ बनाने का अवसर देता है, वही इस प्रथा का नकारात्मक पक्ष यह है कि यह माँ को आवश्यक चिकित्सीय देखभाल प्राप्त करने से रोक सकती है।

प्रसव के बाद और प्रारंभिक शैशवावस्था में बच्चा देखभाल के लिए पूर्णरूप से दूसरों पर निर्भर होता है। आमतौर पर माँ ही कभी-कभी दूसरों के सहयोग से और कभी-कभी अकेले ही प्राथमिक देखभाल करती है। वह एक शिशु के लिए आवश्यक सभी चीजों जैसे– शारीरिक खतरों से सुरक्षा, पर्याप्त पोषण और स्वास्थ्य देखभाल आदि को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है। वह एक ऐसा इंसान होती है जो संकेतों को समझ सकता है और प्रतिक्रिया दे सकता है। वह चीजों को देखने, छूने, सुनने, सूंघने, स्वाद लेने और उपयुक्त भाषायी प्रेरणा एवं दुनिया को समझने के अवसर प्रदान करती है। वह एक ऐसा वयस्क होती है जिसके साथ बच्चा लगाव महसूस करता है। इस काल के दौरान परिवार और समाज का सहयोग, माँ के द्वारा बच्चे की देखरेख के तरीके में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार इस अवधि के दौरन पिता, परिवार के अन्य सदस्यों और समुदाय की भूमिका के संदर्भ में सांस्कृतिक मान्यताएं, बच्चे के जीवित रहने और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस अवधि के दौरान अधिकतम विकास होता है और समग्र विकास की नींव रखी जाती है।
- भारत में छोटे बच्चों की स्थिति और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल में उनकी स्थिति शिशु मृत्युदर और पांच साल की आयु से छोटे शिशुओं की मृत्युदर (U5IMR)।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक:
  - आनुवंशिकता और पर्यावरण
  - व्यायाम
  - बच्चे का लिंग

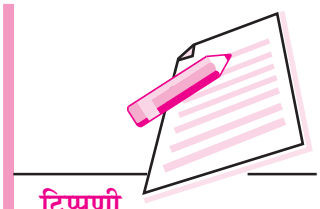

टिप्पणी

- पोषण
- पारिवारिक प्रभाव
- भौगोलिक प्रभाव
- सामाजिक-आर्थिक स्थिति
- स्वच्छता
- स्वच्छता संबंधी मान्यताएँ
- टीकाकरण
- मातृ स्वास्थ्य

- भारत का संविधान बच्चों के अस्तित्व, विकास और सुरक्षा पर जोर देता है। संविधान में मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के रूप में प्रावधान किये गये हैं। जाति के कारण उत्पन्न होने वाले भेदभाव से रक्षा के लिए भारत का संविधान धर्म, वर्ण, लिंग, जाति या जन्म-स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है (धारा 15) सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता को बढ़ावा देता है (धारा 16), अस्पृश्यता का अन्त करता है (धारा 17) और अनुसूचित जाति (SC) एवं जनजाति (ST) और अन्य कमजोर वर्गों को सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से बचाता है।
- भारत के विभिन्न राज्यों और संस्कृतियों में बाल्य-पालन के तरीके भिन्न-भिन्न हैं। ये बचपन, किशोरावस्था और इन बच्चों द्वारा वयस्कों के रूप में माता-पिता की भूमिका को निभाने के तरीकों को प्रभावित करता है।

पाठान्त प्रश्न

1. बाल्यावस्था के अर्थ और महत्व पर प्रकाश डालिए।
2. प्रारंभिक बाल्यावस्था का बचपन के बाद के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है?
3. बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारकों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।
4. भारत में बाल्यावस्था का संवैधानिक दृष्टिकोण क्या है?
5. भारत में बाल्य-पालन संबंधी मान्यताओं पर टिप्पणी कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

2.1

(i) (घ) (ii) (ङ) (iii) (ख) (iv) (ग) (v) (च) (vi) (क)

2.2

(क) पोषक तत्व, (ख) मानव स्वास्थ्य, (ग) स्वयं, परिवेश (घ) रुचियों, क्षमताओं, (ङ) शारीरिक, मनोवैज्ञानिक

2.3

(i) (च) (ii) (घ) (iii) (क) (iv) (ख) (v) (ग)

संदर्भ

- Ministry of Women and Child Development. (1975). *Integrated Child Development Services Scheme*. Retrieved from https:// icds-wcd.nic.in/
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Curriculum Framework for ECCE, 2013*. New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. (2013*). National Early Childhood Care and Education Policy, 2013*. Retrieved from https:// wcd.nic.in/ sites/default/files/National%20Early%20Childhood%20 Care%20 and%20Education-Resolution.pdf
- National Council of Educational Research and Training. (2005). National Curriculum Framework, 2005. Retrieved from http://www.ncert.nic.in/ rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf
- Shonkoff, J. P., & Phillips, D. A. (Eds.). (2000). *From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development*. Washington D.C: National Academy Press.
- Singh, A (Ed). (2015). *Foundations of Human Development*. New Delhi: Orient Blackswan.

WEB RESOURCES

- *http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/data_files/india/ paper_contentsetc.pdf*
- http://rchiips.org/nfhs/pdf/NFHS4/India.pdf
- https://currentaffairs.gktoday.in/tags/maternal-mortality-ratio
- https://en.wikipedia.org/wiki/Infant_mortality

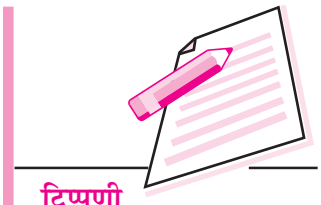

3

बच्चों की आवश्यकताएँ एवं अधिकार

भारत ने बच्चों के बुनियादी अधिकारों की सुनिश्चितता के लिये महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ये उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास तथा सहभागिता के अधिकार हैं। वर्तमान में शिशु मृत्युदर कम हुई है, बच्चों की उत्तरजीविता की दर बढ़ी है, साक्षरता दर में सुधार हुआ है तथा विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आयी है। इन उपलब्धियों के बाद भी अपूर्ण आवश्यकताओं (अर्थात् ऐसी आवश्यकताएँ जो पूरी नहीं हुई हैं) के रूप में कुछ छूटा हुआ सा है जिनके कारण बच्चे उपेक्षित और असुरक्षित महसूस करते हैं। वे सुरक्षित, संरक्षित और स्वतंत्र महसूस नहीं करते। एक कारण यह भी हो सकता है कि बच्चे और यहाँ तक कि वयस्क भी बच्चों की जरूरतों और अधिकारों के बारे में बहुत जागरूक नहीं हैं जिस कारण से वे अपने चारों ओर फैली असुरक्षा से निपटने के लिये अपनी सामर्थ्य और सही दृष्टिकोण को समझ नहीं पा रहे हैं। बच्चों के अधिकारों और इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में जानने के लिये बहुत कुछ है। आइए, बच्चों की जरूरतों और बच्चों के अधिकारों के बारे में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में जानें।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- बच्चों की मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी तथा शैक्षिक आवश्यकताओं का वर्णन करते हैं;
- अपूर्ण आवश्यकताएँ बच्चे के विकास को किस प्रकार प्रभावित करती हैं, उसका वर्णन करते हैं;
- बच्चों के अधिकारों की चर्चा करते हैं;
- संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते (UNCRC) द्वारा सुझावित बाल अधिकारों का वर्णन करते हैं; और
- बालिका शिशु के अधिकारों और सीडब्लूएसएन (CWSN) पर परिचर्चा करते हैं।

टिप्पणी

3.1 बच्चों की आवश्यकताएँ

बच्चे के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिये उद्दीपित अनुभवों को प्रदान करने की आवश्यकता और महत्व के बारे में आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। इसलिये बच्चों के विकास तथा अधिगम के लिये अनुकूल वातावरण के निर्माण तथा पर्याप्त अवसर प्रदान करने के लिये माता-पिता और अन्य देखभालकर्ताओं की आवश्यकता होती है। अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रिया के दौरान बच्चों की कुछ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकताएँ होती हैं जिन्हें समय पर पूरा किया जाना आवश्यक है। आवश्यकता को एक ऐसे रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो किसी व्यक्ति के लिये स्वस्थ एवं उत्पादक जीवन हेतु अनिवार्य है। यह समझना चाहिए कि 'आवश्यकताओं' और 'इच्छाओं' में अन्तर होता है। इच्छाओं की कामना तो हो सकती है लेकिन यह व्यक्ति के लिये अनिवार्य नहीं हैं। आइए, हम कुछ आवश्यकताओं का अध्ययन करें।

3.1.1 मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ

(1) **सुरक्षा, सलामती और संरक्षण** - बच्चों के सकारात्मक मानसिकता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और राष्ट्र के एक समर्पित नागरिक के रूप में विकसित होने की जरूरत है। इसके लिये यह अपरिहार्य है कि वे एक ऐसे वातावरण में बड़े हों जहाँ वे शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और संवेगात्मक रूप से सलामती और सुरक्षित महसूस करें। जब बच्चे सुरक्षा और सलामती का अनुभव करते हैं तब वे अन्य व्यक्तियों और अपने वातावरण पर भरोसा करना सीखते हैं। जो बच्चे सुरक्षा और सलामती का अनुभव नहीं करते हैं वे चिन्तायुक्त, असुरक्षित और अप्रसन्न हो जाते हैं। यह उनके विकास, स्वास्थ्य और अधिगम को प्रभावित कर सकता है। सुरक्षा की कमी से अन्य लोगों के साथ भरोसे तथा लगाव की समस्या को बढ़ावा मिल सकता है। ऐसे बच्चे कुसमायोजित वयस्क के रूप में विकसित हो सकते हैं।

(2) **प्रेम तथा स्नेह** - प्रत्येक बच्चे को प्यार की जरूरत है। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता अन्य व्यक्तियों के साथ सम्बन्धों के विकास और भरोसा पैदा करने का आधार है। एक देखभाल और प्यार भरे वातावरण में रहने वाले बच्चे आत्मविश्वासी और सुसमायोजित व्यक्तियों के रूप में विकसित होते हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसे बच्चे जिन्हें ऐसा वातावरण नहीं मिलता वे अकेला और उपेक्षित महसूस करते हैं, कोई पहल नहीं करते और अलग रहते हैं। प्रेम और स्नेह की आवश्यकता पूर्ण न होने पर अन्य व्यक्तियों के साथ संवेगात्मक रूप से न जुड़ पाने के कारण कुसमायोजन को बढ़ावा मिलता है।

चित्र 3.1 : अभिभावक एवं बच्चों के मध्य प्यार एवं स्नेह

(3) **समझना तथा स्वीकारना**– माता-पिता और देखभालकर्ताओं द्वारा बच्चे को स्वीकारना और समझना बच्चों की एक अन्य मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। मूल्यवान होने की भावना बच्चों के आत्मविश्वास को बढ़ाती है।

बच्चों की उनके अपने बारे में समझ उनके दैनिक जीवन के अनुभवों और उनके परिवारों और समुदाय के साथ उनकी अन्तर्क्रिया के आधार पर विकसित होती है। इसमें बच्चों के लोगों, स्थानों और वस्तुओं के साथ सम्बन्ध तथा अन्य लोगों के व्यवहार और प्रतिक्रियाएँ भी शामिल हैं। बच्चों की उपरोल्लिखित मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति एक सकारात्मक आत्मसम्प्रत्यय (अपनी छवि या अपने प्रति अपना दृष्टिकोण) के विकास में सहायक होती है। इसलिये बच्चों में सकारात्मक आत्मसम्प्रत्यय का विकास आवश्यक है जिसके लिये स्वस्थ पारिवारिक वातावरण, सहयोगी पास-पड़ोस और सकारात्मक विद्यालयी अनुभव महत्वपूर्ण हैं। बच्चों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देखभाल करने वालों को सुरक्षित और सलामत तथा प्यार भरा माहौल सुनिश्चित करना चाहिए जिसमें उन्हें उनके नाम से बुलाया जाए, मुस्करा कर उनका स्वागत किया जाए, उनकी प्रशंसा की जाए एवं उन्हें प्रात्साहित किया जाए तथा दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में उनकी सहायता की जाए।

3.1.2 पूरक पोषण सहित स्वास्थ्य एवं पोषण की आवश्यकता

एक स्वस्थ और प्रसन्न बाल्यावस्था एक स्थिर और दृढ़ वयस्कावस्था का आधार है। जीवन के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान अच्छे स्वास्थ्य की नींव रखी जाती है। शारीरिक स्वास्थ्य अनेक कारकों से प्रभावित होता है जैसे कि जैविक कारक- जीन्स आदि और वातावरणीय कारक जैसे- पोषण, टीकाकरण और शारीरिक गतिविधियों और व्यायाम के अवसर। यदि बच्चों को प्रारम्भिक वर्षों में अच्छा पोषण या चिकित्सकीय देखभाल नहीं मिलती है तो उनकी सामान्य अभिवृद्धि

टिप्पणी

प्रभावित होती है। स्वास्थ्यप्रद और पौष्टिक भोजन की कमी के कारण अभिवृद्धि में कमी आ सकती है और कमजोरी, अस्वस्थ रहने तथा विभिन्न रोग जैसी स्वास्थ्य-सम्बन्धी समस्याएँ बढ़ सकती हैं। आगे चलकर यह बच्चों की शारीरिक क्षमता और संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करेगा। इन वर्षों में माता-पिता और देखभाल करने वालों को बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं के बारे में जागरूक होने की जरूरत है। इसके लिये उन्हें अपने बच्चे के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास की नियमित देख-रेख करनी चाहिए और आवश्यक उपाय अपनाने चाहिए।

बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की सुनिश्चितता के लिये कुछ दिशा-निर्देश निम्नलिखित हैं-

- आयु के अनुरूप वजन एवं ऊँचाई में वृद्धि बच्चे के स्वास्थ्य के सामान्य होने का संकेत है। इसलिए बच्चे का प्रतिमाह या कम से कम तीन महीने में एक बार वजन एवं ऊँचाई का रिकॉर्ड वृद्धि चार्ट में रखा जा सकता है। यदि किसी बच्चे के वजन में कमी आयी है या उसका वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। वृद्धि की नियमित देखरेख का मूल उद्देश्य कुपोषण से बचाव है।
- यदि बच्चे को सही प्रकार का भोजन अर्थात् सन्तुलित आहार नहीं मिलता है तो बच्चा कुपोषित हो जाता है। भोजन में पोषण-सम्बन्धी कमियों को दूर करने के लिये प्रत्येक बच्चे को एक पूरक आहार दिया जाना चाहिए।
- वर्ष में कम से कम एक बार सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना अनिवार्य है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि समय पर उनका आवश्यक टीकाकरण हुआ है।

3.1.3 खेल, प्रारंभिक उद्दीपन तथा अधिगम आवश्यकताएँ

बच्चों के समुचित विकास के लिये खेल, प्रारंभिक उद्दीपन तथा अधिगम के लिये अवसर आवश्यकताओं का एक अन्य समूह है। प्रशंसा तथा प्रोत्साहन से भरा हुआ वातावरण एवं खेल, अन्वेषण और प्रयोगों के अवसर बच्चे की वृद्धि और अधिगम में सहायता करते हैं। इसके अलावा बच्चों को खेलने से संवेगों के प्रदर्शन के अवसर मिलते हैं। यह कल्पनाशीलता, समस्या समाधान और निर्णय क्षमता सम्बन्धी कौशलों के विकास में सहायता करता है। खेल के द्वारा बच्चे अच्छे सम्बन्ध बनाना, एक-दूसरे की देखभाल करना और वस्तुओं को साझा करना सीखते हैं। उद्दीपित वातावरण और खेल द्वारा सीखने के अवसरों का अभाव बच्चे के वृद्धि और विकास को धीमा कर सकता है।

बच्चे को समृद्ध अधिगम वातावरण मिलना चाहिए जो कि आयु के अनुरूप विभिन्न गतिविधियों के अवसर तथा अधिगम सामग्री प्रदान करता है। मुक्त वार्तालाप, कहानी कथन और कविता भाषा, सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता के विकास में अत्यधिक योगदान देते हैं जो कि अधिगम के लिये अनिवार्य हैं। इसी प्रकार से बच्चों के विकास के लिये खेल का समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उनका भोजन और उनकी देखभाल करना।

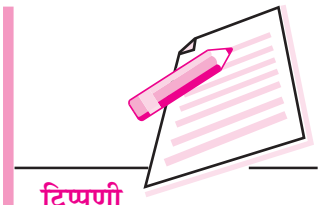

सारांश में, हम कह सकते हैं कि ये सभी आवश्यकताएँ अन्त:सम्बन्धित हैं और एक-दूसरे पर निर्भर हैं।

पाठगत प्रश्न 3.1

स्तम्भ अ तथा स्तम्भ ब का मिलान कीजिए–

स्तम्भ अ	स्तम्भ ब
(1) मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ	(अ) आयु और विकास के अनुरूप
(2) स्वास्थ्य और पोषण	(ब) प्रेम और स्नेह
(3) उद्दीप्त वातावरण	(स) शारीरिक विकास
(4) गतिविधियाँ	(द) खेल, अन्वेषण और प्रयोग के अवसर

गतिविधि 3.1

अपने पास-पड़ोस के बच्चों से उनकी आवश्यकताओं पर बातचीत कीजिए और ऊपर दी गयी आवश्यकताओं के वर्गीकरण के आधार पर उनकी प्रतिक्रियाओं की सूची बनाइए।

3.2 बच्चों के अधिकार

3.2.1 बच्चों के अधिकार क्या हैं?

संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन (UNCRC) के अनुसार 'बाल अधिकार' मुख्य रूप से नाबालिग होने की स्थिति में सुरक्षा और देखभाल के अधिकारों से सम्बन्धित बच्चों के मानवाधिकार हैं। यह न्यूनतम हकदारी और स्वतन्त्रता है जो 18 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, विचारों, आर्थिक स्थिति, जन्म स्थिति और योग्यता के आधार पर बिना किसी भेदभाव के प्रदान किये जाने चाहिए और यह सभी के लिए और प्रत्येक स्थान पर लागू होने चाहिए।

3.2.2 बच्चों की आवश्यकताओं तथा बच्चों के अधिकारों में अंतर्संबन्ध

सभी बच्चों की एक जैसी आवश्यकताएँ होती हैं चाहे वे किसी भी सामाजिक-आर्थिक या सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के हों। उन्हें एक सुरक्षित घरेलू वातावरण, अच्छा पारिवारिक जीवन, पर्याप्त भोजन, स्वास्थ्य सम्बन्धी देखभाल और सम्मान की आवश्यकता होती है। बच्चों के सम्पूर्ण विकास के लिये उनकी आवश्यकताएँ पूर्ण होनी चाहिए।

टिप्पणी

सभी बच्चे भाग्यवान नहीं होते कि सामान्य जीवन जी सकें। बहुत से बच्चे कठिन परिस्थितियों या आपातकालीन स्थितियों में रहते हैं। भारतीय बच्चों की एक बड़ी आबादी उन स्थितियों में रहती है जहाँ भोजन, आश्रय, शिक्षा, चिकित्सकीय देखरेख तथा सुरक्षा आदि नहीं मिल पाती। इस कारण से कुपोषण, अशिक्षा और खराब स्वास्थ्य आदि से उनके पीड़ित होने का अधिक खतरा है। कई बार बच्चों को अपने जीवन में आपातकालीन स्थितियों का सामना करना पड़ता है जैसे कि प्राकृतिक आपदायें (बाढ़, भूकम्प, आग आदि), दुर्घटना, माता-पिता को खो देना आदि। ऐसे बच्चे अपने जीवन में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। जीवन में ऐसी परिस्थितियों और संकटों के कारण ये बच्चे बहुत से कष्टों से पीड़ित होते हैं और उनका बचपन कहीं न कहीं समाप्त हो जाता है।

आवश्यकताएँ और अधिकार एक-दूसरे पर निर्भर हैं। अधिकार बच्चों की आवश्यकताएँ पूर्ण होने की उनकी हकदारी की मान्यता है। इससे समाज के सभी स्तरों पर वयस्कों का सुस्पष्ट कर्तव्य बनता है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कदम उठायें कि प्रत्येक बच्चे के लिये ये अधिकार लागू हों।

3.2.3 संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (यूनाइटेड नेशन्स कन्वेन्शन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड, (UNCRC)

20 नवम्बर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने बच्चों के अधिकारों के लिये समझौता या संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता (UNCRC) अंगीकृत किया। संसार में यह व्यापक रूप से सर्वाधिक अंगीकृत मानवाधिकार सन्धि है। इस समझौते ने शारीरिक, नैतिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक विकास के मानक तैयार किये हैं। दिसम्बर, 1992 में भारत ने इस समझौते को स्वीकार किया। समझौता अपने 54 अनुच्छेदों के द्वारा जहाँ कहीं भी बच्चे हैं, बच्चे को एक व्यष्टि के रूप में देखता है जो कि आर्थिक, नागरिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक अधिकारों का हकदार है। यह इसका वर्णन भी करता है कि लोग और सरकार मिलकर किस प्रकार काम करें ताकि बच्चों का अपने सभी अधिकारों से लाभान्वित होना सुनिश्चित हो। उत्तरजीविता, सुरक्षा, विकास तथा सहभागिता के अधिकार समझौते का मूल हैं। आइए, हम इन मुख्य अधिकारों के बारे में जानें।

- **उत्तरजीविता का अधिकार:** इसके अंतर्गत जीवित रहने का अधिकार, स्वास्थ्य के मानकों की सर्वोत्तम प्राप्ति, पोषण तथा अच्छे जीवन स्तर का अधिकार आता है। जन्म, नाम तथा राष्ट्रीयता के पंजीकरण का अधिकार भी इसी में शामिल है।
- **सुरक्षा का अधिकार :** आपातकालीन तथा सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में विशेष संरक्षण के अधिकार समेत सभी प्रकार के शोषण, दुर्व्यहार, अमानवीय एवं अपमानजनक व्यवहार से स्वतन्त्रता अर्थात् छुटकारा सुरक्षा के अधिकार में शामिल हैं। नशीली दवाइयों, बीमारियों, अक्षमताओं से संरक्षण तथा कानून के अन्य पक्ष पर बच्चों की सुरक्षा भी सुरक्षा के अधिकार का अभिन्न अंग है।

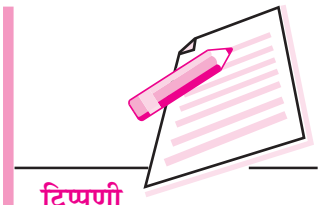

टिप्पणी

- **विकास का अधिकार:** इसमें शिक्षा का अधिकार, पूर्व बाल्यावस्था में देखभाल एवं विकास हेतु सहयोग तथा सामाजिक सुरक्षा का अधिकार शामिल है। इसमें अवकाश, मनोरंजन तथा सांस्कृतिक गतिविधियों के अधिकार भी सम्मिलित हैं।
- **सहभागिता का अधिकार :** सहभागिता के अधिकार में उचित सूचना तक बच्चे की पहुँच, विचारों एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विवेकशीलता तथा धार्मिकता का अधिकार शामिल है।

पाठगत प्रश्न 3.2

(क) 'UNCRC' का पूरा नाम लिखिए .....

(ख) 'UNCRC' के अनुसार बच्चों के दो प्रमुख अधिकार लिखिए :

1. ..... 2. .....

3.3 बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु सरकारी अधिनियम तथा योजनाएँ

बच्चों के कल्याण और विकास हेतु बच्चों के आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिये कई नीतियाँ और योजनाएँ तैयार की गयी हैं। आइए, हम कुछ प्रमुख नीतियों और योजनाओं के विषय में और अधिक जानें।

3.3.1 समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) - विद्यालयी शिक्षा के लिये एकीकृत योजना, 2018 [Samagra Shiksha Abhiyan (SSA) – An Integrated Scheme for School Education, 2018]

समग्र शिक्षा अभियान या विद्यालयी शिक्षा के लिये एकीकृत योजना पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा का एक व्यापक कार्यक्रम है। सभी बच्चों के लिये विद्यालयी शिक्षा के समान अवसर तथा समतामूलक अधिगम प्रतिफल के पदों में मापित विद्यालयी शिक्षा की प्रभावशीलता में सुधार करना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसमें तीन योजनाएँ सम्मिलित हैं: सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए) तथा शिक्षक शिक्षा (टीई)। यह योजना विद्यालय को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों के एक सातत्य के रूप में देखती हैं। इस योजना का उद्देश्य शिक्षा के लिये सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) [Sustainable Development Goal (SDG)] के साथ पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक तक समावेशी और समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। योजना के मुख्य उद्देश्य हैं: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और विद्यार्थियों के अधिगम प्रतिफल को बढ़ाना, विद्यालयी शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अन्तरों को दूर करना, विद्यालयी शिक्षा के सभी स्तरों पर समता और समावेशन को

टिप्पणी

सुनिश्चित करना, विद्यालयी प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, शिक्षा में व्यावसायिकता को प्रोत्साहन देना, राज्यों में शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन में सहायता देना, शिक्षक प्रशिक्षण की नोडल एजेन्सी के रूप में सभी राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी)/स्टेट इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन (एसआईई) तथा डायट का सुदृढ़ीकरण एवं समुन्नयन करना।

3.3.2 मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश [National Minimum Guidelines for Setting up and Running Creches under Maternity Benefit Act, 2017]

2018 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, एमडब्लूसीडी [Ministry of Women and Child Development (MWCD)] ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश जारी किये हैं जिसमें अनिवार्य है कि 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में क्रेच की सुविधा होगी। क्रेच में प्रत्येक बच्चे की सम्पूर्ण विकासात्मक देखभाल की सुनिश्चितता हेतु ये दिशा-निर्देश स्थान, समय, आधारभूत ढाँचे, उपकरण, स्वास्थ्य एवं पोषण सेवाओं, सुरक्षा तथा संरक्षण, प्रशिक्षित मानव संसाधन, माता-पिता की व्यस्तता एवं अन्य प्रमुख मापदण्डों के बारे में नियोक्ता को अपने कर्मचारियों के लिये जिनके छः माह से लेकर छः वर्ष तक के बच्चे हैं, के लिये क्रेच की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु क्रेच की स्थापना एवं प्रबंधन के लिये सुविधा प्रदान करने हेतु हैं।

3.3.3 मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 [The Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017]

मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने महिला कर्मचारियों के लिये उपलब्ध वेतन सहित अवकाश की अवधि को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया है। अधिनियम में यह लाभ बच्चा गोद लेने वाली तथा सरोगेसी द्वारा संतान प्राप्त करने वाली माताओं के लिये भी है जिसके अन्तर्गत बच्चा गोद लेने वाली महिला को बच्चा गोद लेने के दिन से 12 सप्ताह का वेतन सहित अवकाश प्रदान किया जायेगा। यह अधिनियम फैक्ट्रियों, खानों, दुकानों या 10 और उससे अधिक कर्मचारियों वाले व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत सभी महिलाओं पर लागू है। संशोधित अधिनियम ने 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक प्रतिष्ठान के लिये क्रेच की सुविधा अनिवार्य की है। महिला कर्मचारी को क्रेच जाने की अनुमति होनी चाहिए। अधिनियम में ''घर से कार्य'' का प्रावधान किया गया है जिसे 26 सप्ताह के अवकाश के समाप्त होने के बाद प्रयोग में लाया जा सकता है। कार्य की प्रकृति के अनुसार एक महिला, नियोक्ता के साथ पारस्परिक सहमति द्वारा निर्धारित शर्तों के आधार पर इस प्रावधान का लाभ उठा सकती हैं।

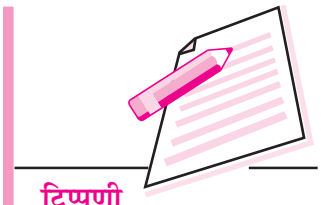

3.3.4 बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 [Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016]

बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 1986, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को कानून द्वारा निर्मित सूची में चिन्हित किये गये खतरनाक व्यवसायों में प्रतिबन्धित करता है और गैर खतरनाक व्यवसायों में उनकी सेवाओं के लिये नियम निर्धारण करता है। इसके उद्देश्य हैं: 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को प्रतिबन्धित करना, प्रतिबन्धित व्यवसायों की अनुसूची और कानूनी कार्यवाही में परिवर्धन हेतु कार्यप्रणाली का निर्धारण करना, बच्चों की सेवाशर्तों का नियमन, बच्चों के रोजगार में इस अधिनियम तथा अन्य अधिनियम जो कि बच्चों के रोजगार को निषेधित करते हैं, के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु दण्ड का निर्धारण करना, सम्बन्धित कानूनों में बच्चे की परिभाषा में एकरूपता लाना। बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 ने किशोर श्रम का सम्प्रत्यय प्रस्तुत किया। 14–18 वर्ष की आयु का व्यक्ति किशोर के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम खतरनाक व्यवसायों को छोड़कर किशोरों को कार्य की अनुमति देता है।

3.3.5 दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम 2016 [The Rights of Persons with Disabilities (RPWD) Act, 2016]

दिव्यांगजन अधिकार (आरपीडब्लूडी) अधिनियम 2016, सन् 2016 में अधिनियमित किया गया। यह समानता के अधिकार, गरिमा के साथ जीवन तथा जीवन के शैक्षणिक, सामाजिक, विधिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक आदि विविध पक्षों में अन्य व्यक्तियों के साथ पूर्ण समानता के लिये सम्मान को बढ़ावा देता है तथा संरक्षित करता है। अधिनियम दिव्यांग बच्चों के विभिन्न प्रकार के अधिकारों तक विस्तृत है और सरकारों को ऐसे बच्चों की शिक्षा, कौशल-विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास और मनोरंजन हेतु दिशा-निर्देश देता है। इस अधिनियम में दिव्यांगता के प्रकारों को सात (विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995) से बढ़ाकर इक्कीस कर दिया गया है तथा केन्द्र सरकार को और अधिक प्रकारों को जोड़ने की शक्ति दी गयी है। अतिरिक्त लाभ जैसे कि उच्च शिक्षा (पाँच प्रतिशत से कम न हो) तथा सरकारी नौकरियों (चार प्रतिशत से कम न हो) में आरक्षण को भी शामिल किया गया है।

3.3.6 बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 [National Plan of Action for Children, 2016]

बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 सभी बच्चों के लिये समान अवसर और उनके अधिकारों के संरक्षण के लिये प्रतिबद्ध है। एनपीएसी ने विभिन्न अनुभागों और शासन के स्तरों में सम्मिलन तथा समन्वय हेतु बच्चों के लिये राष्ट्रीय नीति, 2013 में उल्लिखित चार मुख्य प्राथमिकता क्षेत्रों (जीवन जीने, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा एवं विकास, संरक्षण तथा सहभागिता) के अन्तर्गत रणनीतियों और कार्य बिन्दुओं के रूप में उद्देश्य तय किये हैं और योजना तैयार की है। यह योजना बच्चों की असुरक्षा पर ध्यान देने के लिये व्यापक रूप से नीति को केन्द्रित करने के लिये है। असुरक्षित बच्चों में सामाजिक-आर्थिक, अन्य वंचित समूहों के बच्चे, दिव्यांग बच्चे, गली में घूमने वाले/बेघर बच्चे, बाल मजदूर/खानाबदोश बच्चे/तस्करी से

टिप्पणी

लाये गये बच्चे, कानूनी रूप से अपराधी बच्चे, प्राकृतिक या मानव-निर्मित आपदाओं से प्रभावित या स्थानान्तरित बच्चे और जलवायुगत परिस्थितियाँ/नागरिक अशांति, पारिवारिक सहयोग से रहित या संस्थानों के बच्चे, और एचआईवी/एड्स, कुष्ठ आदि से पीड़ित बच्चे शामिल हैं।

प्रत्येक प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत एनपीएसी के उद्देश्य

उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण: सभी बच्चे के लिये जन्म से पूर्व, जन्म के समय तथा जन्म के पश्चात् और उनकी अभिवृद्धि एवं विकास की सम्पूर्ण अवधि में उच्चतम मानदण्डों के अनुरूप व्यापक एवं अनिवार्य रोग निरोधक, प्रोत्साहक, आरोग्यकारी तथा पुनर्वास सम्बन्धी स्वास्थ्य देखभाल की समतामूलक पहुँच सुनिश्चित करना।

शिक्षा और विकास: बच्चे की सम्पूर्ण सामर्थ्य के विकास हेतु उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक बच्चे के लिये अधिगम, ज्ञान, (कौशल-विकास सहित) शिक्षा और विकास के अवसरों के अधिकार को आवश्यक वातावरण, सूचना, आधारभूत ढाँचे, सेवाओं और सहयोग की पहुँच, प्रावधान तथा प्रोत्साहन द्वारा सुरक्षित रखना।

सुरक्षा: सभी बच्चों के लिये सभी परिस्थितियों में उनकी असुरक्षा को दूर करने के लिये सभी स्थानों पर विशेष रूप से सार्वजनिक स्थानों पर उन्हें सुरक्षित रखने के लिये एक देखभाल वाले, संरक्षित और सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना।

सहभागिता: बच्चों को उनके अपने विकास और उनसे सम्बन्धित और उनको प्रभावित करने वाले सभी मामलों में सक्रिय सहभागिता हेतु समर्थ बनाना।

स्रोत: एनपीएसी, 2016 पृष्ठ 16

3.3.7 बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 2015 [Beti Bachao Beti Padhao Scheme, 2015]

2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारम्भ लैंगिक असन्तुलन एवं बालिका शिशु के प्रति भेदभाव को दूर करने के लिये किया गया। लिंग-अभिनति पर आधारित सेक्स के चयन का उन्मूलन, बालिका शिशु के जीवित रहने तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करना तथा बालिका शिशु की शिक्षा एवं सहभागिता को सुनिश्चित करना, इस योजना के उद्देश्य हैं। यहाँ पर प्रशिक्षण, संवेदनशीलता तथा जागरूकता उत्पन्न करके मानसिकता बदलने पर जोर है। यह योजना सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित क्षेत्रों को समाहित करते हुए एक राष्ट्रीय अभियान और निम्न सीएसआर वाले 100 चयनित जिलों में बहुक्षेत्रीय कार्यावन्यन पर केन्द्रित करते हुए लागू की जा रही है। यह महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय (Women and Child Development), स्वास्थ्य एवं परिवार मन्त्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) और मानव संसाधन विकास मन्त्रालय (Ministry of Human Resource Development) का संयुक्त प्रयास है। राज्य सरकारों/केन्द्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों के लिये क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा-निर्देश 2019 में जारी किये गये।

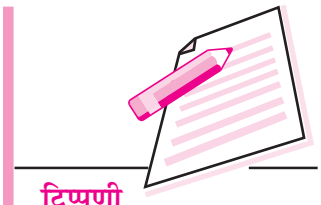

3.3.8 किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 [The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015]

किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 बच्चों को, चाहे वह आरोपी हों या कानूनन अपराधी पाये गये हों या ऐसे बच्चे हों जिन्हें देखभाल तथा संरक्षण की जरूरत है, सभी के लिये समुचित देखभाल, संरक्षण, विकास, उपचार, सामाजिक एकीकरण द्वारा उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करके, न्यायिक निर्णयों में बाल-केन्द्रित दृष्टिकोण को अपनाकर और बच्चों के सर्वोत्तम हित में मामलों के निस्तारण एवं की गयी कानूनी कार्यवाही और बाल-अनुकूल दृष्टिकोण अपनाने वाले स्थापित संस्थानों और निकायों द्वारा पुनर्वास हेतु एक मजबूत कानूनी ढाँचा तैयार करता है।

3.3.9 लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (पाक्सो) अधिनियम, 2012 [Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012]

बच्चों के संरक्षण में प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका है। माता-पिता, विद्यालय, समुदाय, पुलिस, न्यायालय, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, गैर-सरकारी संगठन, बाल संरक्षण समितियाँ या इकाइयाँ तथा अन्य में मीडिया बच्चे के लिये एक ऐसे वातावरण के निर्माण के लिये उत्तरदायी हैं जिसमें बच्चे सुरक्षित और संरक्षित अनुभव करें। लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधि नियम, 2012 रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकार्डिंग, विशेष अदालतों द्वारा अपराधों की त्वरित जाँच के लिये बाल-अनुकूल तन्त्र को शामिल करके, न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बच्चे के हित को सुरक्षित रखते हुए, यौन आक्रमण के अपराध, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य से बच्चों के संरक्षण हेतु अत्यधिक मजबूत कानूनी ढाँचा प्रदान करने के लिये भारत सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया। कानून बच्चे को 18 वर्ष से कम आयु के रूप में परिभाषित करता है और पीड़ित के रूप में बालक अथवा बालिका में कोई अन्तर नहीं करता है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) को पाक्सो अधिनियम, 2012 की निगरानी के लिये अधिकार दिया गया है।

बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत 2007 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) का गठन किया गया था। आयोग का अधिदेश यह सुनिश्चित करना हे कि सभी कानून, नीतियाँ, कार्यक्रम तथा प्रशासनिक तंत्र भारत के संविधान तथा संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौते में दिये गये बाल अधिकारों के अनुरूप हों। आयोग द्वारा परिभाषित किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग वाले सभी व्यक्ति बच्चों में शामिल हैं।

3.3.10 निजी प्ले स्कूलों हेतु विनियामक दिशा-निर्देश [Regulatory Guidelines for Private Play Schools]

तीन से छः वर्ष की आयु के बच्चों के निजी प्ले स्कूलों के लिये एनसीपीसीआर ने विनियामक दिशा-निर्देश विकसित किये हैं। इन दिशा-निर्देशों के मुख्य उद्देश्य हैं : प्री-स्कूल शिक्षा प्रदान करने वाली सभी शैक्षणिक संस्थाओं में समावेशन तथा एकरूपता लाना, बाल अधिकारों का उल्लंघन एवं बच्चों के प्रति दुर्व्यवहारों को रोकना, बच्चों को प्राथमिक शिक्षा हेतु तैयार करने के लिये प्री-स्कूल शिक्षा की राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की प्राप्ति और अंततः भारत में इन संस्थाओं के विनियमन तथा स्थापना हेतु मान्यता देकर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा (ईसीई) प्रणाली की अस्पष्टता को दूर करना।

टिप्पणी

3.3.11 अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा (आरटीई) अधिनियम, 2009 [Right to Free and Compulsory Education Act (RTE), 2009]

भारत का संविधान छः से चौदह आयु वर्ग के सभी बच्चों को नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। ''नि:शुल्क शिक्षा'' से तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार की फीस, शुल्क या खर्चा देने के लिये उत्तरदायी नहीं होगा जो कि उसकी प्राथमिक शिक्षा को जारी रखने तथा पूरा करने से रोक सकता हो।

''अनिवार्य शिक्षा'' का अर्थ है कि यथोचित सरकारी और स्थानीय अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि इस आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये नि:शुल्क प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो तथा प्रवेश, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता सुनिश्चित हो। आरटीई बच्चों को भय, दबाब तथा चिन्ता से मुक्त शिक्षा के अधिकार प्रदान करने के लिये है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2018 का प्रारूप आरटीई कानून को विस्तारित करते हुए प्रारम्भिक बाल्यावस्था और माध्यमिक विद्यालयी शिक्षा को समाहित करने का सुझाव देता है। प्रस्तावित सुझाव है कि इस अधिनियम के कार्यक्षेत्र को तीन से अट्ठारह वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिये विस्तारित किया जायेगा।

3.3.12 एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) 2009, [Integrated Child Protection Scheme (ICPS), 2009]

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस), 2009 में प्रारम्भ की गई केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों तथा अन्य असुरक्षित बच्चों के लिये सुरक्षात्मक वातावरण सुनिश्चित करना है। आईसीपीएस, मन्त्रालय की विभिन्न मौजूदा बाल संरक्षण योजनाओं को एक साथ लाता है तथा बच्चों की सुरक्षा एवं हानियों को रोकने के लिये अतिरिक्त हस्तक्षेपों को भी समाहित करता है। इस प्रकार आईसीपीएस आवश्यक सेवाओं को संस्थागत बनाता है तथा योजनाओं को मजबूती प्रदान करता है, सभी स्तरों पर क्षमताओं को बढ़ाता है, बाल संरक्षण सेवाओं के लिये जानकारी तथा आँकड़ों का आधार तैयार करता है, पारिवारिक और सामुदायिक स्तर पर बाल संरक्षण को मजबूती प्रदान करता है, सभी स्तरों पर अन्त: विभागीय प्रतिक्रियाओं को सुनिश्चित करता है। इस योजना ने प्रभावी हस्तक्षेपी रणनीतियों के निर्माण तथा क्रियान्वयन तथा उनके प्रतिफल की देखरेख के लिये बाल संरक्षण प्रदत्त प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। कार्यक्रमों और योजनाओं का नियमित मूल्यांकन किया जाता है तथा कार्यप्रणाली में सुधार किया जा रहा है।

3.3.13 बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 [The Prohibition of Child Marriage Act, 2006]

2007 में बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 लागू हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह तथा उससे जुड़े हुए आकस्मिक मामलों को रोकना है। समाज से बाल विवाह के उन्मूलन को सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार ने बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 के स्थान पर बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 अधिनियमित किया। यह नया अधिनियम बाल विवाह के निषेध, पीड़ित को सुरक्षा तथा राहत प्रदान करने एवं बाल विवाह को उकसाने,

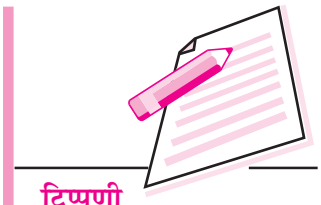

बढ़ावा देने तथा सम्पादित कराने वालों के लिये सजा को बढ़ाने के प्रावधानों से सज्जित है। इस अधिनियम में सम्पूर्ण राज्य या राज्य के एक भाग के लिये बाल विवाह निषेध अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है।

3.3.14 पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 [Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques Act, 1994]

पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 देश में कन्या भ्रूणहत्या को रोकने तथा घटते लिंगानुपात को नियन्त्रित करने के लिये पारित किया गया। यह अधिनियम गर्भाधान से पूर्व तथा बाद में लिंग-चयन की तकनीकों के प्रयोग को प्रतिबन्धित करता है। यह अधिनियम पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व लिंग-निर्धारण से सम्बन्धित विज्ञापनों को भी प्रतिबन्धित करता है। इसमें प्रशिक्षण, संवेदनशीलता तथा जागरूकता-प्रसार द्वारा मानसिकता बदलने पर विशेष जोर है।

गतिविधि 3.2

- निकट के विद्यालयों में जाइए और शिक्षकों से बच्चों के अधिकारों के बारे में चर्चा कीजिए। पता करने का प्रयत्न कीजिए कि क्या बच्चे अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हैं?
- इण्टरनेट पर खोजकर बालिका, शिशु एवं अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों के अधिकारों के लिये कार्य करने वाले कुछ गैर-सरकारी संगठनों की सूची बनाइए।

पाठगत प्रश्न 3.3

1. निम्नलिखित के पूर्ण नाम लिखिए–

   (अ) एमएचआरडी (MHRD) : .....

   (ब) एमडब्लूसीडी (MWCD) : .....

   (स) एनपीएसी (NPAC) : .....

   (द) आरटीई (RTE) : .....

   (ई) आईसीपीएस (ICPS) : .....

   (फ) एसएसए (SSA) : .....

   (ग) आरएमएसए (RMSA) : .....

2. स्तम्भ 'अ' तथा स्तम्भ 'ब' का मिलान कीजिए –

स्तम्भ अ	स्तम्भ ब
(1) समग्र शिक्षा अभियान (SSA)	(अ) कन्या भ्रूण हत्या
(2) मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017	(ब) 21 प्रकार
(3) दिव्यांगजनों के अधिकार	(स) पाक्सो (POCSO)
(4) एनसीपीसीआर (NCPCR)	(द) क्रेच
(5) पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम	(ई) एसएसए (SSA), आरएमएसए (RMSA), शिक्षक शिक्षा (TE)

3. प्रस्तुत अंश को सावधानीपूर्वक पढ़िए तथा निम्नलिखित के विषय में पाठ में प्रयोग में लाये गये 'शब्द या शब्दों' को लिखिए –

(अ) मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 ने महिला कर्मचारियों के लिये उपलब्ध वेतन सहित अवकाश की अवधि को ..... सप्ताह से बढ़ाकर ..... सप्ताह कर दिया है।

(ब) बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 1986, खतरनाक व्यवसायों में ..... वर्ष से कम आयु के बच्चों के रोजगार को प्रतिबन्धित करता है।

(स) ..... पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व लिंग-निर्धारण से संबंधित विज्ञापनों को भी प्रतिबन्धित करता है।

(द) ..... मंत्रालय की विभिन्न मौजूदा बाल संरक्षण योजनाओं को एक साथ लाता है।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

1. बच्चों की आवश्यकताएँ

(अ) मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएँ
- सुरक्षा, सलामती और संरक्षण
- प्रेम तथा स्नेह
- समझना तथा स्वीकारना
- स्वास्थ्य

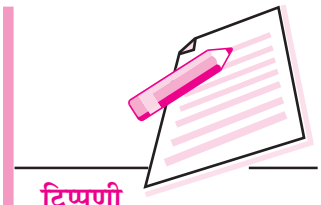

(ब) स्वास्थ्य आवश्यकताएँ → पोषण
→ पूरक पोषण

(स) प्रारंभिक उद्दीपन तथा अधिगम आवश्यकताएँ

2. बच्चों के विकास पर उनकी अपूर्ण आवश्यकताओं का प्रभाव

3. बच्चों के अधिकार।

   - अधिकारों का अर्थ
   - आवश्यकताओं तथा अधिकार में अंतर्सम्बन्ध

4. संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता, यूएनसीआरसी (यूनाइटेड नेशन्स कन्वेन्शन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड में दिये गये बाल अधिकार

   - उत्तरजीविता का अधिकार
   - सुरक्षा का अधिकार
   - विकास का अधिकार
   - सहभागिता का अधिकार

5. बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु सरकारी अधिनियम तथा योजनाएँ

   - समग्र शिक्षा अभियान (SSA) - विद्यालयी शिक्षा के लिये एकीकृत योजना 2018
   - मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश
   - मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017
   - बाल श्रम (निषेध एवं नियमन) संशोधन अधिनियम, 2016
   - दिव्यांगजन अधिकार (RPWD) अधिनियम 2016
   - बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016
   - बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं योजना, 2015
   - किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख व संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2016
   - लैंगिक उत्पीड़न से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012
   - निजी प्ले स्कूलों हेतु विनियामक दिशा-निर्देश
   - अनिवार्य एवं नि:शुल्क शिक्षा (RTE) अधिनियम, 2009
   - एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS), 2009

- बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006
- पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994

पाठान्त प्रश्न

1. बच्चों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक क्यों बनाना चाहिए?
2. बच्चों की अपूर्ण आवश्यकताओं का उनके विकास पर होने वाले प्रभाव पर संक्षेप में चर्चा कीजिए।
3. यूएनसीआरसी [UNCRC] के अनुसार बच्चों के अधिकारों पर चर्चा कीजिए।
4. बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु अधिनियमों तथा योजनाओं के रूप में भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदमों पर चर्चा कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

3.1

1. (ब)
2. (स)
3. (द)
4. (अ)

3.2

1. यूनाइटेड नेशन्स कन्वेशन ऑन राइट्स ऑफ द चाइल्ड (संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समझौता)
2. - उत्तरजीविता का अधिकार
   - सुरक्षा का अधिकार
   - विकास का अधिकार
   - सहभागिता का अधिकार

3.3

1. (अ) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
   (Ministry of Human Resource Development)

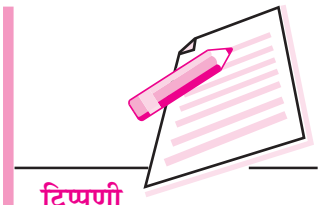

(ब) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
(Ministry of Women and Child Development)

(स) बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना
(National Plan of Action for Children)

(द) शिक्षा का अधिकार
(Right to Education)

(ई) एकीकृत बाल संरक्षण योजना
(Integrated Child Protection Scheme)

(फ) समग्र शिक्षा अभियान
(Samagra Shiksha Abhiyan)

(अ) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
(Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan)

2. (1) (ई)

(2) (द)

(3) (ब)

(4) (स)

(5) (अ)

3. (अ) 12, 26

(ब) 14

(स) पूर्व-गर्भाधान और प्रसव-पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994

(द) आईसीपीएस (ICPS)

संदर्भ

- Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016 (No 35 of 2016), Acts of Parliament, 2016 (India).
- Maternity Benefit (Amendment) Act, 2017 (No. 6 of 2017), Acts of Parliament, 2017 (India).
- Ministry of Human Resource Development. (2018). *Samagra Shiksha Abhiyan (SSA)-An Integrated Scheme for School Education- Framework for Implementation.* New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development (2009). *Integrated Child Protection Scheme (ICPS).* Retrieved from https://wcd.nic.in/integrated-childprotection-scheme-ICPS

- Ministry of Women and Child Development (2015). *Beti Bachao Beti Padhao Scheme.* Retrieved from https://wcd.nic.in/bbbp-schemes
- Ministry of Women and Child Development (2019). *Beti Bachao Beti Padhao Scheme-Implementation Guidelines.* New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. (2016). *National Plan of Action for Children.* New Delhi: Government of India.
- National Commission for Protection of Child Rights. *Regulatory Guidelines for Private Play Schools.* Retrieved from https://ncpcr.gov.in/ index1.php?lang=1&level=0&linkid=14&lid=261
- National Commission for Protection of Child Rights. (2017). User Handbook on Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act, 2012. New Delhi.
- Pre-Conception & Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse), 1993 (No. 57 of 1993), Acts of Parliament, 1993 (India).
- The Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 (No. 2 of 2016), Acts of Parliament, 2015 (India).
- The Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Act, 2002 (No.14 of 2002), Acts of Parliament, 2002 (India).
- The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (No. 6 of 2007). Acts of Parliament, 2006 (India).
- The Rights of Persons With Disabilities Act, 2016, Acts of Parliament, 2016 (India).

4

भारत में ईसीसीई नीतियाँ, योजनाएँ तथा कार्यक्रम

बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। वे सभी हितधारकों अर्थात् परिवार, समुदाय, विद्यालय तथा सरकारों की उत्तरदायित्व हैं। यह भली प्रकार से स्वीकृत हैं कि बच्चों की उत्तरजीविता और विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उनके लिये क्या योजना बनाई गयी हैं और क्या किया गया है। गुणवत्तापूर्ण देखभाल और प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास तक सभी बच्चों की पहुँच सुनिश्चित करना एक प्राथमिकता है। भारत सरकार ने सभी बच्चों के कल्याण हेतु कई नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की शुरुआत की है तथा उन्हें कार्यान्वित किया है। ये कदम एक अनुकूल वातावरण के निर्माण तथा बच्चों को उनके विकास तथा अधिगम की प्रारम्भिक अवस्थाओं के दौरान सुविधा हेतु मार्ग के रूप में कार्य करते हैं।

इस पाठ में आप बच्चों के समग्र विकास तथा भलाई के लिये अब तक लागू नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों का अध्ययन करेंगे।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- ईसीसीई के लिये सरकारी पहल की आवश्यकता की व्याख्या करते हैं;
- ईसीसीई से सम्बन्धित प्रमुख नीतियों के बारे में चर्चा करते हैं; और
- ईसीसीई की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का वर्णन करते हैं।

4.1 ईसीसीई के लिये सरकारी पहल की आवश्कता

सुरक्षित तथा अनुकूल वातावरण में स्वस्थ विकास तथा अधिगम के अवसरों तक सभी बच्चों की पहुँच होनी चाहिए। न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में लोग प्रारम्भिक वर्षों में समस्त

आयामों में होने वाले सभी बच्चों के तीव्र विकास के महत्व को महसूस कर रहे हैं। उत्तरजीविता, विकास, सुरक्षा तथा सहभागिता के बच्चों के अधिकारों की सुनिश्चतता के लिये राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक कदम उठाये गये हैं। बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई की सुनिश्चितता हेतु भारत सरकार सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों में से एक है। बच्चों के सम्मान, आवश्यकताओं और अधिकारों की सुनिश्चितता हेतु भारत कई समझौतों का हस्ताक्षरकर्ता रहा है। वर्षों से सरकार ने बच्चों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिये कई नीतियों और योजनाओं का निर्माण किया है।

आइए, इस दिशा में सरकार की कुछ पहलों का अध्ययन करें।

4.2 नीतियाँ और योजनाएँ

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य अपनी नीति को यह सुनिश्चित करने के लिये निर्देशित करेगा कि ''बच्चों को स्वस्थ ढंग तथा स्वतंन्त्रता तथा गरिमा के साथ विकसित होने के लिये अवसर तथा सुविधायें दी जाएँ और बच्चों तथा नवयुवकों का शोषण और नैतिक तथा भौतिक परित्याग से संरक्षण किया जाए।''

प्रारम्भिक वर्षों में छोटे बच्चों की उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल और शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिये समय-समय पर राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर विभिन्न हस्तक्षेप किये गये हैं।

4.2.1 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई) 1986 [The National Policy on Education, (NPE) 1986]

अपने सभी नागरिकों के कल्याण हेतु शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की। नीति छोटे बच्चों के समग्र विकास पर केन्द्रित है और देश में प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने के लिये ईसीसीई को महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखती है। नीति मानव संसाधन विकास के लिये ईसीसीई को महत्वपूर्ण भी मानती है। यह बालकेन्द्रित तथा खेल आधारित ईसीसीई कार्यक्रम को बढ़ावा देने पर बल देती है। यह प्रारम्भिक अवस्था में औपचारिक विधियों के उपयोग तथा 3Rs के परिचय को हतोत्साहित करती है। यह ईसीसीई कार्यक्रमों में स्थानीय समुदायों की सहभागिता की अनुशंसा भी करती है।

4.2.2 राष्ट्रीय पोषण नीति, 1986 [National Nutrition Policy, 1993]

बच्चों के समग्र विकास के लिये पर्याप्त और स्वस्थ पोषण महत्वपूर्ण है। समाज में पोषण के स्तर को सुधारने के उद्देश्य के चलते देश में अल्पपोषण तथा कुपोषण की समस्या से निपटने के लिये भारत सरकार द्वारा नीति तैयार की गयी। नीति भारत में बच्चों की सम्पूर्ण आबादी को सम्मिलित करने के लिये एकीकृत बाल विकास सेवाओं [Integrated Child Development Services (ICDS)] तथा अन्य समान कार्यक्रमों के विस्तार की जरूरत बताती है। इसका तात्पर्य है कि माताओं को उनके बच्चों की वृद्धि के लिये प्रभावी पोषण पर समुचित सहायता तथा जानकारी दी जाए। नीति राज्य सरकारों से ठोस प्रयासों का आवाहन करती है तथा पोषण मानकों में सुधार के लिये राज्य स्तरीय पोषण परिषद के गठन की सिफारिश करती है।

4.2.3 राष्ट्रीय बाल नीति, 2013
[The National Policy for Children (NPC), 2013]

भारत सरकार ने बच्चों के कल्याण हेतु एक प्रमुख कदम के रूप में प्रथम राष्ट्रीय बाल नीति को 1974 में अपनाया। नीति ने बच्चों को राष्ट्र के लिये ''अत्यधिक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति'' घोषित किया। सभी बच्चों के स्वस्थ, विकास तथा संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की पुन पुष्टि करते हुए एनपीसी, 1974 को 2013 में पुनरीक्षित किया गया। एनपीसी, 2013 उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, विकास, शिक्षा, संरक्षण और सहभागिता की निर्विवाद अधिकारों और मुख्य प्राथमिकता के रूप में पहचान करती है। सभी बच्चों के सर्वोत्तम विकास हेतु ईसीसीई की सार्वभौमिक तथा समतामूलक पहुँच प्रदान करने के लिये नीति राज्यों को सभी आवश्यक कदम उठाने के लिये निर्देशित भी करती है।

4.2.4 राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति, 2013
[National Early Childhood Care and Education Policy, 2013]

भारत सरकार ने राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति को 2013 में अनुमोदित किया। नीति की रूपरेखा ईसीसीई पाठ्यचर्या की रूपरेखा और ईसीसीई के लिये मानदण्डों को भी सम्मिलित करती है।

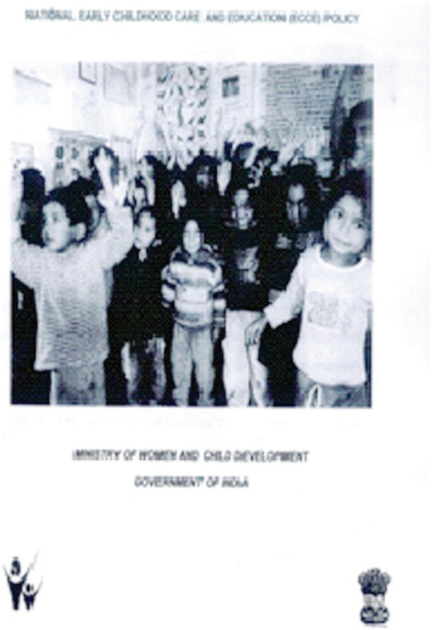

नीति छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था, शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच के लिये प्रतिबद्ध है। नीति का दृष्टिकोण ''छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के समग्र विकास तथा सक्रिय अधिगम क्षमता की उपलब्धि हेतु नींव तैयार करने तथा पूर्ण क्षमताओं की प्राप्ति के लिए निःशुल्क, सार्वभौमिक, समावेशी, समतामूलक, आनन्ददायी तथा संदर्भात्मक अवसरों को बढ़ावा देना है।''

समता तथा समावेश के साथ पहुँच, गुणवत्ता में सुधार, क्षमता को मजबूत करना, अनुसन्धान तथा प्रलेखन और समर्थन तथा जागरूकता का निर्माण नीति के प्रमुख क्षेत्र हैं।

नीति की मान्यता है कि पारिवारिक वातावरण में छोटे बच्चों की सर्वोत्तम देखभाल होती है। अतः देखभाल और संरक्षण की पारिवारिक क्षमताओं को मजबूत करने से बच्चे को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी जा सकेगी।

4.2.5 राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन [The National Health Missio (NHM)]

2013 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का आरम्भ हुआ। एनएचएम समतामूलक, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच की उपलब्धि पर विचार करता है जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह तथा उत्तरदायी हो। प्रमुख कार्यक्रम घटकों में स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना, प्रजनन, मातृ, नवजात शिशु, बाल तथा किशोर स्वास्थ्य और संचारी तथा गैर संचारी रोग सम्मिलित हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में ईसीसीई (2012-17)

जीवनपर्यन्त विकास की नींव डालने के लिये पंचवर्षीय योजनाओं ने भी ईसीसीई के महत्व को स्वीकार किया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) सार्वजनिक, निजी तथा स्वयंसेवी क्षेत्रों में सेवाओं के सभी माध्यमों में ईसीसीई के क्रमिक सुधारों के क्षेत्रों में ध्यान दिये जाने की जरूरत पर बल देती है। इसका उद्देश्य आईसीडीएस अनौपचारिक पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा को अतिरिक्त और प्रशिक्षित मानव-संसाधनों के साथ ईसीसीई के रूप पुनः परिभाषित करना था। यह पाँच वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिये विद्यालयी तत्परता हस्तक्षेपों समेत तीन से छः वर्ष की आयु के बीच के बच्चों के लिये आनन्दपूर्ण प्रारम्भिक अधिगम विधियों के साथ विकासोचित पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रवेश का आवाहन करती है।

Source:https://mhrd.gov.in/sites/upload files/mhrd/files/document-reports/

4.2.6 भारत नवजात शिशु कार्य योजना, (आईएनएपी) [India Newborn Action Plan (INAP), 2014]

देश में रणनीतिक हस्तक्षेपों के साथ रोके जा सकने योग्य नवजात शिशुओं की मृत्यु तथा मृत प्रसव को कम करने के लिये भारत नवजात शिशु कार्य योजना (आईएनएपी) 2014 में आरम्भ हुई। यह हस्तक्षेपों के छः स्तम्भों को परिभाषित करती है :

- पूर्व-गर्भाधान तथा पूर्व-प्रसव देखभाल
- प्रसव और प्रसव के दौरान देखभाल
- नवजात शिशु की तत्काल देखभाल
- स्वस्थ नवजात शिशु की देखभाल
- छोटे और बीमार नवजात शिशु की देखभाल
- उत्तरजीविता से परे नवजात शिशु की देखभाल

सतत विकास के लक्ष्य (एसडीजी), 2030
[Sustainable Development Goals (SDGs), 2030)

2015 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राज्यों द्वारा अपनाये गये सतत विकास के लिये एजेण्डा, 2030, वर्तमान तथा भविष्य में लोगों तथा ग्रह की शान्ति और समृद्धि के लिये एक साझा खाका (ब्लूप्रिंट) प्रदान करता है। सतत विकास के 17 लक्ष्य हैं जो कि एक वैश्विक साझेदारी के तहत विकसित तथा विकासशील देशों द्वारा तत्काल अमल में लाये जाने हैं।

सतत विकास लक्ष्य 4 : गुणवत्तापूर्ण शिक्षा : समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करना तथा सभी के लिये जीवनपर्यन्त अधिगम अवसरों को बढ़ावा देना।

भारत सरकार द्वारा अपनाये गये सतत विकास लक्ष्य, 2030 के लक्ष्य 4.2 स्पष्ट करता है कि 2030 तक सभी बालिकाओं तथा बालकों की गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास, देखभाल तथा पूर्व-प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच सुनिश्चित की जाए जिससे कि वे प्राथमिक शिक्षा के लिये तैयार हों।

Source : sustainabledevelopment.un.org

4.2.7 बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 [National Plan of Actio for Children (NPAC), 2016]

बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना 2016, वर्ष 2005 में स्वीकृत कार्य योजना की जगह लेती है। एनपीएसी, 2016 'अन्तिम बच्चा पहले' तक पहुँच तथा सेवा पर केन्द्रित है। यह उन बच्चों को प्रथम स्थान देने के लिये प्रतिबद्ध है जो कि लिंग, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक या भौगोलिक प्रतिरोध के कारण सर्वाधिक असुरक्षित हैं साथ ही अन्य असुरक्षित बच्चों को भी जैसे कि गली वाले बच्चे, प्रवासी कामगारों के बच्चे, सेक्स कर्मियों के बच्चे तथा वे जो एचआईवी/एड्स या अन्य रोगों से ग्रस्त हैं।

एनपीएसी, 2016, सभी बच्चों के उत्तरजीविता, आत्म-सम्मान, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा विकास, संरक्षण और सहभागिता के अधिकारों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है। यह बच्चों के अधिकारों की सुनिश्चितता तथा उनके विकास को बढ़ावा देने के लिये राज्य स्तरीय कार्यक्रम विकसित करने हेतु सभी राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों को एक रूपरेखा प्रदान करती है।

NATIONAL PLAN OF ACTION FOR CHILDREN, 2016

Safe Children- Happy Childhood

यह कार्यक्रम बच्चों की सहायता तथा उनकी सम्पूर्ण उत्तरजीविता, कल्याण, संरक्षण तथा विकास की सुनिश्चितता हेतु समुदाय तथा परिवारों को मजबूत करने के महत्व को संज्ञान में लेता है।

CHILD LINE CALL-1098

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF INDIA
DECEMBER 2016

4.2.8 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 [National Health Policy (NHP), 2017]

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 तथा 2002 में तैयार की गयी। नवीनतम एनएचपी का आरम्भ 2017 में हुआ। इस नीति का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का संगठन, रोगों की रोकथाम तथा अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहन जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को आकार देना है। यह नीति तकनीकी तक पहुँच, मानव संसाधनों के विकास करने, चिकित्सकीय बहुलवाद प्रोत्साहन, ज्ञान आधार निर्मित करने, बेहतर वित्तीय संरक्षण रणनीतियाँ विकसित करने, नियमन तथा स्वास्थ्य सुनिश्चितता का प्रयास करती है।

सभी आयु वर्गों पर सभी के लिये स्वास्थ्य के उच्चतम सम्भव स्तर तथा कल्याण की प्राप्ति तथा अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच, नीति के उद्देश्य हैं।

4.2.9 राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान), 2018 [National Nutrition Mission (PSHAN Abhiyan), 2018]

2022 तक भारत की कुपोषण से मुक्ति की सुनिश्चितता को दृष्टि में रखते हुए मार्च 2018 में राजस्थान के झुँझनू में पोषण अभियान आरम्भ किया गया। इसका लक्ष्य है :

POSHAN Abhiyaan
PM's Overarching Scheme for Holistic Nourishment
सही पोषण - देश रोशन

- विभिन्न पोषण सम्बन्धी योजनाओं के सम्मिलन को सुनिश्चित करके अल्पपोषण तथा अन्य सम्बन्धित समस्याओं के स्तर को कम करना
- अल्प-विकास, अल्प-पोषण, रक्ताल्पता (छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोर बालिकाओं के बीच) तथा निम्न जन्म दर की रोकथाम।

समग्र विकास तथा गर्भवती महिलाओं, माताओं और बच्चों के लिये पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना भी इसका उद्देश्य है।

पाठगत प्रश्न 4.1

रिक्त स्थान भरिए–

(अ) राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016 ..... तक पहुँच तथा सेवा पर केन्द्रित है।

(ब) पोषण अभियान का उद्देश्य ..... तक कुपोषण मुक्त भारत की प्राप्ति सुनिश्चित करना है।

(स) देश में भारत नवजात शिशु कार्य योजना का उद्देश्य रोके जा सकने योग्य .... तथा ..... को कम करना है।

(द) राष्ट्रीय बाल नीति, 2013 ने बच्चों को राष्ट्र के लिये ..... घोषित किया।

(ई) राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के विकास .....तथा..... क्षमता की प्राप्ति का प्रयास करती है।

4.3 कार्यक्रम तथा योजनाएँ

माता तथा बच्चे के स्वास्थ्य तथा सामान्य हितों की चिन्ता ने सरकार को इस जरूरत को पूरा करने के लिये कार्यक्रमों तथा योजनाओं को समय-समय पर आरम्भ करने के लिये प्रेरित किया है।

4.3.1 एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस), 1975 [Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme, 1975]

1975 में भारत सरकार ने एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) आरम्भ की।

यह एक अनूठा तथा प्रारम्भिक बाल्यावस्था और देखभाल के लिये विश्व का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। यह 0-6 आयु वर्ग के सभी बच्चों को शामिल करता है। यह गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की जरूरतों को भी पूरी करता है। इस योजना में छः सेवायें शामिल हैं जो हैं–

(i) पूरक पोषण

(ii) पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी अनौपचारिक शिक्षा

(iii) पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा

(iv) टीकाकरण

(v) स्वास्थ्य जाँच तथा

(vi) निर्देशपरक सेवा

इस योजना के उद्देश्य हैं–

- 0-6 से आयु वर्ग के बच्चों के पोषण तथा स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना।
- बच्चे के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव रखना।
- मृत्यु-दर, रुग्णता, कुपोषण तथा विद्यालय छोड़ने की घटनाओं को कम करना।
- बच्चे के विकास को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न विभागों के मध्य नीति तथा क्रियान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना, तथा
- समुचित पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चे के सामान्य स्वास्थ्य तथा पोषण सम्बन्धी आवश्यकताओं की देखरेख करने की माता की क्षमता में वृद्धि करना।

4.3.2 मध्यान्ह भोजन योजना (एमडीएमएस), 1995 [Mid Day Meal Scheme (MDMS), 1995]

सारे देश में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकायों के विद्यालय, शिक्षा गारण्टी योजना (ईजीएस) तथा वैकल्पिक तथा नवचारिक शिक्षा केन्द्रों की प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर म

सुधार करने के लिए 1995 में मध्याह्न भोजन योजना का आरम्भ किया गया। इसका उद्देश्य नामांकन, धारण तथा उपस्थिति में वृद्धि के साथ ही बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना है। अक्टूबर, 2007 में योजना को उच्च प्राथमिक कक्षाओं अर्थात् कक्षा छः से आठ तक के बच्चों को शामिल करने के लिए विस्तारित किया गया।

मध्याह्न भोजन योजना
Mid-day Meal Scheme

4.3.3 जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) [Janani Surakha Yojana (JSY)]

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) 12 अप्रैल 2005 को आरम्भ की गयी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यह एक सुरक्षित मातृत्व हस्तक्षेप है। इसका उद्देश्य निर्धन गर्भवती महिलाओं में संस्थागत प्रसव के प्रोत्साहन द्वारा मातृ तथा नवजात मृत्यु को कम करना है।

4.3.4 जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) [Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK)]

भारत सरकार ने शहरी तथा ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थाओं में गर्भवती महिलाओं तथा बीमार नवजात शिशुओ को पूर्णत: नि:शुल्क तथा कैशलैस सेवायें प्रदान करने के लिये 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का आरम्भ किया।

4.3.5 राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) [Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK)]

भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एक नवचारिक पहल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) का आरम्भ किया। यह बाल स्वास्थ्य जाँच तथा प्रारम्भिक हस्तक्षेपी सेवाओं की परिकल्पना करता है जो कि प्रारम्भिक पहचान का एक व्यवस्थित उपागम है तथा देखभाल, सहायता तथा उपचार से सम्बन्धित है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों में सम्भावित 30 स्वास्थ्य स्थितियों के समुच्चय की प्रारम्भिक खोज तथा प्रबंधन सम्मिलित है। ये स्थितियाँ मुख्य रूप से हैं : जन्म के समय दोष, बच्चों के रोग, कमियों से सम्बन्धित परिस्थितियाँ तथा दिव्यांगता सहित विकासात्मक विलम्ब या 4डी (Defects at birth, Diseases in children, Deficiency conditions and Developmental delays includig Disabilities or the 4Ds)। बाल स्वास्थ्य जाँच तथा प्रारम्भिक हस्तक्षेप सेवाओं का उद्देश्य दिव्यांगता की सीमा को कम करना, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना तथा सभी व्यक्तियों को उनकी पूर्ण क्षमता की प्राप्ति के योग्य बनाना भी है।

4.3.6 एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) 2009, [Integrated Child Protection Scheme (ICPS), 2009]

एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का लक्ष्य कठिन परिस्थितियों के बच्चों तथा अन्य असुरक्षित बच्चों के लिये सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना है।

4.3.7 समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) [Samagra Shiksha Abhiyan (SSA), 2018]

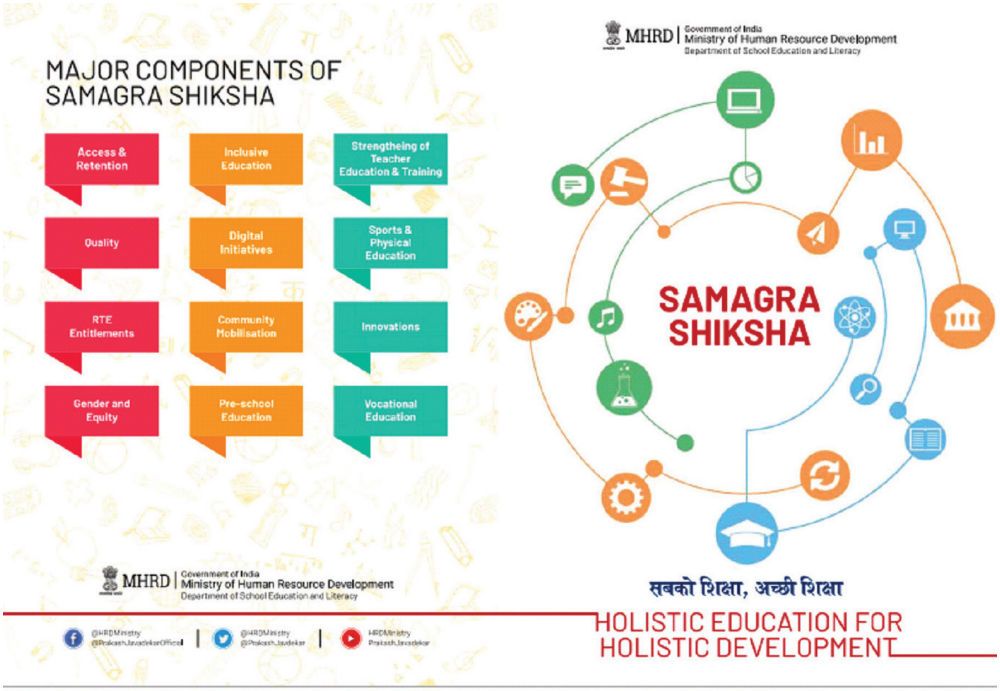

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से लेकर कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा हेतु भारत सरकार ने 2018 में समग्र शिक्षा अभियान आरम्भ किया। यह योजना विद्यालय को पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तरों के एक सतत के रूप में देखती है। इसका उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से उच्चतर माध्यमिक तक समावेशी और समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा अभियान पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा की आवश्यकता और महत्व को स्वीकार करता है तथा मौजूदा 'पढ़े भारत बढ़े भारत कार्यक्रम' को एक नाजुक घटक के रूप में मान्यता देता है। योजना पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में साफ-सफाई की सुविधाओं समेत सुरक्षित तथा संरक्षित बुनियादी ढाँचे पर बल देती है। यह विकासोचित पाठ्यचर्या, अधिगम गतिविधियों, शिक्षाशास्त्रीय अभ्यासों तथा आकलन तथा शिक्षकों के व्यावसायिक विकास और सामुदायिक सहभागिता तथा वचनबद्धता पर भी जोर देती है।

पढ़े भारत बढ़े भारत

पढ़े भारत बढ़े भारत योजना भारत सरकार द्वारा प्राथमिक विद्यालयों के प्रारम्भिक स्तरों, विशेष रूप से कक्षा एक तथा दो में प्रारम्भिक भाषा और साक्षरता तथा प्रारम्भिक संख्यात्मकता के आधारभूत अधिगम में सुधार करने तथा बढ़ावा देने के लिये 2014 में आरम्भ की गयी।

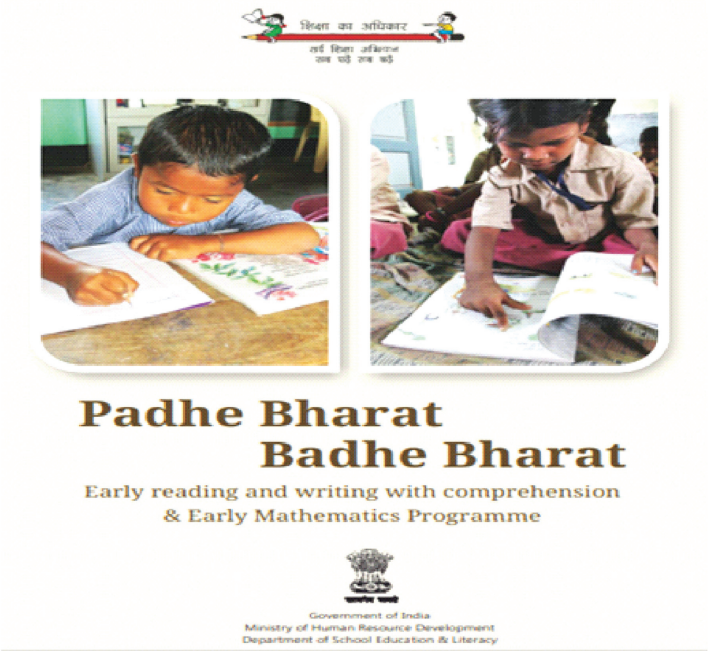

4.3.8 कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना [Rajiv Gandhi National Creche Scheme for the Children of Working Mothers]

संगठित तथा असंगठित दोनों ही क्षेत्रों में सभी सामाजिक-आर्थिक समूहों के मध्य कामकाजी माताओं के बच्चे के लिये गुणवत्तापूर्ण दिन में देखभाल की सुविधा प्रदान करने तथा शिशुगृह की स्थापना हेतु सहायता करने के लिये भारत सरकार द्वारा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना का आरम्भ किया गया। यह छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिये देखभाल तथा शिक्षा सेवाएं प्रदान करता है।

4.3.9 मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश [National Minimum Guidelines for Setting up and Running Creches under Maternity Benefit Act 2017]

भारत सरकार ने मातृत्व लाभ अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा निर्देश तैयार किये हैं। अधिनियम के तहत 50 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में क्रेच की सुविधा अनिवार्य है।

यह छः माह से लेकर छः वर्ष तक के बच्चों के लिये क्रेच की स्थापना तथा संचालन तथा इन क्रेच की गुणवत्ता के मानकीकरण हेतु दिशा-निर्देश प्रदान करता है। क्रेच में प्रत्येक बच्चे की सम्पूर्ण विकास तथा देखभाल की सुनिश्चितता हेतु इसमें स्थान, समय, आधारभूत ढाँचे, उपकरण, स्वास्थ्य तथा पोषण सेवाओं, सुरक्षा तथा संरक्षण, प्रशिक्षित मानव संसाधन, माता-पिता की व्यस्तता तथा अन्य प्रमुख मापदण्डों के बारे में व्याख्या की गयी है। ये दिशा-निर्देश प्रारम्भिक बाल्यावस्था विकास के वैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आधारित हैं और छोटे बच्चों और उनके माता-पिता के सर्वोत्तम हितों की प्राप्ति का प्रयास करते हैं। कुछ मानकों को ऐसे समूह में वर्गीकृत किया गया है जिनमें बदलाव संभव नहीं है जबकि कुछ वरीयतायुक्त मानक ऐसे हैं जिनकी आवश्यकता और स्थिति के अनुसार समीक्षा की जा सकती है और बदलाव के बाद अपनाया जा सकता है।

4.4 पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ [Curriculum Frameworks]

शैक्षणिक संस्थानों को अध्ययन के एक निश्चित स्तर तथा क्षेत्र के लिये पाठ्यक्रम की विषयवस्तु, शिक्षणशास्त्र तथा प्रतिफल के विषय में मार्गदर्शन हेतु कुछ सरकारी निकायों को पाठ्यचर्या की रूपरेखा के प्रारूपण तथा निर्माण हेतु उत्तरदायित्व सौंपा गया है।

पाठ्यचर्या की रूपरेखा को वांछित अधिगम परिणामों की प्राप्ति हेतु एक निश्चित स्तर पर बच्चों को दिये जाने वाले समस्त अधिगम अनुभवों को निर्देशित करने के लिये व्यापक तथा संगठित दिशा-निर्देशों अथवा मानदण्डों के समुच्चय के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यह आकलन प्रक्रिया सहित बच्चों को क्या और कैसे पढ़ाया जाए, के बारे में दिशा-निर्देश प्रदान करती है।

आइए, ईसीसीई से सम्बन्धित पाठ्यचर्या की रूपरेखाओं के बारे में अध्ययन करें।

4.4.1 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2005 [National Curriculum Framework (NCF), 2005]

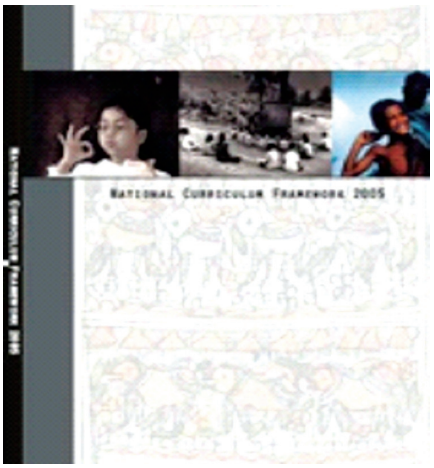

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् (एनसीईआरटी) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करती है जो कि भारत में विद्यालयी शिक्षा कार्यक्रमों के लिये पाठ्यचर्या विकास तथा शिक्षण अभ्यासों के लिये रूपरेखा प्रदान करती है। ईसीसीई के सन्दर्भ में रूपरेखा छोटे बच्चों को उनके शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा संवेगात्मक सहित समग्र विकास हेतु देखभाल, अवसर तथा अनुभव प्रदान करने का समर्थ करती है। यह ईसीसीई को औपचारिक विद्यालयी शिक्षा की तैयारी के रूप में स्वीकार करती है और ईसीसीई में खेल आधारित विकासोचित पाठ्यचर्या का समर्थन करती है।

4.4.2 राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013 [National Early Childhood Care and Education (ECCE) Curriculum Framework, 2013]

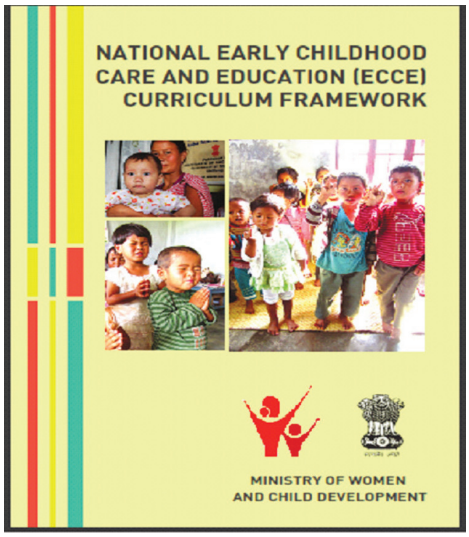

राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013 एक महत्वपूर्ण तथा व्यापक मार्गदर्शक दस्तावेज है। इसका उद्देश्य पूरे देश में प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है। यह जन्म से लेकर पूर्व-प्राथमिक वर्षों तक सभी बच्चों को समृद्ध प्रारम्भिक उद्दीपन तथा गुणवत्तापूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने का इरादा रखती है। यह बच्चों के समग्र विकास तथा अधिगम पर बल देती है। इसका उद्देश्य अनुकूल वातावरण का निर्माण करना तथा बच्चों की विकासात्मक तथा सन्दर्भात्मक आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यकता आधारित इनपुट प्रदान करना है। ईसीसीई की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में रूपरेखा, माता-पिता, परिवार तथा समुदाय की सहभागिता के महत्व को स्वीकार करती है।

पाठगत प्रश्न 4.2

नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य लिखिए–

(अ) कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना का उद्देश्य कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये शिशुगृह की स्थापना तथा गुणवत्तापूर्ण दिन में देखभाल की सुविधा प्रदान करना है।

(ब) समग्र शिक्षा अभियान पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से लेकर डिग्री स्तर तक की शिक्षा को समाहित करता है।

(स) राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की रूपरेखा का उद्देश्य ईसीसीई में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देना है।

(द) एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) भारत सरकार द्वारा 1979 में आरम्भ की गयी।

(ई) क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्री न्यूनतम दिशा-निर्देश छः माह से लेकर छः वर्ष तक के बच्चों के लिये क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु तैयार किये गये थे।

4.5 ईसीसीई के विभिन्न सेवा प्रदाता

भारत में सरकारी, निजी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में विभिन्न संगठनों द्वारा ईसीसीई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। आइए, इनके बारे में अध्ययन करें।

4.5.1 सरकारी क्षेत्र

जैसा कि पिछले भाग में आप पढ़ चुके हैं कि सभी छोटे बच्चों को देखभाल, स्वास्थ्य, पोषण तथा अधिगम अनुभव तथा शिक्षा प्रदान करने के लिये भारत सरकार ने कई कदम उठाये हैं। 1975 में आरम्भ हुई एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) ईसीसीई प्रदान करने के लिये अधिदेशित विश्व के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक है। इस पाठ के पिछले भाग में आपने आईसीडीएस की सेवाओं और उद्देश्यों के बारे में अध्ययन किया है। आँगनवाड़ी नामक केन्द्रों के द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य बच्चों को उनके समग्र विकास हेतु उद्दीपित तथा समृद्ध वातावरण प्रदान करना है।

4.5.2 निजी क्षेत्र

निजी क्षेत्र भी ईसीसीई के सेवा प्रदाताओं में से है। इसमें स्टैंड-एलोन पूर्व-प्राथमिक विद्यालय, स्वस्वामित्व वाले पूर्व-प्राथमिक विद्यालय तथा फ्रेन्चाइजी शामिल हैं। देश में, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इन विद्यालयों की पहुँच तेजी से बढ़ रही है। इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता भिन्न-भिन्न होती है जिसे विनियमित किये जाने की जरूरत है।

4.5.3 गैरसरकारी क्षेत्र

ईसीसीई सेवाएं स्वयंसेवी तथा गैरसरकारी संगठनों द्वारा भी प्रदान की जा रही हैं। ये बड़े पैमाने पर न्यासों, सोसाइटी, धार्मिक समूहों द्वारा संचालित की जाती हैं तथा सरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रीय फंडिंग एजेन्सियों द्वारा चलायी जाती हैं। इनकी पहुँच तथा इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के प्रकार भिन्न होते हैं।

इन सभी सेवा-प्रदाताओं की गतिविधियों को सुसंगत बनाये जाने की आवश्यकता है। सम्बन्धित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे राज्य के सेवा प्रतिपादन मानकों, मानदण्डों और नियमों के अनुरूप कार्य करें।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- देश में सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करने के लिये भारत सरकार द्वारा विभिन्न नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार किये

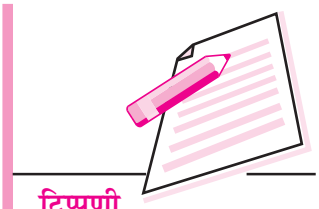

टिप्पणी

गये। यह हस्तक्षेप प्रारम्भिक वर्षों में सभी छोटे बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, देखभाल तथा प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के उद्देश्य से हैं।

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई), 1986 छोटे बच्चों के समग्र विकास पर केन्द्रित है और ईसीसीई को देश में प्राथमिक शिक्षा को सशक्त बनाने के एक महत्वपूर्ण कारक के रूप देखती है।
- देश में अल्पपोषण तथा कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पोषण नीति, 1993 तैयार की गयी।
- राष्ट्रीय बाल नीति (एनपीसी), 2013 सभी बच्चों के स्वस्थ विकास तथा संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करती है। यह उत्तरजीविता, स्वास्थ्य, पोषण, विकास, शिक्षा, संरक्षण और सहभागिता को प्रत्येक बच्चे के निर्विवाद अधिकारों के रूप में पहचान करती है।
- राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा नीति 2013, छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा की सार्वभौमिक पहुँच के लिये प्रतिबद्ध है। निःशुल्क, सार्वभौमिक, समावेशी, समतामूलक, आनन्दपूर्ण तथा नींव डालने तथा पूर्ण क्षमता की प्राप्ति हेतु सन्दर्भात्मक अवसरों के प्रोत्साहन द्वारा नीति की दृष्टि छः वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों के समग्र विकास तथा सक्रिय अधिगम क्षमता की प्राप्ति करने की है।
- बच्चों के लिये राष्ट्रीय कार्य योजना, 2016, (एनपीएसी) सभी बच्चों के उत्तरजीविता, आत्म-सम्मान, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, विकास, संरक्षण और सहभागिता के अधिकारों को सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।
- 2022 तक भारत की कुपोषण से मुक्ति की सुनिश्चितता को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन (पोषण अभियान), 2018 आरम्भ किया गया।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम), समतामूलक, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की सार्वभौमिक पहुँच की उपलब्धि पर विचार करता है जो लोगों की जरूरतों के प्रति जवाबदेह तथा उत्तरदायी हों।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (एनएचपी), 2017 का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य में निवेश, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का संगठन, रोगों की रोकथाम तथा अच्छे स्वास्थ्य को प्रोत्साहन जैसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य प्रणाली को आकार देना है।
- देश में रणनीतिक हस्तक्षेपों के साथ रोके जा सकने योग्य नवजात शिशुओं की मृत्यु तथा मृतप्रसव को कम करने के लिये 2014 में भारत नवजात शिशु कार्य योजना (आईएनएपी), 2014 आरम्भ हुई।
- 1975 में आरम्भ एकीकृत बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) 0-6 आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिये प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास हेतु एक अनूठा

कार्यक्रम है। योजना अपनी सेवाओं के रूप में पूरक पोषण, पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी अनौपचारिक शिक्षा, पोषण तथा स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच तथा निर्देशपरक सेवा को शामिल करती है।

- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) का लक्ष्य कठिन परिस्थितियों के बच्चों के साथ अन्य असुरक्षित बच्चों के लिये सुरक्षित वातावरण का निर्माण है।
- सारे देश में सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त, स्थानीय निकायों के विद्यालय, शिक्षा गारण्टी योजना (ईजीएस) तथा वैकल्पिक तथा नवचारिक शिक्षा (एआईई) केन्द्रों की प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ने वाले बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) का लक्ष्य है।
- पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से लेकर कक्षा 12 तक की विद्यालयी शिक्षा हेतु समग्र शिक्षा अभियान का आरम्भ 2018 में हुआ। इसका उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्चतर माध्यमिक स्तर तक समावेशी और समतामूलक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है।
- कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये राजीव गाँधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना कामकाजी माताओं के बच्चों के लिये शिशुगृह की स्थापना तथा गुणवत्तापूर्ण दिन में देखभाल की सुविधा प्रदान करने में सहायता करती है।
- छः माह से लेकर छः वर्ष तक के बच्चों के लिये क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 के अन्तर्गत क्रेच की स्थापना तथा संचालन हेतु राष्ट्रीय न्यूनतम दिशा-निर्देश तैयार किये गये थे।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (एनसीएफ), 2005 छोटे बच्चों को उनके समग्र विकास हेतु देखभाल, अवसर तथा अनुभव प्रदान करने पर बल देती है।
- राष्ट्रीय प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013 ईसीसीई में गुणवत्ता और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिये दिशा-निर्देश प्रदान करती है। यह जन्म से लेकर पूर्व-प्राथमिक वर्षों तक सभी बच्चों को उनके समग्र विकास तथा अधिगम के लिये समृद्ध प्रारम्भिक उद्दीपन तथा गुणवत्तापूर्ण अधिगम अनुभव प्रदान करने का इरादा रखती है।
- सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रों में ईसीसीई के विभिन्न सेवा-प्रदाता हैं। इन सभी ईसीसीई सेवा-प्रदाताओं की गतिविधियों को मानकों, मानदण्डों और नियमों के अनुरूप सुसंगत बनाये जाने की आवश्यकता है।

पाठान्त प्रश्न

1. देश में ईसीसीई से सम्बन्धित विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों की सूची बनाइए।

टिप्पणी

2. पाठ्यचर्या की रूपरेखा से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा पाठ्यचर्या की रूपरेखा, 2013 पर टिप्पणी कीजिए।

3. ईसीसीई के विभिन्न सेवा-प्रदाताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

4.1

(अ) अन्तिम बच्चा पहले

(ब) 2022

(स) नवजात शिशुओं की मृत्यु तथा मृत प्रसव

(द) अत्यधिक महत्वपूर्ण परिसम्पत्ति

(ई) समग्र विकास, सक्रिय अधिगम

4.2

1. सत्य 2. असत्य 3. सत्य 4. असत्य 5. सत्य

संदर्भ

- Ministry of Health & Family Welfare. (2014). *India Newborn Action Plan, 2014*. Retrieved from www.newbornwhocc.org/INAP_Final.pdf
- Ministry of Health & Family Welfare. (2011). *Janani Shishu Suraksha Karyakram (JSSK)*. Retrieved from https://www.nhp.gov.in/janani- shishu-suraksha-karyakaram-jssk_pg
- Ministry of Health & Family Welfare. (2005). *Janani Suraksha Yojana (JSY)*.Retrieved from https://www.nhp.gov.in/janani-suraksha-yojana-jsy-_pg
- Ministry of Health & Family Welfare. (2017). *National Health Policy, 2017*. Retrieved from https://www.nhp.gov.in/nhpfiles/national_health_policy_2017.pdf
- Ministry of Health & Family Welfare. *Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK)*. Retrieved from https://rbsk.gov.in
- Ministry of Health & Family Welfare. *The National Health Mission (NHM)*. Retrieved from https://mohfw.gov.in

- Ministry of Human Resource Development. (1995). *Mid Day Meal Scheme, 1995.* Retrieved from http://mdm.nic.in/mdm_website/
- Ministry of Human Resource Development. (2018). *Padhe Bharat Badhe Bharat.* Retrieved from https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/document-reports/Padhe-Bharat-Badhe-Bharat.pdf
- Ministry of Human Resource Development. (2018). *Samagra Shiksha Abhiyan, 2018*. Retrieved from http://samagra.mhrd.gov.in/early_childhood.html
- Ministry of Human Resource Development (1986). *The National Policy on Education, 1986.* Retrieved from https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/npe.pdf
- Ministry of Human Resource Development. (2012). 12th *Five Year Plan (2012-17).* Retrieved from https://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/ files/document-reports/XIIFYP_SocialSector.pdf
- Ministry of Women and Child Development. (1975). Integrated *Child Development Services (ICDS) Scheme.* Retrieved from https:/ /icds-wcd.nic.in/icds.aspx
- Ministry of Women and Child Development. (2019). *Integrated Child Protection Scheme (ICPS), 2009.* Retrieved from https://wcd.nic.in/integrated- child-protection-scheme-ICPS
- Ministry of Women and Child Development. (2017). *National Minimum Guidelines for Setting up and Running Crèches under Maternity Benefit Act, 2017.* New Delhi. Retrieved from https://wcd.nic.in/act/national-minimum- guidelines-setting-and-running-creches-under-maternity-benefit-act-2017
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *National Early Childhood Care and Education (ECCE) Curriculum Framework, 2013.* Retrieved from https://wcd.nic.in/sites/default/files/national_ecce_curr_framework_final
- Ministry of Women and Child Development. (2013*). National Early Childhood Care and Education Policy, 2013.* Retrieved fromhttps://wcd.nic.in/ sites/default/files/National%20Early%20Childhood%20Care%20 and%20Education-Resolution.pdf
- Ministry of Women and Child Development. (1993). *National Nutrition Policy, 1993.* Retrieved from https://wcd.nic.in/sites/default/files/nnp_0.pdf
- Ministry of Women and Child Development. (2016). *National Plan of Action for Children, 2016.* Retrieved from https://wcd.nic.in

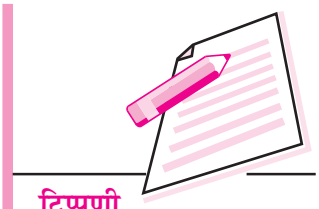

टिप्पणी

- Ministry of Women and Child Development. (2018). *National Nutrition Mission (POSHAN Abhiyan), 2018*. Retrieved from https://www.india.gov.in/spotlight/poshan-abhiyaan-pms-overarching-scheme-holistic-nourishment
- Ministry of Women and Child Development. *Rajiv Gandhi National Crèche Scheme for the Children of Working Mothers*. Retrieved from https://wcd.nic.in/sites/default/files/RajivGandhiCrecheScheme.pdf
- Ministry of Women and Child Development. (2013). *The National Policy for Children, 2013*. Retrieved fromhttps://wcd.nic.in/sites/default/files/npcenglish08072013_0.pdf
- National Council of Educational Research and Training. (2005). *National Curriculum Framework, 2005*. Retrieved from http://www.ncert. nic.in/rightside/links/pdf/framework/english/nf2005.pdf

टिप्पणी

5

ईसीसीई के मुद्दे एवं दिशा-निर्देश

प्रारम्भिक बाल्यावस्था ऐसी महत्वपूर्ण अवधि है जो बाद के अधिगम और विकास के लिये आधार तैयार करती है। इस अवधि में प्रदान किये गये अनुभव और अवसर बच्चे के विकास विशेष रूप से मस्तिष्क के विकास को प्रभावित करते हैं। इसलिये गुणवत्तापूर्ण और समतामूलक प्रारम्भिक देखभाल और शिक्षा की पहुँच को सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य है।

शिक्षा के लिये इंचियोन घोषणा, 2030 भी सभी बच्चों के लिये कम से कम एक वर्ष की गुणवत्तापूर्ण अनिवार्य और निःशुल्क पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रावधान को प्रोत्साहित करती है। इस दृष्टिकोण के साथ भारत प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) सेवाओं और कार्यक्रमों मे समतामूलक पहुँच और आरम्भिक निवेश महत्वपूर्ण हो गये हैं। भारत सरकार द्वारा की गयी पहल में इस वैश्विक ईसीसीई प्रतिबद्धता का पालन और प्रभाव स्पष्टता से प्रतिबिम्बित होता है। हाल ही में एनसीईआरटी और न्यूपा द्वारा कराया गया अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण सभी बच्चों के लिये ईसीसीई सेवाओं में सतत वृद्धि का संकेत करता है। हालाँकि सर्वेक्षणों से पता चलता है तीन से छः आयु वर्ग के बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई उसमें भी विशेष रूप से शैक्षणिक घटक अच्छी अवस्था में नहीं है। इसके पीछे के कारणों में आयु और विकास के अनुरूप उपयुक्त पाठ्यक्रम, सुविधाओं, आधारभूत ढाँचे, शिक्षण-अधिगम-सामग्री, संसाधनों, आवश्यक निधियों, योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों, मानक मूल्यांकन प्रणाली तथा सम्मिलन का अभाव है। इसके अतिरिक्त औपचारिक शिक्षा का प्रभाव, रट कर याद करना, कक्षाकक्ष की व्यवस्था तथा उसके प्रदर्शन पर पर्याप्त ध्यान न देना, बच्चों की आयु, उनके विकास की आवश्यकताएँ तथा उनकी योग्यताओं की जानकारी न होना, सामुदायिक स्वामित्व की कमी, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी आदतों का अभाव आदि अन्य नाजुक मुद्दे हैं। व्यक्तिगत, संस्थानिक तथा सरकारी स्तरों पर इन पर ध्यान देने तथा सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

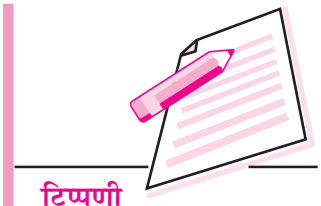

- ईसीसीई के मुद्दों की व्याख्या करता है; और
- ईसीसीई के मुद्दों के समाधान के लिये विभिन्न दिशा-निर्देशों के बारे में परिचर्चा करता है।

5.1 प्रारंभिक बाल्यवस्था देखभाल और शिक्षा के मुद्दे

यहाँ कुछ संवेदनशील मुद्दे ऐसे हैं जिन पर समुचित ढंग से ध्यान नहीं दिया गया है, सम्भवत: इसलिये कि हमने व्यक्तिगत या सरकारी दोनों ही स्तरों पर ईसीसीई के गुणवत्ता के मानकों के साथ समझौता कर लिया। इसलिए ईसीसीई कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन तथा देख-रेख की अवधि में इन्हें ध्यान में नहीं लाया जा रहा है। आइए, इनमें से कुछ मुद्दों का विस्तार से अध्ययन करते हैं।

5.1.1 प्रवेश की प्रक्रिया

ईसीसीई केन्द्रों की प्रवेश-प्रक्रिया में मुख्य रूप से प्रवेश की तिथि, प्रवेश की आयु तथा उचित प्रवेश-प्रक्रिया में बहुत अधिक स्पष्टता या पारदर्शिता नहीं है। यह देखा गया है कि पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामांकन विशेष रूप से महानगरों तथा अन्य बड़े शहरों में औपचारिक परीक्षण द्वारा किया जाता है। सम्भवत: पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश के लिये आवेदकों की एक बड़ी संख्या के कारण ऐसा हो रहा है। इस तरह का चलन बच्चों की अस्वीकृति को बढ़ावा देती हैं जो कि इस अल्पवयस्कता में उनके आत्म-विश्वास और आत्म-सम्मान को नष्ट कर सकती है।

5.1.2 आधारभूत ढाँचा, सामग्री तथा कक्षाकक्ष का वातावरण

ईसीसीई केन्द्रों में आयु और विकास के अनुरूप उपकरणों और खेल-सामग्री का अभाव है। अधिकांशत: ईसीसीई केन्द्रों में नामांकित बच्चों की संख्या के लिये ये अपर्याप्त हैं। ईसीसीई केन्द्रों पर प्रदान की जाने वाली खेल-सामग्री मानदण्डों को पूरा नहीं करती और न ही अच्छी तरह उनका रख-रखाव है। कुछ स्थितियों में यह सामग्री सुरक्षित नहीं है और न ही शिक्षक द्वारा उचित ढंग से उपयोग में लायी जाती है। इसके अलावा कक्षा का वातावरण बच्चों को अधिगम के लिये सामग्री के परिचालन तथा खोज के अवसर प्रदान नहीं करता।

5.1.3 शिक्षक

ईसीसीई कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के लिये योग्य एवं सुप्रशिक्षित शिक्षक महत्वपूर्ण हैं। शिक्षकों के मुद्दे उनकी योग्यता, नियुक्ति, वेतन तथा प्रशिक्षण/क्षमता-निर्माण से सम्बन्धित हैं। नियुक्त ईसीसीई शिक्षकों की योग्यताओं में बहुत अन्तर है। वे या तो नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग (एनटीटी) होते हैं या फिर शिक्षा-स्नातक (बी.एड.)। पूर्व-सेवा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे कि एनटीटी, डिप्लोमा या प्रमाणपत्र आधारित पाठ्यक्रम हर जगह कुकुरमुत्तों की तरह निरन्तर

टिप्पणी

बढ़ रही अनियमित संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं। इसी प्रकार बिना किसी उपयुक्त प्राधिकारी की मान्यता के कुछ विनियमित संस्थाएं विभिन्न अवधि के विविध प्रकार के ईसीसीई या एनटीटी पाठ्यक्रम संचालित कर रही है। पूरे देश में शिक्षकों का सेवारत प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण किन्तु उपेक्षित और अविकसित क्षेत्र है। नवीनतम विकास जो कि मुख्य रूप से टेक्नालॉजी और शिक्षण-अधिगम-प्रक्रिया के उपयोग से सम्बन्धित है, के साथ-साथ चलने में सहायता के लिये ईसीसीई शिक्षकों की क्षमता-निर्माण के लिये सेवारत प्रशिक्षण का कोई प्रावधान नहीं है।

ईसीसीई शिक्षकों के वेतनमानों में भी भिन्नताएं हैं और अधिकांश को बहुत कम वेतन मिलता है। अधिकांश ईसीसीई केन्द्रों में बच्चों की संख्या बहुत अधिक है और कक्षा में केवल एक ही शिक्षक है।

5.1.4 शिक्षण अधिगम प्रक्रिया

ईसीसीई केन्द्रों में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया खेल और गतिविधि आधारित होनी चाहिए। हालाँकि अधिकांश केन्द्र, विशेषत: निजी क्षेत्रों के, औपचारिक शिक्षण विधियाँ अपनाते हैं। ये विधियाँ बच्चों को प्रश्न पूछने के, प्रयोग करने के, अन्वेषण के तथा सहभागिता के बहुत कम अवसर प्रदान करती है। इस प्रकार बच्चों को शिक्षक द्वारा प्रदान की जा रही सूचनाओं का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता बनाना, उनकी कल्पना और सृजनात्मक चिन्तन के कौशलों को रोकता है।

बच्चे मातृभाषा में बेहतर रूप से सीखते हैं। यह जानने के बाद भी अधिकांश ईसीसीई केन्द्र बच्चों को पढ़ाने और बातचीत के लिये अंग्रेजी का उपयोग करते हैं। इस कारण से बच्चे स्वतन्त्रतापूर्वक बातचीत तथा अभिव्यक्ति के अवसर कठिनाई से प्राप्त कर पाते हैं।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों द्वारा प्रदान किया जाने वाला विशाल, उबाऊ और उम्र के हिसाब से अनुपयुक्त गृहकार्य एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिस कारण बच्चे दबाव में आ जाते हैं और यह स्थिति घर में बच्चे की स्वतन्त्रता का हरण कर लेती है। कभी-कभी यह दबाव अभिभावकों को भी स्थानान्तरित हो जाता है।

अधिकांश ईसीसीई केन्द्र बच्चों के मूल्यांकन के लिये समुचित मूल्यांकन प्रक्रिया का पालन नहीं करते और उनकी प्रगति को एकतरफा ढंग से मानकीकृत परीक्षणों और साक्षात्कारों द्वारा अंकित किया जाता है।

5.1.5 पाठ्यक्रम

छोटे बच्चों की विशेषताओं, जरूरतों और विकास को ध्यान में रखते हुए उनके लिये व्यवस्थित सभी प्रकार के नियोजित अनुभव पाठ्यक्रम में समाहित होते हैं। वर्तमान में ईसीसीई के लिये कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। हालाँकि, महिला एवं बाल विकास मन्त्रालय (एमडब्लूसीडी) ने ईसीसीई के लिये एक पाठ्यक्रम की रूपरेखा विकसित की है जिसमें बच्चों को शिक्षण-अधिगम के केन्द्र में रखा गया है और छोटे बच्चों के अधिगम अनुभवों की व्यवस्था के लिये खेल विधि आधारित उपागम का सुझाव दिया गया है। इन दिशा-निर्देशों की उपलब्धता के बाद

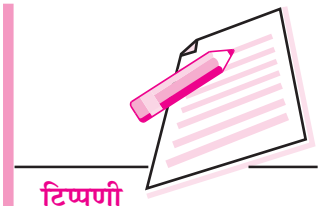

भी अधिकांश ईसीसीई केन्द्र अपने शिक्षण को इस पाठ्यक्रम के प्रारूप के अनुरूप बनाने के लिये संघर्ष कर रहे हैं।

5.1.6 समावेशन तथा लैंगिक समानता

समावेशन तथा लैंगिक समानता ऐसे मुद्दे हैं जिन पर जीवन के आरम्भिक चरण में ही ध्यान जाने की जरूरत है। बच्चों में भिन्नताओं की उपस्थिति के बाद भी एक समावेशित पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के वातावरण में सभी बच्चों के लिये समतामूलक और सम्मानजनक वातावरण समाहित होता है। इस प्रकार का वातावरण बच्चों में स्व-अस्तित्व के प्रति सकारात्मकता तथा अपनेपन की भावना के विकास के लिये अपरिहार्य है। लैंगिक पहचान का निर्माण भी पूर्व बाल्यावस्था की अवधि में ही विकसित होता है। इस अवधि के दौरान लिंग तथा समावेशन सम्बन्धी मुद्दों से निपटने के लिये प्राय: शिक्षक न तो सचेत होते हैं और न ही प्रशिक्षित होते हैं। सभी बच्चों के लिये सुलभ तथा सम्मानजनक वातावरण के निर्माण के लिये सरकारी तथा ईसीसीई केन्द्रों के स्तर पर ठोस प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

5.1.7 प्रशासनिक/प्रबन्धकीय मुद्दे

एक ईसीसीई केन्द्र के विकास और स्थिरता के लिये प्रशासन और प्रबंधन के मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। इन मुद्दों में निम्नलिखित बिन्दु समाहित हैं:

- **निगरानी एवं पर्यवेक्षण:** निगरानी एवं पर्यवेक्षण तन्त्र, ईसीसीई केन्द्र के प्रशासन और प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। हालाँकि यह ईसीसीई कार्यक्रमों के सबसे कमजोर पहलुओं में से एक है। ईसीसीई केन्द्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिये बड़े और छोटे दोनों ही स्तरों पर कोई स्पष्ट निगरानी एवं पर्यवेक्षण तन्त्र नहीं है। भागीदार जैसे कि शिक्षक, अभिभावक, नीति-निर्माता, शैक्षिक नियोजक और प्रशासक आदि भी इस व्यवस्था और इसमें विभिन्न स्तरों पर अपनी भूमिका के प्रति जागरूक नहीं है। इसलिये ईसीसीई केन्द्रों की गुणवत्ता के प्रावधानों में योगदान देने में सक्षम नहीं है।

- **नियामक ढाँचा :** मौजूदा ईसीसीई केन्द्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने तथा अनियमित ईसीसीई केन्द्रों की बाढ़ को रोकने के लिये, जो कि ईसीसीई के गुणवत्ता के न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं करते, एक मजबूत नियामक ढाँचा अनिवार्य है। हाँलाकि राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर दोनों पर ही कोई सुपरिभाषित नियामक ढाँचा उपलब्ध नहीं है। कुछ राज्यों ने अपना राज्य स्तरीय नियामक ढाँचा विकसित किया है जो अन्य राज्यों के सन्दर्भ में लागू नहीं किया जा सकता। हाँलाकि यह जानना उत्साहजनक है कि एमडब्लूसीडी ने एक राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद का गठन किया है जो कि क्रियाशील नहीं है लेकिन उचित दिशा में उठाया गया कदम है।

- **सम्मिलन/समन्वय :** सरकारों के बीच एक मजबूत और सुसंगत सम्मिलन/समन्वय की कमी है जिससे कि उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्व के प्रति अनिश्चितता बढ़ती है।

शिक्षा, देखभाल, स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ी बच्चों की आवश्यकताओं पर विभिन्न मन्त्रालय और संस्थान भी इसी प्रकार से ध्यान देते हैं। इसलिये बच्चों के विभिन्न कार्यक्रमों तथा सेवाओं हेतु संस्थानों, सम्बन्धित मन्त्रालयों तथा सरकारों के बीच का एक मजबूत और सुसंगत सम्मिलन/समन्वय का निर्माण अत्यधिक आवश्यक है।

पाठगत प्रश्न 5.1

स्तम्भ (अ) तथा स्तम्भ (ब) का मिलान कीजिए–

स्तम्भ (अ)	स्तम्भ (ब)
(1) सम्मिलन/समन्वय	(अ) योग्य तथा प्रशिक्षित
(2) खेल सामग्री	(ब) खेल तथा गतिविधि आधारित
(3) शिक्षण अधिगम प्रक्रिया	(स) गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई कार्यक्रम
(4) नियामक ढाँचा	(द) पर्याप्त
(5) ईसीसीई शिक्षक	(ई) मन्त्रालय एवं सरकार

गतिविधि 5.1

अपने आस-पड़ोस के अभिभावकों के उन मुद्दों तथा चुनौतियों के बारे में परिचर्चा कीजिए जिनका सामना उन्हें अपने छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए करना पड़ा।

5.2 मुद्दों के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश

अब तक हमने ईसीसीई के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए कुछ मुद्दों के बारे में चर्चा की है। यद्यपि ये मुद्दे अस्तित्व में हैं, परन्तु सभी भागीदारों के संयुक्त प्रयासों द्वारा इनका समाधान सम्भव है। ये प्रयास सभी बच्चों के लिये गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई कार्यक्रमों की सुलभता को सुनिश्चित करेंगे। इस सन्दर्भ में उपर्युक्त मुद्दों के समाधान हेतु व्यावहारिक हल के रूप में नीचे कुछ दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

5.2.1 प्रवेश की प्रक्रिया

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में बच्चों की प्रवेश की तिथि, प्रवेश की आयु तथा नामांकन-प्रक्रिया एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग है। हालाँकि एक शैक्षणिक वर्ष में 31 मार्च को तीन वर्ष की

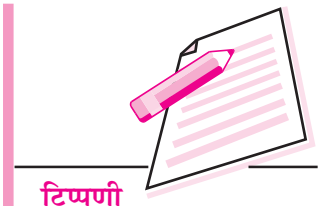

आयु पूर्ण करने वाले बच्चे पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयार हो जाते हैं। यह वह समय है जब बच्चे परिवार से अलग होने की चिन्ता का प्रबंधन कर पाते हैं, कुछ शाब्दिक योग्यता विकसित कर पाते हैं, मूलभूत आवश्यकताएँ बता पाते हैं और शौचालय हेतु प्रशिक्षित हो जाते हैं।

इसके साथ ही पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश हेतु मूल्यांकन-उपकरण के रूप में प्रवेश के समय मूल्यांकन/साक्षात्कार/बच्चों और अभिभावकों के साथ अन्तर्क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इन परीक्षणों से होने वाली चिन्ता से छोटे बच्चों को बचाने के लिये प्रवेश-परीक्षा को समाप्त किया जाना अपरिहार्य है। बच्चों के नामांकन हेतु कुछ वैकल्पिक तरीकों जैसे पहले आओ-पहले पाओ पर आधारित या यादृच्छिक लॉटरी प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है।

परिवार के धर्म, क्षेत्र, जाति, नस्ल, लिंग, अशक्तता और सामाजिक-आर्थिक स्तर के आधार पर बच्चों के प्रवेश से इन्कार नहीं किया जाना चाहिए। पड़ोस में रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

5.2.2 आधारभूत ढाँचा, सामग्री तथा कक्षाकक्ष का वातावरण

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी केन्द्रों में सुरक्षित एवं पर्याप्त भीतरी और बाहरी स्थान होना चाहिए। 25 बच्चों के समूह को न्यूनतम 300/450 वर्ग मीटर का बाह्य स्थान और 35 मीटर का आन्तरिक स्थान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। यह स्थान आयु और विकास के अनुरूप पर्याप्त संख्या में शिक्षण अधिगम सामग्री से सुसज्जित होना चाहिए। इसमें पर्याप्त प्रकाश, हवा, पीने का साफ पानी, स्वच्छ तथा बच्चों के अनुकूल शौचालयों की व्यवस्था होनी चाहिए। गतिविधि जैसे कि गुड़िया, विज्ञान, नृत्य/संगीत, कला आदि के क्षेत्रों का भी प्रावधान होना चाहिए। ये सभी सुविधाओं दिव्यांग बच्चों के लिये भी होना चाहिए।

5.2.3 शिक्षक, शैक्षणिक योग्यता, क्षमता-निर्माण तथा वेतन

एक शिक्षक जो कक्षा बारह उत्तीर्ण है और उसके पास नेशनल काउसिंल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) द्वारा मान्यता प्राप्त पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा है, एक पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाना चाहिए। सभी राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषदों (एससीईआरटी) तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों

काउन्सिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई) भारत सरकार द्वारा 17 अगस्त 1990 को स्थापित एक स्वायत्तशासी संस्था है। इसका अधिदेश देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली की गुणवत्ता को मुख्य रूप से विनियमन और मानकों तथा मानदण्डो के रखरखाव द्वारा विकसित करने और बनाये रखने के लिये है। इसने पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा (डीपीएसई) का पाठ्यक्रम तथा इनके विनियमन हेतु सम्बन्धित मानक तथा मानदण्ड विकसित किये हैं।

टिप्पणी

(डायट) को समस्त राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों में पूर्व-सेवा तथा सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आरम्भ करना चाहिए। क्षमता-निर्माण के दौरान शिक्षकों को ईसीसीई से जुड़े नवीन घटनाक्रमों और पहलुओं की ओर उन्मुख किया जाना चाहिए।

ईसीसीई शिक्षको के वेतनमानों को समीक्षित किया जा सकता है। प्रतिबद्ध एवं प्रतिभाशाली शिक्षकों को आकर्षित करने के लिये शिक्षकों को अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षकों का वेतन प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन के बराबर किया जा सकता है।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी स्तर पर शिक्षक-बच्चा अनुपात को बनाये रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे बच्चों को बड़ों से अधिक ध्यान की आवश्यकता होती है। उचित शिक्षक-बच्चा अनुपात शिक्षक और बच्चों के बीच एक बेहतर अन्तर्क्रिया में योगदान देता है। इस प्रकार तीन से छः आयु वर्ग के 20-25 बच्चों के लिए एक शिक्षक एवं एक सहायक नियुक्त किया जाना चाहिए जोकि उचित शिक्षक-शिक्षार्थी अनुपात है।

5.2.4 शिक्षा अधिगम प्रक्रिया

(अ) अधिगम-वातावरण का सृजन

छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों को पूरा करने वाला एक अनुकूल कक्षाकक्ष का वातावरण ईसीसीई कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता को बढ़ावा देने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अतः कक्षाकक्ष के वातावरण और व्यवस्था पर ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है। विभिन्न गतिविधि क्षेत्र इस ढंग से बनाए जाने चाहिए कि बच्चों को अपनी रुचि के क्षेत्रों के अन्वेषण हेतु नियमित रूप से प्रचुर अवसर प्राप्त हों। स्थान ऐसे व्यवस्थित हो कि बच्चे अकेले, छोटे समूह या बड़े समूह में कार्य कर पाएं। सुनिश्चित करें कि कक्षाकक्ष में सभी उपकरण और सामग्री क्रियाशील, सरलता से सुलभ तथा सुरक्षित हों। कक्षाकक्ष की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि अन्तर्क्रिया को बढ़ावा मिले और बच्चों को एक-दूसरे के साथ साझा करने, मिलजुलकर काम करने तथा एक-दूसरे का सहयोग करने के लिये प्रोत्साहन मिले।

(ब) शिक्षण तथा अनुदेशन हेतु विधियाँ

संपूर्ण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बालकेन्द्रित होनी चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण अधिगम की औपचारिक प्रणाली नहीं होनी चाहिए। इसलिये रटकर याद करने को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। अधिगम अनुभवों का निर्माण खेल, गतिविधियों, प्रयोगों तथा अन्वेषणों द्वारा होना चाहिए। अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। बच्चों को उनकी जिज्ञासाओं की सन्तुष्टि तथा सृजनात्मकता के विकास के लिये प्रचुर अवसर मिलने चाहिए जबकि शिक्षक के लिये आवश्यक है कि अधिगम को सुविधाजनक बनाने के लिये आयु और विकास के अनुरूप समुचित गतिविधियों और सामग्री का नियोजन करे।

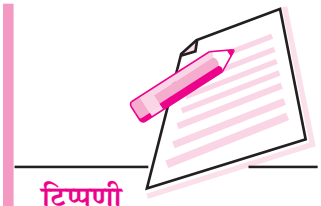

(स) अनुदेशन की भाषा

ईसीसीई केन्द्र में अनुदेशन की भाषा, मातृभाषा होनी चाहिए। यदि बच्चे मातृभाषा या स्थानीय बोली बोलते हों तो शिक्षक को जितना सम्भव हो उतना कई भाषाओं के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए। यह बच्चों को आत्माभिव्यक्ति करने में, कक्षा में सहभागिता करने में तथा एक-दूसरे से सीखने में सहायता करेगा।

बाद की शिक्षा हेतु तैयार करने के लिये मातृभाषा को प्रोत्साहित करते समय शिक्षक को विद्यालयी भाषा को भी प्रस्तुत करना चाहिए। इसलिये पहले बच्चों को उनकी घर की भाषा या मातृभाषा में प्रवीणता हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए और उसके बाद विद्यालयी भाषा से परिचित कराया जाना चाहिए।

(द) गृहकार्य

प्री-स्कूल स्तर तथा पूर्व-प्राथमिक स्तर पर (कक्षा 1 तथा 2 पर) किसी भी प्रकार का गृहकार्य विशेष रूप से लिखित कार्य हतोत्साहित किया जाना चाहिए। हालाँकि अधिगम को पुनर्बलित करने के लिये पूर्व-प्राथमिक विद्यालय में पहले से की गयी गतिविधियों के अनुरूप बच्चों को घर पर करने के लिये कुछ गतिविधियाँ दी जा सकती हैं। जो अभिभावक गृहकार्य की माँग करते हैं उन्हें बच्चों पर गृहकार्य के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति जागरूक बनाया जाना चाहिए।

(ई) मूल्यांकन

बच्चों की प्रगति का मूल्यांकन नियमित तथा व्यापक रूप से दैनिक निरीक्षणों, खेल गतिविधियों, अन्तर्क्रियाओं तथा एनेकडॉट्स के द्वारा भयरहित तरीके से किया जाना चाहिए। इन्हें नियमित रूप से दर्ज या प्रलेखित किया जाना चाहिए। बच्चे को पुनर्बलन प्रदान करने तथा बेहतर विकास हेतु सक्षम बनाने के दृष्टिकोण के साथ मूल्यांकन निर्माणात्मक होना चाहिए। किसी भी बच्चे का कोई औपचारिक परीक्षण या परीक्षा चाहे लिखित हो मौखिक, नहीं होना चाहिए। बच्चों में अशक्तता या विकासात्मक चुनौतियों की आरम्भिक पहचान करने तथा पता लगाने के लिये भी मूल्यांकन का उपयोग किया जायेगा।

5.2.5 पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम ऐसा हो जो बच्चों को आयु और विकास के अनुरूप अधिगम अनुभव तथा अवसर प्रदान करे जिससे कि वे स्वयं को तथा अपने पर्यावरण को समझ सकें, गुण-दोष की दृष्टि से सोच सकें और अपनी दिन-प्रतिदिन की समस्याओं को हल कर सकें। पाठ्यक्रम को खेल-आधारित, सतत अधिगम को सुनिश्चित करने वाला, अन्तर्क्रिया हेतु अवसर प्रदान करने वाला, बच्चों की सहभागिता को निश्चित करने वाला, स्थानीय सामग्री के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाला तथा विकास के समस्त आयामों को समाहित करते हुए शिक्षण की व्यवस्था करने वाला होना चाहिए। इसे बच्चों के अनूठेपन, अनुभवों की विविधता तथा स्थानीय एवं विशिष्ट सन्दर्भों

टिप्पणी

का आदर भी करना चाहिए। पाठ्यक्रम में भौतिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ अन्तर्क्रिया और अन्वेषण के द्वारा मूर्त अनुभवों पर बल दिया जाना चाहिए।

5.2.6 समावेशन तथा लैंगिक समानता

समानता को प्रोत्साहित करने के लिये कक्षाकक्ष में विविधता का आदर करना चाहिए। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा को सुविधाजनक बनाने के लिये प्रयत्न किये जाने चाहिए। पूर्व-प्राथमिक विद्यालय के वातावरण को आधारभूत ढाँचे और शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रबन्ध के सन्दर्भ में सुलभ बनाया जाना चाहिए। बच्चे में किसी विकासात्मक देरी का आरम्भ में ही पता लगाया जाना चाहिए। अत: पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी प्रशासन सभी बच्चों के शुरुआती विकास की जाँच करवा सकते हैं जिससे कि समय पर सहायता प्रदान की जा सके।

पूर्व-प्राथमिक विद्यालय एक बेहतर स्थान हो सकता है जहाँ समावेशी तथा लिंग संवेदी पाठ्यक्रम प्रदान करके लैंगिक रूढ़ियों को तोड़ा जा सकता है। शिक्षक को बालक तथा बालिकाओं दोनों से ही समान तथा उपयुक्त अपेक्षाएँ रखनी चाहिए। उन्हें बच्चों पर समान ध्यान तथा सम्मान देना चाहिए और समान अवसरों को बढ़ावा देना चाहिए। खेल तथा अन्य गतिविधियों को लिंग अभिनति से मुक्त होना चाहिए।

5.2.7 प्रशासनिक/प्रबन्धकीय मुद्दे

(अ) **निगरानी एवं पर्यवेक्षण:** निगरानी एवं पर्यवेक्षण को ईसीसीई से सम्बन्धित मुद्दों की खोज और पहचानी गयी समस्याओं के समाधान तैयार करने पर केन्द्रित होना चाहिए। एक दृढ़ निगरानी तन्त्र की सहायता से प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा के उद्देश्यों को काफी सीमा तक प्राप्त किया जा सकता है। जहाँ ईसीसीई केन्द्र औपचारिक विद्यालय से सम्बद्ध है वहाँ केन्द्र के प्रमुख, पर्यवेक्षकों तथा विद्यालय प्रबन्ध समिति (एसएमसी) की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिये जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिये राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी एवं पर्यवेक्षण की एक दृढ़ प्रणाली विकसित और क्रियान्वित की जानी चाहिए।

(ब) **विनियमन :** विनियमन ईसीसीई केन्द्रों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के महत्वपूर्ण तरीकों में से एक है। ईसीसीई कार्यक्रमों और शिक्षक प्रशिक्षण का संचालन करने वाले संस्थानों के लिये मानक नियामक तन्त्र महत्वपूर्ण है। मानकों के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु एक समर्पित संस्था के निर्माण तथा मानकों के मापन हेतु मूल्यांकन उपकरण के विकास द्वारा ऐसा किया जा सकता है। एमडब्लूसीडी द्वारा गठित राष्ट्रीय ईसीसीई परिषद को पूर्णत: कार्यात्मक बनाकर भी इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। यह ध्यान देने योग्य है कि अधिगम मानकों तथा एक नियामक ढाँचे के विकास एवं क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व सरकार पर है।

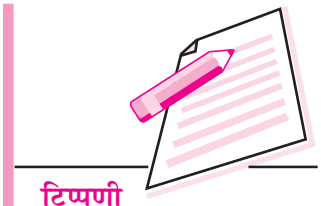

(स) सम्मिलन/समन्वय : सरकार को बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा एवं संरक्षण पर ध्यान देने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों, संस्थानों तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों के एक मजबूत और सुसंगत सम्मिलन के निर्माण का कार्य करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिये विभिन्न संगठनों एवं मन्त्रालयों में उनकी कार्य की प्रकृति के अनुरूप प्रशासनिक, स्वास्थ्य, क्षमता-निर्माण और निगरानी/पर्यवेक्षण सम्बन्धी कार्यों के सन्दर्भ में समन्वय होना चाहिए।

पाठगत प्रश्न 5.2

1. रिक्त स्थान भरिए–

   (क) बच्चे पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी कार्यक्रम में प्रवेश हेतु तैयार हो जाते हैं जब वे ..... होते हैं।

   (ख) न्यूनतम ..... वर्ग मीटर का आन्तरिक स्थान ..... बच्चों के समूह को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

   (ग) पूर्व-प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा में डिप्लोमा ..... द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

   (घ) बच्चे सर्वोत्तम अपनी ..... भाषा में सीखते हैं।

   (ङ) प्रारम्भिक बाल्यावस्था के पाठ्यक्रम को ..... और ..... समुचित अधिगम अनुभव प्रदान करने वाला होना चाहिए।

2. बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सत्य हैं य असत्य :

   (क) शिक्षक को बालक तथा बालिकाओं दोनों से ही समान तथा उपयुक्त अपेक्षा रखनी चाहिए।

   (ख) सरकार को विभिन्न कार्यक्रमों, संस्थानों तथा सम्बन्धित मन्त्रालयों के सम्मिलन को हतोत्साहित करना चाहिए।

   (ग) छोटे बच्चों की लिखित या मौखिक परीक्षाएं ली जानी चाहिए।

   (घ) शिक्षकों को कक्षाकक्ष के वातावरण पर कम ध्यान देना चाहिए।

गतिविधि 5.2

इण्टरनेट की सहायता से छोटे बच्चों की देखभाल और शिक्षा हेतु कार्यरत विभिन्न मन्त्रालयों के नामों का पता लगाइए।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- मुद्दे जो कि संबंधित है
  - प्रवेश-प्रक्रिया
  - आधारभूत ढाँचा और कक्षा का वातावरण
  - शिक्षक
  - शिक्षण अधिगम प्रक्रिया
  - पाठ्यक्रम
  - समावेशन और लिंग
  - प्रशासन
- व्यक्तिगत या संस्थानिक स्तर पर उपर्युक्त मुद्दों के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश

पाठान्त प्रश्न

(1) ईसीसीई के प्रचलित मुद्दों पर संक्षिप्त चर्चा कीजिए।

(2) ईसीसीई के प्रचलित मुद्दों के निराकरण हेतु सुझाव दीजिए।

(3) ईसीसीई के प्रशासनिक मुद्दों और उनके समाधान की नीतियों का वर्णन कीजिए।

(4) ईसीसीई में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित मुद्दों पर चर्चा कीजिए।

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

5.1

(1) ई

(2) द

(3) ब

(4) स

(5) अ

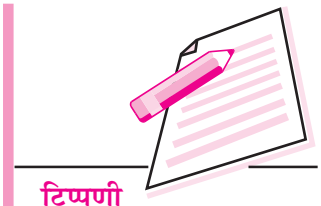

टिप्पणी

5.2

1. (क) परिवार से अलग होने की चिन्ता का प्रबंधन/कुछ सीमा तक शाब्दिक योग्यता का विकास/मूलभूत आवश्यकताओं को बताना/शौचालय हेतु प्रशिक्षित

   (ख) 35, 25

   (ग) एनसीटीई

   (घ) मातृ

   (ङ) आयु, विकास के अनुरूप

2. (क) सत्य

   (ख) असत्य

   (ग) असत्य

   (घ) असत्य

संदर्भ

- Chandra, R., Gulati, R. & Sharma, S. (2017). *Quality early childhood care and education in India: Initiatives, practice, challenges and enablers*. Asia-Pacific Journal of Research in Early Childhood Education, 11 (1), 41-67.
- Ministry of Women and Child Development. (2013) *National Early Childhood Care and Education (ECCE) Policy*. New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development .*Quality Standards for Early Childhood Care and Education.* New Delhi: Government of India.
- Ministry of Women and Child Development. (2014). *National Early Childhood Care and Education (ECCE) Curriculum Framework*. New Delhi: Government of India.
- National Council of Educational Research and Training. (2016). Eighth All India School Education Survey (8th AISES): As on 30th September, 2009-A Concise Report. Educational Survey Division (ESD), New Delhi: NCERT.
- National Council of Educational Research and Training. (2006). *Position Paper of the National Focus Group on Early Childhood Education.* New Delhi: NCERT.
- National Council of Educational Research and Training. (2005). *National Curriculum Framework, 2005.* New Delhi: NCERT.
- National University of Educational Planning and Administration. (2010). *Elementary Education in India: Analytical Report- Progress Towards UEE.* New Delhi.

टिप्पणी

- National Council of Teacher Education (NCTE). http://ncte.gov.in/
- Seth, K. (1996). *Minimum Specifications for Pre–Schools*. New Delhi: NCERT.
- Sharma, S., Sen, R. S. & Gulati, R. (2008). Early childhood development policy and programming in India: Critical issues and directions for paradigm change. *International Journal of Early Childhood, 40 (2).*
- United Nation Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). (2015b) *Incheon Declaration, Education 2030: Towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all. World Education Forum-2015*. Incheon, Republic of Korea, 19-22 May, 2015.

6

वृद्धि और विकास

आपने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि एक नवजात शिशु बिना सहारे के नहीं बैठ सकता परंतु चार महीने का बच्चा सहारा मिलने पर एक मिनट तक बैठने के योग्य हो जाता है और नौ महीने तक के सभी छोटे बच्चे बिना सहारे के दस मिनट तक और उससे भी अधिक देर तक बैठ सकते हैं। इसी प्रकार प्रारंभिक वर्षों के दौरान, टॉडलर अवस्था में (1–3 वर्ष) बच्चों में स्पष्ट परिवर्तन देखे जाते हैं जब वे बढ़ते और विकासात्मक पड़ावों को प्राप्त करते हैं। यह हमें आश्चर्यचकित कर देता है कि छोटे बच्चों में विकास तीव्र गति से कैसे होता है? इसके साथ अन्य प्रश्न उठता है कि क्या समान आयु के सभी बच्चों में समान परिवर्तन होते हैं? क्या हम वृद्धि और विकास के अनुमानित तरीकों को पहचान सकते हैं? वे कौन-से कारक हैं जो बच्चों की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं? इस पाठ के माध्यम से आप इन प्रश्नों के उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। आप पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास का क्या अर्थ है और कौन-से सिद्धांत उन्हें निर्देशित करते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों से भी आप परिचित होंगे।

अधिगम के प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- वृद्धि और विकास में अंतर करते हैं;
- विकास के विभिन्न सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन करते हैं;
- बच्चों के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण के महत्त्व की व्याख्या करते हैं; और
- बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की पहचान करते हैं।

6.1 वृद्धि क्या है?

सामान्यत: हम वृद्धि और विकास को एक साथ पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं। वास्तव में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया प्रत्येक व्यक्ति में साथ-साथ चलती है अत: इसी कारण से हम इन्हें एक ही मान लेते हैं। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। हम इन दोनों अवधारणाओं में स्पष्ट रूप से अंतर कर सकते हैं। वस्तुत: दोनों में बहुत अन्तर है।

वृद्धि को समझने के लिए, नीचे दिए गए स्थान पर उन विशेषताओं को लिखिए जो यह स्पष्ट करती हैं कि बच्चे का विकास ठीक प्रकार से हो रहा है।

.....

.....

.....

.....

.....

अभी आपने जो सूची तैयार की है, वह सभी वृद्धि के संकेतक हैं।

वृद्धि शरीर के परिमाण-संबंधी परिवर्तनों की ओर संकेत करती है। वृद्धि के मुख्य संकेतक हैं–लंबाई या वजन में बढ़ोत्तरी, शारीरिक ढांचे और अनुपात में परिवर्तन। विकास के सभी आयामों में सतत रूप से परिवर्तन होते रहते हैं परंतु शारीरिक विकास में होने वाले परिवर्तन अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वृद्धि की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन परिवर्तनों को मापा जा सकता है। सभी बच्चों की वृद्धि परिवर्तनों के अनुक्रम, प्रकार तथा दिशा एक समान होती है। हालाँकि एक बच्चे की वृद्धि दर दूसरे से अलग हो सकती है। कुछ परिस्थितियों में खासतौर पर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की स्थिति में आप विभिन्न विकासात्मक आयामों में विचलन पाएँगें।

जीवन के शुरुआती 2 वर्षों में वृद्धि तेजी से होती है। आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि जन्म से लेकर एक वर्ष तक के एक सुपोषित बच्चे की लंबाई में 50% तक की वृद्धि होती है। यद्यपि शरीर के सभी अंगों की वृद्धि की दर समान नहीं होती। जीवन के प्रारंभिक दो वर्षों के बाद वृद्धि में एक मोड़ आता है और वृद्धि की दर किशोरावस्था तक धीमी गति से होती है। तरुणावस्था में वृद्धि तेजी से होती है। तरुणाई में लंबाई एवं वज़न में तेजी से वृद्धि होती है। नीचे दी गई तालिका एक स्वस्थ बच्चे के जन्म से आठ वर्षों तक की लंबाई तथा वज़न में वृद्धि के नमूने को दर्शाती है।

विभिन्न आयु में लड़कियों/लड़कों का औसत वज़न और लंबाई

आयु	*वजन (कि.ग्रा.)*	*लंबाई (से.मी.)*
जन्म	3.3	50.5
3 माह	6.0	61.1
6 माह	7.8	67.8
9 माह	9.2	72.3

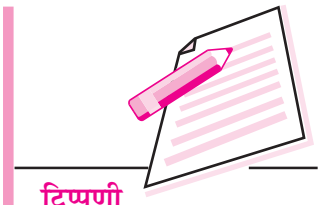

1 वर्ष	10.2	76.1
2 वर्ष	12.3	85.6
3 वर्ष	14.6	94.9
4 वर्ष	16.7	102.9
5 वर्ष	18.7	109.9
6 वर्ष	20.7	116.1
7 वर्ष	22.9	121.7
8 वर्ष	25.3	127.0

स्रोत: ICMR (1990), न्यूट्रिऐन्ट रिक्वायरमैंट एण्ड रिकमैंडिड डाइटरी एलाउंसेस फॉर इंडियन्स

शारीरिक वृद्धि को निश्चित अंतरालों पर, लंबाई और वज़न में बढ़ोतरी से मापा जाता है। एक नवजात शिशु की लंबाई 47 से.मी. से 52 से.मी. तक होती है। नवजात शिशु का वजन 2.4 किलोग्राम से 3.2 किलोग्राम तक होता है। सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष वज़न में बढ़ोत्तरी 2.0 से 2.5 किलोग्राम तक होती है। शैशवावस्था तथा टॉडलर अवस्था में बालक, बालिकाओं की अपेक्षा अधिक भारी और लंबे होते हैं। नियमित रूप से लंबाई और वजन दोनों में बढ़ोत्तरी, शारीरिक वृद्धि का एक अच्छा संकेतक है। लंबाई और वजन का चार्ट बच्चों के स्वास्थ्य और शारीरिक विकास को आँकने का अच्छा तरीका है। बच्चों के लिए विशेषकर ऐसे बच्चे, जो बार-बार बीमार हो जाते हैं, के लिए वृद्धि चार्ट अवश्य रखना चाहिए ताकि उनकी वृद्धि का निरीक्षण किया जा सके।

लंबाई एवं वज़न में बढ़ोत्तरी के साथ-साथ बच्चों के शारीरिक अनुपात में भी परिवर्तन आता है। आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि एक नवजात शिशु का सिर अन्य शारीरिक अंगों की तुलना में बड़ा दिखता है। सिर का ऊपरी भाग बहुत बड़ा दिखाई देता है और चेहरा छोटा। ध ीरे-धीरे शारीरिक अनुपात में परिवर्तन होने से सिर उतना बड़ा नहीं दिखता। हालाँकि शैशवास्था से टॉडलर अवस्था तक निचला हिस्सा सदैव ही छोटा तथा कम विकसित होता है। जन्म के पश्चात अन्य शारीरिक अंगों की तुलना में सिर की वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है। दो साल की आयु में सिर का आकार बच्चे की लंबाई का एक-चौथाई हो जाता है। 3 वर्ष की आयु में चौड़ाई में वृद्धि 90% तक पूरी हो जाती है। हालाँकि, मस्तिष्क का क्रियात्मक विकास किशोरावस्था तक होता रहता है।

टॉडलर अवस्था में प्रथम वर्ष की तुलना में धड़, टांगे तथा हाथ-पैर तीव्र गति से बढ़ते हैं। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी बाहें, टाँगों के अनुपात में बड़ी दिखती हैं। जन्म के समय टाँगे छोटी और एक-दूसरे के समक्ष घूमी हुई होती हैं। जैसे-जैसे वे लंबाई में बढ़ती जाती हैं वे सीधी होती जाती हैं। जन्म से पहले तथा दूसरे वर्ष में एक शिशु की लंबाई जन्म से लगभग 40% से 60-75% क्रमश: बढ़ जाती है। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप बच्चे का शरीर, प्रथम वर्ष की अपेक्षा अधिक संतुलित या आनुपातिक दिखता है। यह बच्चों को एक बेहतर संतुलन

टिप्पणी

प्राप्त करने में भी मदद करता है। वृद्धि का यह तरीका लड़कियों एवं लड़कों में समान रहता है परंतु सामान्य रूप से लड़कियाँ आकार में लड़कों से थोड़ी-सी छोटी होती हैं।

आइए, अब जानते हैं कि विकास क्या है?

6.2 विकास क्या है?

विकास शरीर, व्यवहार तथा अभिवृत्तियों में आने वाले गुणात्मक परिवर्तनों को प्रकट करता है। विकास को मापना कठिन है क्योंकि यह सभी परिवर्तन प्रकृति से गुणात्मक होते हैं। यह जान लेना अति आवश्यक है कि शारीरिक वृद्धि को परिमाणात्मक रूप से मापा जा सकता है। हालांकि कुछ निश्चित परिवर्तन जैसे संज्ञानात्मक तथा सामाजिक-संवेगात्मक परिपक्वता को परिमाणात्मक रूप से नहीं मापा जा सकता। इन परिवर्तनों को गुणात्मक रूप से मापने की आवश्यकता होती है।

वास्तव में विकास कुछ निश्चित सिद्धांतों द्वारा निर्धारित होता है। इनका वर्णन नीचे किया जा रहा है।

6.2.1 विकास के सिद्धांत

विकास एक सतत तथा परिवर्तनशील प्रक्रिया है

क्या बच्चे अचानक से चलना शुरू कर देते हैं या कुछ चरणों से गुजर कर वे चलना सीखते हैं? आपने इस बात पर जरूर ध्यान दिया होगा कि शैशवावस्था में जब बच्चा चलना सीखता है तो वह पहले रेंगना या सरकना सीखता है, फिर पकड़ कर खड़ा होना, फिर बिना सहारे के खड़ा होना और अन्ततः वह चलना सीख जाता है। यह बिंदु इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि विकास, परिवर्तन को प्रत्येक चरण में शामिल करता है तथा निरंतर चलता है। दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों में हम इन परिवर्तनों पर कभी ध्यान देते हैं और कभी ध्यान नहीं देते। परंतु शरीर तथा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन जो लगातार होने वाले विकास के संकेतक हैं, चलते रहते हैं। विकास की प्रक्रिया कभी तेज हो जाती है और कभी धीरे, परंतु लगातार होती रहती है, यह कभी रुकती नहीं है। यहाँ यह बताना भी महत्वपूर्ण है कि विकासात्मक प्रक्रिया में न केवल शारीरिक परिवर्तन बल्कि, बच्चे के सामाजिक-संवेगात्मक तथा संज्ञानात्मक विकास भी शामिल हैं।

विकास अनुक्रमिक है

जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि बच्चा चलने से पहले खड़ा होना सीखता है तथा लिखना सीखने से पहले आड़ी-तिरछी लाइने खींचना सीखता है। यह स्पष्ट करता है कि विकास का एक पैटर्न है, जो क्रमबद्ध रूप में होता है। सभी बच्चे विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए सामान्यतः एक जैसे क्रमों का अनुसरण करते हैं।

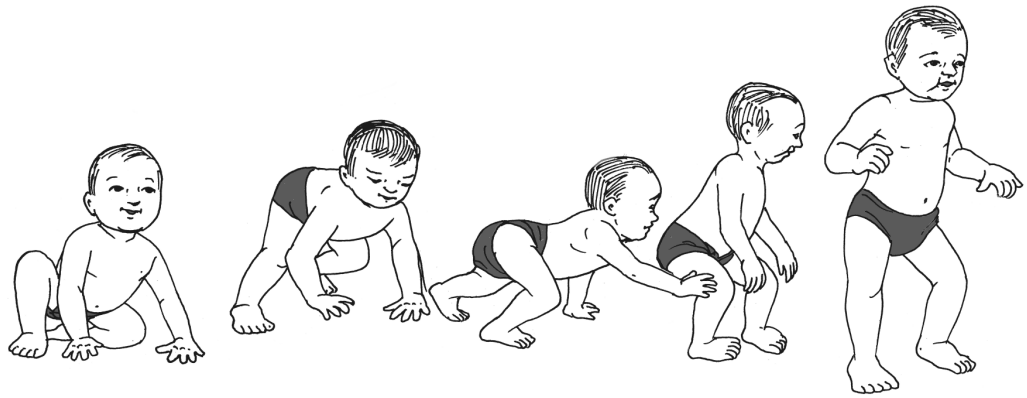

चित्र 6.1 : विकास क्रम

क्रमिक विकास दो दिशाओं में होता है। पहला शरीर के ऊपरी भाग से निचले भाग की ओर। यह सिर से पैर की ओर विकास शिर:पदाभिमुख (सिफेलोकॉडल) कहलाता है (लैटिन शब्द 'सिर से पाँव')। यह बताता है कि विकास बच्चों के सिर के क्षेत्र में पहले होता है जो कि धड़ से होता हुआ अंत में टाँगों तक पहुँचता है। यह क्रम समझने में मदद करता है कि बच्चे अपने धड़ पर नियंत्रण से पहले क्यों वस्तुओं को देखना सीखते हैं और वे खड़ा होने से पहले बैठना सीखते हैं।

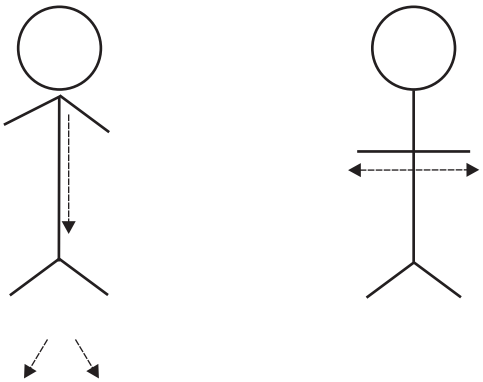

शिर:पदाभिमुख (सिफेलोकॉडल)

समीप-दूराभिमुख (प्रोक्सिमोडिस्टल)

चित्र 6.2 : विकास के क्रम

विकास केंद्र से प्रारंभ होकर बाहरी (सतही) अंगों की ओर भी होता है जो पास से दूर के क्रम को बताता है। यह विकास समीप-दूराभिमुख (प्रोक्सिमोडिस्टल) है (लैटिन 'पास से दूर')। भ्रूण में, मूलभूत निचले अंगों के आविर्भाव से पूर्व सिर एवं धड़ भली-भाँति विकसित हो जाते हैं। इसी प्रकार बांहों के अवयव हाथों और अंगुलियों के रूप में विकसित हो जाते है। यही कारण है कि बच्चे अपने हाथों से पहले बाँहों का उपयोग करना सीखते हैं। अँगुलियों पर उनका नियंत्रण उससे भी बाद में होता है।

शारीरिक और गत्यात्मक विकास को छोड़कर, क्या आकार या अनुक्रम का पूर्वानुमान अन्य

टिप्पणी

विकासों में भी लगाया जा सकता है? उत्तर है, हाँ। विभिन्न बौद्धिक कार्यों को करने के लिए विकास का एक पूर्वानुमानित तरीका है। बच्चों की सोच, पहले मूर्त वस्तुओं, जो कि वातावरण में उपलब्ध होती है, पर बनती है। बाद में वे अमूर्त चिंतन कर सकते हैं। अत: छोटे बच्चों को विभिन्न संप्रत्यय पढ़ाते समय हम मूर्त वस्तुओं तथा चित्रों से ही शुरुआत करते हैं। हम करके सीखने पर, जोड़-तोड़ वाली गतिविधियाँ तथा ड्रामा और कई अन्य विविध प्रकार की गतिविधियों पर जोर देते हैं। बाद में अमूर्त संप्रत्यय का परिचय देते हैं। इसी प्रकार विकास के अन्य आयाम भी एक निश्चित क्रम का अनुसरण करते हैं।

यहाँ ध्यान देना महत्त्वपूर्ण है कि हालाँकि सामान्य अनुक्रम सभी बच्चों में स्वभाविक है परंतु विभिन्न कारणों से कुछ बच्चों के विकास के कुछ पक्ष प्रभावित हो सकते हैं।

विकास परिपक्वता और सीखने का परिणाम है

आपने यह अवलोकन किया होगा कि सामान्य तौर पर बच्चे 6 महीने में बैठना सीख जाते हैं, 8 से 9 महीने में पकड़ कर खड़ा होना तथा पहला कदम 9 से 12 महीने में, तथा अच्छे से चलना 13-15 महीने की आयु में शुरू कर देते हैं। सभी बच्चों में बैठने, खड़े होने तथा चलने की क्षमता होती है परंतु वे शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व होने पर ही किसी विशेष कार्य को कर सकते हैं। परिपक्वता उन सभी विशेषताओं तथा सामर्थ्य को प्रकट करती है जो अनुवांशिक रूप से मिलता है। अनुवांशिक रूप से हमारी कुछ क्षमताएँ जैसे, चलना, बोलना, ज्ञानार्जन आदि होती हैं। हमारे अंदर ही ऐसी समय-सारणी होती है जो हमारे शरीर व मस्तिष्क के परिपक्व होने पर हमें चलने तथा बोलने के लिए तैयार करती है। क्या आपने कभी अवलोकन किया है कि छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं? वे अनुकरण, प्रयास एवं भूल के द्वारा सीखते हैं। वातावरण के द्वारा अधिगम जिसमें प्रयास तथा अभ्यास शामिल हैं, व्यवहार में बदलाव या परिवर्तन लाता है। परिपक्वता तथा अधिगम आपस में जुड़े होते हैं जो एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। बच्चे अपनी आंतरिक आनुवंशिक समय-सारिणी तथा बाह्य वातावरणीय प्रभाव के द्वारा विकसित होते हैं। इस प्रकार विकास परिपक्वता तथा अधिगम का परिणाम है।

विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएँ होती हैं

विकास की प्रत्येक अवस्था में विकास के विभिन्न आयामों की कुछ विशेषताओं को देखा जा सकता है। इन्हें विकासात्मक पड़ाव कहा जाता है। विकासात्मक पड़ावों की आयु सीमा के अंदर अधिकांश शिशु तथा टॉडलर अपने कौशलों को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन कोई भी दो बच्चे समान नहीं होते और हर एक बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। हो सकता है एक बच्चा जल्दी बोलना शुरू करे तो दूसरा बोलने में अधिक समय ले। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यद्यपि विकास का क्रम पूरी तरह से एक समान, पूर्व-अनुमानित तथा सभी बच्चों के लिए सामान्य होता है, फिर भी विकासात्मक प्रक्रिया में व्यक्तिगत भिन्नताएँ देखी जाती हैं।

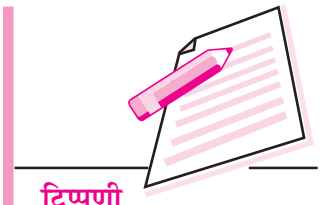

टिप्पणी

बच्चा समग्र रूप से विकसित होता है

विकास के विभिन्न पक्ष आपस में एक-दूसरे से संबंधित होते हैं तभी बच्चा एक समान या बराबर रूप से विकसित होता है। प्रत्येक विकासात्मक पक्ष दूसरे पक्षों को प्रभावित करता है तथा दूसरे पक्षों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास के एक पक्ष में कोई समस्या अन्य पक्षों को प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए- एक बच्चा जो कि बार-बार बीमार होता है या उसका गत्यात्मक विकास देर से होता है, परिणामस्वरूप वह शारीरिक गतिविधियों में दूसरे बच्चों के साथ भाग नहीं ले पाता और उसे दूसरे बच्चों के साथ मिलने-जुलने का अवसर भी नहीं मिल पाता है और यह विकास के अन्य सभी आयामों, सामाजिक, संवेगात्मक, संज्ञानात्मक तथा भाषात्मक को प्रभावित करता है। यह प्रभाव कई बार बहुत-ही गहरा और स्थायी होता है और कई बार बहुत-ही मामूली तथा कुछ समय के लिए होता है।

पाठगत प्रश्न 6.1

(1) विकास से आप क्या समझते हैं?

(2) बताइए कि निम्नलिखित वाक्य सत्य हैं अथवा असत्य :

(क) यह समझना आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अपने आप में अनोखा है।

(ख) विकास परिपक्वता और वृद्धि का परिणाम है।

(ग) बच्चा समग्र रूप से विकसित होता है।

(घ) विकास के एक पक्ष की कोई समस्या दूसरे पक्ष को भी प्रभावित करती है।

(ङ) विकास एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है।

6.3 वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक

आप वृद्धि तथा विकास को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों के बारे में पढ़ चुके हैं। यह समझने के लिए कि कौन-कौन से कारक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, आइए, कुछ व्यक्तिगत अध्ययनों को देखें।

व्यक्तिगत अध्ययन-1 (केस स्टडी–1)

सुधीर एक दुबला-पतला बालक है। हालांकि उसका जन्म गर्भावधि पूरी करने के बाद ही हुआ है परंतु जन्म के समय उसका वज़न तथा लंबाई एक सामान्य बालक की अपेक्षा कम थी। उसके माता-पिता की लंबाई भी सामान्य से कम है। जब सुधीर आठ वर्ष की उम्र में पहुँचा, उसके माता-पिता ने अवलोकित किया कि वह अपने सहपाठियों से लंबाई में छोटा है।

टिप्पणी

व्यक्तिगत अध्ययन-2 (केस स्टडी–2)

सोनू झुग्गी-झोपड़ी में रहकर बड़ा हुआ और उसके माता-पिता रोज की दिहाड़ी पर एक फैक्ट्री में काम करते हैं। उस परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और कई बार तो घर में पेट-भर खाने को भोजन भी नहीं होता। सोनू की शैक्षिक प्रगति तथा बौद्धिक प्रदर्शन अच्छा नहीं है।

व्यक्तिगत अध्ययन-3 (केस स्टडी–3)

रीमा एक 3 वर्ष की लड़की है जो कि किसी शहरी कॉलोनी में बड़ी हो रही है। वह ठीक से बोल नहीं सकती। उसके माता-पिता दोनों अपनी-अपनी नौकरी में व्यस्त हैं। बच्चे की देखभाल घर में रहने वाली आया करती है जो रीमा से ज्यादा बात नहीं करती। रीमा को प्रायः सुला दिया जाता है।

नीचे दिए स्थान पर इनके संभावित कारण लिखें–सुधीर की सामान्य से कम शारीरिक वृद्धि, सोनू का कमजोर शैक्षिक प्रदर्शन, रीमा का दुर्बल भाषात्मक विकास।

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

आप में से कुछ ने इन विशेषताओं का कारण अनुवांशिकता, माता तथा बच्चे के जन्म से पूर्व तथा जन्म के बाद स्वास्थ्य को माना होगा। कुछ ने इसका कारण वातावरण संबंधी कारक को माना होगा जैसे उद्दीपन के कम अवसर मिलना, पर्याप्त पोषण न मिल पाना, आदि। यही प्रकृति तथा पोषण की अवधारणा को सिद्ध करता है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि आनुवांशिकता, बच्चे को वातावरण से अधिक प्रभावित करती है। कुछ प्राकृतिक कारणों को महत्वपूर्ण मानते हैं। इसका कोई सीधा स्पष्ट उत्तर नहीं है कि कौन-सा कारक अधिक प्रभाव डालता है–हमारे आनुवांशिक कारक अथवा वह जो हम अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। लेकिन सामान्य रूप से स्वीकार किया गया है कि दोनों ही हमें प्रभावित करते हैं। आइए, हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं–

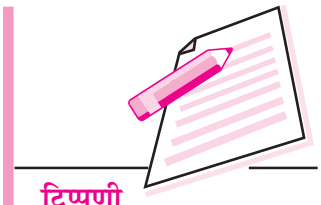

6.3.1 वंशानुक्रम अथवा आनुवांशिकता

आप यह जानना चाहते होंगे कि क्या बुद्धिमान माता-पिता के बच्चे भी सदैव बुद्धिमान होते हैं? छोटे कद के माता-पिता के बच्चे भी छोटे कद के ही होंगे? अस्थमा से पीड़ित माँ का बच्चा भी उसी बीमारी से प्रभावित होगा? उपरोक्त वर्णित विशेषताओं को आप वंशानुक्रम से पा भी सकते हैं और नहीं भी, यह निर्भर करता है आनुवांशिकता पर। बच्चा गर्भधारण के समय यह विशेषताएँ अपने माता-पिता से जीन्स के रूप में प्राप्त करता है जो गुणसूत्रों की संरचनात्मक इकाई होते हैं।

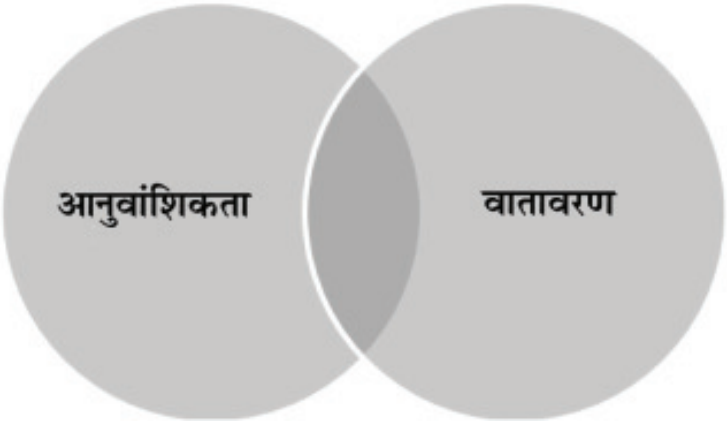

चित्र 6.3 : आनुवांशिकता तथा वातावरण में सहसंबंध

वंशानुगतता या आनुवांशिकता बच्चे के ज्ञानात्मक सामर्थ्य, कद, वज़न और सामान्य शारीरिक संरचना के विकास को प्रभावित करती है। आनुवांशिक रूप से उत्तराधिकार में पाए गुण हमारे शरीर एवं दिमाग की परिपक्वता से जुड़ें हैं जो विकास या वृद्धि को प्रभावित करते हैं। गर्भधारण होने के बाद इसमें न ही कुछ जोड़ा जा सकता है और न ही घटाया जा सकता है। बच्चे का लिंग निषेचन के समय निश्चित हो जाता है। गर्भधारण के समय प्रत्येक बच्चा 46 गुण-सूत्र प्राप्त करता है। जिसमें से 23 माता से और 23 पिता से प्राप्त होते हैं। बच्चे का लिंग पिता द्वारा हस्तांतरित गुणसूत्रों द्वारा निश्चित होता है। लिंग के आधार पर ही बच्चे की लैंगिक विशेषताओं का निर्धारण होता है।

कुछ निश्चित हद तक बीमारी के प्रति संवेदनशीलता (जैसे, वर्णान्धता, डाउन सिंड्रोम, अस्थमा, मधुमेह) आदि वंशानुक्रम पर निर्भर करती है। कुछ निश्चित मानसिक विकार जैसे शिज़ोफ्रेनिया तथा भावनात्मक विकार, कुछ हद तक वंशानुगत होते हैं। यह कहना अधिक उपयुक्त होगा कि इन विकारों से ग्रसित होने का अंदेशा अधिक रहता है। इसके साथ ही व्यक्तित्व की विशेषताओं में मनोदशा या स्वभाव भी अनुवांशिक कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। बहरहाल आनुवांशिक प्रवृति को वातावरणीय प्रभावों द्वारा अपने नियंत्रण में लाया जा सकता है। ऐसे वातावरण का सृजन किया जा सकता है जो वंशानुक्रम के प्रभाव को कम कर सके। व्यक्तिगत अध्ययन-I को देखें, सुधीर को अच्छे पोषण तथा व्यायाम के लिए प्रेरित करके हम उस पर वंशानुक्रम का प्रभाव कम कर सकते हैं। इसी प्रकार व्यक्तिगत अध्ययन-3 में, रीमा को बेहतर अन्तर्क्रिया तथा संवाद करने हेतु उद्दीपनपूर्ण वातावरण प्रदान किया जा सकता है।

टिप्पणी

6.3.2 वातावरणीय कारक

बहुत-से वातावरणीय कारक जैसे माँ का स्वास्थ्य, आयु, बीमारी और संवेगात्मक स्थिति तथा अजन्मे बच्चे के लिए वातावरणीय प्रदूषण, एक्स-रे एवं दवाइयों का सेवन बच्चे को प्रभावित करते हैं। इसके साथ कुछ निश्चित प्रासंगिक कारक जैसे परिवार, लिंग, संस्कृति तथा समाज भी बच्चे के विकास को प्रभावित करते हैं। आइए, इन वातावरणीय कारकों के बारे में विस्तार से पढ़ें।

हम जानते हैं कि पैदा होने के बाद बच्चा सीधा वातावरण के संपर्क में आता है। वैसे तो बच्चा वातावरण का अनुभव माँ के गर्भ में ही कर लेता है। माँ तथा बच्चा अनेक रूपों में एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। माँ का स्वास्थ्य, बीमारी, आयु, संवेगात्मक अवस्था बच्चे को प्रभावित करती है। यदि गर्भावस्था एवं स्तनपान के दौरान माँ का स्वास्थ्य अच्छा है और वह पौष्टिक भोजन करती है, तब बच्चा भी स्वस्थ होगा। और अगर माँ किसी बीमारी या पोषण की दृष्टि से कमजोर है तो बच्चा भी इससे प्रभावित होगा। यद्यपि उपयुक्त वातावरण के द्वारा आनुवांशिकता के प्रभाव को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता किन्तु उसके प्रभाव की तीव्रता को कम किया जा सकता है।

➢ माँ तथा बच्चे के लिए पोषण, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता की आवश्यकता

बच्चे की वृद्धि और उसके स्वस्थ विकास की नींव माँ के गर्भ में ही रख दी जाती है। माँ का स्वास्थ्य एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है जो बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। गर्भधारण की प्रारंभिक अवस्था में गर्भनाल अनेक हानिकारक पदार्थों के लिए अवरोध क का कार्य करती है। परंतु इस अवस्था में भी वह बहुत-से पदार्थों को अजन्मे बच्चे तक पहुँचने देता है। इनमें से कुछ पदार्थों के सकारात्मक प्रभाव होते हैं। रोगों से लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कि माँ के द्वारा निर्मित होती है, भ्रूण में सीधे हस्तांतरित हो जाती है, जिसके कारण बच्चे में रोग प्रतिरोधक क्षमता जन्म के समय तथा कुछ महीने बाद तक रहती है। वैसे तो गर्भनाल बहुत से हानिकारक तत्वों, जैसे कि विषैले तत्वों, जीवाणुओं और हानिकारक रसायनों को रोकने का काम करती है, पर फिर भी बहुत-सी बीमारियों से बचने के लिए जरूरी है कि माँ और बच्चा, दोनों समय पर उचित टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जाँच कराएँ।

माँ और बच्चे को स्वास्थ्य और पोषण के साथ-साथ उन्हें रोज स्नान कराना, दाँत, आँख, नाक और बालों की सफाई अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

➢ माँ की आयु

माँ के स्वास्थ्य के अतिरिक्त उसकी आयु भी भ्रूण के विकास को प्रभावित करती है। 17 साल से कम आयु की माँ के प्रजननीय अंग पूरी तरह से परिपक्व नहीं होते और प्रजनन के लिए जरूरी हार्मोन अपने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर नहीं होते। किशोरावस्था में गर्भधारण करना, माँ तथा बच्चे की वृद्धि को रोकता है। कम आयु की माताओं को गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं तथा परेशानियों का खतरा अधिक रहता है। ऐसे ही पैंतीस वर्ष की आयु के बाद हार्मोन की सक्रियता

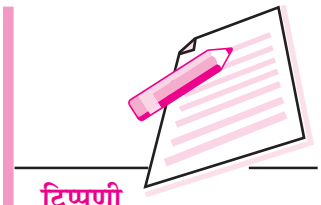

टिप्पणी

धीरे-धीरे क्षीण होती जाती है जो कि जटिलताओं को जन्म देती है। चालीस वर्ष से ऊपर की महिलाओं में गुणसूत्रों की अनियमितताओं से ग्रसित बच्चा होने का खतरा रहता है।

➢ माँ की संवेगात्मक स्थिति

बच्चा केवल माँ की शारीरिक स्थिति से ही नहीं अपितु संवेगात्मक स्थिति से भी प्रभावित होता है। संवेग जैसे कि क्रोध, डर, चिंता आदि माँ के तंत्रिका तंत्र को सक्रिय बना देते हैं और माँ के रक्त प्रवाह में कुछ निश्चित रसायन मिल जाते हैं। यह तत्व भ्रूण को संचारित हो जाते हैं।

गर्भावस्था के दौरान, दीर्घकालीन संवेगात्मक तनाव, बच्चे पर स्थायी प्रभाव डाल सकता है। परेशान या दुखी माताओं के बच्चे प्राय: समय से पूर्व हो जाते हैं या जन्म के समय उनका वजन कम होता है। ये बच्चे चिड़चिड़े, अतिसक्रिय हो सकते हैं या इनमें खाने में अनियमितता, पेट खराब रहना, गैस, नींद न आना तथा अत्यधिक रोना आदि लक्षण देखे जा सकते हैं।

➢ एक्स-रे

गर्भावस्था के दौरान, महिलाओं को अनावश्यक एक्स-रे से दूर रहना चाहिए जब तक कि चिकित्सक ऐसा करने को न कहे। गर्भधारण के प्रारंभिक समय में लगातार विकिरण किरणों के संपर्क में आने से, भ्रूण के शारीरिक एवं मानसिक विकास पर हानिकारक प्रभाव हो सकता है।

➢ दवाइयाँ

गर्भावस्था के दौरान बहुत-सी दवाइयों का सेवन जन्म से संबंधित दोषों को उत्पन्न करता है। जिसमें कुछ एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, स्टीरॉइड, एन्टीकोएगुलंट, नॉरकोटिक्स ट्रानक्युलाइजर्स, आदि शामिल हैं। एक गर्भवती महिला बहुत बार दवाइयों का सेवन भ्रूण पर पड़ने वाले परिणामों को बिना समझे करती है। यह अजन्मे बच्चे के लिए बहुत ही हानिकारक या प्राणनाशक भी सिद्ध हो सकता है।

➢ शराब तथा धूम्रपान

शराब का सेवन करने वाली गर्भवती महिलाओं के बच्चों में एल्कोहल सिंड्रोम हो सकता है। इस स्थिति के लक्षणों में जन्म से पूर्व और जन्म के बाद वृद्धि का धीमा पड़ना, मानसिक मन्दता, शारीरिक विकृति, नींद न आना तथा जन्मजात हृदय से संबंधित बीमारी आदि हैं।

गर्भवती महिला द्वारा धूमपान भ्रूण की वृद्धि को धीमा कर देता है तथा नवजात शिशु के वजन तथा रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्षीण कर देता है। इससे गर्भवती महिलाओं में गर्भपात तथा समय से पूर्व जन्म का खतरा बढ़ जाता है और यह दीर्घकालीन शारीरिक तथा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित कर सकता है। यह माँ के रक्त द्वारा बच्चे को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुँचाने की क्षमता में कमी हो जाने के परिणामस्वरूप होता है। कैफीन; गर्भपात, मृत प्रसव तथा अपरिपक्व बच्चा या समय से पूर्व प्रसव का कारण बन सकती है।

वातावरणीय प्रदूषण

आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पर्यावरण प्रदूषण एक अन्य कारण है जोकि प्रसवपूर्व विकास

टिप्पणी

को प्रभावित करता है। गर्भवती महिलाओं का पर्यावरण प्रदूषण के संपर्क में होना विकासशील भ्रूण को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता है। उदाहरण के लिए, कारों से निकला हुआ लेड़, पुराने घरों की दीवारों से पुताई तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानों में उपयोग की जाने वाली अन्य सामग्री को गर्भवर्ती महिलाएँ अवशोषित कर सकती हैं। समय से पूर्व जन्म, जन्म के समय कम वजन, मस्तिष्क क्षति तथा प्रथम दो वर्षो मे मस्तिष्क का धीमी गति से विकास इत्यादि सभी लेड़ के उच्च स्तर के संपर्क का परिणाम होता है। यह बहुत से शारीरिक दोषों को भी जन्म देता है।

अन्य प्रासंगिक कारक

कुछ अन्य प्रासंगिक कारक जैसे बच्चे के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति, उनकी जीवन शैली, पारिवारिक ढांचा, जीवन स्तर, तथा पालन पोषण की विधियाँ, बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। नीचे दिए गए खंडों में आप इसे जानेंगे।

➢ सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि

विभिन्न प्रकार की सामाजिक तथा आर्थिक पृष्ठभूमि वाले बच्चों की वृद्धि एवं विकास की गति में अन्तर हो सकता है। पोषण, कई बीमारियाँ और स्वास्थ्य के समग्र मानक इसके कारण हो सकते हैं। विशेष रूप से शुरुआती वर्षों में अवसरों और अनुभवों (Exposure) की कमी, विकास के कुछ पक्षों में पिछड़ेपन का कारण हो सकता है।

➢ रहन-सहन की स्थिति, बीमारी तथा दुर्घटना

अगर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो बच्चे बहुत-सी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जो उनकी वृद्धि व विकास को रोकती हैं। कुछ घरों में उपयुक्त सूर्य के प्रकाश तथा वायु संचालन का अभाव होता है। घरों तथा बाहर अस्वास्थ्यकर जीवन स्थितियाँ, बच्चों में जलजनित बीमारियाँ जैसे डायरिया, टायफायड, और पेट से संबंधित कई बीमारियाँ पैदा करती हैं। अस्वास्थ्यकर वातावरण में बच्चों का पालन-पोषण कई प्रकार की श्वास संबंधी तथा पेट-संबंधी बीमारियों को जन्म देता है, जो कभी-कभी प्राणनाशक सिद्ध होती हैं। अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में बढ़ने वाले बच्चे कई प्रकार की सामान्य बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं–जैसे खसरा, चिकनपॉक्स, काली खाँसी, डायरिया तथा डिपथिरिया। चाहे वह प्रारंभिक स्तर पर हो या दीर्घकाल तक रहे, बीमारियाँ एक बच्चे में उसके वृद्धि और विकास की दर को प्रभावित करती है। इसके अलावा लापरवाही तथा सुरक्षा की कमी के कारण घटी दुर्घटनाएँ भी बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षति का कारण हो सकती हैं।

➢ पारिवारिक संरचना

परिवारों की संयुक्त से एकल में बदलती संरचना के कारण सदस्यों की संख्या में कमी आई है जिसमें बच्चे तथा दादा-दादी जिनसे बच्चे बात किया करते थे, शामिल हैं। यह बच्चों के सामाजिक-संवेगात्मक विकास के साथ-साथ समग्र विकास को प्रभावित करता है। परिवारों के घटते आकार तथा माता-पिता का कार्य प्रतिबद्धताओं के कारण प्राय: बच्चों को विभिन्न मीडिया एवं तकनीकी द्वारा समाजीकरण हेतु छोड़ दिया जाता है। बच्चों की आधुनिक उपकरणों जैसे फोन, लैपटॉप, टेबलेटस तथा टेलीविजन इत्यादि के साथ व्यवस्था उनके वृद्धि एवं समग्र विकास को प्रभावित करती है।

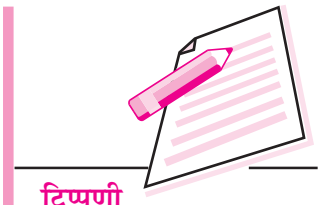

टिप्पणी

➢ बच्चों के पालन-पोषण के तरीके

आपने देखा होगा कि कुछ माता-पिता बहुत-ही अधिकारपूर्ण रवैया अपनाते हैं और वे बच्चों से सख्त नियमों एवं कानून का पालन करने को कहते हैं जो बच्चों में डर एवं असुरक्षा की भावना को जन्म देता है। दूसरी स्थिति में कुछ माता-पिता बच्चों से संबंधित निर्णय लेते समय बच्चों की पसन्द एवं राय को महत्व देते हैं। अत: बच्चों के पालन-पोषण के तरीके बच्चों के विकास पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बच्चों के प्रति माता-पिता का संतुलित दृष्टिकोण सुखद अनुभव एवं अनुकूल वातावरण तैयार करता है जो बच्चों का आत्म-विश्वासी बनाने उच्च आत्म-सम्मान बनाये रखने तथा अपने चारों और विश्वसनीय व्यक्तियों को ढूँढ़ने में सहायता करता है।

➢ सक्षम एवं उद्दीपनपूर्ण वातावरण

बच्चों में स्वस्थ वृद्धि एवं विकास हेतु घर तथा स्कूल दोनों ही जगह सक्षम तथा उद्दीपनपूर्ण वातावरण आवश्यक है। बच्चों का विकास सकारात्मक दिशा में होगा, यदि बच्चों को स्वतंत्र रूप से माता-पिता या अन्य देखभाल करने वालें के साथ खेलने तथा अन्तर्क्रिया करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। यह विकास के सभी आयामों को बढ़ावा देता है। इसी तरह, यह भी आवश्यक है कि बच्चों को स्कूल में प्रश्न पूछने, खोजबीन करने तथा प्रयोग करने के अवसर दिये जायें। यदि उनका उत्साह दबाया जाता है तथा उन्हें भागदारी करने से रोका जाता है तो उनका संज्ञानात्मक तथा सामाजिक-संवेगात्मक विकास प्रमाणित होता है।

➢ भाई-बहनों का प्रभाव

अपने माता-पिता के अलावा बच्चे अपने भाई-बहनों से भी प्रभावित होते हैं। वे एक-दूसरे को भावनात्मक सुरक्षा प्रदान करने तथा दक्षता बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। अगर माता-पिता बड़े बच्चे को परिवार में आए नए शिशु की देखभाल के लिए शामिल करते हैं तो बच्चा उत्तरदायित्व सीखता है और स्वेच्छा से साझा करना सीखता है। माता-पिता को भाई-बहनों में तुलना करने से बचना चाहिए क्योंकि यह बच्चों में ईर्ष्या और द्वेष पैदा कर सकता है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों के प्रति उनका व्यवहार पक्षपात सहित और समान होना चाहिए।

➢ समवाय समूह

घर और अपने परिवार की सीमा से परे, बच्चा अपने समवाय-समूह में किस प्रकार स्वीकार किया जाता है, यह उसके आत्म-प्रत्यय पर गहरा प्रभाव डालता है। समवाय-समूह बच्चे को समाज द्वारा स्वीकृत तरीकों को सीखने और इसी प्रकार का व्यवहार करने में मदद करता है। समवाय-समूह की स्वीकृति बच्चों को संवेगात्मक सहायता प्रदान करती है। हालांकि माता-पिता बच्चों को सामाजिक व्यवहार सिखाते हैं, पर दोस्तों की संगत में ही बच्चे चीजें साझा करना, सहयोग, स्वायतत्ता, नेतृत्व कौशल तथा प्रतियोगिता की भावना को सीखते हैं। इसलिए स्वाभाविक वृद्धि एवं विकास में समवाय समूह के महत्त्व को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

➢ लिंग और संस्कृति

समाज द्वारा निर्धारित, लैंगिक भूमिकाओं के आधार पर व्यवहार को सीखना एक महत्वपूर्ण कार्य

टिप्पणी

है ताकि बच्चों को साथी-समूह की स्वीकृति मिल सके। लड़के एवं लड़कियों के व्यवहार में अन्तर परिवार तथा समाज की उम्मीदों के कारण उभर कर सामने आते हैं। लड़कों को ''लड़कियों की तरह'' रोने की बजाय लड़ने के लिए बढ़ावा दिया जाता है जबकि लड़कियों के साथ अपेक्षित व्यवहार होने पर उनसे रोने की उम्मीद की जाती है। यह भेदभाव समाज के लिए बहुत घातक है क्योंकि यह लैंगिक रुढ़िवादिता के बढ़ावा देता है। माता-पिता तथा शिक्षकों को सुनिश्चित करना चाहिए कि शब्दों या क्रियाओं द्वारा किसी भी प्रकार के लैंगिक का भेदभाव को बढ़ावा नहीं दिया जाए। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक गतिविधियाँ भी प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से बच्चे के वृद्धि और विकास को प्रभावित करती है।

पाठगत प्रश्न 6.2

(1) खाली स्थान भरिए-

(क) बच्चे, दोस्तों या मित्रों की संगत में ...., ... और .... सीखते हैं।

(ख) अस्वास्थ्यकर वातावरण में रह रहे बच्चे .... और .... बीमारियों का शिकार होते हैं।

(2) ऐसी दो बीमारियों के नाम लिखिए जोकि वंशानुगत कारणों से व्यक्ति तक पहुँचती हैं।

गतिविधि 6.1

अपने समाज के उन सांस्कृतिक कारकों की सूचनाएँ एकत्र कीजिए जो मुख्य तौर पर बच्चों के वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि-

- वृद्धि लम्बाई, वजन और शारीरिक संरचना में परिवर्तन का संकेत देती है। यह शरीर में होने वाले परिमाणात्मक परिवर्तन जिन्हें मापा जा सकता है, के बारे में बताती है। जीवन के प्रारंभिक दो वर्षों के दौरान वृद्धि तेजी से होती है।
- विकास शरीर में होने वाले गुणात्मक परिवर्तनों के साथ व्यवहार तथा अभिवृत्ति में होने वाले परिवर्तनों की बात करता है। विकास को मापना कठिन है।
- विकास एक सतत् एवं क्रमबद्ध प्रक्रिया है। यह परिपक्वता और सीखने का परिणाम है।
- विकास में व्यैक्तिक भिन्नताएँ होती हैं।

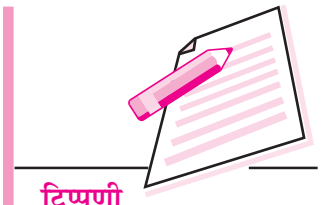

टिप्पणी

- विकास आनुवंशिकता तथा पर्यावरणीय कारकों, जैसे कि, पोषण, माँ की उम्र तथा संवेगात्मक अवस्था से प्रभावित होता है। यह एक्स-रे के संपर्क में सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, जीवन दशाओं, पारिवारिक संरचनाओं और शिशु की पालन-पोषण के तरीकों से भी प्रभावित होता है।

पाठान्त प्रश्न

(1) वृद्धि से आप क्या समझते हैं? वृद्धि के प्रमुख संकेतक कौन से हैं?

(2) वृद्धि और विकास में उदाहरण देते हुए अंतर बताइए।

(3) उचित उदाहरण देते हुए विकास के विभिन्न सिद्धान्तों की व्याख्या कीजिए।

(4) ''बालक का विकास समग्र रूप में होता है'', इस कथन की तर्कसंगत व्याख्या दीजिए।

(5) ऐसा क्यों माना जाता है कि विकास सीखने और परिपक्वता का परिणाम है?

(6) कुछ प्रासंगिक कारक जो बच्चों के विकास को प्रभावित करते हैं, उनके नाम बताइए। इनमें से किन्हीं दो की विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।

(7) वातावरणीय कारक जैसे प्रदूषण, एक्स-रे, दवाइयाँ आदि अजन्मे बच्चे को किस प्रकार प्रभावित करते हैं?

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

6.1

(1) विकास गुणात्मक परिवर्तन के साथ-साथ व्यवहार तथा अभिवृत्ति में परिवर्तन को भी दर्शाता है।

(2) (क) असत्य, (ख) असत्य, (ग) सत्य, (घ) सत्य, (ङ) सत्य

6.2

(1) (क) सहयोग, स्वायत्तता, नेतृत्व कौशल

(ख) टायफाइड, डायरिया

(2) वर्णांधता, मधुमेह

टिप्पणी

संदर्भ

- Berk, L. (2012). *Child Development (9th Edition*). Prentice Hall of India.
- Hurlock, E.B. (2007*). Developmental Psychology: A life-span approach*. New Delhi: Tata Mc Graw-Hill.
- Santrock, J.W. (2011).*Child Development (13th Ed.).*New Delhi: Mc Graw Hill.
- Santrock, J. W. (2012). *Life Span Development (13th Ed.).* New Delhi: Mc Graw Hill.
- Singh, A. (Ed). (2015). *Foundations of Human Development*. New Delhi: Orient Blackswan.
- Srivastava, A.K. (1997). *Child Development: An Indian Perspective*. New Delhi: NCERT.

7

विकास के आयाम

बाल विकास एक जटिल और सतत् प्रक्रिया है। यह एक साथ कई आयामों में होता है, जो कि उनके समग्र विकास को प्रभावित करता है।

पिछले पाठ में आपने बच्चों की वृद्धि और विकास तथा विकास के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ा। इस पाठ में, आप विकास के विभिन्न आयामों-शारीरिक, स्वास्थ्य एवं गत्यात्मक, संवेगात्मक, सामाजिक, नैतिक, संज्ञानात्मक तथा भाषात्मक विकास के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।

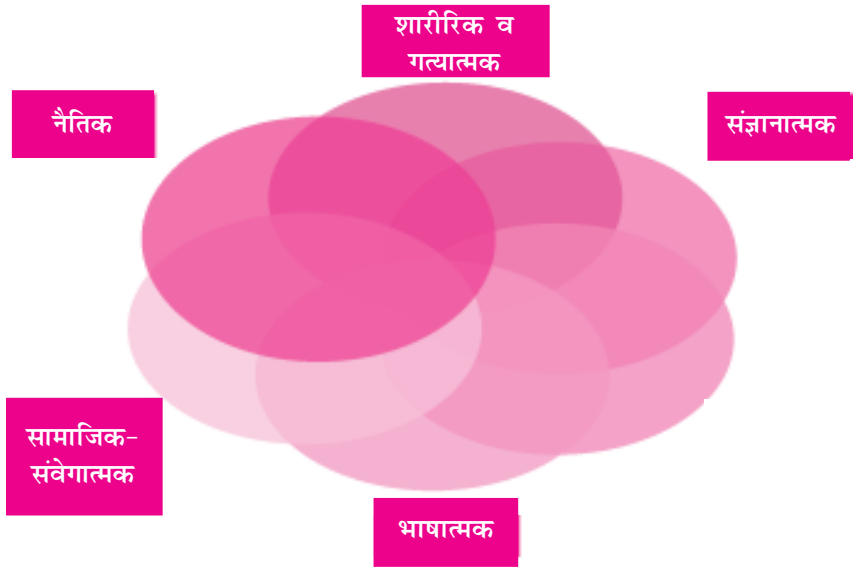

चित्र 7.1 : विकास के आयाम

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- आयामों में से प्रत्येक की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं; और
- विकासात्मक पड़ावों (milestone) के महत्व को चिह्नित करते हैं।

टिप्पणी

7.1 विकास के आयाम

विकास के आयाम उन क्षेत्रों या पहलुओं को इंगित करते हैं जिनमें बच्चों का विकास होता है। विकास के विभिन्न आयाम इस प्रकार हैं–

1. शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास, जिसमें स्थूल तथा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल शामिल हैं।
2. सामाजिक-संवेगात्मक विकास का अर्थ स्वयं को समझना तथा सामाजिक वातावरण की समझ, सामाजिक रूप से स्वीकृत ढंग से संवेगों की अभिव्यक्ति और संवेगों पर नियंत्रण करना है।
3. नैतिक विकास उचित और अनुचित की समझ से संबंधित है।
4. संज्ञानात्मक विकास विभिन्न अवधारणाओं एवं प्रक्रिया को सोचने एवं समझने से संबंधित है।
5. भाषा विकास, संचार, सुनने से संबंधित आकस्मिक/प्रारंभिक साक्षरता, समझना, मौखिक/वाचिक कुशलता वाले कौशल और लेखन पर केन्द्रित हैं।

आइए, हम विकास के इन आयामों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हैं।

7.1.1 शारीरिक और गत्यात्मक विकास

शारीरिक वृद्धि और विकास में शरीर की संरचना के अनुपात में ऊँचाई, वजन और वृद्धि शामिल है। इसमें हड्डियों के विकास को भी शामिल किया जाता है। शरीर की संपूर्ण संरचना हड्डियों के आकार, अनुपात तथा सघनता पर निर्भर करती है। यह शरीर की बनावट एवं शक्ल-सूरत को निर्धारित करता है। आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि शारीरिक विकास दो तरीकों से होता है। समीप-दूराभिमुख (प्रोक्सिमोडिस्टल) तथा शिर:पदाभिमुख (सेफ्लोक्यूडल) क्रम। शारीरिक विकास न केवल शरीर में होने वाले बाह्य परिवर्तनों बल्कि आंतरिक अंगों में होने वाले परिवर्तनों को भी शामिल करता है। यह आंतरिक अंगों में परिवर्तन तथा परिपक्वता को भी शामिल करता है। जैसे-जैसे बच्चों में शारीरिक रूप से वृद्धि होती है, मस्तिष्क सहित आंतरिक अंगों तथा केन्द्रीय तंत्रिका तंत्र में भी विकास होता है।

शारीरिक विकास को सूक्ष्म व स्थूल गत्यात्मक कौशलों के द्वारा बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। गत्यात्मक कौशल बच्चों में विकसित होने वाली वे शारीरिक योग्यताएँ हैं, जो उनकी शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। अपेक्षाकृत कम समय में बच्चों में साधारण गत्यात्मक कौशलों का विकास हो जाता है।

बच्चों में दो प्रकार के गत्यात्मक कौशलों का विकास होता है– स्थूल गत्यात्मक कौशल तथा सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल। स्थूल गत्यात्मक कौशल बड़ी माँसपेशियों को शामिल करता है तथा बच्चों की क्रियाओं, जैसे रेंगना, खड़े होना, चलना, चढ़ना, दौड़ना आदि को संतुलित करता है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल छोटी माँसपेशियों को शामिल करता है तथा हाथ और अंगुलियों को प्रभावशाली रूप से इस्तेमाल एवं प्रयोग करने की योग्यता प्रदान करता है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल सामान्यत: आँख और हाथ के समन्वय को शामिल करता है। जिससे यह योग्यता होती है कि वह आँखों ने जो देखा है, उसका हाथ की गतिविधियों के साथ मिलान करती है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास बच्चों को चीजों को पकड़ने जैसे कप, क्रेयॉन तथा किताब के

पन्ने पलटने, बटन बंद करने, जिप बंद करने, ड्राइंग करने तथा लिखने इत्यादि में मदद करता है। साधारण शब्दों में सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल बच्चों को कसकर पकड़ने, ठहरने, गति करने तथा विभिन्न वस्तुओं को संभालने में मदद करती है। वयस्कों की तरह बच्चों की सभी गतिविधियों में सूक्ष्म तथा स्थूल गत्यात्मक कौशलों के संयोजन की आवश्यकता होती है।

शारीरिक विकास जीवन पर्यन्त चलने वाली एक प्रक्रिया है हालाँकि वृद्धि की प्रकृति तथा दर विकास की अवस्थाओं के अनुसार भिन्न हो सकती है। प्रत्येक बच्चा अपनी गति या रफ़्तार से विकसित होता है। कुछ बच्चे तेजी से बढ़ते हैं जबकि कुछ उतनी तेजी से नहीं बढ़ते, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे शारीरिक रूप से अपरिपक्व या अविकसित हैं। प्रत्येक बच्चा अपने आप में अलग है, इसलिए जीन का समूह (genomes) तथा वातावरणीय दशाएँ समान होने पर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता देखने को मिलती है। इसके साथ-साथ शारीरिक विकास में लैंगिक विभिन्नताएँ भी देखी जा सकती हैं।

चित्र 7.2 : सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास

पाठगत प्रश्न 7.1

(क) सूक्ष्म तथा स्थूल गत्यात्मक कौशलों का क्या अर्थ है?

(ख) बच्चों के स्थूल व सूक्ष्म गत्यात्मक विकास को बढ़ावा देने के लिए दो गतिविधि सुझाइए जिन्हें माता-पिता अपने घर पर कर सकें।

7.1.2 सामाजिक-संवेगात्मक विकास

क्या आप बच्चों और प्रौढ़ों से अलग-अलग तरीकों से बात करते हैं? क्या आपका अपने शिक्षक और दोस्त से बात करने का तरीका भिन्न होता है? आपने अलग व्यक्ति से अलग तरीके का व्यवहार करना, जो कि उस व्यक्ति से आपके संबंध पर निर्भर है, कैसे सीखा? क्या आप सभी परिस्थितियों में समान व्यवहार करते हैं या भिन्न-भिन्न परिस्थितियों में व्यवहार भी बदल जाता है? जब बच्चा इस जटिल समाज में कदम रखता है, तो वह समाज के नियमों एवं कानूनों को नहीं जानता। लेकिन धीरे-धीरे वह दूसरों के साथ बातचीत करके तथा दूसरों से संबंध स्थापित करके सामाजिक नियमों का पालन करना सीख जाता है। हम विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों में कैसे दूसरों के साथ संबंध स्थापित करते हैं और समाज द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का पालन करना सीखते हैं। यह सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। इसमें सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना तथा शामिल होना और सामाजिक समूहों का हिस्सा होने के अर्थ को समझना भी शामिल है। बच्चा एक सामाजिक प्राणी है और उसे भरपूर जीवन जीने के लिए अन्य प्राणियों के साथ जुड़ने की आवश्यकता है।

टिप्पणी

संवेगात्मक विकास बच्चों की भावनाओं तथा संवेगों के विकास का उल्लेख करता है। कुछ संवेग जैसे खुशी, डर और क्रोध आदि को मूलभूत बुनियादी संवेग कहा जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति के चेहरे के भावों को देखकर इनका अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। कुछ संवेग जैसे लज्जा/शर्म, अपराध तथा ईर्ष्या करना आदि को जटिल संवेगों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है क्योंकि इन्हें किसी के चेहरे के भावों को देखकर आसानी से नहीं पहचाना जा सकता है। बच्चे कुछ मूलभूत संवेगों के साथ जन्म लेते हैं और जटिल संवेगों को समय के साथ विकसित करते हैं।

क्या आपने कभी नीचे दिए गए संवेगों को व्यक्त करते समय अपने में किसी प्रकार के बदलाव का अनुभव किया है। कृपया बदलाव के बारे में लिखें–

क्रोध ....

....

डर ....

....

उदासी ....

....

क्या आपको याद है, जब आप 6 साल के थे तब अपने माता-पिता को अपना प्यार और गुस्सा दिखाने के लिए कौन से तरीके अपनाते थे? अब (बड़े होने पर) आप उन्हीं संवेगों को किस प्रकार व्यक्त करते हैं? क्या आप अपने माता-पिता के प्रति संवेगों को व्यक्त करते समय कोई बदलाव महसूस करते हैं? यह स्पष्ट करता है कि संवेगों तथा व्यवहारों को व्यक्त करना समय के साथ-साथ विकसित होता है। इनमें से कुछ बदलाव हमारे संवेगात्मक परिपक्वता तथा कुछ वातावरण से प्राप्त अधिगम के परिणामस्वरूप हो सकते हैं।

संवेगों के प्रकटीकरण में सांस्कृतिक भिन्नताएँ भी अपना अस्तित्व रख सकती हैं क्योंकि प्रत्येक संस्कृति अपने बच्चे को अपने संवेगों को प्रकट करने के लिए अलग-अलग तरीके सिखाती है। लिंग भेद के कारण भी संवेगों के प्रकटीकरण में अंतर आता है।

टिप्पणी

7.1.2.1 विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक - संवेगात्मक विकास

- **शैशवावस्था**

शिशु अपने आस-पास के लोगों से मुस्कुराकर, रोकर, बुदबुदाकर तथा किलकिलाकर बातचीत करते हैं। यह सभी क्रियाएँ शिशुओं की अन्य लोगों के साथ बातचीत को बनाए रखती हैं। जब शिशु को सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा प्रेरणा मिलती है तो वह सामाजिक रूप से विकसित होने के लिए प्रोत्साहित होता है। 6-8 महीने में शिशु में अपनेपन की भावना का विकास होता है तथा वह अपने माता-पिता तथा अन्य परिचित लोगों से जुड़ने लगता है। ऐसा देखा जाता है कि शिशु अजनबी लोगों को देखकर असहजता का अनुभव करता है जैसे प्रथम वर्ष के पूरा होने पर भी उसमें अपने देखभाल करने वाले लोगों से अलग होने का डर बना रहता है। यह चिंता धीरे-धीरे कम होने लगती है और शिशु में विशेष प्रकार का लगाव विकसित होने लगता है। 2 वर्ष की आयु तक बच्चे अपने माता-पिता से थोड़े अलग होने लगते हैं और जिस काम को वे नहीं करना चाहते उसे 'न' कहकर अपनी स्वायत्तता दिखाना सीख जाते हैं।

- **प्रारंभिक बाल्यावस्था**

2 से 5 वर्ष की आयु में बच्चों में स्वयं के प्रति जागरुकता विकसित होती है। उनमें अभिवृत्ति, पसंद-नापसंद तथा कार्य करने के तरीके विकसित होते हैं। समाजीकरण एक प्रक्रिया है जहाँ बच्चे समाज का एक जिम्मेदार व्यक्ति बनने के लिए कौशल अर्जित करते हैं। मुख्यत: बच्चे, अपने माता-पिता के द्वारा सामाजिक होते हैं जो उन्हें सही एवं गलत में अंतर को समझाते हैं तथा उनमें अच्छा आचरण विकसित करने में सहायता करते हैं जैसाकि बच्चे अपने माता-पिता का अवलोकन तथा उनका अनुकरण करते हैं जो उनके आदर्श (रोल मॉडल) होते हैं, यह सुदृढ़ पहचान प्रक्रिया समाजीकरण में सहायता करती है।

पूर्व विद्यालयी बच्चों का सामाजिक संसार बढ़ता जाता है और वे अपने इस संसार में स्कूल तथा पड़ोस के समकक्ष बच्चों को शामिल करते हैं। वे अपने समकक्ष बच्चों के साथ बातचीत तथा सहयोगात्मक खेलों में व्यस्त रहने लगते हैं। जो दूसरों से संबंध रखने तथा सामाजिक परिस्थितियों को समझने का बेहतर आधार प्रदान करता है। वह लिंग के आधार पर अपनी मनोवैज्ञानिक पहचान बनाना शुरू करते हैं और उस लिंग आधारित उपयुक्त व्यवहार करने लगते हैं। लिंग आधारित भूमिकाओं की पहचान अनेक कारकों जैसेकि लिंगों के मध्य जैविक भिन्नता तथा लड़के और लड़कियों के माता-पिता एवं अन्य द्वारा समाजीकरण के तरीकों पर निर्भर करता है।

पाठगत प्रश्न 7.2

दिए गए पहेली से आप संवेगों से संबंधित शब्द ढूढ़िए।

W	X	Y	Z	J	E	A	L	O	U	S	Y	K	L	M
A	B	C	D	O	F	S	H	O	C	K	N	N	O	P
H	A	P	P	Y	O	U	Q	H	O	P	E	S	Y	F
O	B	A	N	G	E	R	R	L	T	P	R	I	D	E
P	W	I	H	J	U	P	S	E	T	K	V	M	B	A
E	O	N	S	Y	C	R	A	G	E	P	O	L	Y	R
F	R	D	F	G	H	I	N	O	K	T	U	S	Z	O
U	R	H	J	B	D	S	A	D	O	B	S	K	J	C
L	Y	F	L	O	V	E	Q	Z	T	U	W	V	B	A
S	C	A	R	E	D	F	J	R	M	O	K	S	T	L
E	M	B	A	R	R	A	S	S	M	E	N	T	F	M

7.1.3 नैतिक विकास

'मोरल' शब्द 'मोर्स' शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है शिष्टाचार या आदतें। सरल शब्दों में, यह सही और गलत की समझ है। इसमें नैतिक व्यवहार, नैतिक तर्क और निर्णय शामिल होते हैं। नैतिक व्यवहार, नैतिक रूप से सही कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नैतिक तर्क, सही और गलत विकल्प के विमर्श को संदर्भित करता है। यह इस बात पर आधारित है कि हम समस्या से संबंधित कई दृष्टिकोण को समझ पा रहें या नहीं।

आइए, बच्चों में नैतिक तर्क के विकास के बारे में पढ़ें।

7.1.3.1 बच्चों में नैतिक तर्क का विकास

बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बच्चों में नैतिक विकास की व्याख्या की है। आइए, हम पियाजे तथा कोहलबर्ग द्वारा सुझाई गई नैतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में संक्षिप्त में अध्ययन करें।

पियाजे के अनुसार, बच्चों में नैतिक विकास खेल के दौरान, खेल के नियमों के प्रति उनकी समझ का अवलोकन करके समझा जा सकता है। वह बच्चों के नैतिक विकास की दो अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं– नियम पालन की नैतिकता (Heteronomous) तथा रजामंदी की नैतिकता (Autonomous)।

टिप्पणी

नियम पालन की नैतिकता (हेट्रोजिनियस)	बच्चों का मानना है कि नियम सार्वभौमिक हैं, जो किसी बाहरी प्राधिकरण के द्वारा तय किये गये है एवं थोपे गए हैं। वे मानते हैं कि नियमों को बदला नहीं जा सकता परन्तु जो नियमों को तोड़ेगा उसे दण्ड अवश्य मिलेगा। क्योंकि बच्चे नैतिक विकास की इस अवस्था में नियमों की अपरिवर्तनशीलता को मानते हैं, वे कभी भी इन नियमों के परिवर्तन के प्रति कोई लचीलापन नहीं दिखाते।
रजामंदी की नैतिकता (ऑटोनोमस)	जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी नैतिकता की समझ ज्यादा लचीली होने लगती है। बच्चे विश्वास करने लगते हैं तथा वह विश्वास करते हैं कि नियम सभी के लोगों के लिए होते हैं, तथा यदि ऐसा नहीं है तो 'सभी की सहमति से इन्हें बदला जा सकता है'।

लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार, नैतिक विकास के तीन चरण हैं–

- पूर्व पारंपरिक नैतिकता
- पारंपरिक नैतिकता
- उत्तर पारंपरिक नैतिकता

पूर्व पारंपरिक नैतिक स्तर में, बच्चे अपने आस-पास के लोगों से सही और गलत की समझ सीखते हैं। बच्चे का आचरण बाह्य कारकों जैसे स्वीकृति और अस्वीकृति या पुरस्कार और दंड के द्वारा निश्चित होता हैं। इस प्रकार बच्चे का व्यवहार आज्ञा-पालन तथा दंड की ओर प्रवृत होता है। जैसे ही बच्चा मध्य बाल्यावस्था में पहुँचता है, उसकी पारंपरिक संबंधों को तथा नैतिक आचरण को समझने की क्षमता बढ़ जाती है तथा यह किशोरावस्था तक लगातार विकसित होती रहती है।

पारंपरिक नैतिक अवस्था में बच्चे यह विश्वास करते हैं कि अगर नियम समाज की भलाई के लिए नहीं हैं तो उन्हें बदला जा सकता है।

उत्तर-पारंपरिक अवस्था में बच्चा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों या अपनी आत्मा की आवाज़ पर चलता है, बाह्य प्रभावों से प्रभावित नहीं होता। एक व्यक्ति सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांतों को जैसे जीवनमूल्य को मूल्यों के क्रम में सर्वोपरि रखता है और उसके लिए नियमों या कानूनों को तोड़ भी सकता है।

पाठगत प्रश्न 7.3

(1) सही विकल्प चुनिए–

(क) नैतिक विकास का सिद्धान्त (तीन अवस्थाएँ) दिया गया–

☐ कोहलबर्ग

☐ पियाजे

☐ एरिक्सन

(ख) वह अवस्था जब बच्चा समाज के नैतिक नियमों को स्वीकार करने से पहले सही और गलत के प्रति अपनी समझ को भी शामिल करता है।

☐ उत्तर-पारंपरिक नैतिकता

☐ पारंपरिक नैतिकता

☐ पूर्व-पारंपरिक नैतिकता

(2) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए–

(क) पियाजे ने नैतिकता ..... और ..... के द्वारा व्यक्त की।

(ख) नियम पालन की नैतिकता में बच्चे मानते हैं कि नियम .....एवं ..... है।

7.1.4 संज्ञानात्मक विकास

इसमें जानना, सोचना, याद रखना, पहचानना, वर्गीकरण करना तथा कल्पना करना आदि प्रक्रियाएँ शामिल हैं। स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे के अनुसार बच्चे नए विचारों तथा चुनौतियों को अनुभव कर संसार के बारे में अपनी समझ बनाते हैं। वह आस-पास के साथ पारस्परिक क्रिया के द्वारा अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। संज्ञानात्मक विकास, बच्चे के परिपक्व या प्रौढ़ होने के साथ बढ़ता जाता है।

पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को चार अवस्थाओं में बाँटा है। यह अवस्थाएँ सभी व्यक्तियों में समान रूप से प्रकट होती है, किसी भी एक अवस्था को छोड़ा नहीं जा सकता। फिर भी जिस गति से बच्चे इन अवस्थाओं से गुजरते हैं, उसमें व्यक्तिगत अंतर कुछ सीमाओं के भीतर भिन्न हो सकते हैं।

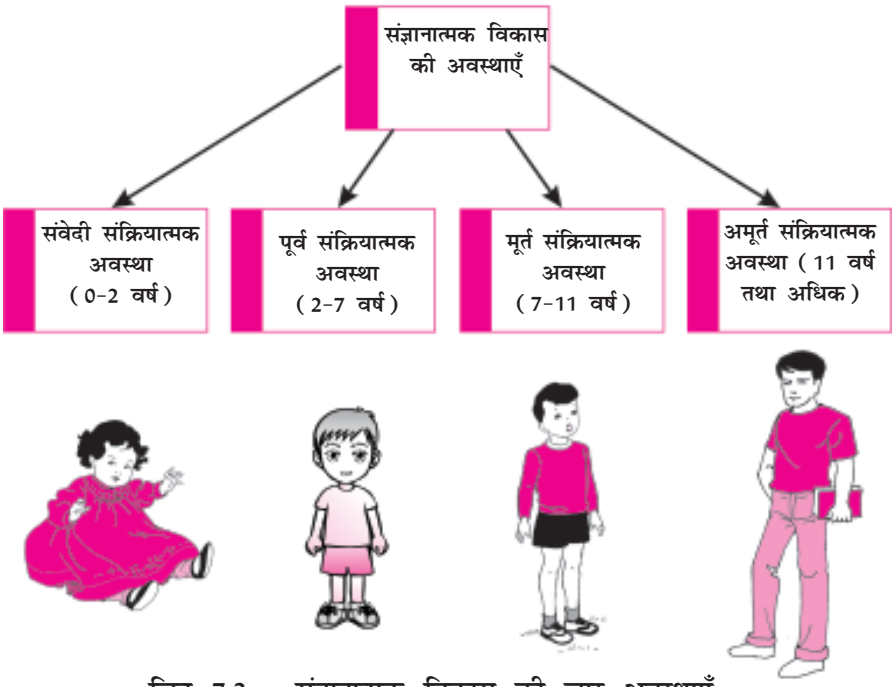

चित्र 7.3 : संज्ञानात्मक विकास की चार अवस्थाएँ

टिप्पणी

• संवेदी संक्रियात्मक अवस्था (0-2 वर्ष)

पियाजे के द्वारा प्रस्तुत सज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था को संवेदी संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। सज्ञानात्मक विकास का यह चरण जन्म से लेकर दो वर्ष की अवधि में पूरा होता है। पियाजे मानते थे कि शिशु या बच्चा सक्रिय रूप से सीखने वाला होता है जो कि वातावरण में होने वाले उद्दीपकों या प्रेरणा के प्रति उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया करता है। वह तीव्रता से सीखता है और वातावरण में विभिन्न चीजों में अंतर करने लगता है। उदाहरण के तौर पर, एक शिशु माँ के दूध और चम्मच के बीच अंतर करना सीख जाता है और दोनों के लिए अलग तरीके से मुँह खोलता है।

शिशुओं की जन्म के साथ प्रतिवर्ती क्रियाएँ जैसे चूसना तथा वस्तुओं को पकड़ना आदि संज्ञानात्मक विकास का आधार बन जाती हैं। समय के साथ वे स्वैच्छिक रूप से कार्य करना सीखते हैं। शिशु अपने वातावरण में अन्य व्यक्तियों का अनुकरण करना सीखते हैं। जैसे-जैसे वे बड़े होते हैं वे ऐसे व्यक्ति का भी अनुकरण करते हैं जो उस समय वहाँ उपस्थित नहीं होता है। इसे ही डैफर्ड (deffered) अनुकरण कहते हैं।

धीरे-धीरे बच्चों में वस्तु स्थायीत्व का गुण विकसित होता है अर्थात यह समझ की वह वस्तु तब भी अस्तित्व में होती है जब वह हमें दिखायी नहीं दे रही होता है। उदाहरण के लिए, चार महीने का बच्चा गैंद के आँखों से ओझल होने पर उसे नहीं ढूंढता परन्तु 15 माह का बच्चा गैंद को अवश्य ढूंढेगा।

• पूर्व-संक्रियात्मक अवस्था (2-7 वर्ष)

यह संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था है जो कि मूलत: पूर्व-तर्क संगत अवस्था है जिसमें बच्चे की तर्क करने की शक्ति पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। यह 2-7 वर्ष तक की आयु के बच्चों में होती है। कुछ संज्ञानात्मक सीमाएँ इस अवस्था पर बच्चों की संज्ञान का लक्षण प्रस्तुत करती हैं, वे हैं–

आध्यात्मिक और अतार्किक सोच: इस अवस्था के बच्चे सोचते हैं कि निर्जीव वस्तुओं में भी जीवन होता है वे प्रत्येक गतिमान वस्तु को जीवित मानते हैं। उदाहरण के लिए- आपने बच्चों को यह तर्क देते सुना होगा कि *अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वह जीवित है अगर वह गतिमान नहीं है तो वह जीवित नहीं है। इसीलिए बच्चा इस अवस्था में, बादल को जीवित चीज मानता है।*

आत्मकेन्द्रित: बच्चे सोचते हैं कि सभी उनकी तरह सोचते हैं और सभी कुछ जो वह सोचता या करता है, वह ठीक है, और दूसरे के दृष्टिकोण को सही नहीं मानता है।

विपरीत या पलट कर सोचने की शक्ति: बच्चे किसी भी गतिविधि में इस क्षमता को समझ नहीं पाते, कि वे किसी घटना के वास्तविक प्रारंभिक बिंदु पर अनुगम करके पहुँच सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर एक लंबे गिलास से पानी को एक चौड़े बर्तन में उड़ेला जाए तो अपनी पहली

स्थिति में वापिस लाने के लिए पानी को वापिस लंबे गिलास में डाला जा सकता है। बच्चों में इस प्रकार की सोचने की क्षमता का अभाव पाया जाता है।

संरक्षण (Conservation): इस अवस्था में बच्चों में संरक्षण करने की क्षमता का अभाव पाया जाता है। ऐसा तब होता है जब बच्चा यह समझने में असफल होता है कि वस्तु की बाह्य आकृति बदलती है, परंतु वस्तु की भौतिक प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता, वह पहले जैसी ही रहती है। उदाहरण के लिए, अगर हम पानी की समान मात्रा को एक लम्बे और एक चौड़े, दो गिलासों में उड़ेले और बच्चे से पूछें कि किस गिलास में पानी ज्यादा है। बच्चे का इशारा उस गिलास की तरह होगा जिसमें उसे पानी ज्यादा लगता है।

इन्हीं क्षमताओं के अभाव के कारण बच्चे के लिए विविध परिप्रेक्ष्य में परिस्थितियों को समझना तथा एक से अधिक विशेषता वाली वस्तु को वर्गीकृत करना कठिन हो जाता है।

- **मूर्त-संक्रियात्मक अवस्था (7-11 वर्ष)**

मूर्त-संक्रियात्मक अवस्था की अवधि 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच होती है। इस अवस्था में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का अन्त हो जाता है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास होता है परंतु वे काल्पनिक परिस्थितियों में तर्क शक्ति का प्रयोग करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। उनके तर्क मूर्त वस्तु या परिस्थितियों की ठोस अवलोकित विशेषताओं तक ही सीमित होते हैं। बच्चे अब दूसरे लोगों के विचारों को समझने के योग्य हो जाते हैं।

बच्चों का **विकेन्द्रित** होना मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस अवस्था में, बच्चों की समझ वस्तु के केवल एक पहलू पर केंद्रित नहीं रहती। वर्गीकरण करते समय वे एक से अधिक पहलुओं को ध्यान में रख सकते हैं। उनके पास विचारों को विपरीत या पलट कर सोचने की शक्ति है।

अपनी एक और क्षमता **क्रमबद्धता** भी वह इस आयु तक सीख जाता है। बच्चे अब वस्तुओं को उनकी परिभाषित विशेषताओं के आधार पर क्रमबद्ध कर सकते हैं। यह गुण क्रमबद्धता कहलाता है। उदाहरण के लिए, वे विभिन्न आकार की पेन्सिलों के समूह को घटते या बढ़ते क्रम में लगा सकते हैं।

यह सभी विशेषताएँ संज्ञानात्मक विकास की पूर्व से क्रियात्मक अवस्था वाले बच्चों की तुलना में उन्हें बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाती है।

- **अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था (11 वर्ष व अधिक)**

अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आरम्भ होती है। यहाँ किशोर उच्च मानसिक क्षमताओं वाले कार्य करने के योग्य हो जाते हैं। उनके विचारों में लचीलापन होता है तथा वे जटिल समस्याओं को भी तर्कशक्ति का इस्तेमाल कर उनके संभावित हल खोज सकते हैं। अमूर्त

विचारों की एक महत्त्वूर्ण विशेषता परिकल्पनात्मक तथा निगमनात्मक तर्क शक्ति के प्रदर्शन से भी है। किशोर परिकल्पना कर सकते हैं तथा किसी **अमूर्त समस्या के संभावित समाधान** खोज सकते हैं तथा उनमें से सबसे सही समाधान का चयन भी कर सकते हैं।

पाठगत प्रश्न 7.4

(1) कॉलम (क) को कॉलम (ख) से मिलाएँ–

कॉलम (क)	कॉलम (ख)
(क) अगर वह गतिमान है तो वह जीवित है	(i) शैशवावस्था
(ख) पकड़ना, चूसना, आँख को झपकाना	(ii) एनिमिस्टिक सोच
(ग) परिकल्पित/निगमनात्मक तर्कशक्ति	(iii) पियाजे
(घ) डेफर्ड अनुकरण	(iv) किशोरावस्था
(ङ) संज्ञानात्मक सिद्धांत	(v) प्रतिवर्ती क्रियाएँ

(2) खाली स्थान भरिए–

(क) संज्ञानात्मक विकास को चार अवस्थाओं में बाँटा जा सकता है ...., ..., और .....।

(ख) वह योग्यता जो यह समझने में मदद करती है कि बाह्य आवरण में परिवर्तन होता है परंतु भौतिक विशेषताएँ समान ही रहती है, ... कहलाता है।

(ग) जो मैं सोच रहा हूँ और जो मैं जानता है, सभी वही समान रूप से सोच रहे हैं, बच्चे की यह सोच .....की ओर इशारा करता है।

(घ) किसी का अनुकरण करना जब वह उपस्थित न हो ..... कहलाता है।

(ङ) किसी परिकल्पनात्मक समस्या के सभी संभावित समाधानों में से सबसे सही समाधान को चुनना, ... कहलाता है।

7.1.5 भाषायी विकास, संप्रेषण और निर्गत साक्षरता

भाषा मानव जाति की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है, यही वह योग्यता है जो एक मानव को अन्य जीवों से अलग करती है। समाज में मनुष्य, अपनी भाषायी योग्यता का उपयोग विचारों को संप्रेषित करने, अपने भावों को साझा करने, एक-दूसरे के मन को समझने तथा सामाजिक संबंध स्थापित करने में करते हैं। भाषा चिन्तन करने, सीखने तथा आसपास के संसार को समझने का प्रमुख माध्यम है। भाषा अतीत की घटनाओं का चिन्तन करके भविष्य की योजना तैयार करने में सहायता करती है। भाषा काम करने की रणनीति तथा विचारों के जोड़-तोड़ का मूल्यांकन करने में भी मदद करती है। मुख्य रूप से, भाषा एक उपकरण के रूप में अनुभूति और इसके को समझने में विपरीत सहयोग प्रदान करती है।

छोटे बच्चों के विकास के लिए भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। भाषा का विकास मस्तिष्क की वृद्धि तथा परिपक्वता को दर्शाता है। जीवन के प्रारंभिक वर्ष भाषा विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जन्म से 6 वर्ष की आयु तक बच्चों में भाषा का विकास तेज गति से होता है। कोई भी मौखिक प्रेरक जो इस आयु में दिया जाता है, बच्चे पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। सामान्यत: भाषा का विकास सभी मनुष्यों में समान रूप से होता है, परंतु आयु तथा गति जिससे बच्चा भाषा के विकास के प्रतिमान पर पहुँचता है, भिन्न-भिन्न होता है। सामान्यत: लड़कियों में भाषा का विकास लड़कों की अपेक्षा तेजी से होता है, हालाँकि बाद में दोनों भाषा की जटिलताओं को समान रूप से प्राप्त करते हैं। भाषा सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने द्वारा ग्रहण करके एवं अभिव्यक्ति करके सीखी जाती है।

7.1.5.1 भाषा का विकास

जन्म के बाद, शिशु हँसकर, रोकर, किलकिलाने की ध्वनि के साथ संप्रेषण प्रारंभ करते हैं। वे अपनी बात इशारों के माध्यम से समझाते हैं। 4 महीने की आयु तक, इन ध्वनियों की प्रकृति बदल जाती है और शिशु अपनी मौखिक क्षमता को अलग-अलग आवाजों से प्रदर्शित करने लगता है। आयु के प्रारंभ के 6-7 महीने में कूकने की ध्वनि वास्तविक भाषा जैसे तुतलाना (उदाहरण-बाबा, मामा आदि) में विकसित हो जाती है।

(I) संप्रेषण की पूर्व भाषा

(i) रोना (ii) किलकिलाना तथा तुतलाना (iii) इशारे

(II) संप्रेषण की भाषा

(iv) बोध (v) उच्चारण (vi) शब्द भंडार (vii) वाक्य रचना

बच्चे भाषा के प्रयोग से पहले उसे अच्छी तरह समझना सीखते हैं। वे पहले भाषा को समझते हैं, फिर उसका स्वयं प्रयोग करते हैं। आपने इस बात पर अवश्य ध्यान दिया होगा कि प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की भाषा स्पष्ट नहीं होती परंतु जल्दी ही उनका उच्चारण स्पष्ट होता जाता है। आयु के साथ उनका शब्द भंडार भी बढ़ता जाता है। जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो शब्द बच्चे अपने शब्द भंडार में जोड़ते हैं वे अर्थपूर्ण होते हैं। वह तेजी से नए शब्दों को ग्रहण कर लेते और नए सीखे गए शब्दों को शुरू में बच्चे दो या तीन शब्दों को जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्यांश बना लेते हैं (उदाहरण के लिए - खाना दो) और बाद में तीन से अधिक शब्द जोड़कर एक छोटा वाक्य बनाते हैं। धीरे-धीरे बच्चा, भाषा संबंधी योग्यता को सीखकर एक जटिल वाक्य की रचना कर लेता है। इसके साथ समझ जाती है कि मध्य बाल्यावस्था में वह भाषा में इस्तेमाल होने वाले सामाजिक नियमों को सीख लेता हैं। उनके द्वारा भिन्न-भिन्न लोगों के साथ बोले जाने वाली भाषा भिन्न-भिन्न हो सकती है और साथ ही भिन्न-भिन्न स्थानों पर बोली जाने वाली भाषा भी भिन्न हो सकती है। वह माता-पिता, शिक्षक तथा अपने बड़ों से एक निश्चित प्रकार की भाषा बोलते हैं तथा अपने सहपाठियों के साथ अलग प्रकार की भाषा का प्रयोग करने के योग्य हो जाते हैं।

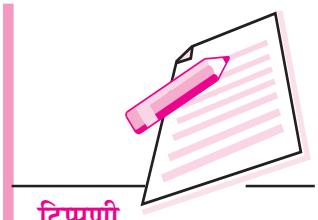

टिप्पणी

पाठगत प्रश्न 7.5

(1) खाली स्थानों को भरिए–

(क) बच्चों में शब्दों के प्रयोग से पहले ..... विकसित होता है।

(ख) लोगों के साथ बच्चों की बातचीत ..... से शुरू होती हैं।

(ग) जीवन के प्रारंभिक वर्षों को भाषा के विकास के लिए ..... काल माना जाता है।

(घ) ..... तथा ..... दोनों भाषा होती है।

(2) कथन के आगे सत्य अथवा असत्य लिखिए–

(क) बच्चों में शब्दों के प्रयोग से पहले बोध विकसित होती है।

(ख) प्रारम्भिक उत्प्रेरण बाद के भाषायी विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है।

(ग) तुतलाना – किलकिलाना से पहले प्रारंभ होता है।

गतिविधि 7.1

'बच्चों में समग्र विकास लाने के लिए विकास के सभी आयामों का महत्व' विषय पर अपने समुदाय में जागरुकता लाने के लिए एक पोस्टर/लेआउट/पैम्फ्लेट तैयार करें।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- विभिन्न अवस्थाओं में बच्चों के विभिन्न आयामों का विकास होता है।
- शारीरिक और गत्यात्मक विकास के अन्तर्गत समग्र शारीरिक विकास तथा स्थूल एवं सूक्ष्म गत्यात्मक विकास आता है।
- सामाजिक संवेगात्मक विकास में बच्चा स्वयं तथा समाज के बीच सम्बन्ध स्थापित करना और संवेदनाओं को समझना एवं नियंत्रण करना सीखता है।
- नैतिक विकास सही और गलत की भावना को दर्शाता है। नैतिक व्यवहार और तार्किकता भी इसी के अन्तर्गत आते हैं।
- संज्ञानात्मक विकास सोच, समझ और अवधारणा निर्माण को दर्शाता है।
- प्रारंभिक वर्षों में बच्चा सुनकर, समझकर, बोलकर और लिखकर भाषा सीखता है और संवाद करना सीखता है।

पाठांत प्रश्न

1. विकास के आयामों का क्या अर्थ है? विकास के किन्हीं दो आयामों की विस्तृत चर्चा कीजिए।
2. बच्चों का शारीरिक विकास किस प्रकार होता है?
3. पियाजे और कोहलबर्ग द्वारा बताए गए नैतिक विकास के स्तरों की व्याख्या कीजिए।
4. बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के स्तरों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए।
5. मनुष्य के लिए भाषा के महत्व की चर्चा कीजिए।

पाठान्त प्रश्नों के उत्तर

7.1

1. स्थूल गत्यात्मक कौशल में बड़ी माँसपेशियों को शामिल करते हैं जो बच्चों की क्रियाओं को जैसे- रेंगना, खड़े होना, चलना, चढ़ना, दौड़ना और कूदना को नियंत्रित करता है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल में छोटी माँसपेशियों को शामिल करते हैं जिसमें बच्चे अपने हाथों एवं अँगुलियों की योग्यता का उपयोग रँगने, चित्र बनाने में करते हैं।
2. स्थूल गत्यात्मक विकास जैसे चढ़ना, दौड़ना, पकड़ना, उछलना, कूदना, झूलना।

   सूक्ष्म गत्यात्मक विकास जैसे चित्र बनाना, रँगना, बुनना, चिपकाना, पेपर मोड़ना, मूर्ति बनाना।

7.2

W	X	Y	Z	J	E	A	L	O	U	S	Y	K	L	M
A	B	C	D	O	F	S	H	O	C	K	N	N	O	P
H	A	P	P	Y	O	U	Q	H	O	P	E	S	Y	F
O	B	A	N	G	E	R	R	L	T	P	R	I	D	E
P	W	I	H	J	U	P	S	E	T	K	V	M	B	A
E	O	N	S	Y	C	R	A	G	E	P	O	L	Y	R
F	R	D	F	G	H	I	N	O	K	T	U	S	Z	O
U	R	H	J	B	D	S	A	D	O	B	S	K	J	C
L	Y	F	L	O	V	E	Q	Z	T	U	W	V	B	A
S	C	A	R	E	D	F	J	R	M	O	K	S	T	L
E	M	B	A	R	R	A	S	S	M	E	N	T	F	M

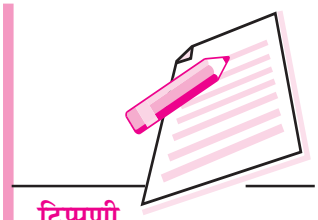

टिप्पणी

7.3

(1) (क) कोहलबर्ग

(ख) उत्तर पारम्परिक नैतिकता

(2) (क) नियमपालन की नैतिकता तथा रजामंदी की नैतिकता

(ख) सार्वभौमिक, निश्चित

7.4

1. (क) (ii)

(ख) (v)

(ग) (iv)

(घ) (i)

(ङ) (iii)

(2) (क) संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व-संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त-संक्रियात्मक तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था

(ख) संरक्षण (conservation)

(ग) आत्मकेन्द्रित

(घ) डेफर्ड अनुकरण

(ङ) परिकल्पित-निगमनात्मक तर्कशक्ति

7.5

(1) (क) बोध

(ख) रोना

(ग) महत्वपूर्ण

(घ) ग्रहण करके, स्पष्ट रूप से

(2) (क) सत्य

(ख) असत्य

(ग) असत्य

सन्दर्भ

- Berk, L. (2012). *Child Development (9thEdition).* Prentice Hall of India.

टिप्पणी

- Hurlock, E.B. (2007*). Developmental Psychology: A life –span approach*. New Delhi: Tata Mc Graw-Hill.
- Santrock, J.W. (2011).*Child Development (13th Ed.).*New Delhi: Mc Graw Hill.
- Santrock, J. W. (2012). *Life Span Development (13th Ed.).* New Delhi: Mc Graw Hill.
- Singh, A. (Ed). (2015). *Foundations of Human Development*. New Delhi: Orient Blackswan.
- Srivastava, A.K. (1997). *Child Development: An Indian Perspective*. New Delhi: NCERT.

8

बाल विकास की अवस्थाएँ : प्रसव पूर्व तथा जन्म से तीन वर्ष तक

जब परिवार में किसी एक नए सदस्य के आने की तैयारी हो रही होती है तो परिवार के सभी सदस्य उसके स्वागत के लिए, माता-पिता, दादा-दादी या दूसरे रिश्तों के रूप में अपनी-अपनी भूमिका निभाने के लिए अत्यंत उत्साहित हो उठते हैं। परिवार का विस्तार, एक नए सदस्य का आगमन और उसकी देखभाल तथा पालन-पोषण का दायित्व बहुत ही रोमांच और कुछ डर लिए होता है।

प्रस्तुत पाठ में आप बच्चे के प्रसव पूर्व से लेकर 3 वर्ष तक की वृद्धि और विकास के विषय में पढ़ेंगे।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- गर्भावस्था और प्रसव के बाद माँ के लिए आवश्यक देखभाल की व्याख्या करते हैं;
- प्रसव पूर्व काल में गर्भावस्था के दौरान बच्चे की अवस्था का वर्णन करते हैं;
- एक नवजात शिशु के लिए आवश्यक देखभाल की चर्चा करते हैं;
- शिशुकाल के दौरान बाल विकास के पड़ावों की प्रमुखता बताते हैं;
- बाल विकास में प्रारंभिक उद्दीपकों के महत्व पर चर्चा करते हैं; और
- टॉडलर अवस्था के दौरान विभिन्न आयामों में विकास के पड़ावों का वर्णन करते हैं।

8.1 गर्भावस्था के दौरान बच्चे का विकास

सामान्य रूप से मानवीय गर्भावस्था की अवधि 37 से 41 सप्ताह की होती है। गर्भधारण के

टिप्पणी

36 सप्ताह से पहले जन्म हुए बच्चे को अपरिपक्व माना जाता है तथा 41 सप्ताह के बाद जन्म लेने वाले बच्चे को परिपक्व शिशु के रूप में जाना जाता है।

आइए, प्रसव पूर्व विकास के बारे में अध्ययन करते हैं।

8.1.1 प्रसव पूर्व विकास

शुक्राणु के साथ मिलन के बाद अंडाणु, **डिंबावस्था** में प्रवेश करता है जो तीव्र गति से कोशिका विभाजन का समय होता है और लगभग दो सप्ताह तक चलता है। इसके पश्चात 6 सप्ताह की **भ्रूणावस्था** आती है जिसके दौरान भ्रूण का संरचनात्मक विकास होता है। तीसरे महीने की शुरुआत से जन्म तक की अवधि **गर्भ की अवधि** कहलाती है। इस के दौरान अंग, माँसपेशियाँ एवं तंत्र विकसित होना और कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। जीव के जन्म के समय जीवित रहने के लिए आवश्यक अनेक प्रक्रियाएँ भी इस समय विकसित हो रही होती हैं। गर्भावस्था में विकास को चित्र द्वारा समझाया गया है।

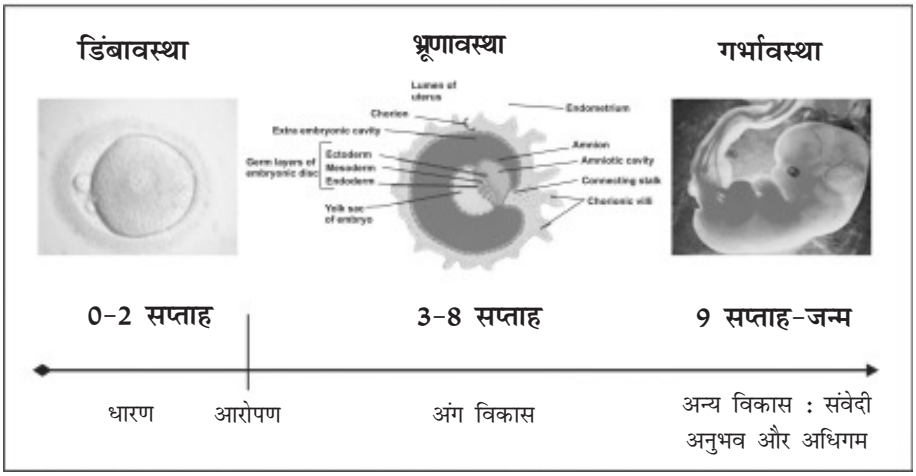

चित्र 8.1 : गर्भावस्था विकास की अवस्थाएँ

अवस्था 1 : डिंबावस्था (जर्मीनल)

गर्भधारण से दो सप्ताह बाद की अवधि डिंबावस्था कहलाती है। गर्भधारण तब होता है जब एक शुक्राणु अंड कोशिका के साथ मिलता है और युग्मनज (zygote) बनाता है। गर्भधारण के छत्तीस घंटे बाद युग्मनज तेजी से विभाजित होना प्रारंभ करता है। इसके परिणामस्वरूप कोशिकाओं का बना गोला माता की डिंबवाहिनी नलिका से होता हुआ गर्भाशय तक पहुँचता है। गर्भधारण के सात दिन पश्चात कोशिकाओं का गोला गर्भाशय की दीवार पर चिपकना प्रारंभ कर देता है। यह प्रक्रिया आरोपण (Implantation) कहलाती है और इसे पूरा होने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है।

डिंबावस्था की एक मूल विशेषता–**गर्भनाल** (placenta) जोकि गर्भाशय की दीवार को घना करने वाला एक गाढ़ा, रक्त मुक्त उत्तक का बनना है। गर्भनाल के दो महत्त्वपूर्ण कार्य होते हैं:

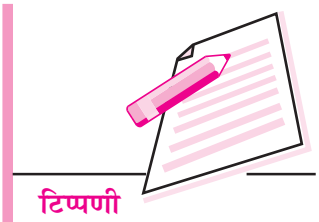

टिप्पणी

- आक्सीजन और पोषक तत्वों को माँ के रक्त से भ्रूण तक पहुँचाना। जैसे- विकासशील भ्रूण को पोषण देता है।
- भ्रूण से अपशिष्ट पदार्थों को हटाना।

अवस्था 2 : भ्रूणावस्था

भ्रूणावस्था, **डिंबावस्था** के अंत से गर्भधारण के दो माह तक रहती है। कोशिकाओं का विकसित होता गोला अब **भ्रूण** कहलाता है। इस अवस्था में सभी प्रमुख अंग बनते हैं और भ्रूण बहुत नाजुक होता है। भ्रूण अवस्था के अंत तक भ्रूण केवल एक इंच लंबा होता है।

अवस्था 3: गर्भावस्था (Foetal)

गर्भावस्था, प्रसव पूर्व विकास की अंतिम अवस्था है जो गर्भधारण के दो माह बाद से जन्म तक होती है। इस अवस्था के एक महीने में जननांग बनने प्रारंभ हो जाते हैं। हड्डियों और माँसपेशियों के बनने से भ्रूण तेजी से बढ़ता है और गर्भाशय में गति करना प्रारंभ करता है। अंग तंत्र और अधिक विकसित होते हैं और कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। अंतिम तीन माह में मस्तिष्क तेजी से आकार में बढ़ता है, त्वचा के नीचे वसा की अवरोधक परत बनती है, और श्वसन तथा पाचन तंत्र स्वतंत्र रूप से काम करना शुरू कर देते हैं।

8.1.2 प्रसव पूर्व वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक

यद्यपि प्रसव पूर्व सभी शिशु विकास के सामान्य पैटर्न (Pattern) का ही अनुसरण करते हैं तथापि कुछ कारक सामान्य वृद्धि को बाधित कर सकते हैं। टेराटोजेंस से तात्पर्य किसी रोग, दवा या अन्य पर्यावरणीय कारक से है जो विकसित होते भ्रूण को हानि पहुँचा सकते हैं जो शारीरिक विकृति, वृद्धि का पिछड़ना और मस्तिष्क की क्षति का कारण बन सकते हैं। कुछ टेराटोजेंस और अन्य कारक जो प्रसव पूर्व वृद्धि को प्रभावित करते हैं, की चर्चा नीचे की गई है:

- **दवाएँ लेना :** चिकित्सीय दवाएँ, जैसे, एंटीबायटिक्स तथा गैरकानूनी दवाएँ जैसे, मैरीजुआना, अफीम और कोकीन आदि भ्रूण के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं।
- **शराब और धूम्रपान :** शराब पीना तथा धूम्रपान करना भ्रूण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह मानसिक मंदता तथा धीमी शारीरिक वृद्धि का कारण बनते हैं। शराब तथा धूम्रपान इनके अलावा, निकोटीन तथा कैफीन की अत्यधिक मात्रा भी विकसित होते भ्रूण पर प्रभाव डाल सकती है।
- **पर्यावरणीय खतरे :** आधुनिक जीवनशैली से पैदा होने वाले पर्यावरणीय खतरे जैसे कि रसायनों के संपर्क में आना, विकिरण, अत्यधिक गर्मी और नमी आदि प्रसव पूर्व उत्परिवर्तन और विकृतियों के कारण हो सकते हैं।

पाठगत प्रश्न 8.1

कॉलम (क) को कॉलम (ख) से मिलाएँ–

कॉलम (क)	कॉलम (ख)
(क) युग्मनज	(i) 8 सप्ताह
(ख) आरोपण	(ii) जब युग्मनज गर्भाशय की दीवार से चिपक जाता है।
(ग) भ्रूण	(iii) निषेचन का परिणाम
(घ) गर्भनाल	(iv) मोटा रक्त भरा ऊतक जो गर्भाशय की दीवारों से गर्भावस्था के दौरान सीमा बनाता है और भ्रूण को पोषित करता है।

8.2 नवजात शिशु की विशेषताएँ

इस खंड में नवजात शिशु की विशेषताओं जैसे:- नाभिरज्जू, त्वचा, बाल, सिर, वज़न, ऊँचाई, सोने के तरीकों और प्रतिवर्ती क्रियाओं की चर्चा नीचे की गई है।

- **नाभिरज्जू**

  नवजात शिशु की नाभिरज्जू नीलापन लिए सफेद रंग की होती है। जन्म होते ही नाभिरज्जू सामान्यत: काट दी जाती है, केवल 1–2 इंच की ढूँढ (stub) छोड़ दी जाती है। यह धीरे–धीरे सूखकर मुरझा जाती है, गहरे रंग की हो जाती है और अपने आप तीन सप्ताह में झड़ जाती है। बाद में ठीक हो जाने के बाद यही नाभि बन जाती है।

- **त्वचा**

  नवजात शिशु गीला, खून की धारियों से लिपटा और एक सफेद पदार्थ जिसे वर्निक्स कैसिओसा कहते हैं, से ढका होता है जिसे जीवाणु विरोधी अवरोधक माना जाता है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा अकसर सलेटी सा हल्का नीला रंग लिए होती है। नवजात शिशु जैसे ही सांस लेना प्रारंभ करता है, आमतौर से एक या दो मिनट के अंदर, त्वचा का रंग सामान्य हो जाता है।

- **बाल**

  कुछ नवजात शिशुओं के शरीर पर छोटे मुलायम बाल होते हैं जिन्हें लैन्युगो कहते हैं। ये अकसर अपरिपक्व शिशुओं के कंधों, पीठ, माथे, कान और चेहरे पर दिखाई देते हैं। जन्म के कुछ सप्ताह में लैन्युगो गायब हो जाते हैं।

- **सिर**

  एक नवजात का सिर उसके शरीर के अनुपात में काफी बड़ा होता है तथा उसकी खोपड़ी चेहरे के अनुपात में बड़ी भी होती है।

टिप्पणी

- **भार या वजन**

  पूरे समय में पैदा हुए नवजात का औसत वजन लगभग 2.5 से 3.5 किग्रा. होता है।

- **ऊँचाई या लंबाई**

  बच्चे की लंबाई उसके वजन की अपेक्षा काफी धीमी गति से बदलती है। जन्म के समय बच्चे की लंबाई कुछ भी हो, प्रतिमाह वह 2 से.मी. (3/4") बढ़ती है या पहले तीन महीनों में 5 से.मी. (2") बढ़ जाती है।

- **सोने के तरीके**

  अधिकतर नवजात शिशु रात और दिन में हर दो या तीन घंटे में जाग जाते हैं। सोने की यह अल्पावधि उनके जागने की अल्पावधि के साथ बारी-बारी से बदलती रहती है। उनका जागना मुख्य रूप से दूध पीने, उन्हें सूखा और आरामदायक स्थिति में रखने के लिए होता है।

- **प्रतिवर्ती क्रियाएँ**

  किसी विशेष प्रकार के प्रेरक या उद्दीपक के प्रति स्वभाविक जन्मजात प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है। ये नवजात के व्यवहार के व्यवस्थित नमूने या तरीके होते हैं। छोटे बच्चे प्रकाश के सीधे सम्पर्क में आने पर अपनी आँखें जल्दी-जल्दी खोलते और बन्द करते हैं, होठों से छुआई जाने वाली वस्तु को चूसने लगते हैं, उनके हाथों में कोई चीज रखी जाती है तो वे उसे पकड़ लेते हैं। ये सभी कुछ ऐसी प्रतिवर्ती क्रियाएँ हैं, जिनके साथ बच्चे जन्म लेते हैं। नीचे दी गई तालिका में नवजात के मुख्य प्रतिवर्तों को दर्शाया गया है-

	नवजात शिशुओं की प्रतिवर्ती क्रियाएँ
रूटिंग (Rooting)	शिशु अपने गाल को छूने वाली चीजों की तरफ अपना सिर घुमाता है।
कदम बढ़ाना (Stepping)	शिशु अपनी टाँगें हिलाता है जब उसे फर्श से छूते हुए पैरों से सीधा पकड़ा जाए।
तैरना (Swimming)	यदि किसी पानी से भरी जगह में उसे मुँह नीचा कर लिटाया जाए तो वह तैरने जैसी क्रिया यानि पैरों से पैडल चलाना या पानी को किक करने जैसी क्रिया करता है।
मोरो (moro)	शिशु की गर्दन या सिर के नीचे से अचानक सहारा हटा लेने पर वह अपनी बाहें किसी चीज को पकड़ने की तरह बाहर को उठाता या फैलाता है।
बबिंसकी (Babinski)	अपने पैर के बाहरी हिस्से पर कुछ मारने या टकराने पर अपने पैरों को हिलाता है।

स्टार्टल (Startle)	किसी अचानक आवाज़ की प्रतिक्रिया में वह अपनी बाहें खोलता है, पीठ मोड़ता है तथा उँगलियाँ फैलाता है।
पलकें झपकाना (Eye Blink)	आँख पर सीधा प्रकाश पड़ने पर आँखे झपकाता या बंद करता है।
चूसना (Sucking)	होठों पर छुआई गई वस्तु को चूसता है।
पामर ग्रैस्प (Palmar Grasp)	जब कोई वस्तु शिशु के हाथ में रखी जाए तो वह अपनी उँगलियाँ बंद करता है और उसे पकड़ता है।

पाठगत प्रश्न 8.2

कॉलम (क) का कॉलम (ख) से मिलान कीजिए–

क	ख
(क) मोरो प्रतिक्रिया	(i) गाल छुए जाने पर उस दिशा में सिर मोड़ने की शिशुओं की प्रवृत्ति।
(ख) पामर ग्रैस्प (Palmar Grasp)	(ii) सूर्य के प्रकाश में या किसी तेज रोशनी में आने पर शिशु जल्दी-जल्दी आंखें झपकाता है।
(ग) रूटिंग (Rooting)	(iii) शिशु की हथेली में उँगली रखना और उसका उसे पकड़ना।
(घ) बबिंस्की (Babinski)	(iv) गर्दन से सहारा हटने पर शिशु का बाँहें फैलाना।
(ङ) पलकें झपकाना (Eye Blink)	(iv) पैर पर थपकी या चोट करने के जवाब में पैर को हिलाना।

8.3 शैशवावस्था में वृद्धि और विकास

जन्म से एक वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। जन्म के समय शिशु कुछ जन्मजात प्रतिक्रियाएँ प्रदर्शित करते हैं जैसे- चूसना, पलक झपकना और पकड़ना। वे हलके गहरे दृष्टि संबंधी वैषम्यों और गतियों के प्रति संवेदनशील होते हैं और मनुष्य के चेहरों को देखना पसंद करते हैं। ये मनुष्यों की आवाज़ को पहचानना भी प्रारंभ कर देते हैं। शैशवावस्था में प्राप्त योग्यताएँ, भविष्य में प्राप्त की जाने वाली योग्यताओं व कौशलों का आधार बनती हैं।

जन्म से लेकर एक वर्ष तक के बच्चे विकास के आयामों के जो पड़ाव प्राप्त करते हैं, उन पर नजर डालते हैं।

टिप्पणी

8.3.1 प्रसव पूर्व से लेकर शैशवावस्था के पड़ाव

जीवन के पहले वर्ष में शिशु आश्चर्यजनक गति से वृद्धि करते हैं। वे न केवल शारीरिक दृष्टि से यानी वज़न और लंबाई में बढ़ते हैं, बल्कि उन मुख्य उपलब्धियों को प्राप्त करते हैं जिन्हें विकासात्मक पड़ाव कहते हैं।

चित्र 8.2 : शारीरिक विकास के पड़ाव

चित्र 8.3 : संवेदी विकास

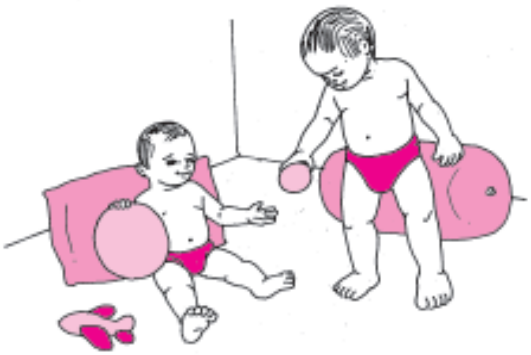

चित्र 8.4 : सामाजिक संवेगात्मक विकास

आयु सीमा के आधार पर शिशुओं की उपलब्धियों की विस्तार से चर्चा निम्नलिखित चार खंडों में विभाजित की गई है।

टिप्पणी

जन्म से तीन माह तक

- **गत्यात्मक कौशल :** प्रारंभ में नवजात का सिर स्थिर नहीं होता। तीन महीने तक, शिशु जब पेट के बल लेटा होता है अपना सिर उठाने और एक ओर से दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश करता है। बच्चा अँगड़ाई लेने और पैर मारने में अधिक सशक्त हो जाता है। यदि आप कोई खिलौना दें, तो आप देखेंगे कि वह उसे झपट लेगा और कुछ क्षणों के लिए कसकर पकड़ लेगा।
- **सुनना :** जन्म से कुछ सप्ताह के भीतर शिशु चुप होकर या मुस्कुराकर आवाज़ के प्रति प्रतिक्रिया करता है। आप, माँ या परिवार के किसी सदस्य की आवाज़ पर उसकी प्रतिक्रिया की अपेक्षा कर सकते हैं।
- **दृष्टि :** दूध पीते समय शिशु माँ के चेहरे पर ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ कर देता है। तीन महीने की उम्र में, वे किसी दृष्टि या ध्वनि से आसानी से विचलित हो सकता हैं। बच्चा विभिन्न जटिल डिजाइनों, विभिन्न रंगों, आकारों और आकृतियों का अवलोकन करना शुरू कर देता है।
- **सम्प्रेषण :** शिशु रोकर अपनी आवश्यकताओं को संप्रेषित करने में सक्षम होते हैं। 2 महीने की उम्र के बच्चे उद्देश्यपूर्ण ढंग से मुस्कराने और किलकिलाने लगते हैं और यदि आप उनके साथ खेले या बात करें तो तुतलाने लगते हैं। वे अपने आस-पास के लोगों के चेहरों के भावों की नकल भी कर सकते हैं। इस आयु के शिशु को जब ध्यान, सुरक्षा और आराम चाहिए होता है तो वे अपने जाने- पहचाने किसी बड़े व्यक्ति के पास जाने की कोशिश करते हैं।

4 माह से 6 माह

तीसरे महीने के बाद शिशु आस-पास के संसार से और अधिक परिचित होने लगते हैं। वे अपने आस-पास के वातावरण को और अधिक जिज्ञासा से देखते हैं।

- **गत्यात्मक कौशल :** शिशु अपने हाथों और पैरों को और अधिक उद्देश्यपूर्ण ढंग से हिलाने-डुलाने और मारने लगते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि शिशु इस आयु में अपने पेट के बल हिलने-डुलने लगते हैं और अचानक पलट भी जाते हैं। उनकी माँसपेशियों में ताकत आती है और सिर के नियंत्रण में भी सुधार होता है। इस आयु के अधिकांश बच्चे उलटा लेटे होने पर अपना सिर उठाने लगते हैं। वे स्वयं से उठने या अपनी टाँगों पर कुछ भार सहन करने लगते हैं। 6 महीने का होने पर कई शिशु बिना किसी सहारे के बैठने लगते हैं। इसके बाद वे रेंगना शुरू करते हैं।
- **आँख-हाथ का समन्वयन :** इस आयु के बच्चे अपने आस-पास की वस्तुएँ जैसे झुनझुने, आदि को पकड़ने की कोशिश करते हैं। वे अपने पास के लोगों की उँगली पकड़ने का भी प्रयास करते हैं। शिशु की पहुँच के भीतर आने वाली हर वस्तु को वह मुँह में डालते हैं। आपने शिशुओं को, चीजों को अपनी ओर खींचते हुए देखा होगा। इसके लिए उन्हें उस चीज को लेने के लिए आँख तथा हाथ का समन्वयन करना होता है। इसके बाद शिशु एक हाथ से दूसरे हाथ में चीजें हस्तांतरित करना प्रारंभ कर देते हैं।

टिप्पणी

- **दृष्टि :** इस आयु के बच्चे अजनबी और जाने-पहचाने चेहरों में अंतर करना प्रारंभ कर देते हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि शिशु, खिलौनों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अपनी उँगलियों और अँगूठे को ध्यान से देखते हैं और अपनी परछाईं को घूरते हैं। इस अवस्था के अधिकांश शिशु चमकदार रंगों की ओर सिर घुमाते हैं। यदि आप फर्श पर कोई गेंद लुढ़काएँ तो शिशु भी उसी दिशा में अपना सिर घुमाता है।
- **संम्प्रेषण :** इस आयु में शिशु तुतलाना, गरगर करना और हँसना शुरू कर देते हैं। वे आस-पास के लोगों के चेहरों के भावों और आवाज़ों के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं और उनकी नकल करते हैं। वे कुछ तुतलाएंगे और फिर आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करेंगे। उनकी स्मरणशक्ति और ध्यान देने की अवधि में भी वृद्धि होती है। वे भाषा के तत्वों और शब्दों को पकड़ना प्रारंभ करते हैं। वे अपना नाम भी पहचानना शुरू कर देते हैं।

7 माह से 10 माह

विकास के लगभग सभी आयामों में बढ़ी हुई क्षमता शिशुओं को अपने शरीर की क्षमता से अधिक करने की अनुमति देता है। वे वस्तुओं और उनके आसपास के लोगों के साथ बेहतर सहभागिता करना शुरू कर देते हैं।

- **गत्यात्मक कौशल :** इस आयु तक शिशु दोनों दिशाओं में उलट सकते हैं, यहाँ तक कि सोते हुए भी। कुछ शिशु स्वयं बैठ सकते हैं, जबकि कुछ को सहारे की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा कि शिशु अब आगे-पीछे झूलना, या कमरे में रेंगना शुरू कर देते हैं। कुछ शिशु खड़ा होने का प्रयास करना भी प्रारंभ कर देते हैं।
- **आँख-हाथ का समन्वयन :** शिशु अधिक परिष्कृत तरीके से सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का प्रदर्शन शुरू करने लगते हैं। अधिकाँश शिशु इस आयु में वस्तुओं को एक हाथ से दूसरे में या सीधे मुँह में डाल लेते हैं। वस्तुओं को हाथ से अपनी ओर खींचना अधिक परिस्कृत हलचल को दर्शाता है, जैसे अँगूठे और पहली उँगुली से वस्तुएँ उठाना। इस बढ़ती दक्षता से शिशु को चम्मच पकड़ने और खाने की वस्तुएँ पकड़ने में सहायता मिलती है।
- **संम्प्रेषण :** शिशु अब ध्वनियों, हाव-भाव और चेहरों के भावों के माध्यम से संप्रेषण करते हैं। अब आपको उनके और अधिक हँसने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वे अब अपना नाम पुकारे जाने पर प्रतिक्रिया करते हैं। वे आवाज के लहजे से संवेगों में अंतर कर सकते हैं। वे सुनी हुई ध्वनियों को दोहराने का प्रयत्न करते हैं।

10 माह से 12 माह

जैसे ही बच्चे अपने पहले जन्मदिन पर पहुँचते हैं, उनकी हरकते लक्ष्य केन्द्रित हो जाती है और वे अपनी योजनाओं को अंजाम देने में सापेक्ष सटीकता प्रदर्शित करते हैं।

- **गत्यात्मक कौशल :** इस आयु के अधिकाँश बच्चे बिना किसी सहारे के स्वयं बैठ सकते हैं और खुद को खड़े होने की स्थिति में ला सकते हैं। नई-नई खोजों के लिए वे कुछ और कदम आगे बढ़ाते हैं। रेंगना, सरकना और फर्नीचर के सहारे चलना आगे चलकर

चलने की क्रिया में बदल जाता है। 12 महीने की अवस्था में शिशु बिना सहारे के एक या दो कदम चल सकते हैं।

- **आँख-हाथ का समन्वयन :** इस आयु के शिशु अपनी उँगलियों से खाद्यपदार्थ को उठाकर खा सकते हैं। वे अँगूठे तथा पहली उँगुली की सहायता से वस्तु को पकड़ सकते हैं। ब्लॉक्स या अन्य वस्तुओं को बजाकर उसकी ध्वनि का आनंद लेते हैं और वस्तुओं को क्रम से लगाते, भरते या एक-दूसरे के भीतर डालते हैं।
- **संज्ञानात्मक कौशल :** आपने 'विकास के आयाम' पाठ में पढ़ा है कि जैसे-जैसे बच्चे की वस्तुओं के स्थायित्व की समझ बढ़ती है, वह छुपी चीजों को आसानी से ढूँढ लेने के योग्य हो जाता है। यद्यपि जब माँ कमरे से बाहर जाती है तो वह रोता-चिल्लाता है किंतु धीरे-धीरे वह यह अनुभव करने लगता है कि आँखों से दूर रहने पर भी माँ है। इस आयु में बच्चे नकल करना प्रारंभ कर देते हैं जैसे बालों में कंघी करना, रिमोट कंट्रोल के बटन दबाना या बड़ों की तरह फोन पर बातें करना। वे कहने पर सही वस्तु जैसे खिलौना आदि की ओर देखने लगते हैं।
- **भाषा :** इस अवस्था के शिशु छोटे-छोटे मौखिक निर्देशों पर प्रतिक्रिया करते हैं और जाने-पहचाने लोगों और घटनाओं से संबंधित शब्दों को समझते हैं। वे कुछ हाव-भाव प्रकट करने में दक्ष हो जाते हैं जैसे 'नहीं' के लिए सिर हिलाना। किसी तक पहुँचने के लिए संकेत करना, टा-टा, आदि।

गतिविधि 8.1

पड़ोस के 0-6 माह के बच्चे का अवलोकन कीजिए और विकासात्मक आयामों के पड़ावों को दर्ज कीजिए-

शारीरिक और गत्यात्मक
संज्ञानात्मक
भाषिक

8.4 टॉडलर अवस्था में वृद्धि और विकास

एक से तीन वर्ष की आयु के बीच की जीवन अवस्था टॉडलर कहलाती हैं। इस उम्र के बच्चों में वृद्धि और विकास की गति बहुत तीव्र होती है। बच्चे अपने आस-पास के वयस्कों का हिस्सा बनना चाहते हैं। जैसे-जैसे वे ज्यादा स्वतंत्र होते जाते हैं, वे बहुत-सी चीजों को स्वयं करने की जिद करते हैं। वे प्रायः ऐसी प्रत्येक वस्तु के लिए आकर्षित होते हैं, जो उनके लिए नई या अलग तरह की होती है।

बच्चे प्रत्येक आयाम में विकास करते हैं जैसे कि शारीरिक गत्यात्मक, भाषायी, संज्ञानात्मक और सामाजिक-संवेगात्मक; जिनकी चर्चा नीचे की जा रही है–

8.4.1 शारीरिक-गत्यात्मक विकास

शारीरिक दृष्टि से टॉडलर का वजन, ऊँचाई और उनके शरीर का अनुपात शिशुओं की तुलना में तेजी से बदल जाता है। इसीलिए उनमें स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों का विकास होता है। इस अवस्था में टॉडलर में कौशल और समन्वयन कई गुना बढ़ जाते हैं। वे अपने प्रतिदिन के कार्यों, विशेष रूप से खेल में, शरीर पर बढ़ते नियंत्रण और आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन करते हैं। इस अवस्था के दौरान बच्चे जो शारीरिक-गत्यात्मक विकास के कुछ पड़ाव प्राप्त करते हैं, वे हैं:

टॉडलर अवस्था (1-3) विभिन्न आयामों में तीव्र वृद्धि और विकास का समय है।

चित्र 8.5 : एक टॉडलर (1-3 वर्ष)

स्थूल गत्यात्मक कौशल

- अपने आप चलता है।
- पीछे की ओर चलता है।
- खड़े-खड़े ही खिलौने उठा लेता है।
- वस्तुओं को धकेलता और खींचता है।
- फर्नीचर के ऊपर चढ़ता और नीचे उतरता है।
- दौड़ना प्रारंभ कर सकता है।

सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल

- टेढ़ी-मेढ़ी लकीरे खींचता है और चित्र बनाता है।
- एक हाथ का प्रयोग दूसरे की अपेक्षा अधिक कर सकता है।
- गेंद को पकड़ता, रोकता और फेंकता है।
- बर्तन को उलटता है और खाली कर देता है।
- खुद को खिलाता है।

8.4.2 सामाजिक-संवेगात्मक विकास

टॉडलर भय, प्रसन्नता और आनंद, आदि संवेगों की एक शृंखला दिखाते हैं। तीन वर्ष तक पहुँचते-पहुँचते वे ईर्ष्या, प्रेम, गर्व, शर्म जैसे जटिल संवेगों को भी अभिव्यक्त करने लगते हैं। वे यह भी जानने लगते हैं कि दूसरे क्या अनुभव करते हैं और उनकी मानसिक दशा को समझने

लगते हैं। वे अकेले खेलने या अपने आस-पास दूसरों के साथ खेलने का आनंद लेते हैं, किंतु अपने खिलौने दूसरों के साथ साझा करना पसंद नहीं करते। दृढ़ता के साथ 'न' कहना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वे आत्मनिर्भर होना चाहते हैं जबकि वे अब भी आश्रित होते हैं। कई बार उनसे जो कहो, उसका उलटा करते हैं और बड़ी सरलता से नाराज या असंतुष्ट हो जाते हैं। खेल, टॉडलर को सामाजिक रूप से विकसित होने के अवसर प्रदान करते हैं।

सामाजिक-संवेगात्मक विकास के कुछ महत्वपूर्ण पड़ाव इस प्रकार हैं-

- दर्पण में स्वयं को पहचानने लगते हैं।
- परिवार के लोगों की पहचान करने लगते हैं।
- दूसरों के साथ खेलने में आनंद लेते हैं और खेलना रोक देने पर रोने लगते हैं।
- चेहरे और शरीर के माध्यम से अपनी बात कहने और अभिव्यक्त करने लगते हैं।
- चेहरे के कुछ भावों की नकल करते हैं।
- माँ तथा देखभाल करने वाले के साथ सुरक्षा और जुड़ाव की भावना विकसित करते हैं।

8.4.3 संज्ञानात्मक विकास

टॉडलर यद्यपि संज्ञानात्मक दृष्टि से अपने परिवेश की एक अव्यवस्थित सी समझ बनाने लगते हैं किंतु शीघ्र ही वे एन्द्रिक सूचनाओं को समन्वित करना सीख जाते हैं।

जैसाकि **जीन पियाजे** का मानना है कि टॉडलर पहला बौद्धिक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं और इस आयु तक स्वतंत्र रूप से सोचने के योग्य हो जाते हैं।

वे जानबूझकर सोद्देश्य अपने वातावरण से प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। वे प्रयास और त्रुटि विधि (Trial and Error) से नई-नई गतिविधियाँ सीखते हैं और घटनाओं का पूर्वानुमान लगा लेते हैं, फिर भी उनका ध्यान केवल परिवेश में विद्यमान मूर्त वस्तुओं पर ही आकर्षित होता है। वे अमूर्त के बारे में नहीं सोच सकते। इस अवस्था में वे कुछ करने से पहले उसके बारे में सोच सकते हैं। टॉडलर जाने-पहचाने लोगों और वस्तुओं के नाम बताने लगते हैं। वे अपने परिवेश में दूसरों का अनुकरण करते हैं और दूसरों को भी इस खेल में शामिल करना प्रारंभ कर देते हैं। टॉडलर के संज्ञानात्मक उपलब्धियों के कुछ पड़ाव हैं:-

- अपने आस-पास के लोगों और वस्तुओं का नाम पहचानने लगते हैं।
- छुपी हुई वस्तुओं को खोजते हैं, यानी वस्तु स्वामित्व विकसित होता है।
- अलग-अलग प्रकार की नकल करना सीख जाते हैं।
- वे शब्दों और आदेशों को समझते हैं और भली प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं।
- वे 'तुम' और 'मुझे' में अंतर करते हैं और 'मुझे' तथा 'मेरा' सर्वनाम का प्रयोग करते हैं।

टिप्पणी

- समान वस्तुओं का मिलान करना शुरू कर सकते हैं।
- लक्ष्य निर्देशित व्यवहार का प्रदर्शन करने लगते हैं।

8.4.5 भाषायी विकास, संप्रेषण और अप्रत्याशित साक्षरता

भाषा अपने विचारों और बातों को दूसरों तक पहुँचाने का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अत: छोटे बच्चों में भाषा के विकास को समझना बहुत ही आवश्यक है। एक से तीन वर्ष के समय में टॉडलर में शब्दों के प्रयोग और उनकी समझ तेजी से बढ़ती है।

एक वर्ष की आयु के ज्यादातर बच्चे समझ में आने वाले दो या तीन शब्द बोल लेते हैं और जब तक वे तीन वर्ष के होते हैं, वे दो या तीन वाक्य बोलकर बात करना सीख जाते हैं। एक से दो वर्ष की आयु के बीच बच्चे नियमित रूप से नये शब्द सीखते हैं। शुरुआत में वे दो या तीन शब्द इकट्ठा बोल पाते हैं। दो से तीन वर्ष की आयु के बीच ज्यादातर टॉडलर लगभग 300 शब्द सीख लेते हैं। टॉडलर सरल प्रश्नों को समझना प्रारंभ कर देते हैं तथा साधारण निर्देशों का अनुपालन करने योग्य हो जाते हैं।

आपने अकसर इस आयु के बच्चों को कहते सुना होगा, ''नहीं'', या मैं इसे कर सकता हूँ'' या ''इसे मुझे करने दो''। इससे यह पता चलता है कि टॉडलर अपनी आत्मनिर्भरता प्रदर्शित करने के लिए भाषा का एक साधन के रूप में प्रयोग करता हैं।

टॉडलर उनसे कही गई सब बातें सुनते हैं और अकसर बड़े लोगों की अपेक्षा से बेहतर समझते हैं। वे बात करने वाले के ढंग के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब टॉडलर शब्दों के द्वारा बातचीत करना सीख जाते हैं तो आवश्यकता पड़ने पर उनके लिए सहायता माँगना आसान हो जाता है।

आइए, भाषायी विकास के कुछ पड़ावों का अध्ययन करते हैं।

नीचे दी गई तालिका में टॉडलर की भाषिक क्षमताओं का सारांश दिया गया है-

1-2 वर्ष	2-3 वर्ष
• विभिन्न व्यंजन ध्वनियों का प्रयोग करता है। • वह उन खास चीजों की ओर जिन्हें वह चाहता/चाहती है, संकेत करता है। • सरल आदेशों का पालन करता है। जैसे- गेंद को लुढ़काओ और सरल प्रश्नों को समझता है जैसे- तुम्हारा जूता कहाँ है?	• लगभग प्रत्येक वस्तु के लिए शब्द का प्रयोग करता है। • वह बात करने या कोई वस्तु माँगने के लिए दो या तीन शब्दों का एक साथ प्रयोग करता है। • इस तरह बोलता है कि परिवार के सदस्य या मित्र उसकी बात समझ लेते हैं।

- एक या दो शब्दों को मिलाकर बोलता है जैसे 'और बिस्कुट' या 'जूस नहीं'.
- शरीर के कुछ अंगों के नाम जानता है और पूछने पर उनकी ओर संकेत करता है।
- पुस्तकों में नामित किए गए चित्रों की ओर संकेत करता है।
- 'नहीं' व 'ज्यादा' जैसे शब्दों का प्रयोग करता है।
- नाम पहचानता है और सामान्य वस्तुओं को चुनता है।
- सरल कहानियों, गानों और कविताओं का आनंद उठाता है।
- वस्तुओं को उनका नाम लेकर माँगता है. या उनकी ओर ध्यान आकृष्ट करता है।
- साधारण प्रश्नों के उत्तर देता है। जैसे:- वह क्या है?, या तुम्हारा नाम क्या है? या तुम कितने साल के हो?
- दो से कम चरणों वाले निर्देशों का पालन करता है। जैसे- अपने जूते खोजो और अपनी पोशाक लाओ।
- मौखिक भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करना प्रारंभ करता है, जैसे- बहुवचन: 'गेंदें', संबंधबोधक:'के नीचे', 'के पीछे', संशोधक: 'कुछ', 'बहुत', संबंधवाचक: 'मेरा', 'उसका', विशेषण, 'सुंदर', तथा भूतकाल दिखाने के लिए 'हो गया था' आदि।
- अस्पष्ट लिखना, टेढ़ी-मेढ़ी लकीरें खींचना,, रंग और चित्र बनाना है।

पाठगत प्रश्न 8.3

नीचे दिए गए कथन सत्य हैं अथवा असत्य, लिखिए–

(क) टॉडलर खड़े होकर खिलौने उठा सकता है।

(ख) तीन वर्ष का बच्चा स्वयं को दर्पण में नहीं पहचान पाता है।

(ग) तीन वर्ष के बच्चे की भाषा परिवार वालों को आसानी से समझ में नहीं आती है।

(घ) टॉडलर नयी गतिविधियाँ करना पसंद करते हैं तथा प्रयास एवं त्रुटि द्वारा सीखते हैं।

गतिविधि 8.2

एक टॉडलर का अवलोकन कीजिए तथा भाषायी और शारीरिक विकास की चर्चा कीजिए।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- प्रसव पूर्व के चरण में शामिल है:

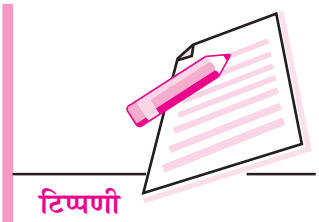

प्रसवपूर्व अवस्था
- डिम्बावस्था (0-2 सप्ताह)
- भ्रूणावस्था (3-8 सप्ताह)
- गर्भावस्था (9 सप्ताह से जन्म तक)

- टेराटोंजेन किसी रोग, दवा, या अन्य पर्यावरणीय का कारक है, जो विकसित होते डिंब या भ्रूण को हानि पहुँचा सकते हैं जो शारीरिक विकृति, वृद्धि का पिछड़ना और मस्तिष्क की क्षति का कारण बन सकते हैं।
- नवजात शिशु में नाभिरज्जु, त्वचा, बाल, सिर, वजन, लम्बाई, सोने के तरीके और प्रतिवर्ती क्रियाएँ आदि विशेषताएँ होती हैं।
- विभिन्न क्षेत्रों में शिशुओं के विकास के कई पड़ाव होते हैं–जैसे कि गत्यात्मक कौशल, सुनना, दृष्टिकोण, और संप्रेषण।
- बच्चों के प्रारम्भिक वर्षों में उनके अधिकतम वृद्धि और समग्र विकास के लिए जो प्रेरक दिया जाता है उसे प्रारंभिक उद्दीपन कहा जाता है।
- टॉडलर अवस्था में वृद्धि और विकास की गति तीव्र होती है। शारीरिक गत्यात्मक, सामाजिक संवेगात्मक, भाषायी और संज्ञानात्मक आदि अनेक विकासात्मक पड़ाव होते हैं। बच्चों से यह उम्मीद की जाती है कि वे अपनी उम्र के अनुसार अपने विकासात्मक पड़ावों को प्राप्त करें। यदि उनके विकास में किसी भी प्रकार की बाधा आती है तो उसका तुरन्त समाधान करना चाहिए।

पाठान्त प्रश्न

1. आरती और उसकी माँ एक खिलौने से खेल रही है। आरती की माँ, आरती के सामने खिलौने को छुपा लेती है। आरती तब अपनी माँ के पीछे खिलौने की तलाश शुरू कर देती है। आरती की आयु लगभग क्या है? अपने उत्तर के लिए तर्क दीजिए।
2. शिशुओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले पड़ावों को चिह्नित करते हुए उनके शारीरिक विकास की रूपरेखा बनाइए।
3. आप यह बताने के लिए कि एक नवजात शिशु स्वस्थ है और उसका विकास सामान्य है क्या मापदंड उपयोग करेंगे।
4. निम्नलिखित अवस्थाओं में एक बच्चा झुनझुने के साथ कैसी प्रतिक्रिया करेगा?
   - दो सप्ताह
   - तीन महीने
   - 6 महीने
   - 10 महीने

- 15 महीने
- 21 महीने

5. विकासशील भ्रूण तथा गर्भ को नुकसान पहुँचाने वाले प्रमुख वातावरणीय कारक क्या हैं?
6. आपने अपने पड़ोस में एक दस महीने के बच्चे का अवलोकन किया जो हर समय चारपाई पर पड़ा रहता है। बच्चा खड़े होने का कोई प्रयास नहीं करता। आप उस बच्चे के माता-पिता को क्या सलाह देगें?
7. शिशुओं द्वारा प्राप्त किये जाने वाले भाषायी पड़ावों पर टिप्पणी कीजिए।
8. शैशवावस्था की अवधि में कौन-से संज्ञानात्मक पड़ाव प्राप्त किए जाते हैं?

आपने क्या सीखा

8.1

(क) iii

(ख) ii

(ग) i

(घ) iv

8.2

(क) iv

(ख) iii

(ग) i

(घ) v

(ङ) ii

8.3

(क) सत्य

(ख) असत्य

(ग) असत्य

(घ) सत्य

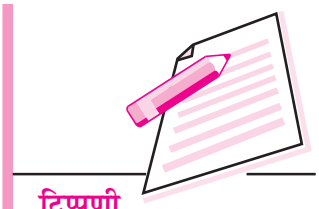

टिप्पणी

शब्दकोष

- **Immunoglobulins–** ये एक प्रकार के (एंटीबाडीज) (Antibodies) होते हैं, जो माँ से बच्चे के अन्दर जाते हैं और बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं, जो बच्चे को विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया और संक्रामक रोगों से की रक्षा करते हैं।

संदर्भ

- Berk, L. (2012). *Child Development (9thEdition).* Prentice Hall of India.
- Hurlock, E.B. (2007*). Developmental Psychology: A life-span approach*. New Delhi: Tata Mc Graw-Hill.
- National Immunization Schedule for Infants and Children, Government of India (2008). Immunization Handbook for Medical Officers. New Delhi: Department of Health and Family Welfare, Ministry of Health and Family Welfare. Retrieved from http://www.nihfw.org/pdf/nchrc-publications/immunihandbook.pdf
- Papalia, D.E.; Olds, S.W. & Feldman,R. D.(2006). *Human development (9th Ed.)* New Delhi: Tata Mc Graw-Hill.
- Santrock, J.W. (2011).*Child Development (13th Ed.).*New Delhi: Mc Graw Hill.
- Santrock, J. W. (2012). *Life Span Development (13th Ed.).* New Delhi: Mc Graw Hill.
- Singh, A. (Ed). (2015). *Foundations of Human Development*. New Delhi: Orient Blackswan.
- Srivastava, A.K. (1997). *Child Development: An Indian Perspective*. New Delhi: NCERT.

9

बाल विकास की अवस्थाएँ :
– 3 वर्ष से 6 वर्ष तक
– 6 वर्ष से 8 वर्ष तक

जब बच्चे 3–6 वर्ष की उम्र के दायरे में होते हैं, वे प्री–स्कूल में जाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। जैसे ही बालक 6–8 वर्ष के दायरे में पहुँचते हैं, वे पूर्व प्राथमिक अवस्था में चिह्नित किये जाते हैं।

पिछले अध्याय में आपने भ्रूण विकास, शिशुओं के जन्म और उनके शैशवास्था के विषय में पढ़ा। आपने जन्म से तीन वर्ष तक के विकास के विभिन्न पड़ावों के बारे में भी पढ़ा। प्रस्तुत अध्याय में आप शैशव अवस्था, पूर्व विद्यालयी अवस्था और पूर्व प्राथमिक अवस्था के विभिन्न पक्षों में विकास के स्वरूप के बारे में जानेंगे।

आइए, इनके बारे में विस्तार से जानते हैं।

अधिगम प्रतिफल

इस पाठ के अध्ययन के बाद आप–

- 3–6 वर्ष के बच्चों की विकासात्मक विशेषताओं और आवश्यकताओं की व्याख्या करते हैं;
- 3–6 वर्ष के बच्चों में विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित विकास के पड़ावों के संदर्भ में उनका वर्णन करते हैं;
- 6–8 वर्षों के दौरान बाल विकास के पहलुओं का वर्णन करते हैं;
- 6–8 वर्ष के बच्चों की विशेषताओं और विकासात्मक आवश्यकताओं का वर्णन करते हैं; और
- बच्चे के विकास में खेल के महत्व की चर्चा करते हैं।

टिप्पणी

9.1 3-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का विकास

पूर्व-विद्यालयी अवस्था माँसपेशियों के विकास तथा समन्वयन प्राप्त करने का समय है। इसी समय बालकों में सोचने और बोलने की योग्यताएँ भी विकसित होती हैं। उनकी अवलोकन क्षमता, स्मरण शक्ति और शाब्दिक योग्यताओं में तेजी से परिवर्तन होता है जो उन्हें अपने चारों तरफ के संसार को अच्छी तरह समझने में मदद करता है। पूर्व-विद्यालयी बच्चे स्वयं को अपने आस-पास के परिवेश के अनुकूल बनाने के योग्य हो जाते हैं। पूर्व-विद्यालयी वर्षों में बच्चे अनिवार्य जीवन कौशल जैसे कि स्वयं कपड़े पहनना, भोजन करना आदि सीखते हैं और इस प्रकार कई बातों में आत्मनिर्भर होकर बढ़ने लगते हैं। इसी समय स्कूल जाने की तैयारी में बच्चे अपने माता-पिता और परिवार से अलग होना सीखते हैं।

नीचे के खंडों में पूर्व-विद्यालयी बच्चों के शारीरिक-गत्यात्मक, सामाजिक-संवेगात्मक, संज्ञानात्मक और भाषायी विकास का वर्णन किया गया है।

9.1.1 शारीरिक और गत्यात्मक विकास

3 से 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों में, नवजात शिशुओं की अपेक्षा वृद्धि धीमी गति से होती है, पर स्थिर रहती है। उनकी माँसपेशियों के विकास और समन्वयन में हो रही वृद्धि यह सुनिश्चित करती है कि वे शारीरिक रूप से अब ऐसे बहुत-से काम कर सकते हैं जो वे पहले नहीं कर सकते थे। 3-6 वर्ष की आयु के बच्चों के भार में प्रतिवर्ष लगभग 4 से 5 पौंड तथा कद में दो से तीन इंच की वृद्धि होती है। अब उन्हें पहले से कम नींद की आवश्यकता होती है। इस अवस्था में बच्चों की मांसपेशियों और अस्थियों में वृद्धि होती है और वे शारीरिक दृष्टि से अधिक मजबूत और ताकतवर हो जाते हैं। उनके श्वसन, रक्त परिभ्रमण और उत्सर्जन तंत्रों की क्षमताओं का विकास होता है जिससे उनमें गत्यात्मक कौशलों के विकास को बढ़ावा मिलता है।

जैसे-जैसे उनके आँख-हाथ का समन्वयन बेहतर होता है उनमें दौड़ने, फेंकने, कूदने, उछलने की क्षमता विकसित होती है। इन स्थूल गत्यात्मक कौशलों के साथ सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल जिनमें माँसपेशियों की सूक्ष्म गतिविधि होती है, का प्रयोग करने में भी सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि अब वे अपनी छोटी माँसपेशियों का कुशलतापूर्वक प्रयोग करने लगते हैं। अत: अब वे क्रेयान से चित्र बनाना, चम्मच से खाना, बटन बंद करना और जूते के फीते बाँधना, आदि कार्यों में कुशल हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि पूर्व-विद्यालयी बच्चों के घरों की दीवारें रंगों से बने चित्रों से भरी होती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पूर्व-विद्यालयी बच्चा शारीरिक रूप से समन्वयन कर लेता है, और दीवार तक पहुँचकर अपनी सूक्ष्म गत्यात्मक माँसपेशियों का प्रयोग करते हुए दीवार पर चित्र बना लेता है। इस आयु तक प्राप्त हो जाने वाले कुछ स्थूल और सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल इस प्रकार हैं-

स्थूल गत्यात्मक कौशल

- दौड़ने, भागने, कूदने, फेंकने, किक मारने में अधिक दक्ष होना

टिप्पणी

- उछलती गेंद को पकड़ना
- साइकिल के पैडल चलाना (3 वर्ष), साइकिल को चलाते हुए इधर-उधर मोड़ना (4 वर्ष)
- एक पैर से उछलना (लगभग 4 वर्ष) और बाद में पाँच सैकेंड तक एक पैर पर संतुलन बनाना
- एड़ी एवं पंजों पर चलना। (लगभग 5 वर्ष में)

सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल

- वृत, वर्ग एवं त्रिभुज की आकृति बनाना
- बिना धारवाली कैंची का प्रयोग प्रारंभ करना तथा सीधी लाइन पर कैंची से काटना
- किसी की देखरेख में स्वयं कपड़े पहनना
- ठीक से कपड़े पहनना
- खाते समय चम्मच एवं काँटे को ठीक से पकड़ना
- छुरी से मक्खन, जैम, आदि फैलाना

9.1.2 सामाजिक और संवेगात्मक विकास

सामाजिक और संवेगात्मक विकास में पूर्व-विद्यालयी बच्चों की स्वयं के बारे में समझ, उनकी भावनाओं और दूसरों के साथ सम्बन्ध बनाना आदि उनके सामाजिक और गत्यात्मक विकास का हिस्सा हैं। पूर्व-विद्यालयी बच्चे अकसर सोचते हैं कि 'वे कौन हैं'। यह 'मैं' के रहस्य से जुड़ा पहला प्रश्न है। हमारा **'आत्म-प्रत्यय'** हम कौन हैं, हम अपनी योग्यताओं को कैसे देखते हैं? अपना वर्णन करने के लिए हम किन गुणों या विशेषताओं का वर्णन करते हैं, आदि से मिलकर ही बनता है।

'टॉडलर' अवस्था में बच्चों में आत्मजागरूकता आ जाती है। जब बच्चे पूर्व-विद्यालयी अवस्था तक पहुँचते हैं तो उनकी अपने बारे में जानकारी में विस्तार और व्यापकता आ जाती है। वे स्वयं के बारे में बताने के लिए अनेक विशेषताएँ जोड़ लेते हैं। वे अधिकतर ध्यान दिए जाने योग्य मूर्त और शारीरिक विशेषताओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। वे अपने बारे में बताते हुए अकसर अपने नाम, अपनी चीजों, खिलौनों और घर के सदस्यों के बारे में ही बताते हैं। वे अपनी आयु वाली उपलब्धियों की चर्चा करते हैं, जैसे 'मैं तेज दौड़ता हूँ।'

इस आयु में लैंगिक पहचान भी होने लगती है। इस आयु के बच्चे अपने आप को 'लड़का'-'लड़की' में वर्गीकृत करने के योग्य हो जाते हैं और अपने लिंग के अनुसार ही कपड़े पहनना या सजना-सँवरना पसंद करते हैं। वे लिंग के मुताबिक सही भाषा का प्रयोग करते हैं और उनके खेलों में भी लैंगिक भिन्नता नज़र आने लगती है।

टिप्पणी

पूर्व-विद्यालयी बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेलने एवं काम करने के लिए आवश्यक सामाजिक कौशल सीखते हैं। यद्यपि 4-5 वर्ष के बच्चे नियमों के अनुसार खेलना शुरू कर देते हैं, किंतु अकसर किसी 'प्रभावशाली' बच्चे के कहने पर उनके ये नियम बदल जाते हैं।

पूर्व-विद्यालयी बच्चे अपनी भावनाओं को समझना प्रारंभ कर देते हैं और उनके बारे में बात कर सकते हैं। वे समझते हैं कि कुछ परिस्थितियों में संवेगों में तीव्रता आ सकती है तथा अब वे अपने संवेगों को शब्दों में कह सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। इसके लिए उनके पास शब्द भंडार होता है। यह भी कहा जाता है कि इस अवस्था में हो सकता है कि बच्चे जटिल संवेगों को न समझ पाएँ या बोलकर अभिव्यक्त न कर पाएँ। अत: ऐसे में उन्हें अपने संवेगों को नियंत्रित करने या सँभालने के लिए माता-पिता या बड़े लोगों की सहायता की आवश्यकता हो सकती है। यद्यपि वे अपनी भावनाओं को सँभालना सीख लेते हैं और दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील भी होते हैं तथापि कई बार यह भी हो सकता है कि अधिक उग्र या शर्मिंदा होने पर वे यह न समझ सकें कि उन्हें क्या करना चाहिए।

एरिक्सन (1950) के अनुसार यह वह अवस्था है जब बच्चा योजना बनाने में पहल करना चाहता है या स्वयं अपने लिए काम करना चाहता है। ऐसा करने से उसमें सकारात्मक की भावना आती है। यदि बच्चे को स्वयं कुछ करने से बार-बार रोका जाए तो उसमें अपराध-बोध की भावना पैदा हो सकती है और यह बच्चे की आत्म-प्रत्यय के लिए हानिकारक हो सकता है।

पूर्व-विद्यालयी बच्चों के कुछ सामाजिक-संवेगात्मक कौशल इस प्रकार हैं-

- अपने बारे में बताना
- आत्म-प्रत्यय का उभरना
- अपनी भावनाओं और संवेगों के बारे में बात करना
- जटिल संवेगों, जैसे अपराध बोध, शर्म, गर्व, आदि का उभरना
- कहानी सुनाना और घटनाओं का वर्णन करना
- पहल, जिज्ञासा और अन्वेषण या खोज-बीन को प्रदर्शित करना

9.1.3 संज्ञानात्मक विकास

क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि पूर्व-विद्यालयी बच्चे अकसर अपने आस-पास के संसार के बारे में बहुत से प्रश्न करते हैं। कई बार वे मूलभूत तर्क देते हैं और कई बार किसी स्थिति में असमंजस में पड़ जाते हैं। पूर्व-विद्यालयी बच्चों की आस-पास के संसार के प्रति बढ़ती जागरूकता, तर्क और अंतर्दृष्टि आदि उनको समझने में सहायक सिद्ध होती हैं।

इस खंड में हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे कि पूर्व-विद्यालयी बच्चों में ज्ञान का विकास कैसे होता

टिप्पणी

है, कैसे उनकी बढ़ती संज्ञानात्मक योग्यताएँ अपने आस-पास के संसार को समझने में उनकी सहायता करती हैं।

शैशवावस्था के अंत तथा पूर्व-विद्यालय के प्रारंभ में बच्चों के विचारों की जटिलता में काफी वृद्धि होती है। जीन पियाजे के अनुसार 2-7 वर्ष की आयु के बीच की अवधि पूर्व-सक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में उनकी सोच अतार्किक, अव्यवस्थित और कठोर होती है। एक अन्य योग्यता जो विशेष रूप से पूर्व-विद्यालयी बच्चों में विकसित होती है, वह है **प्रतीकात्मक सोच** में डूबना यानी उन्हें किसी वस्तु, व्यक्ति या घटना के बारे में सोचने के लिए उसके वास्तविक संपर्क में होने की आवश्यकता नहीं होती। वे किसी वस्तु या व्यक्ति की कल्पना कर सकते हैं और अपनी सादृश्यमूलक योग्यताओं का उस वस्तु या व्यक्ति का स्मरण करने और उसके गुणों के बारे में निष्कर्ष निकालने में प्रयोग करते हैं।

प्रतीकात्मक कार्य : पूर्व विद्यालयी बच्चों में प्रतीकों जैसे शब्द या संख्या का प्रयोग करके इन वस्तुओं का नाम बताने की योग्यता होती है। इस प्रकार प्रतीकों का प्रयोग बच्चों को किसी वस्तु की मूर्त उपस्थिति से मुक्ति दिलाता है और वे उनके बारे में याद रख सकते हैं और सोच सकते हैं। प्रतीकों, शब्दों और अंकों के माध्यम से उन चीजों के नाम बताने की क्षमता उनमें होती है।

स्थानिक चिंतन : इस आयु वर्ग के बच्चे स्थानिक संबंधों को पहले से थोड़ा और अच्छी तरह समझने लगते हैं। वे यह बात समझ सकते हैं कि एक चित्र किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व करता है जो भले ही सामने न हो, पर उसका अस्तित्व है। हो सकता है कि वे चित्र और वास्तविक वस्तु के बीच के संबंध को ठीक से न समझ सकें।

कार्य-कारण संबंध : इस अवस्था में बच्चे जानी-पहचानी समान घटनाओं के कारण सोच पाने के योग्य होते हैं, जैसे कि वे सोच सकते हैं कि सभी सजीव वस्तुएँ पोषण मिलने पर आकार में बढ़ती हैं। वे अपने प्राकृतिक परिवेश के अवलोकन के आधार पर या अपने माता-पिता या दूसरों से ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर इन तर्कों पर पहुँचते हैं। वे अभी भी कार्य-कारण के बारे में तर्कपूर्ण उत्तर नहीं दे सकते। एक ही स्थान और समय पर हुई दो घटनाओं का कारण और प्रभाव मानकर जोड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए– एक पूर्व-विद्यालयी बच्चा सोच सकता है कि उसने अपने भाई/बहन के बारे में बुरा सोचा इसलिए वह बीमार पड़ गया/गयी। अपने सहोदर के संबंध में बुरा सोचने और उसी समय उसके बीमार पड़ जाने के कारण बच्चे ने एक गलत धारणा बना ली कि दोनों घटनाएँ आपस में जुड़ी हैं और एक घटना दूसरी का कारण है।

वर्गीकरण और समानताएँ : वर्गीकरण का संबंध बच्चे की वस्तुओं में समानताएँ और असमानताएँ पहचानने की योग्यता से है। इस अवस्था में बच्चों में पूरी समझ विकसित नहीं हो पाती पर वे वस्तुओं को 'अच्छा-बुरा', 'दोस्त-दोस्त नहीं', 'खाने योग्य-न खाने योग्य', बर्तन, फर्नीचर, आदि के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त इस अवस्था में बच्चे वर्गीकरण में पूरी तरह कुशल नहीं होते। वे निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव वस्तुओं जैसी विशेषताएँ बता सकते हैं और उन्हें सजीव ही मान लेते हैं। पियाजे ने इस संज्ञानात्मक कमी को **एनीमिज्म** (animism) का नाम दिया है।

आपने 'विकास के आयाम' पाठ में पढ़ा है कि पूर्व-विद्यालयी बच्चों में पहचानने की समझ विकसित होती है यानी वे यह समझते हैं कि व्यक्ति या वस्तुओं का बाह्य रंग-रूप, आकार या आकृति बदल जाने पर भी वे वैसे ही रहती हैं। यह उन्हें अपने आस-पास के संसार में व्यवस्था और पूर्वानुमेयता को देखने-समझने में मदद करती है। किंतु प्री-स्कूल बच्चों की पहचानने की समझ पूरी तरह विकसित नहीं होती। इस अवस्था के बच्चों में विपरीत या पलटकर सोचने की शक्ति (Reversability) का भी अभाव होता है। पूर्व-विद्यालयी बच्चे यह नहीं समझ पाते कि किसी कार्य को पलटकर भी किया जा सकता है और एक व्यक्ति पलटकर उसी स्थान पर पहुँच सकता है जहाँ से उसने प्रारंभ किया था। उदाहरण के लिए, एक बच्चा जो छोटे और चौड़े गिलास की अपेक्षा लंबे तथा पतले गिलास में पानी पीने का हठ करता है यह नहीं समझता कि छोटे चौड़े गिलास से पानी को लंबे गिलास में पलटा जा सकता है और तब दोनों गिलासों में पानी की मात्रा समान दिखेगी।

आत्मकेंद्रिता : पियाजे के अनुसार, पूर्व-विद्यालयी बच्चे अपने दृष्टिकोण पर ही केंद्रित होते हैं और दूसरे के नजरिये को नहीं समझते। इसका अध्ययन करने के लिए पियाजे ने एक 'थ्री माउंटेन टास्क' का प्रारूप बनाया जिसमें जहाँ बच्चा बैठा था, ठीक उसके सामने एक गुड़िया को रख दिया। बच्चे से पूछा गया कि गुड़िया को सब चीजें कैसी दिख रही होगी। पियाजे को पता चला कि बच्चे ने यह नहीं बताया कि गुड़िया को चीजें कैसी दिख रही होंगी, बल्कि उसने अपने नजरिये या परिप्रेक्ष्य से उत्तर दिए और अपने दृष्टिोण से कल्पना की। इसे ही आत्मकेंद्रिता कहते हैं।

आयु के साथ-साथ बच्चों की संज्ञानात्मक योग्यताएँ बढ़ती जाती हैं और वे अपनी सीमाओं पर काबू पा लेते हैं।

आइए, अब पूर्व-विद्यालयी बच्चों में भाषिक विकास को समझें।

9.1.4 भाषिक विकास, संप्रेषण एवं उभरती साक्षरता

जैसा कि इस अध्याय में पहले कहा गया है कि पूर्व-विद्यालयी बच्चों के पास प्रश्न बहुत होते हैं। प्रश्न पूछना केवल बढ़ती संज्ञानात्मक योग्यताओं के कारण ही नहीं होता, बल्कि बच्चों द्वारा अर्जित भाषिक योग्यताओं के कारण भी संभव होता है। इस अवस्था में उनके शब्द भंडार में वृद्धि होती है और वे प्रतिदिन की बातचीत में शब्दों को ज़्यादा आसानी से समझने और प्रयोग करने योग्य हो जाते हैं। पूर्व विद्यालयी बच्चे पहली बार सुने गए कठिन शब्दों के अर्थ को शीघ्रता से समझ लेते हैं। इसे तीव्र प्रतिचित्रण कहते हैं। इससे वे शब्दों को जल्दी समझ लेते हैं। उनमें एक सहज प्रवृत्ति भी होती है जिसके द्वारा वे शब्दों से वाक्य बनाना सीखते हैं।

पूर्व-विद्यालयी अवस्था तक आते-आते बच्चे दो से तीन शब्दों के वाक्य बना लेते हैं। वे सही ढंग से वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। तीन वर्ष की आयु में वे बहुवचन, भूतकाल, संबंध वाचक आदि का प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं। वे 'मैं', 'मुझे', 'तुम', 'हम' आदि का उपयुक्त प्रयोग अपनी दैनिक बातचीत में करने लगते हैं।

इस अवस्था में बच्चे भाषा के व्यावहारिक प्रयोग में कुशल हो जाते हैं। इसे व्यवहारशीलता कहते हैं। वे समझते हैं कि किससे, कैसे बात करनी है। भाषा के सामाजिक पक्ष में कुशलता

टिप्पणी

आती है। वे सामाजिक नियमों को समझते हैं और अपनी माँगे रखने के लिए लंबे वाक्यों के प्रयोग करने और कहानी कहने में निपुण हो जाते हैं। यदि वे देखते हैं कि दूसरे उनकी बात नहीं समझ रहे हैं तो वे अपनी बात दोहराते हैं या अलग तरीके से कहने का प्रयास करते हैं।

सभी बच्चे एक नियमित विकास पथ का पालन नहीं करते। कुछ बच्चों का भाषिक विकास कुछ देर से भी हो सकता है। कुछ बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। जीवन के शुरुआती दिनों में पर्याप्त भाषायी प्रोत्साहन मिलने पर बच्चों का भाषायी विकास ठीक होता है।

पूर्व-विद्यालयी बच्चों की भाषिक कुशलताओं का सारांश निम्नलिखित है-

- सर्वनामों और सम्बन्ध वाचकों का उपयुक्त प्रयोग करना
- तीन शब्दों के साधारण वाक्यों का प्रयोग करना
- आकार संबंधों जैसे कि 'छोटा', 'बड़ा', आदि, को प्रकट करना
- तीन चरण वाले आदेशों का पालन करना
- दस तक गिनना
- चार रंगों के नाम बताना
- शिशु गीतों और शब्द खेलों का आनंद लेना
- 'क्यों' वाले प्रश्नों के उत्तर देना
- स्वयं से बातें करना

पाठगत प्रश्न 9.1

रिक्त स्थान भरिए-

(क) निर्जीव वस्तुओं में सजीव वस्तुओं के गुण बताना.....कहलाता है।

(ख) .....का संबंध बच्चों की वस्तुओं में समानता और विभिन्नता पहचानने की योग्यता से है।

(ग) पूर्व-विद्यालयी बच्चे पहली बार सुने गए किसी कठिन शब्द का अर्थ वाक्य के संदर्भ से जल्दी से अर्थ समझ लेते हैं। इसे.....कहते हैं।

(घ) .....भाषा के व्यावहारिक प्रयोग की चर्चा करता है।

9.2 6-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का विकास

मध्य बाल्यावस्था में बच्चे के जीवन में बहुत परिवर्तन आते हैं। इस समय शारीरिक, सामाजिक और संज्ञानात्मक कौशलों का तेजी से विकास होता हैं। संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से इस समय बच्चे याद करने और अधिक सीखने के योग्य हो जाते हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों में विश्वास विकसित करने तथा स्वतंत्रता प्राप्त करने और परिश्रम करने के लिए यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब परिवार से अलग आत्म-निर्भर होना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्कूल जाने के कारण इस आयु के बच्चे अब बाहर के विस्तृत संसार के संपर्क में आते हैं। मित्रता अधिक महत्वपूर्ण होती जाती है तथा साथी-बच्चे अब उनके जीवन में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाना शुरू कर देते हैं।

आइए, अब पूर्व प्राथमिक अवस्था के विकासात्मक पड़ावों पर नजर डालें।

9.2.1 शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास

इस अवस्था में बच्चे 1 से 3 इंच प्रति वर्ष बढ़ते हैं। 8 से 9 वर्ष की आयु में तेजी से उनका भार बढ़ता है। छोटी माँसपेशियों की अपेक्षा उनकी हाथ और पैरों की बड़ी माँसपेशियाँ अधिक विकसित होती हैं। इस अवस्था में बच्चे बहुत-से शारीरिक खेल खेलते हैं और एक बच्चा गेंद को टप्पे देता हुआ दौड़ सकता है परन्तु एक ही समय पर दोनों कार्य करना उसके लिए कठिन हो सकता है।

चित्र 9.1 : बाह्य खेलों से शारीरिक विकास

उम्र के इस पड़ाव की बच्चों की कुछ शारीरिक क्षमताएँ निम्नलिखित हैं:

- धीमी परन्तु निरन्तर वृद्धि
- मांसपेशियाँ और अधिक मजबूती

टिप्पणी

- 'बेबी फैट' की कमी
- मांसपेशियों में वृद्धि
- शारीरिक संचालन पर नियंत्रण शक्ति का विकास

9.2.2 सामाजिक और संवेगात्मक विकास

इस अवस्था में बच्चों का आत्म-प्रत्यय और अधिक विकसित होता है। संसार में उनकी अपने स्थान के संबंध में समझ का विकास होता है। वे इस बात को महसूस करना शुरू कर देते हैं कि वे कैसे दिखते हैं तथा वे कैसे बढ़ रहे हैं। वे अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं का सही आकलन करने लगते हैं। उनकी अपने बारे में राय बाह्य (जैसेकि शारीरिक क्षमताएं और संपत्ति) तथा आन्तरिक गुणों (जैसेकि मैं अच्छा हूँ।) दोनों पर ही निर्भर करता है।

इस अवस्था के बच्चे द्वंद्वात्मक संवेगों को प्रकट कर सकते हैं। वे जटिल संवेगों को समझने लगते हैं जैसे कि दुविधा, उत्साह, आदि। उन्हें अपने परिवार और माता-पिता से अधिक स्वतंत्र होने की आवश्यकता होती है और वे अपने साथियों से अधिक जुड़ना प्रारंभ कर देते हैं। उन्हें निजता अच्छी लगती है। अपने साथियों से बातचीत करते समय वे उनसे मुकाबला करते हैं और प्रतिस्पर्धात्मक खेल खेलते हैं। वे मित्रता और समूह कार्य पर अधिक ध्यान देते हैं। वे आगे की योजना बनाना सीखते हैं।

कुछ अन्य सामाजिक-संवेगात्मक योग्यताएँ इस प्रकार हैं-

- सही और गलत की बेहतर समझ।
- माता-पिता से अलग समय और संवेगात्मक स्वतंत्रता की चाह।
- भावनाओं पर नियंत्रण करने और उन्हें छुपाने में बेहतर होना।
- विस्तृत आत्म प्रत्यय के निर्माण की शुरूआत, अपनी शक्तियों और कमजोरियों की पहचान, विशेष रूप से सामाजिक, शैक्षिक और खेल-संबंधी कौशलों के संबंध में।
- दोस्त बनाना और साथियों के साथ बातचीत करना और मित्रता बढ़ाना एवं बनाए रखना।

9.2.3 संज्ञानात्मक विकास

मध्य-बाल्यावस्था में बच्चे पहले की अपेक्षा अधिक तार्किक ढंग से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। उनकी सोच लचीली हो जाती है लेकिन वे केवल मूर्त परिस्थितियों के बारे में ही सोच सकते हैं। अब वे किसी एक वस्तु के एक से अधिक पक्षों के बारे में सोच सकते हैं हालाँकि वे इसमें पूरी तरह कुशल नहीं हो पाते। अब वे जानी-पहचानी जगहों पर जाने वाले रास्तों को याद रख सकते हैं और उन्हें यह भी समझ आ जाता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में कितना समय लगेगा। अब वे अपने आप स्कूल से घर वापस आ सकते हैं। संख्या, लंबाई, द्रव, सामग्री, भार, क्षेत्रफल और आयतन के संबंध में उनकी सही समझ बनने लगती है। उनकी विपरीत या पलटकर सोचने की शक्ति भी विकसित हो जाती है। इस आयु के बच्चे आत्मकेंद्रित नहीं होते।

टिप्पणी

इस अवस्था की कुछ संज्ञानात्मक योग्यताओं का सारांश इस प्रकार है:

- अनुभवों का वर्णन करने तथा अपने विचारों के बारे में बात करने की योग्यता का विकास।
- वर्तमान के साथ-साथ भूत और भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने की योग्यता का विकास।
- ध्यान देने की अवधि में वृद्धि और मुख्य बिंदु पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता का विकास।
- आगे बढ़ने की योजना बनाना।
- घटनाओं पर आधारित निरीक्षण करना और पूर्वानुमान करना।
- मीडिया से महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, तथा पढ़ने एवं लिखने की योग्यता का विकास।

9.2.4 भाषायी विकास

इस अवस्था में बच्चे भाषा के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। वे भाषा की बारीकियों को समझने और उनका उचित स्थान पर उपयुक्त प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। वे हास्य को समझते हैं और संवाद के कौशलों जैसे–बारी आने पर बोलना, आदि, बातों को सीख जाते हैं। वे काफी समय तक एक विषय पर बातचीत कर सकते हैं। उनके शब्द भंडार और वाक्य रचना में सुधार आ जाता है। उनके शब्द भंडार में नए-नए शब्द जुड़ते जाते हैं और वे विभिन्न सामाजिक संदर्भों में उनका उपयुक्त प्रयोग करने के योग्य हो जाते हैं। वे शब्दों को सामाजिक स्तर पर प्रयोग करना सीख जाते हैं जैसे कि विभिन्न लोगों से क्या बोलना है, कैसे बोलना है जैसे कि माता-पिता, शिक्षक, भाई-बहनों और मित्रों से। वे दुरुह शब्दों को समझने में गहरी रुचि दिखाते हैं।

इस स्तर पर उनके भाषायी विकास की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं–

- भाषा की बेहतर समझ एवं प्रयोग
- स्पष्ट-साफ बोली में अपने विचार साझा करना
- बातचीत और वर्णन करने के कौशलों में सुधार
- वर्णित घटनाओं या वस्तुओं का दृष्टि अवबोधन
- नए शब्दों तथा अंशो की रचना करना।

पाठगत प्रश्न 9.2

पूर्व प्राथमिक अवस्था को समझने के लिए कॉलम 'अ' को कॉलम 'ब' से मिलान कीजिए–

कॉलम (अ)	कॉलम (ब)
(i) शारीरिक विकास	(क) नए शब्दों तथा अंश की रचना करता है।
(ii) सामाजिक विकास	(ख) परिचित स्थानों के नाम तथा रास्ते याद रख सकता है।

(iii) संवेगात्मक विकास	(ग) प्रतिस्पर्धा में भाग लेना है।
(iv) भाषीय विकास	(घ) द्वंद्वात्मक संवेगों को भाषा से स्पष्ट कर सकता है।
(v) संज्ञानात्मक विकास	(ङ) 1 से 3 इंच तक प्रति वर्ष बढ़ता है।

9.3 बच्चों के विकास में खेल का महत्व

खेल बच्चों को ऐसे अनेक मूल्यवान अवसर देते हैं जिनसे उनके विकास और सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान होता है। प्रमाण बताते हैं कि खेल शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और बौद्धिक आदि विकास के विभिन्न आयामों को सीखने में मदद करते हैं। खासतौर से प्रथम तीन वर्षों में सुनने, देखने, छूने, चलने और सूँघने के माध्यम से खेल बच्चों की सीखने में सहायता करते हैं। खेल के दौरान बच्चों की सामाजिक कुशलताओं और संवेगात्मक परिपक्वता में वृद्धि होती है।

खेल सभी बच्चों के विकास का एक आवश्यक तथा महत्वपूर्ण अंग है। खेल बच्चे के लिए समाजीकरण, सोचने, समस्या समाधान, परिपक्वता आदि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आनन्ददायी क्रिया है। प्रारंभिक बाल्यावस्था से जुड़े सभी लोगों को खेल का महत्व तथा खेल आधारित गतिविधि करने की जानकारी होनी चाहिए। फ्रॉबेल के अनुसार, खेल बच्चे के लिए कोई मामूली प्रक्रिया नहीं बल्कि एक गम्भीर कार्य है जो बच्चे के विकास पर गहरा प्रभाव डालता है। मारिया मॉन्टेसरी ने भी स्वतंत्र तथा स्वभाविक खेलों को बच्चों के विकास के लिए महत्वपूर्ण क्रिया माना है। पियाजे खेल को आनन्द के लिए दोहरायी गयी प्रतिक्रियाओं से परिभाषित करते हैं।

छोटे बच्चों में अपने आस-पास के जीवन को जानने, समझने, और उसका अन्वेषण करने की जिज्ञासा बनी रहती है। छोटे बच्चों के लिए भौतिक और सामाजिक क्षेत्र के रहस्यों को जानने के लिए खेल प्रमुख साधन होते हैं। खेल के द्वारा बच्चे आपस में सहयोग करना तथा अपने विवादों को सुलझाना सीखते हैं। खेलों के माध्यम से बच्चे भौतिक साधनों, उपकरणों और परम्पराओं के महत्व का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं।

आइए, प्रारंभिक बाल्यावस्था के विकास में खेल के महत्व को जानते हैं–

- खेल साक्षरता के लिए आधार तैयार करता है। खेल के द्वारा बच्चे नई ध्वनियाँ बनाना एवं प्रयोग करना सीखते हैं। वे अपने आप तथा अपने मित्रों या साथियों के साथ नए शब्दों का प्रयोग करना सीखते हैं तथा अपनी कल्पनाशीलता का प्रयोग करते हैं।
- बच्चे खेल से सीखते हैं। खेल द्वारा बच्चे के विकास में सहायता मिलती है तथा यह शिशु की सीखने की जन्मजात आवश्यकता की पूर्ति करता है। खेल के अनेक प्रकार हैं, यह झुनझुने हिलाने से लेकर, छुपन छुपाई तक कुछ भी हो सकते हैं। खेल बच्चे द्वारा अकेले, किसी साथी के साथ, समूह में या किसी वयस्क के साथ खेला जा सकता है।

टिप्पणी

- खेल बच्चों को चुनने का अवसर देता है। पर्याप्त गतिविधियों तथा खिलौनों में से चुनकर बच्चों को स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसर मिलते हैं।
- खेल बच्चों को शारीरिक क्रियाएँ करने, संतुलन बनाने तथा अपनी क्षमताओं को परखने के अवसर प्रदान करता है।
- खेल द्वारा बड़ों को अपने बच्चों की शारीरिक भाव–भंगिमा को समझने में सहायता मिलती है।
- खेल एक आनन्ददायी प्रक्रिया है, अपने आप तथा दूसरों के साथ बेहतर ढंग से खेलना सीखने से बच्चा संतुष्ट होता है तथा सामाजिक बनता है।

आइए, बच्चों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए खेल के महत्व का अध्ययन करते हैं।

शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास

शारीरिक विकास के लिए खेल आवश्यक है। खेल के अभाव में शरीर का सामान्य विकास नहीं हो पाता। मोटापे और प्रेसेस्ड फूड के जमाने में घूमना, दौड़ना, खेलों में भाग लेना बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी जीवन्तता के लिए बहुत आवश्यक है। खेलों में बच्चों की शारीरिक सक्रियता अधिक होने के कारण बच्चों का स्थूल तथा सूक्ष्म क्रियात्मक विकास एवं शारीरिक क्रियाओं के प्रति चैतन्यता का विकास होता है। लिखने के उपकरण जैसे मार्कर आदि का प्रयोग खेल के द्वारा सूक्ष्म माँसपेशियों के विकास का एक उदाहरण है। सूक्ष्म माँसपेशियों के प्राकृतिक विकास में बच्चा पहले किसी निश्चित आकृति में क्रेयॉन चलाना सीखता है फिर धीरे–धीरे वह इच्छित आकृति तथा चित्र बनाने लगता है। स्थूल माँसपेशीय विकास जैसे–कूदना व उछलना भी इसी ढंग से होता है। जब बच्चे कूदना सीखते हैं तो वे किसी भी पैर से सिर्फ आनन्द के लिए कूदते हैं। खेल के दौरान शरीर के गतिविधियों द्वारा बच्चे में शारीरिक आत्म–निर्भरता आती है तथा वे सुरक्षित एवं साहसी बनते हैं। खेल बच्चों की ऊर्जा को बाहर निकालने का एक सशक्त माध्यम है। इससे बच्चों की छोटी तथा बड़ी माँसपेशियाँ मजबूत होती हैं तथा उनमें शक्ति एवं सुदृढ़ता का संचार होता है। खेल, बच्चों के सूक्ष्म एवं वृहद गतिक कौशलों को सशक्त करता है तथा उनकी ताकत और आंतरिक बल को बढ़ावा देता है।

सामाजिक तथा संवेगात्मक विकास

बच्चों के सामाजिक विकास हेतु खेल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। खेल के दौरान, बच्चों की सामाजिक क्षमताओं तथा संवेगात्मक परिपक्वता का भी विकास होता है। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किसी विद्यालय की सफलता मुख्य रूप से वहाँ के बच्चों की आपसी अंत:क्रियाओं तथा साथी समूह एवं बड़े लोगों के साथ क्रियाओं की सकारात्मकता पर निर्भर करती है। खेल के दौरान बच्चा अपने चारों ओर के वातावरण द्वारा नियंत्रित होता है जिससे उसमें आत्म–सम्मान बढ़ता है। बच्चा अनेक प्रकार की गतिविधियों में भाग लेता है जिससे वह अनेक नए संवेगों को महसूस करना सीखता है। चूँकि खेल में बच्चा अपनी भावनाओं को उजागर करता है वह खुशी, उदासी, क्रोध, भय, उत्तेजना, अवसाद तथा तनाव जैसी भावनाओं

टिप्पणी

को नियंत्रित करना सीखता है। खेल बच्चे की एकाग्रता को बढ़ाता है तथा दूसरों के साथ सहयोग करना भी सिखाता हैं। खेलों के द्वारा बच्चे एक-दूसरे को समझने की कला सीखते हैं, अपनी भूमिका का निर्धारण करते हैं, नियमों का पालन करना सीखते हैं तथा सामूहिक सक्रियता का पाठ भी सीखते हैं। अपनी भूमिका का स्वयं निर्धारण करके वे मित्रता की भावना का विकास करते हैं और इस प्रकार खेल, बच्चों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि सिद्ध होते हैं।

संज्ञानात्मक विकास

खेल के द्वारा बच्चे आवश्यक अवधारणाओं जैसे–गिनती, रंग, तथा समस्या समाधान आदि के बारे में सीखते हैं। खेलने और विभिन्न खेलों में भाग लेने से उनकी सोचने और तर्क करने की शक्ति में सुधार होता है। क्योंकि बचपन में खेल भी बच्चों के लिए काम है, इसलिए यह जरूरी है कि बच्चों में उपरोक्त नये कौशलों के विकास के लिए उन्हें खेलों में व्यस्त रखा जाए।

भाषिक विकास

खेल बच्चों को उनकी भाषा के अनेक नियमों को आत्मसात करने में मदद करता है। इसलिए खेल में संप्रेषण आवश्यक है। यह बच्चों को उनकी सोच को व्यक्त करने के अनेक तरीके भी सुझाता है। खेल के दौरान बच्चा अलग-अलग लोगों से अलग-अलग स्थितियों में अनेक उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग सीखता है। अन्य लोगों के साथ खेलते समय बच्चा प्रायः खेल सामग्री के बारे में बात करता है या प्रश्न पूछता है। खेल के दौरान बच्चा जानकारी प्राप्त करता है या अन्य लोगों को जानकारी देता है, विचारों को व्यक्त करता है नयी भाषा सीखता है। प्रत्येक आयु वर्ग के बच्चे भाषा के खेल पसन्द करते हैं क्योंकि ऐसा करने से उन्हें अभिव्यक्ति के अवसर मिलते हैं। खेल उनके लिए शब्दों (पाठ्यक्रम, ध्वनियों एवं व्याकरण) को समझने तथा प्रयोग करने का एक माध्यम है। प्रारम्भिक विद्यालयी बच्चों के लिए भाषिक खेल, चुटकुलों, पहेलियों, तथा रस्सी पर कूदने के रूप में हो सकते हैं।

कला तथा सौन्दर्यबोध

बच्चे के विकास तथा अधिगम में रचनात्मक विचारों एवं अभिव्यक्ति की भूमिका के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लगभग 50 वर्ष पूर्व, सिगमण्ड फ्रॉयड (1958) ने बताया कि खेल के दौरान ''प्रत्येक बालक एक रचनाकार की तरह व्यवहार करता है, तथा वह अपने संसार की रचना स्वयं करता है, या अपने संसार की उन चीजों को पुनर्व्यवस्थित करता है, जो उसे अच्छी लगती हैं।'' प्रत्येक रचनाशील व्यक्ति भी इसी प्रकार कार्य करता है। खेल बच्चे को वातावरण में उपस्थित चीजों में सौंदर्य तलाशने तथा सुन्दर ढंग से उन्हें प्रयोग करने का अवसर प्रदान करता है।

आपने क्या सीखा

इस पाठ में आपने सीखा कि–

- उसे 6 साल के बच्चों की वृद्धि और विकास में एक प्रकार की स्थिरता रहती है। इस

टिप्पणी

समय उनकी सूक्ष्म एवं वृहद मांसपेशियाँ विकसित होती हैं जिससे उनकी शारीरिक मजबूती बढ़ती है।

- शारीरिक क्षमता बढ़ने से उसे 6 साल तक के बच्चे दिन-प्रतिदन के कार्यों–जैसेकि अपने आप भोजन करना, बटन लगाना, कपड़े पहनना, जूतों के फीते बाँधना आदि कार्य बेहतर ढंग से करने लगते हैं।
- पूर्व-विद्यालयी बच्चे अपना नाम, परिवार के लोगों के नाम तथा अपनी वस्तुओं के नाम बताना सीख जाते हैं।
- पूर्व-विद्यालयी बच्चों में सोचने और समझने की क्षमता विकसित नहीं हो पाती, परन्तु वे मूर्त स्थितियों को सहज तार्किक क्षमता द्वारा समझने लगते हैं जोकि वस्तुओं को बाह्य दिखावट से संरचित होते हैं।
- पूर्व-विद्यालयी बच्चों में शब्दों को समझने तथा सामाजिक बातों को जानने की क्षमता का तेजी से विकास होता है।
- मध्य बाल्यावस्था के दौरान बच्चे अपने शरीर पर नियंत्रण करना सीखते हैं।
- 6 से 8 साल के बच्चों को अपनी शारीरिक क्षमता का ज्ञान हो जाता है, उनका आन्तरिक विकास होने लगता है। इस समय वे अपने बारे में और अधिक जानने लगते हैं।
- मध्य बाल्यावस्था में बच्चों में तर्क शक्ति का विकास हो जाता है, पर वे वस्तुओं को पहचान नहीं पाते। उनमें पलटकर सोचने, संरक्षण तथा अमूर्त चिंतन की क्षमता नहीं होती और न ही सोचने समझने की शक्ति होती है।
- 6 से 8 साल के बच्चे भाषा में कुशलता प्राप्त कर लेते हैं। वे बेहतर रचनाशील वाक्य बना लेते हैं।
- खेल बच्चों का समग्र विकास करते हैं। खेलों से विकास के सभी आयामों में वृद्धि होती है।

पाठान्त प्रश्न

1. खेल का क्या अर्थ है? छोटे बच्चों के विकास में खेल की भूमिका की चर्चा कीजिए।
2. पूर्व विद्यालयी बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न पक्षों का वर्णन कीजिए।
3. सात वर्ष के बच्चों की नीचे दिए गए आयामों की कुशलताओं की सूची तैयार कीजिए–

   (i) संज्ञानात्मक

   (ii) भाषिक

   (iii) सामाजिक-संवेगात्मक

4. 3 वर्ष तथा 6 वर्ष के बच्चों के विकासात्मक पड़ावों का तुलनात्मक चार्ट बनाइए।

5. नीचे लिखे विषयों का संक्षेप में परिचय दीजिए–

   (i) प्रतीकात्मक विचार

   (ii) स्थानिक चिन्तन

   (iii) कार्य कारण सम्बन्ध

   (iv) वर्गीकरण और पहचान

   (v) निजी संभाषण

पाठगत प्रश्नों के उत्तर

9.1

(क) एनीमिस्म

(ख) वर्गीकरण

(ग) तीव्र प्रतिचित्रण

(घ) व्यवहारशीलता

9.2

(i) (ङ)

(ii) (ग)

(iii) (घ)

(iv) (क)

(v) (ख)

संदर्भ

- Berk, L. (2012). Child Development (9th Edition). Pp 174-222. Prentice Hall of India.
- Hurlock, E.B. (2007). *Developmental Psychology: A life -span approach.* New Delhi: Tata McGraw-Hill.
- Mukunda, K. (2009). *What Did You Ask at School Today? A Handbook of Child Learning.* New Delhi: Harper Collins.

टिप्पणी

- Papalia, D. E; Olds, S.W., Feldman, R. D.(2006). *Human Development (9th Ed).* New Delhi: Tata McGraw- Hill.
- Ranganathan, N. (2000). *The Primary School Child: Development and Education.* New Delhi: Orient Blackswan.
- Singh, A (Ed). (2015). *Foundations of Human Development*. New Delhi: Orient Blackswan.

पाठ्यचर्या

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा
उच्चतर माध्यमिक स्तर

तर्क

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) को दुनिया भर में एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप के रूप में स्वीकार किया जाता है जिसका उद्देश्य बच्चों के आजीवन सीखने और विकास के लिए एक मजबूत नींव विकसित करने में मदद करना है। यह शिक्षा की सीढ़ी में पहले कदम के रूप में भी पहचाना जाता है, जो अगर ठीक रूप से किया गया, तो बच्चों को प्राथमिक स्कूली शिक्षा के लिए बेहतर तैयार करता है और सीखने को बढ़ावा देता है। ईसीसीई 2013 की राष्ट्रीय नीति में ईसीसीई के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। यह नीति बढ़ती जागरूकता और बच्चों के प्रारंभिक वर्षों के महत्व पर ध्यान देने से उभरी है। गुणवत्तापूर्ण ईसीसीई से तात्पर्य है कार्यक्रमों में पर्याप्त गुणवत्ता सुनिश्चित करना। विशेष रूप से विकास और बच्चे तथा उम्र के अनुकूल बनाने के दृष्टिकोण से इस पाठ्यक्रम को छोटे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और विकास संबंधी आवश्यकताओं को समझने के लिए आवश्यक संवेदनशीलता एवं विभिन्न संदर्भों में भिन्नता के प्रति उनको उन्मुख करने के लिए डिजाइन किया है। यह समग्र विकास के लिए बच्चों को पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा की आवश्यक भूमिका को भी संबोधित करता है। शिक्षार्थी, संवेदनशील वातावरण प्रदान के लिए आवश्यक उचित तरीकों तथा साथ ही बच्चों को स्तर संबंधी जरूरतों को पूरा करने के तरीकों को भी सीखेंगे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों को विविधता को महत्व देने के लिए तैयार करना और समावेशी शिक्षा के महत्व को पहचानना है।

पाठ्यक्रम के उद्देश्य

इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य शिक्षार्थियों को निम्नलिखित की समझ की क्षमता विकसित करना है–

- प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा और उसका महत्व।
- बच्चों के अधिकार और विकासात्मक जरूरतें।
- बच्चों की पोषण, अच्छे स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और विकास की आवश्यकता।
- प्रारंभिक वर्षों में देखभाल के उचित तरीके।
- प्रारंभिक बाल्यावस्था में खेल और उद्दीपन।
- बाल विकास और शिक्षण में आपस की निर्भरता।
- ईसीसीई में मुद्दे और इन मुद्दों के समाधान करने के लिए दिशा-निर्देश।
- स्कूल की तत्परता और सुगम पारगमन की अवधारणा और महत्व।
- भारतीय सामाजिक ताने-बाने और बहुत-सी सह-अस्तित्व सामाजिक यर्थाथताओं में भाषा और सांस्कृतिक विविधता।
- एक समावेशी कक्षा की आवश्यकताएँ।
- एक समावेशी कक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपर्युक्त गतिविधियाँ; तथा
- एक प्रभावी ईसीसीई कार्यक्रम के लिए माता-पिता, समुदाय और अन्य भागीदारों के साथ सार्थक संबंध बनाना।

पाठ्यक्रम संरचना

उच्चतर माध्यमिक स्तर पर ईसीसीई के पाठ्यक्रम में सिद्धांत और व्यावहारिक दोनों घटक शामिल हैं। अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य भी पाठ्यक्रम का हिस्सा है।

सैद्धान्तिक घटक (Theory Component)

सैद्धान्तिक घटक में 5 मॉडयूल और 22 पाठ शामिल हैं। स्व अध्ययन सामग्री को दो भागों में विभाजित किया गया है: पुस्तक-1 में 2 मॉड्यूल और 9 पाठ शामिल हैं तथा पुस्तक-2 में 3 मॉड्यूल और 13 पाठ शामिल हैं।

मॉड्यूल की संख्या, सुझाए गए अध्ययन के घंटे और प्रत्येक मॉड्यूल के लिए आवंटित अंक निम्नलिखित हैं:-

मॉड्यूल संख्या	*मॉड्यूल का नाम*	*अध्ययन के घंटे*	*अंक*
1	प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा	50	20
2	बाल विकास के सिद्धांत	50	15
3	पाठ्यक्रम, मान्यताएँ और प्रगति	65	25
4	ईसीसीई केंद्र का संगठन एवं प्रबंधन	45	10
5	विविधता और समावेशन	30	10
	कुल	240	80

प्रयोगात्मक घटक

इस ईसीसीई पाठ्यक्रम में प्रयोग अनिवार्य घटक है। यह सत्रांत परीक्षा में 20 अंकों का अधिभार देता है। शिक्षार्थियों द्वारा की जाने वाली सुझाव हेतु गतिविधियों को एक सूची सिद्धांत पाठ्यक्रम के अंत में दी गई है।

अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए)

सत्रांत परीक्षा में अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य में सैद्धान्तिक अंकों का 20% अधिभार होता है।

पाठ्यक्रम विवरण

मॉड्यूल 1 : प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा

अंक-20 **घंटे : 50**

दृष्टिकोण

इस मॉड्यूल का उद्देश्य ईसीसीई के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान एवं ईसीसीई का महत्व प्रदान करना है और ईसीसीई के आवश्यक घटक इस बात पर ध्यान केंद्रित है कि कैसे भारतीय और वैश्विक दोनों संदर्भों में ईसीसीई के प्रति प्रासंगिकता और जागरूकता विकसित हुई है। शिक्षार्थी भारत में बचपन को प्रभावित करने वाले कारकों, पोषण और स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता और छोटे बच्चों की आवश्यकताओं और अधिकारों के बारे में भी जानेंगे। ईसीसीई के लिए महत्वपूर्ण सरकारी पहलों, योजनाओं और नीतियों पर संक्षिप्त चर्चा से शिक्षार्थियों को राज्य और नागरिक समाज की भूमिका के

बारे में पता चलेगा। शिक्षाविदों की जागरूकता और रूचि के निर्माण के लिए ईसीसीई से संबंधित मुद्दों और चिंताओं के बारे में समाधान प्रस्तुत किया गया है।

पाठ-1 प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा : अर्थ और महत्व

ईसीसीई का अर्थ और महत्व

ईसीसीई के उद्देश्य

ईसीसीई के घटक

प्रारंभिक हस्तक्षेप

भारतीय संदर्भ में ईसीसीई

वैश्विक संदर्भ में ईसीसीई

पाठ-2 भारत में प्रारंभिक बाल्यावस्था

प्रारंभिक बाल्यावस्था

बच्चे और बाल्यावस्था

प्रारंभिक बाल्यावस्था का आगामी जीवन पर प्रभाव

प्रारंभिक बाल्यावस्था को प्रभावित करने वाले कारक

बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक

बच्चों के संदर्भ में भारतीय संविधान और प्रावधान

भारत में बच्चों के पालन-पोषण संबंधी गतिविधियाँ

पाठ-3 बच्चों की आवश्यकताएँ एवं अधिकार

बच्चों की आवश्यकताएँ

बच्चों के अधिकार

बच्चों के अधिकारों की प्राप्ति हेतु सरकारी अधिनियम तथा योजनाएँ

पाठ-4 भारत में ईसीसीई नीतियाँ, योजनाएँ तथा कार्यक्रम

ईसीसीई के लिए सरकारी पहल की आवश्यकता

नीतियाँ एवं योजनाएँ

कार्यक्रम एवं योजनाएँ

पाठ्यचर्या की रूपरेखाएँ

ईसीसीई के विभिन्न सेवा प्रदाता

पाठ-5 ईसीसीई के मुद्दे एवं दिशा-निर्देश

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के मुद्दे

मुद्दों के निराकरण हेतु दिशा-निर्देश

मॉड्यूल 2 : बाल विकास के सिद्धांत

अंक : 15 **घंटे : 50**

दृष्टिकोण

यह मॉड्यूल प्रारंभिक वर्षों के दौरान विकास की व्यापक समझ प्रदान करने के लिए बाल विकास के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करता है। वृद्धि और विकास की प्रकृति के बारे में शिक्षार्थियों को सूचित करने के लिए विकास के क्षेत्र और विकास के पड़ावों पर विस्तृत चर्चा की गई है। विकास के चरणों को दो पाठों में आयोजित किया गया- जन्म से पूर्व (प्रीनेटल) से तीन वर्ष तक और तीन वर्ष से आठ साल तक जिससे विभिन्न चरणों के दौरान जरूरी क्षेत्रों को उजागर किया जा सके। मॉड्यूल शिक्षार्थियों को छोटे बच्चों के विकास की विशेषताओं की समझ प्रदान करता है।

पाठ-6 : वृद्धि और विकास

वृद्धि क्या है?

विकास क्या है?

वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक

पाठ-7 : विकास के आयाम

विकास के आयाम

- शारीरिक और गत्यात्मक विकास
- सामाजिक-संवेगात्मक विकास
- नैतिक विकास
- संज्ञानात्मक विकास
- भाषायी विकास, संप्रेषण और निर्गत साक्षरता

पाठ-8 : बाल विकास की अवस्थाएँ : प्रसव पूर्व तथा जन्म से तीन वर्ष तक

गर्भावस्था के दौरान बच्चे का विकास

नवजात शिशु की विशेषताएँ

शैशवावस्था में वृद्धि और विकास

टॉडलर अवस्था में वृद्धि और विकास

पाठ-9 : बाल विकास की अवस्थाएँ : 3 वर्ष से 6 वर्ष तक, 6 वर्ष से 8 वर्ष तक

3-6 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का विकास

6-8 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों का विकास

बच्चों के विकास में खेल का महत्व

मॉड्यूल 3 : पाठ्यक्रम, मान्यताएँ एवं प्रगति

अंक : 25 **घंटे : 65**

दृष्टिकोण

यह मॉड्यूल शिक्षार्थियों को बच्चों के पारस्परिक व्यवहार के द्वारा उनके वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्मुख करता है। यह मॉड्यूल शिशुओं की विशिष्ट आवश्यकताओं से भी अवगत कराता है जब शिशु समूह देखभाल में होते हैं।

समूह सेटिंग्स में बच्चों के लिए एक संवेदनशील वातावरण बनाकर एक समूह में प्रत्येक बच्चे को संबोधित करने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इस तरह के परस्पर मेलमिलाप एक पाठ्यक्रम शिक्षाशास्त्र के सिद्धांत तथा प्रगति की समीक्षा के लिए बने अभ्यास क्रियाओं पर आधारित होते हैं। ये आयाम पहले दो वर्षों में प्रोत्साहन, उत्साह और संवादिक निर्विष्टियों पर जोर देने के साथ शिशु देखभाल में गुणवत्ता प्रदान करने के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह खेल और अधिगम में विकसित होता है जो पूर्ण बाल्यावस्था शिक्षा के लिए आवश्यक है। यह मॉड्यूल सीखने के तरीकों को विस्तृत करता है जो सीखने वालों की समझ को बढ़ाता है और इस प्रकार बच्चे खेल, कला, संगीत और संचार जैसी बाल सुलभ तकनीकों का उपयोग करके अपनी समझ को बढ़ाते हैं। शिक्षार्थी बच्चों के अध्ययन की विधियों में बच्चों की प्रगति और विकासात्मक प्रगति पर भी ध्यान देना सीखेंगे।

पाठ-10 प्रारम्भिक वर्षों में बच्चों की देखभाल

तीन वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल के सिद्धांत

शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति का महत्व

विकास के लिए संवेदी उद्दीपन

प्रारंभिक वर्ष आगामी अधिगम का आधार : गुणवत्तापरक देखभाल के तरीके

- अभिरूचि, जिज्ञासा और प्रेरणा
- संबंध बनाना
- खेल एवं आनंदमयी अन्तर्क्रिया

देखभाल हेतु वातावरण के प्रकार : पारिवारिक और गैर पारिवारिक

देखभालकर्ता (अभिभावक एवं अध्यापक) और बच्चे

पाठ-11 : खेल और प्रारम्भिक अधिगम

खेलों की परिभाषा

खेल का महत्व

खेलों के प्रकार

खेल कैसे विकसित होते हैं?

खेल और प्रारंभिक अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना

सभी आयामों के लिए खेल आधारित गतिविधियाँ

बच्चों के खेलों में शिक्षक की भूमिका

पाठ-12 : विकासोचित ईसीसीई पाठ्यचर्या की योजना

आयु तथा विकासोचित ईसीसीई कार्यक्रम का अर्थ और महत्व

ईसीसीई पाठ्यचर्या की प्रासंगिकता की आवश्यकता एवं महत्व

गुणवत्तापरक ईसीसीई योजना के सिद्धान्त

ईसीसीई कार्यक्रम की योजना एवं रूपरेखा

विषयवस्तु (थीम) आधारित ईसीसीई कार्यक्रम

समावेशी प्री-स्कूल में विविधता एवं योजना की सराहना करना

पाठ-13 : बच्चे किस प्रकार सीखते हैं? (प्रारंभिक अधिगम एवं शिक्षण)

बच्चों के विकास एवं अधिगम के सूचक

बच्चे किस प्रकार सीखते हैं

विकास के आयाम अथवा सीखने के क्षेत्र

अधिगम के आयामों की परस्परिक निर्भरता

अधिगम को प्रोत्साहन

विभिन्न आयामों/क्षेत्रों के लिए विकासोचित गतिविधियों का नियोजन

विकासात्मक बदलावों की पहचान और हस्तक्षेप

पाठ 14 : बाल-अध्ययन के तरीके

मानव विकास का अध्ययन एवं अनुसंधान

अध्ययन के उपकरण और तकनीक

- उपकरण का चयन
- अवलोकन

साक्षात्कार

प्रश्नावली

संचार के रूप में कला

बच्चों की प्रगति का प्रतिवेदन

- उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड
- संविभाग (पोर्टफोलियो)

माड्यूल 4 ईसीसीई केन्द्र की स्थापना और प्रबंधन

अंक : 10 **घंटे : 45**

दृष्टिकोण

यह माड्यूल ईसीसीई केन्द्र की दिन प्रतिदिन की बुनियादी जरूरतों की सूचनाएँ उपलब्ध कराता है। यह इस बात का भी ध्यान रखता है कि केन्द्र समावेशी और बच्चों के अनुकूल हो। यह प्रशासनिक सिद्धान्तों पर विचार करने के साथ-साथ केन्द्र

के समुचित संचालन के प्रबंधन पर भी चर्चा करता है। इस अच्छे ईसीसीई केन्द्र के शिक्षकों की कुशलता, अभिभावकों और समाज के लोगों की रूचि और भागीदारी को एक अच्छे ईसीसीई केन्द्र को ज्ञान का व्यापक केन्द्र बनाने के लिए शामिल किया गया है।

पाठ-15 : ईसीसीई केन्द्र की रूपरेखा (प्रोफाइल)

स्थान की पहचान

बुनियादी ढ़ाँचा/भौतिक सुविधाएँ

उपकरण और अधिगम सामग्री

ईसीसीई कर्मियों की नियुक्ति

ईसीसीई में भागीदार एवं हितधारक

पाठ-16 : ईसीसीई केन्द्र का प्रशासन और प्रबंधन

प्रशासन और प्रबंधन का अर्थ

ईसीसीई केन्द्र के संबंध में प्रशासन और प्रबंधन

ईसीसीई केन्द्र के संदर्भ में पर्यवेक्षण, मार्गदर्शन तथा निरीक्षण

रिकॉर्ड अथवा अभिलेखों की आवश्यकता एवं महत्व तथा ईसीसीई केंद्र में रखे जाने वाले रिकॉर्ड के प्रकार

संसाधनों की गतिशीलता एवं उपयोगिता

लेखा एवं लेखा परीक्षा

पाठ-17 : ईसीसीई शिक्षक के गुण एवं भूमिका

ईसीसीई शिक्षक के गुण

ईसीसीई शिक्षक की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

पाठ-18 : अभिभावकों एवं समुदाय की सहभागिता

ईसीसीई के प्रति माता-पिता तथा समुदाय की जागरुकता की आवश्यकता एवं महत्व

ईसीसीई केंद्र के संचालन में अभिभावकों एवं समुदाय की भूमिका (सहभागिता)

ईसीसीई कार्यक्रम में अभिभावकों और समुदाय की सहभागिता से लाभ

ईसीसीई केंद्र/प्री-स्कूल के संचालन में माता-पिता तथा समुदाय के प्रभावी सहभागिता के तरीके

समुदाय का स्वत्व एवं सहभागिता

माता-पिता एवं समुदाय की सक्रिय सहभागिता के लिए कुछ गतिविधियाँ

पाठ-19 : सुगम पारगमन

पारगमन को समझना

तत्परता की समझ

अभिभावकों, स्कूलों, शिक्षकों एवं अन्य देखभालकर्ताओं की भूमिका

रूकूल तत्परता के विभिन्न घटकों हेतु गतिविधियों की योजना एवं रूपरेखा

मॉड्यूल-5 विविधता और समावेशन

अंक-10 **घंटे : 30**

दृष्टिकोण

हमारे सामाजिक तंत्र में विविधता सन्निहित है। यह विविधता अनेक भाषाओं, धर्मों, भौगोलिक विविधताओं के अनुसार हमारी पारिस्थितकी के अनुरूप दृष्टिगोचर होती है। आर्थिक स्तर पर बहुत अधिक अन्तर होने के कारण समाज में संसाधनों के दोहन पर गहरा असर देखने को मिलता है। यह माड्यूल सामाजिक भिन्नताओं के प्रति जागरूकता पैदा करता है और साथ ही इस बात का भी ख्याल रखता है कि कक्षा में विभिन्न क्षमताओं वाले बच्चों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाए, जिससे कमजोर और समर्थ प्रतिभाशाली और कम प्रतिभाशाली बच्चों को समान रूप से शिक्षित किया जा सके। यह माड्यूल समावेशी विचारधारा के साथ-साथ समावेशी क्लास रूप (कक्षा) की अवधारणा को भी प्रोत्साहित करता है।

पाठ-20 : विविधता की समझ

विविधता की समझ

विविधता को बढ़ावा देने वाले कारक और उनके अधिगम संबंधी निहितार्थ

मातृभाषा और विद्यालयी भाषा के मध्य विभाजन

बच्चों पर लैंगिक और जातिगत रूढ़ियों का प्रभाव

अधिगम और खेल में सभी की लिंग आधारित समतामूलक सहभागिता को प्रोत्साहन

पाठ-21 : समावेशन : अवधारणा एवं मान्यताएँ

समावेशी शिक्षा : अवधारणा एवं महत्व

समावेशी शिक्षा हेतु शिक्षण अधिगम रणनीतियाँ

सरकार की भूमिका

समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन में शिक्षक, प्रबंधन, माता-पिता और समुदाय की भूमिका

पाठ-22 : प्रारंभिक पहचान एवं हस्तक्षेप

दिव्यांग बच्चे

प्रारंभिक पहचान का अर्थ एवं महत्व

प्रारंभिक हस्तक्षेप

सहयोगात्मक समावेशन हेतु सहायक तकनीकें

प्रयोगात्मक कार्य

अंक : 20

ईसीसीई पाठ्यक्रम का उद्देश्य न केवल सैद्धान्तिक ज्ञान से शिक्षार्थियों को परिचित कराना है, बल्कि उन्हें ईसीसीई के वास्तविक परिस्थितियों से जोड़ने का अवसर भी प्रदान करना है। प्रयोगात्मक कार्यों में शामिल किए गए क्रिया-कलाप शिक्षार्थियों को उन कार्यों को करने की क्षमता प्रदान करते हैं, जिनका उन्हें सैद्धान्तिक (पुस्तकीय) ज्ञान होता है और इन गतिविधियों के द्वारा वे ईसीसीई केन्द्र के वास्तविक वातावरण की सराहना करते हैं। ये गतिविधि शिक्षार्थी को बच्चों को वास्तविक अनुभवों द्वारा समझने में सहायता करते हैं। सभी प्रयोगात्मक कार्य अनिवार्य हैं और शिक्षार्थियों को आवश्यक रूप से करना होता है। सभी गतिविधियाँ पाँच श्रेणियों में विभाजित की गयी हैं। शिक्षार्थियों को वार्षिक परीक्षा में पाँचों श्रेणियों में से प्रत्येक में एक परीक्षा देनी होगी।

ये गतिविधि इस प्रकार हैं–

क. अवलोकन

1) किसी बच्चों के अवलोकन के रिकार्ड का एक प्रारूप तैयार कीजिए। नीचे दिए गए क्रम के अनुसार अपने पड़ोस में परिवार के एक बच्चे या कई बच्चों का 20 मिनट तक अवलोकन कीजिए। प्रत्येक अवलोकन की डेढ़ सौ शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए।

- पाँच माह का शिशु : हासिल किये गये विकास के पड़ावों का अवलोकन कीजिए।
- बाहर खेलते हुए छोटे बच्चे : उन छोटे बच्चों ने दूसरे छोटे बच्चों के साथ कैसा वार्तालाप किया और किस प्रकार के खेल में भाग लिया, इसकी समीक्षा कीजिए।
- अन्दर खेले जाने वाले (इनडोर में 5 वर्ष का बच्चा) खेल : उनके वार्तालाप तथा खेल के प्रकारों की समीक्षा कीजिए।

ख. पारिवारिक मान्यताएँ (3 अंक)

1) किसी भी एक आयाम में विकास के बारे में छोटे बच्चे के माता-पिता का साक्षात्कार करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रश्नावली तैयार कीजिए।

2) पारिवारिक प्रथाओं की जानकारी एकत्र करने के लिए निम्नलिखित पर 10 प्रश्नों की एक सूची तैयार कीजिए–

(अ) शिशुओं तथा छोटे बच्चों की आहार पद्धति।

(ब) 4 से 5 वर्ष के बच्चों की देखभाल और उनकी दिनचर्या।

3) आपके पड़ोस या परिवार के बच्चों द्वारा खेले जाने वाले नवीन खेल और उनके द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले खेल उपकरणों की सूची तैयार कीजिए।

ग. विद्यालय अभिलेख (3 अंक)

1) पड़ोस के ईसीसीई केन्द्र जाएँ। वहाँ बच्चों और शिक्षकों द्वारा बनाए गये अभिलेखों का अध्ययन करें। अपने इस निरीक्षण की डेढ़ सौ शब्दों में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए।

2) उपर्युक्त यात्रा के सम्बन्ध में अपने अवलोकन के आधार पर निम्नलिखित अभिलेख तैयार कीजिए:

- बाल संचयी अभिलेख/बाल प्रोफाइल रिकार्ड।
- बच्चे का प्रवेश अभिलेख (रिकार्ड)।
- बच्चे का पोर्टफोलियो।

घ. ईसीसीई केन्द्र में अवसंरचना एवं सुविधाएँ (3 अंक)

एक ईसीसीई केन्द्र की आवश्यक जरूरतों की त्वरित पूर्ति के लिए एक आकलन शीट तैयार कीजिए। उस शीट को लेकर निकटवर्ती किसी ईसीसीई केन्द्र जाकर निम्नलिखित का अवलोकन और आकलन कीजिए:

- स्थान प्रबंधन
- आउट डोर (बाह्य) खेल-उपकरण
- इनडोर (अन्त:) खेल उपकरण
- जल तथा शौचालय की सुविधाएँ
- वायु, प्रकाश और वातायन

ङ. ईसीसीई कर्मचारी एवं कार्यक्रम (3 अंक)

(1) स्टाफ के चयन हेतु लिए जाने वाले साक्षात्कार में पूछे जाने वाले प्रश्नों एक सेट तैयार कीजिए:

- शिक्षक
- केन्द्र-प्रभारी
- केन्द्र सहायक

(2) पड़ोस के पूर्व विद्यालय का भ्रमण और अध्ययन करने के बाद ईसीसीई केन्द्र के लिए एक तीन घण्टे का कार्यक्रम तैयार कीजिए, जिसे किसी प्री-स्कूल में लागू किया जाना है। (3 अंक)

	व्यावहारिक परीक्षा	अंक
1.	अवलोकन	03
2.	पारिवारिक मान्यताएँ	03
3.	विद्यालय अभिलेख	03
4.	ईसीसीई केन्द्र में अवसंरचना एवं सुविधाएँ	03
5.	ईसीसीई कर्मचारी एवं कार्यक्रम	03
6.	पोर्टफोलियो और मौखिकी (वाइवा वॉयस)	05 (3+2)
	कुल योग	20

मूल्यांकन योजना

परीक्षा	अंक	समय	प्रश्नपत्र
● सार्वजनिक परीक्षा	80	3 घण्टे	1
● प्रैक्टिकम (प्रायोगिक परीक्षा)	20	3 घण्टे	1
● अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन कार्य (टीएमए)	16 (लिखित परीक्षा का 20%)	स्व-निर्धारित	1